उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जुलाई-सितंबर, 2013 (संयुक्तांक) **निर्णय-सूची**

	पृष्ठ संख्या
अशरफ खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य	27
गुंडू चन्द्रशेखर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और	
एक अन्य	1
जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम अकबर अली	55
जोगिन्दर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 165)	
डोडा राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	87
धनी राम और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	185
परमोद चन्द बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	152
प्रीतम चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	109
राजेन्द्र कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य	14
राम चन्द्र वर्मा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और एक	
अन्य	68
विजय कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य	34
सुरेन्दर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	165
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नरिन्दर कुमार और अन्य	75
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रमेश चन्द और अन्य	99
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रविन्द्र पाल सिंह और एक अन्य	122
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राकेश कुमार शर्मा और अन्य	133
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुरमीत सिंह	145
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम करतार चंद	178
हुकुम सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	5
लेख	
सुधारात्मक याचिका – दुर्लभतम परिस्थिति में पुनर्परीक्षा :	
एक अवलोकन	(1) - (5)

जुलाई-सितंबर, 2013 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) — धारा 302 [सपिटत साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977 — धारा 32] — आपराधिक मानववध — मृत्युकालिक कथन — साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सा प्रमाणपत्र और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में थी इसलिए अभियुक्त को मृतका के अपुष्ट मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

विजय कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

34

पृष्ट संख्या 1 - 203

(2013) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका जुलाई-सितंबर – 2013 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 1 – 203)

विषय-सूची

पृष्ट	सख्या

1

68

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

— धारा 12, 18 से 22 — उपबंधों का भूतलक्षी प्रवर्तन — अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुतोष भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान नहीं किया जा सकता इसलिए, मिजिस्ट्रेट भविष्यलक्षी रीति से अनुतोष प्रदान कर सकता है और अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व तारीख के प्रतिनिर्देश से अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता।

गुंडू चन्द्रशेखर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

— धारा 204(1)(ख) — समन आदेश जारी करने की शक्ति — जहां मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उक्त धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उसी मामले के अन्य अभियुक्तों को समन आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

राम चन्द्र वर्मा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

— धारा 302, 201, 148 और 323 — विधिविरुद्ध जमाव द्वारा हत्या या स्वेच्छया उपहित कारित करना — जहां अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए कथनों में तात्विक विरोधाभास हो और स्वतंत्र साक्षियों की उपलब्धता के बावजूद उनकी परीक्षा न कराई गई हो तथा मामले की अन्य तात्विक विशिष्टियों में विरोधाभास हो वहां अभियुक्तों को अपराध से दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम निरन्दर कुमार और अन्य

— धारा 306, 498-क और 34 — आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता — जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने मृतका को किसी प्रकार से तंग किया या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने आत्महत्या की, वहां अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध न बनने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रमेश चन्द और अन्य

99

— धारा 307 [सपिटत आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25] — हत्या का प्रयत्न — जहां मामले के तथ्यों और पिरिस्थितियों तथा अभियोजन साक्षियों और अभिलेख की सामग्रियों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित कर दिया है वहां अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश युक्तियुक्त और न्यायसंगत है ।

प्रीतम चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

109

— धारा 307 — हत्या का प्रयत्न — जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित नहीं होता कि अभियुक्त ने हत्या करने के आशय से दो बार गोली चलाई क्योंकि न तो कोई छर्रा घटनास्थल पर मिला, न ही क्षतिग्रस्त व्यक्ति घायल हुआ वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित नहीं है।

राजेन्द्र कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य

14

— धारा 324, 325 और 34 — खतरनाक आयुधों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहित कारित करना — क्षितिग्रस्त व्यक्तियों के कथनों में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में एकरूपता होने और उनके कथनों से यह सिद्ध होने पर कि अभियुक्त पक्ष ने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए शिकायतकर्ता पक्ष पर गंडासी और

पृष्ठ संख्या

डंडों से स्वेच्छया घोर उपहति कारित की और अभियुक्त पक्ष आक्रामक था, उनकी दोषसिद्धि उचित है।	
धनी राम और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य	185
— धारा 354 [सपिटत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1889 की धारा 3(1) (xi)] — स्त्री का लज्जाभंग — यदि मामले के तथ्यों और साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का स्तन दबाया था तो अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना उचित है।	
अशरफ खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य	27
— धारा 354 [सपिटत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1889 की धारा 3(1)(xi)] — जाति साबित किए जाने हेतु दस्तावेज पेश नहीं किया जाना — जहां मामले में अभियोक्त्री के बारे में अनुसूचित जाति से संबंधित होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के आरोप से दोषमुक्त किया जाना उचित है।	
अशरफ खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य	27
— धारा 366/34 — व्यपहरण — अभियोक्त्री के कथन से यह सिद्ध होने पर कि वह अभियुक्तों के साथ स्वयं अपनी इच्छा से गई और एक अभियुक्त के साथ प्रेम संबंध होने के कारण उसके साथ विवाह किया तथा अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों प्राप्तवय थे तथा अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी, इसलिए व्यपहरण का अपराध न बनने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त वहराए जाने के दायी हैं।	
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रविन्द्र पाल सिंह और	
एक अन्य	122

— धारा 376(2)(च) — बलात्संग — जहां अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित करता हो तथा अभियोक्त्री का कथन विश्वासोत्पादक हो और उसकी माता के कथनों से तात्विक संपुष्टि होती हो वहां अभियुक्त को बलात्संग के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित है।

परमोद चन्द बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

— धारा 376 और 511 — बलात्संग का प्रयत्न — मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अप्राप्तवय अभियोक्त्री के साक्ष्य और तात्विक विशिष्टियों में उसकी माता और भाई के कथन से अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित कर देने पर कि अभियुक्त ने न केवल अभियोक्त्री की सलवार उतारी बल्कि अपना भी जांधिया उतारकर उस पर लेट गया, इससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त अपनी कामवासना की तुष्टि के लिए आतुर था, इसलिए उसकी बलात्संग के प्रयत्न के लिए दोषसिद्धि उचित है।

डोडा राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

— धारा 436/34 — गृह आदि को अग्नि द्वारा रिष्टि — साक्षियों के साक्ष्य से पूर्ण रूप से यह साबित होने पर कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने ही शिकायतकर्ता की झोपड़ी में आग लगाई, जिसके कारण झोपड़ी और उसमें रखा सामान जलकर नष्ट हो गया, इसलिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

हुकुम सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

धारा 436/34 - गृह आदि को अग्नि द्वारा रिष्टि - दंडादेश - घटना लगभग तीन दशक पूर्व घटित होने और अभियुक्त-अपीलार्थियों की आयु 60-70 वर्ष के बीच होने तथा उनकी कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि

152

87

पृष्ट संख्या

नहीं होने की बात को देखते हुए उन पर अधिरोपित दंडादेश को उनके द्वारा पहले ही भोगी गई कारावास की अविध को दंडादेश की अविध में तब्दील करने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी।

हुकुम सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

— धारा 498-क और 306 [सपिटत साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क] — क्रूरता और आत्महत्या का दुष्प्रेरण — साक्षियों के साक्ष्य में बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें मृतका के अवसादग्रस्त और संवेदनशील प्रकृति का होने तथा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रत्यर्थी-अभियुक्तों द्वारा मृतका की मृत्यु के समय के ठीक पूर्व ऐसा कोई कृत्य किया गया था जो क्रूरता या आत्महत्या के दुष्प्रेरण की कोटि में आता हो, इसलिए उनकी दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित और न्यायसंगत नहीं है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राकेश कुमार शर्मा और अन्य

पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914 (1914 का 1) (हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू)

— धारा 16(1)(14) — शराब का अवैध दुर्व्यापार — जहां अवैध शराब की तलाशी और अभिग्रहण के मामले में केवल पुलिस कर्मचारी ही साक्षी हों और कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी न हो, अन्वेषण में अनेक खामियां हों तथा अभियोजन अकाट्य, विश्वसनीय, विश्वासोत्पादक और स्वतंत्र साक्ष्य के आधार पर अपना पक्षकथन साबित नहीं कर सका हो वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध करना न्यायहित में नहीं होगा ।

सुरेन्दर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

5

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी)

— धारा 302 [सपिठत साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977 — धारा 32] — आपराधिक मानववध — मृत्युकालिक कथन — साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सा प्रमाणपत्र और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में थी इसलिए अभियुक्त को मृतका के अपुष्ट मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा

विजय कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

— धारा 302 — हत्या — पारिस्थितिक साक्ष्य — पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए जिससे केवल यही निष्कर्ष निकले कि अपराध सभी अधिसंभाव्यताओं में अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियां अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार से साबित नहीं होती हैं, इसलिए, उसकी दोषमुक्ति उचित और न्यायसंगत है।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम अकबर अली

— धारा 498-क — क्रूरता — जब अभियुक्त और मृतका के निकट पड़ोसियों ने अभियोजन के क्रूरता के आरोप का समर्थन नहीं किया और मृतका के नातेदारों के साक्ष्य अनिश्चित और संदिग्ध हैं तो अभियुक्त को क्रूरता के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

विजय कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 118 [सपिटत दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 323 और 506] – नातेदार साक्षी – यद्यपि नातेदार साक्षियों के साक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता

34

55

पृष्ट संख्या

है किंतु जहां परिवादी और अभियुक्त के बीच पहले से ही मुकदमेबाजी चल रही हो तथा स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी के बावजूद केवल सगे नातेदारों को ही पेश किया गया हो तथा उनके साक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं पाए गए हों, वहां अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम करतार चंद

178

रवापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

— धारा 15 — अभियुक्त के स्कूटर से पोस्ता पुआल अभिगृहीत किया जाना — जहां इस बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त से बरामद किया गया ढेर जिसका रसायन परीक्षक द्वारा विश्लेषण किया गया था, पोस्ता पुआल था तथा स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया गया है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि की जानी न्यायसंगत और उचित नहीं है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुरमीत सिंह

संपादक-मंडल

श्री पी. के. मल्होत्रा, सचिव, विधायी विभाग

श्री एन. एल. मीना, अपर सचिव (प्रशा.), विधायी विभाग

श्री आर. डी. मीना, संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

डा. बी. एन. मणि, अधिवक्ता, (पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

डा. प्रीती सक्सेना, प्रोफेसर, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डा. वैभव गोयल, संकायाध्यक्ष विधि संकाय, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्रिन्सिपल, विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली डा. आर. पी. सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.

श्री के. जी. अग्रवाल, सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय, प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां, संपादक

श्री जुगल किशोर, संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय, संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश

शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, एम. पी. सिंह, जसवन्त सिंह

और बी. के. भटनागर

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36 वार्षिक : ₹ 135

© 2013 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा...... द्वारा मुद्रित ।

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका. उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें।

> विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग) विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय	श्री शर्मन लाल	357	40.00
	संस्करण)	अग्रवाल		
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
	(द्वितीय संस्करण)			
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

3	8	6	C		•
	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटोरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वाशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

सुधारात्मक याचिका – दुर्लभतम परिस्थिति में पुनर्परीक्षा: एक अवलोकन

डा. सुरेन्द्र कुमार*

मौलिक अधिकारों की उद्घोषणा बेमानी हो जाती है यदि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करने वाले विभागों द्वारा उन्हें उपयुक्त प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जाता । उचित क्रियान्वयन ही इन अधिकारों को शक्ति प्रदान करता है तथा लोगों में इनके प्रति विश्वास पैदा करता है । सही क्रियान्वयन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 का समावेश किया गया है ताकि मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में एक असरदार कदम उठाया जा सके तथा मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सके ।

एक बार डा. भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया कि आप संविधान के किस अनुच्छेद को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं तब डा. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण माना और कहा कि यह अनुच्छेद संविधान की आत्मा है तथा बिना इसके संविधान बेमानी है।

मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 एवं 226 को संविधान में सृजित किया गया है। लेकिन यदि कोई न्यायालय किसी प्रकार की गलती करता है, उस स्थिति में विभिन्न विधियों में अपील, पुनर्विचार या समीक्षा, परिशोधन एवं संदर्भ या निर्देश जैसे प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। आम धारणा है कि न्यायाधीश भी इंसान है वह भी गलती कर सकते हैं। यदि किसी निर्णय को सर्वसम्मति से दिया जाता है तब यह माना जा सकता है कि गलती की संभावना कम होगी, परन्तु यदि किसी निर्णय में एक या एक से अधिक न्यायाधीश बहुमत से दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपना पृथक् मत व्यक्त करते हैं तब उस निर्णय की गहन समीक्षा होनी चाहिए। तािक किसी भी छोटी से छोटी गलती को भी ठीक किया जा सके। ऊपरी न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय में संशोधन कर सके या उसे पूर्णतः निरस्त कर सके:

परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस

^{*} प्रधानाचार्य, दिल्ली ग्रामीण विकास संस्थान, दिल्ली-82

निर्णय को, जो सर्वसम्मित से नहीं दिया गया, न्यायसंगत बनाने के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है ? भारतीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे दो तरीकें सृजित किए हैं जिनके द्वारा न्यायालय किसी पूर्व निर्णय में संशोधन कर सकता है या उलट सकता है यदि पूर्व निर्णय किसी ऐसे मामले में दिया गया है जो जिसमें तथ्य तथा वाद हेतुक एक जैसे हों । ये दो व्यवस्थाएं हैं, समीक्षात्मक याचिका एवं सुधारात्मक याचिका ।

आर. दयानंद सागर बनाम वतल नागराजी वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय होता है तथा उस निर्णय की समीक्षा या पुनरीक्षण एक अपवाद है। यह तभी संभव है जब कोई गंभीर एवं अतिस्पष्ट गलती हुई हो तथा सुप्रतिष्ठित आधार बनता हो। पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण याचिका में यदि किसी प्रकार की सारभूत गलती हुई हो, उस निर्णय का पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण का मुख्य आधार, पूर्व निर्णय द्वारा आम जनता के हितों पर किसी प्रकार का विपरीत असर या प्रभाव डालने या निर्णय में किसी स्पष्ट गलती के कारण, बनता है। दूसरी तरफ सुधारात्मक याचिका उस परिस्थिति में प्रेषित की जाती है जब पुनरीक्षण याचिका पूर्व निर्णय में किसी भी प्रकार के संशोधन या किसी गलती को ठीक कराने में असफल हो जाती है।

उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मित से रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुरी वाले मामले में सम्प्रेक्षित किया कि यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय से व्यथित है तथा उसकी पुनरीक्षण याचिका भी निरस्त हो गई है तथा उस व्यक्ति को अभी न्याय नहीं मिला, तो इन परिस्थितियों में यदि वह व्यथित व्यक्ति दो चीजें प्रमाणित कर देता है, (1) किसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण हुआ हो तथा उस मामले में वह व्यक्ति पक्षकार नहीं था परन्तु निर्णय ने उसके हितों पर विपरीत प्रभाव डाला या वह एक पक्षकार था परन्तु उसे न्यायालय में जारी कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई, (2) विद्वान् न्यायाधीश यह बताने में असफल रहे कि उस व्यक्ति का मामले की विषय-

¹ ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2183.

² (2002) 4 एस. सी. सी. 388.

वस्तु से क्या संबंध है अथवा पक्षकारों को पक्षपात की आशंका है तथा निर्णय याचिकाकर्ता के हितों पर विपरीत प्रभाव डालता है, तो अधिकारतः उपचार का हकदार है।

माननीय न्यायालय ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा वाले मामले में यह भी सम्प्रेक्षित किया कि न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय को पुनरीक्षित कर सकता है ताकि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचा जा सके एवं न्याय के अपवहन का उपचार हो सके । सुधारात्मक याचिका को उच्चतम न्यायालय बड़ी ही सावधानी बरतते हुए स्वीकार करता है ।

भोपाल गैस पीड़ितों तथा हाल ही में अभिनेता संजय दत्त की सुधारात्मक याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया, हालांकि दोनों ही मामलों में न्यायालय को याचिकाकर्ताओं से सहानुभूति थी ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी भी सुधारात्मक याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार करने के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं:—

- (1) याचिकाकर्ता को स्थापित करना पड़ेगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण हुआ है और न्यायाधीश के पक्षपात की आशंका है एवं निर्णय उसके हितों पर विपरीत प्रभाव डालेगा।
- (2) याचिका में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि जो भी आधार सुधारात्मक याचिका में शामिल किए गए हैं वही आधार पुनरीक्षण याचिका में भी थे तथा पुनरीक्षण याचिका परिचालन की प्रक्रिया के बाद निरस्त हो गई थी ।
- (3) सुधारात्मक याचिका किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रमाणन के पश्चात् जिसमें यह उद्धृत हो कि सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं, ही दाखिल की जा सकती हैं।
- (4) याचिका तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा उन न्यायाधीशों के पास जिन्होंने पुनरीक्षण याचिका निरस्त की है, भेजी जाती है।

_

^{1 (2002) 4} एस. सी. सी. 388.

- (5) यदि बहुमत के आधार पर यह पीठ सहमति देती है कि मामला सुनवाई योग्य है तब यह सुधारात्मक याचिका उसी पीठ को भेज दी जाती है।
- (6) न्यायालय, यदि याचिका योग्यता के आधार पर नहीं दाखिल की जाती, दृष्टान्तिक वाद व्यय लगा सकती है । उच्चतम न्यायालय ने **रूपा अशोक हुर्रा** बनाम **अशोक हुर्रा** वाले मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियों के अन्तर्गत अपने किसी भी निर्णय का पुनरीक्षण करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 142 से मिला है ताकि पूर्ण न्याय संगत निर्णय हो सके । [(2002) 4 एस. सी. सी. पैरा 49]

अनुच्छेद 137 के अन्तर्गत न्यायालय के पास अपने किसी भी अंतिम निर्णय का पुनरीक्षण करने का अधिकार है । पुनरीक्षण का अर्थ इस प्रावधान में दिया है, जिसके अन्तर्गत पुनः परीक्षा अथवा पुनर्विलोकन किया जाता है । सुधारात्मक याचिका को दाखिल करने में अनुच्छेद 137 की ही मदद लेनी होती है तथा याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में यह स्पष्ट रूप से लिखना होता है कि याचिका अनुच्छेद 137, 141 एवं 142 के अन्तर्गत दाखिल की जा रही है ।

पुनरीक्षण याचिका भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अर्न्तगत दाखिल की जाती है जबिक सुधारात्मक याचिका शुद्ध रूप से उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के द्वारा प्रतिस्थापित न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग से पक्षकारों को तथा न्याय व्यवस्था को बचाना एवं न्याय के घोर अपवहन की स्थिति में उसका उपचार करना, इस व्यवस्था का उद्देश्य है । सुधारात्मक याचिका तभी दाखिल की जा सकती है जब पुनरीक्षण याचिका का अंतिम रूप से निपटारा हो गया हो । इस याचिका को दाखिल करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन् 2002 के एक वाद में सुधारात्मक याचिका के दाखिल करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया है । इसके बाद सैकड़ों की संख्या में सुधारात्मक याचिकाएं दाखिल की गईं । लेकिन किसी भी याचिका में याचिकाकर्ता को सफलता नहीं मिली । क्योंकि किसी भी याचिका ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा वाले

¹ (2002) 4 एस. सी. सी. 388.

मामले में निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया ।

शीर्ष न्यायालय ने अपनी त्रुटि को ठीक करने के लिए इस नवीन निर्वचनात्मक तरीके को पिछले कुछ वर्षों में अपनाया है, यह वास्तव में अच्छी शुरूआत है तथा आम नागरिक के मन में न्यायालयों के प्रति विश्वास का भाव जागृत करता है और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं नियंत्रित करने में सहायता करता है।

गुंडू चन्द्रशेखर और अन्य

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य

तारीख 13 अगस्त, 2012

न्यायमूर्ति समुद्रला गोविन्दराजुलु

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 12, 18 से 22 – उपबंधों का भूतलक्षी प्रवर्तन – अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुतोष भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान नहीं किया जा सकता इसलिए, मजिस्ट्रेट भविष्यलक्षी रीति से अनुतोष प्रदान कर सकता है और अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व तारीख के प्रतिनिर्देश से अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता ।

याची संख्या 1 से 3 निचले न्यायालय के 2011 के घरेलू हिंसा वाद संख्या ८ में व्यथित व्यक्ति/द्वितीय प्रत्यर्थी के पति और सस्र-सास हैं । द्वितीय प्रत्यर्थी ने 2005 के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश धारा 19 के अधीन निवास आदेश, धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष और धारा 22 के अधीन प्रतिकर के अनुतोषों को सम्मिलित करते हुए अनेक अन्य अनुतोषों का दावा करते हुए घरेलू हिंसा वाद फाइल किया था । याचियों के काउंसेल ने दलील दी कि परिवाद में किए अभिकथनों के आधार पर भी याचियों के साथ व्यथित व्यक्ति के वर्ष 2002 में विवाद थे और वर्ष 2003 में पक्षों के मध्य पृथक्करण हो गया था और चूंकि उक्त सभी घटनाएं 2005 में अधिनियम पारित होने और 2006 में अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व घटित हुई थीं, 2011 में निचले न्यायालय में फाइल किया गया घरेलू हिंसा वाद उक्त अधिनियम के अधीन पोषणीय नहीं है । उन्होंने इस संबंध में यू. यू. थिमन्ना बनाम यू. यू. संथ्या वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया । इस न्यायालय ने मत व्यक्त किया । इसमें कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम प्रभाव में तब आया जब केन्द्रीय सरकार ने तारीख 26 अक्तबर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत कर दिया जिसको अधिनियम

प्रभाव में आया । हिंसा के कार्यों की बाबत कितपय उपबंधों को सम्मिलित किया गया है । इसलिए यह विधि का मूल सिद्धांत है कि किसी भी दांडिक उपबंध का भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं होता, केवल पूर्वेक्षित प्रवर्तन होता है । घरेलू हिंसा, जो तारीख 26 अक्तूबर, 2006 को या उसके पश्चात् घटित हुई, के कार्यों के संबंध में प्रथम प्रत्यर्थी का रिपोर्ट या कथन या परिवाद में कोई अभिकथन नहीं है । इसलिए, याचियों के विरुद्ध कार्यवाहियों की निरंतरता और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है । प्रत्यर्थियों ने निचले न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा 2011 के घरेलू हिंसा वाद संख्या 8 में ईप्सित किसी भी अनुतोष को अपराध नहीं कहा जा सकता । यद्यपि अधिनियम किसी व्यथित की शिकायत पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को सशक्त करती है और मजिस्ट्रेट पर यह बाध्यता अधिरोपित करती है कि वह 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मामले की जांच करे और अधिनियम की धारा 18 से 22 के अधीन प्रदान किए जाने वाले अनुतोष केवल अनुतोष मात्र सिविल अनुतोषों की प्रकृति में होता है । मजिस्ट्रेट के आदेश का अतिक्रमण अधिनियम की धारा 31 के अधीन अपराध बन जाता है जो किसी भी प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का भंग किए जाने पर शास्ति के संदाय की अपेक्षा करता है । इस प्रकार से अधिनियम की धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन किए जाने के लिए शास्ति के संदाय के लिए उपबंधित करती है । अधिनियम की धारा 31 और 33, जो अध्याय 5 में समाविष्ट हैं, के उपबंधों के अतिरिक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन चाहे गए अनुतोष अपराध नहीं हैं और अधिनियम की धारा 18 से 22 के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति अधिकारों की जांच किसी दांडिक मामले की जांच नहीं कही जा सकती । इसलिए, यह मात्र अधिनियम की धारा 31 और 33, जो दांडिक उपबंध हैं, के अधीन लगाए गए आरोपों के संबंध में है और अधिनियम भुतलक्षी रूप से क्रियान्वित नहीं होता है । यदि अधिनियम की धारा 18 से 22 के अधीन यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि चाहे गए अनुतोष भृतलक्षी रूप से क्रियान्वित नहीं होते तो भी मजिस्ट्रेट पूर्वेक्षित तरीके में अनुतोष प्रदान कर सकता है और अधिनियम के आरंभ की तारीख के पूर्ववर्ती तारीख के संबंध में उक्त अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता । द्वितीय प्रत्यर्थी/व्यथित व्यक्ति भूतलक्षी तरीके में भी अनुतोषों का दावा नहीं कर रहा है चूंकि समस्त

अनुतोषों का दावा पूर्वेक्षित रूप से इस भाव में कर रही है जो निचले न्यायालय में फाइल किए जाने की तारीख के पश्चात् का है और पिछले तारीख के प्रभाव से भूतलक्षी प्रभाव से नहीं है । यदि पक्षों के मध्य पृथक्करण अधिनियम लागू होने के पहले हो गया था । इसलिए, याचियों की दलीलें अस्वीकार की जाती हैं । (पैरा 2)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक याचिका सं. 5921.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका।

याचियों की ओर से श्री गदम श्रीनिवास

प्रत्यर्थियों की ओर से अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति समुद्रला गोविन्दराजुलु — याची संख्या 1 से 3 निचले न्यायालय के 2011 के घरेलू हिंसा वाद संख्या 8 में व्यथित व्यक्ति/द्वितीय प्रत्यर्थी के पित और ससुर-सास हैं । द्वितीय प्रत्यर्थी ने 2005 के घरेलू हिंसा से महिला संख्राण अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 18 के अधीन संख्राण आदेश धारा 19 के अधीन निवास आदेश, धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष और धारा 22 के अधीन प्रतिकर के अनुतोषों को सम्मिलित करते हुए अनेक अन्य अनुतोषों का दावा करते हुए घरेलू हिंसा वाद फाइल किया था । याचियों के काउंसेल ने दलील दी कि परिवाद में किए अभिकथनों के आधार पर भी याचियों के साथ व्यथित व्यक्ति के वर्ष 2002 में विवाद थे और वर्ष 2003 में पक्षों के मध्य पृथक्करण हो गया था और चूंकि उक्त सभी घटनाएं 2005 में अधिनियम पारित होने और 2006 में अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व घटित हुई थीं, 2011 में निचले न्यायालय में फाइल किया गया घरेलू हिंसा वाद उक्त अधिनियम के अधीन पोषणीय नहीं है । उन्होंने इस संबंध में यू. यू. थिमन्ना बनाम यू. यू. संथ्या वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया । इस न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया :

"इसमें कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम प्रभाव में तब आया जब केन्द्रीय सरकार ने तारीख 26 अक्तूबर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत कर दिया जिसको अधिनियम प्रभाव में आया । हिंसा के कार्यों के बाबत कतिपय उपबंधों को (इस अधिनियम में) सम्मिलित किया गया है । इसलिए यह विधि का मूल सिद्धांत है कि किसी भी दांडिक उपबंध का भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं होता, केवल पूर्वेक्षित प्रवर्तन होता है । घरेलू हिंसा, जो तारीख 26 अक्तूबर, 2006 को या उसके पश्चात घटित हुई, के कार्यों के संबंध में प्रथम प्रत्यर्थी

का रिपोर्ट या कथन या परिवाद में कोई अभिकथन नहीं है। इसलिए, याचियों के विरुद्ध कार्यवाहियों की निरंतरता और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

2. द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा 2011 के घरेलू हिंसा वाद संख्या 8 में ईप्सित किसी भी अनुतोष को अपराध नहीं कहा जा सकता । यद्यपि अधिनियम किसी व्यथित की शिकायत पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को सशक्त करती है और मजिस्ट्रेट पर यह बाध्यता अधिरोपित करती है कि वह 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मामले की जांच करे और अधिनियम की धारा 18 से 22 के अधीन प्रदान किए जाने वाले अनुतोष केवल अनुतोष मात्र सिविल अनुतोषों की प्रकृति में होता है । मजिस्ट्रेट के आदेश का अतिक्रमण अधिनियम की धारा 31 के अधीन अपराध बन जाता है जो किसी भी प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का भंग किए जाने पर शास्ति के संदाय की अपेक्षा करता है। इस प्रकार से अधिनियम की धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन किए जाने के लिए शास्ति के संदाय के लिए उपबंधित करती है। अधिनियम की धारा 31 और 33, जो अध्याय 5 में समाविष्ट हैं, के उपबंधों के अतिरिक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन चाहे गए अनुतोष अपराध नहीं हैं और अधिनियम की धारा 18 से 22 के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति के अधिकारों की जांच किया जाना किसी दांडिक मामले की जांच नहीं कही जा सकती । इसलिए, यह मात्र अधिनियम की धारा 31 और 33, जो दांडिक उपबंध हैं, के अधीन लगाए गए आरोपों के संबंध में है और अधिनियम भृतलक्षी रूप से क्रियान्वित नहीं होता है । यदि अधिनियम की धारा 18 से 22 के अधीन यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि चाहे गए अनुतोष भूतलक्षी रूप से क्रियान्वित नहीं होते तो भी मजिस्ट्रेट पूर्वेक्षित तरीके में अनुतोष प्रदान कर सकता है और अधिनियम के आरंभ की तारीख के पूर्ववर्ती तारीख के संबंध में उक्त अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता । द्वितीय प्रत्यर्थी/व्यथित व्यक्ति भृतलक्षी तरीके में भी अनुतोषों का दावा नहीं कर रहा है चुंकि समस्त अनुतोषों का दावा पूर्वेक्षित रूप से इस भाव में कर रही है जो निचले न्यायालय में फाइल किए जाने की तारीख के पश्चात का है और पिछले तारीख के प्रभाव से भूतलक्षी प्रभाव से नहीं है । आगे, इस न्यायालय ने 2010 के दांडिक नियमित मामला संख्या 1093 में सिकाकोल्लू चन्द्रमोहन बनाम सिकाकोल्लू सरसवती देवी वाले मामले में पारित तारीख 6 जुलाई, 2010 के आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के उपबंधों का

अवलंब नहीं लिया जा सकता । यदि पक्षों के मध्य पृथक्करण अधिनियम लागू होने के पहले हो गया था । इसलिए, याचियों की दलीलें अस्वीकार की जाती हैं ।

3. परिणामत:, दांडिक याचिका खारिज की जाती है।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

(2013) 2 दा. नि. प. 5

इलाहाबाद

हुकुम सिंह और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 27 फरवरी, 2012

न्यायमूर्ति विनोद प्रसाद

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) — धारा 436/34 — गृह आदि को अग्नि द्वारा रिष्टि — साक्षियों के साक्ष्य से पूर्ण रूप से यह साबित होने पर कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने ही शिकायतकर्ता की झोपड़ी में आग लगाई, जिसके कारण झोपड़ी और उसमें रखा सामान जलकर नष्ट हो गया, इसलिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) — धारा 436/34 — गृह आदि को अग्नि द्वारा रिष्टि — दंडादेश — घटना लगभग तीन दशक पूर्व घटित होने और अभियुक्त-अपीलार्थियों की आयु 60-70 वर्ष के बीच होने तथा उनकी कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने की बात को देखते हुए उन पर अधिरोपित दंडादेश को उनके द्वारा पहले ही भोगी गई कारावास की अवधि को दंडादेश की अवधि में तब्दील करने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी।

मामले के तथ्यों के अनुसार तारीख 27/28 जनवरी, 1977 की रात्रि में तीनों अपीलार्थियों ने विपदग्रस्त श्रीमती केसर देई की झोपड़ी में आग लगा दी थी और झोपड़ी के अन्दर रखा हुआ उसका सारा सामान जलकर नष्ट हो गया । घटना के पीछे हेतु यह था कि अभियुक्त, जो तेली जाति के हैं, ने इत्तिलाकर्ता केसर देई, जो जाटव (अनु.जाति) जाति की है, द्वारा उनके कुएं से पानी लेने पर आपत्ति जताई थी । अपराध की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अगले दिन पुलिस थाना, एतमादपुर, जिला आगरा में दर्ज कराई गई । मामले का अन्वेषण किया किया और अन्वेषक अधिकारी ने तथ्य-साक्षियों से परिप्रश्न किए और उनके कथन लेखबद्ध किए तथा उसके पश्चात इत्तिला देने वाली श्रीमती केसर देई की प्रेरणा पर घटनास्थल का निरीक्षण किया । उसने जली हुई राख के नमूने लिए और इसका बरामदगी ज्ञापन तैयार किया । अन्वेषण समाप्त करने के पश्चात अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 436/34 के अधीन आरोपित किया गया, जिनके लिए उन्होंने इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथनों में अभियोजन साक्ष्यों में उनके विरुद्ध प्रतीत होने वाले अपराध में फंसाने वाले साक्ष्यों से इनकार किया और मिथ्या फंसाए जाने और अपराध करने की बात से इनकार किया । विद्वान विचारण न्यायाधीश/द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, आगरा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थियों का दोष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है और इसलिए उन्हें आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपराध के लिए चार वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया । दोषसिद्ध अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित — न्यायालय ने विरोधी दलीलों पर विचार किया है और साक्षियों के परिसाक्ष्यों सहित अभिलेख के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन किया है । साक्षियों के साक्ष्यों का मूल्यांकन और विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि सभी तीनों तथ्य-साक्षियों इत्तिला देने वाली केसर देई (अभि. सा. 1), बाबू (अभि. सा. 2) और लोचन (अभि. सा. 3) ने एक-दूसरे के कथनों की संपुष्टि की है और अभियोजन के अभिकथनों के मुख्य आधार को किसी संदिग्धता और असंगति के बिना समग्र रूप से अनुप्रमाणित किया है । प्रतिरक्षा पक्ष उनके परिसाक्ष्यों को डगमगाने और कोई नुकसानकारी साक्ष्य निकाल पाने में समर्थ नहीं रहा है । ये सभी साक्षी अपनी प्रतिपरीक्षाओं में अडिग रहे हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके परिसाक्ष्य असत्यता और अतिरंजना की खामी से ग्रस्त हैं । इस दृष्टि से, जब तथ्य-साक्षियों के ये कथन स्पष्ट और तर्कपूर्ण हैं कि वे व्यक्ति अपीलार्थी ही थे जिन्होंने इत्तिला देने वाली की झोपडी में आग

लगाई और उसके अन्दर रखे सामान सहित यह जलकर राख हो गई, तब इन साक्षियों पर अविश्वास करने और उनके बयान को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है और इसलिए अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष का आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध होता है । इत्तिला देने वाली ने यह कथन किया है कि प्रारंभ में जब अपीलार्थी उसकी झोपड़ी में आए, तो उन्होंने उसे झोपड़ी को खाली करने के लिए कहा । हुकुम सिंह ने तेल डाला, जबिक हिर सिंह ने इसमें आग लगा दी । घटना के दौरान मानिक चंद लाठी से लैस था । झोपडी के अन्दर रखे अनाज सहित बिस्तर और अन्य कपड़े आग में जलकर नष्ट हो गए । उसने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि उसने सरकारी भूमि पर अपनी झोपड़ी बनाने के लिए गांव के प्रधान की अनुज्ञा अभिप्राप्त की थी और इस प्रयोजन के लिए उसे लिखित अनुज्ञा दी गई थी, किंत् उक्त कागज भी घटना में नष्ट हो गया । इत्तिला देने वाली ने आगे यह भी उजागर किया कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अगले दिन प्रातः 8.00 या 9.00 बजे पूर्वाहन में दर्ज कराई थी और उसने किसी से परामर्श और बातचीत किए बिना घटनास्थल पर ही इसे बोलकर लिखवाया था । मामले के सभी तात्विक पहलुओं पर इत्तिला देने वाली का समर्थन शेष दोनों तथ्य-साक्षियों बाबू (अभि. सा. 2) और लोचन (अभि. सा. 3) द्वारा किया गया है । उन्होंने अपराहन में 10.00 बजे घटना घटने का समय भी बताया है और यह भी साक्ष्य दिया है कि अपराध दर्ज करने के ठीक पश्चात अन्वेषक अधिकारी द्वारा उनसे परिप्रश्न किए गए थे । उनके परिसाक्ष्य में कुछ महत्वहीन लोप और विसंगतियां आई हैं, जिनसे अभियोजन पक्ष के अभिकथन प्रभावित नहीं होते हैं । अन्वेषक अधिकारी, उप निरीक्षक कोड सिंह (अभि. सा. 4) का कथन अभियोजन के वृत्तांत पर विश्वासप्रद रूप से विश्वास पैदा करता है क्योंकि उसने घटनास्थल से जली हुई झोपड़ी और सामान की राख एकत्रित की थी तथा इस मामले में मिथ्या फंसाए जाने का कोई कारण नहीं है । इस दृष्टि से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यथा अभिकथित कोई घटना नहीं घटी थी जिसमें अपीलार्थियों ने अपराधियों के रूप में भाग नहीं लिया था । इत्तिला देने वाली के पास अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में एक मिथ्या कहानी गढने का कतई कोई कारण नहीं था । वर्तमान घटना से पूर्व, इत्तिला देने वाली के साथ कोई मुकदमेबाजी या कोई अन्य दुश्मनी नहीं थी । प्रतिरक्षा पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध एक मिथ्या कहानी गढने के लिए कोई विश्वसनीय और स्वीकार्य कारण नहीं दे सका है । संपूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात न्यायालय की यह राय है कि जहां तक

अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का संबंध है, यह पूरी तरह से उचित है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 13 और 14)

दंडादेश, जो अपीलार्थियों पर अधिरोपित किया जाना चाहिए, पर विचार करने पर घटना के समय सभी अपीलार्थियों की आयु 30 से 40 वर्ष थी और घटना तीन दशक से भी अधिक समय पूर्व घटी थी । उनकी अपीलों के लंबित रहने के दौरान एक अपीलार्थी हिर सिंह की मृत्यू हो चुकी है और तारीख 18 दिसम्बर, 2006 को उसकी अपील का उपशमन हो गया है । शेष दोनों अपीलार्थियों की आयु लगभग 60-70 वर्ष के बीच है । उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और न ही वे भगौड़े हैं या अभियोजन साक्षियों को तोड़ने की कोशिश है । उनकी पहले कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है और ये दोनों अपीलार्थी अब ठीक-ठीक जीवनयापन कर रहे होंगे । इस दृष्टि से, न्यायालय की यह राय है कि यद्यपि इन दोनों अपीलार्थियों को दंडादिष्ट करते हुए नरम रुख अपनाया जाना चाहिए, किंतु शिकायत करने वाली विपदग्रस्त को पर्याप्त रूप से प्रतिकर दिए बिना नहीं । घटना के तथ्यों के आधार पर, दोनों अपीलार्थियों में से प्रत्येक पर संचयी रूप से 25,000/- रुपए का जुर्माना, जिसमें से 20,000/- रुपए प्रतिकर के रूप में इत्तिला देने वाली को दिए जाएंगे, और उनके द्वारा पहले ही भोगी गई कारावास की अवधि अधिरोपित करने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी । (पैरा 15)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1981 की दांडिक अपील सं. 1479.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री अनिल मलिक

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति विनोद प्रसाद — तीन अपीलार्थियों हुकुम सिंह, हिर सिंह और मानिक चंद ने यह अपील पुलिस थाना एतमादपुर, जिला आगरा से संबंधित 1979 के सेशन विचारण सं. 319 (राज्य बनाम हुकुम सिंह और अन्य) में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 30 जून, 1981 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 436/34 के अधीन अभिलिखित की गई उनकी दोषसिद्धि और चार वर्ष के कठोर कारावास को चुनौती देते हुए फाइल की है।

2. संक्षेप में उल्लेख करते हुए अभियोजन पक्ष के अभिकथन यह थे कि तारीख 27/28 जनवरी, 1977 की मध्यवर्ती रात्रि में 10.00 बजे तीनों अपीलार्थियों ने विपदग्रस्त श्रीमती केसर देई (अभि. सा. 1) की झोपड़ी में आग लगा दी थी और झोपड़ी के अन्दर रखा बिस्तर और उसके पहनने का पेटीकोट तथा अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया । घटना के पीछे हेतु यह था कि अभियुक्त, जो तेली जाति के हैं, ने इत्तिलाकर्ता केसर देई, जो जाटव (अनु.जाति) जाति की है, द्वारा उनके कुएं से पानी लेने पर आपत्ति जताई थी ।

- 3. अपराध की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इत्तिला देने वाली श्रीमती केसर देई ने बाबू लाल ने बोलकर उसे लिखवाई तथा उसके पश्चात् इत्तिला देने वाली ने इसे अगले दिन तारीख 28 जनवरी, 1977 को अपराह्न में 1.00 बजे अपराधियों के विरुद्ध 11 मील की दूरी पर पुलिस थाना, एतमादपुर, जिला आगरा में दर्ज कराया ।
- 4. हैड कांस्टेबल हाकीम सिंह ने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श क-5 और साधारण डायरी प्रविष्टि, प्रदर्श क-4 तैयार करके प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की और अभि. सा. 4, उप निरीक्षक कोड सिंह ने अन्वेषण किया । अन्वेषक अधिकारी ने तथ्य-साक्षियों से परिप्रश्न किए और उनके कथन लेखबद्ध किए तथा उसके पश्चात् इत्तिला देने वाली श्रीमती केसर देई (अभि. सा. 1) की प्रेरणा पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थल नक्शा, प्रदर्श क-1 तैयार किया । उसने जली हुई राख के नमूने लिए और इसका बरामदगी ज्ञापन, प्रदर्श क-2 तैयार किया । अन्वेषण समाप्त करने के पश्चात् उसने अभियुक्तों को तारीख 9 मई, 1977 को प्रदर्श क-3 द्वारा आरोप-पत्रित किया ।
- 5. आरोप-पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया । उनके मामले को सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय पाए जाने पर इसे सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 436/34 के अधीन आरोपित किया गया, जिनके लिए उन्होंने इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया और इसलिए उनकी दोषिता को सिद्ध करने के लिए उनका अभियोजन किया गया।
- 6. विचारण में इत्तिला देने वाली श्रीमती केसर देई (अभि. सा. 1), बाबू (अभि. सा. 2), लोचन (अभि. सा. 3) की तथ्य-साक्षियों के रूप में परीक्षा कराई गई, जबिक अन्वेषक अधिकारी, उप निरीक्षक कोड सिंह (अभि. सा. 4) की औपचारिक साक्षी के रूप में परीक्षा कराई गई।

- 7. अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथनों में अभियोजन साक्ष्यों में उनके विरुद्ध प्रतीत होने वाले अपराध में फंसाने वाले साक्ष्यों से इनकार किया और मिथ्या फंसाए जाने और अपराध की बात से इनकार करने की साधारण प्रतिरक्षा का अभिवाक किया । उनके द्वारा अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर अपनी प्रतिरक्षा को सिद्ध करने के लिए प्रति. सा. 1 कमल सिंह की प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में परीक्षा कराई गई।
- 8. विद्वान् विचारण न्यायाधीश/द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, आगरा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थियों का दोष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है और इसलिए उन्हें आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपराध के लिए चार वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया, जिसे अब दोषसिद्ध अपीलार्थियों द्वारा वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है।
- 9. अपील का अंतिम विनिश्चय लंबित रहने के दौरान अपीलार्थियों में से एक हरि सिंह की मृत्यु हो गई और इसलिए उसके संबंध में प्रस्तुत अपील का उपशमन हो जाता है और अब दो जीवित अपीलार्थियों हुकुम सिंह और मानिक चंद की अपीलों पर विचार किया जाना है।
- 10. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, मैंने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री अनिल मलिक और राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री संगम लाल केसरवानी को सुना ।
- 11. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री अनिल मिलक ने यह दलील देते हुए आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी कि साक्षियों के कथन विरोधाभासों और अतिरंजनाओं से भरे पड़े हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और अभियोजन अपने पक्षकथन को संदिग्धता रहित सिद्ध करने में असफल रहा है तथा अपीलार्थियों को जातीय दुश्मनी के कारण घटना में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अंत में यह दलील दी गई कि यदि अपीलार्थी आरोप से दोषमुक्त नहीं किए जाते हैं, तो दंडादेश के मामले में उनके साथ नरमी बरती जाए क्योंकि घटना तैंतीस वर्ष से भी अधिक समय पूर्व घटी थी और फिलहाल अपीलार्थियों की आयु लगभग 60-70 वर्ष के बीच है तथा उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं है और उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान उन्होंने कोई अन्य अपराध नहीं किया है । अपीलार्थी शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं और इसलिए

दंडादेश के मामले में उनके प्रति अनुकंपा से विचार किया जाना चाहिए ।

- 12. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील देते हुए उक्त दलीलों का खंडन किया कि सभी तथ्य-साक्षियों ने किसी असंगति और अनुपयुक्तता के बिना विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक साक्ष्य दिया है और इसलिए उन्होंने आरोप को सभी यक्तियुक्त संदेह के बिना सिद्ध किया है । प्रतिरक्षा पक्ष सूक्ष्म प्रतिपरीक्षाएं करने के बावजूद साक्षियों के परिसाक्ष्यों को निरस्त नहीं कर सका और इसलिए अभियोजन का पक्षकथन पूर्ण रूप से साबित होता है । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल से जली हुई राख एकत्रित की थी और इसलिए झोपड़ी को आग लगाने की बात संदेह के परे एक साबित तथ्य है । झोपड़ी को नष्ट करने का हेतु स्वतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित है और इसलिए अभियोजन के अभिकथनों के सभी तात्विक पहलुओं के आधार पर अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला पूर्ण रूप से साबित होता है और इसलिए ये अपीलें गुणता रहित हैं और खारिज की जाएं ।
- 13. मैंने विरोधी दलीलों पर विचार किया है और साक्षियों के परिसाक्ष्यों सहित अभिलेख के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन किया है । साक्षियों के साक्ष्यों का मूल्यांकन और विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि सभी तीनों तथ्य-साक्षियों इत्तिला देने वाली केसर देई (अभि. सा. 1), बाबू (अभि. सा. 2) और लोचन (अभि. सा. 3) ने एक-दूसरे के कथनों की संपुष्टि की है और अभियोजन के अभिकथनों के मुख्य आधार को किसी संदिग्धता और असंगति के बिना समग्र रूप से अनुप्रमाणित किया है । प्रतिरक्षा पक्ष उनके परिसाक्ष्यों को डगमगाने और कोई नुकसानकारी साक्ष्य निकाल पाने में समर्थ नहीं रहा है । ये सभी साक्षी अपनी प्रतिपरीक्षाओं में अडिग रहे हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके परिसाक्ष्य असत्यता और अतिरंजना की खामी से ग्रस्त हैं । इस दृष्टि से, जब तथ्य-साक्षियों के ये कथन स्पष्ट और तर्कपूर्ण हैं कि वे व्यक्ति अपीलार्थी ही थे जिन्होंने इत्तिला देने वाली की झोपड़ी में आग लगाई और उसके अन्दर रखे सामान सहित यह जलकर राख हो गई, तब इन साक्षियों पर अविश्वास करने और उनके बयान को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है और इसलिए अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष का आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध होता है । इत्तिला देने वाली ने यह कथन किया है कि प्रारंभ में जब अपीलार्थी उसकी झोपड़ी में आए, तो उन्होंने उसे झोपड़ी को खाली करने के लिए कहा । हुकुम सिंह ने तेल डाला, जबिक हरि सिंह ने इसमें आग लगा दी । घटना के दौरान मानिक चंद लाठी से लैस था । झोपडी के अन्दर रखे अनाज सहित बिस्तर और अन्य

कपड़े आग में जलकर नष्ट हो गए । उसने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि उसने सरकारी भूमि पर अपनी झोपड़ी बनाने के लिए गांव के प्रधान की अनुज्ञा अभिप्राप्त की थी और इस प्रयोजन के लिए उसे लिखित अनुज्ञा दी गई थी, किंत् उक्त कागज भी घटना में नष्ट हो गया । इत्तिला देने वाली ने आगे यह भी उजागर किया कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अगले दिन प्रातः 8.00 या 9.00 बजे पूर्वाहन में दर्ज कराई थी और उसने किसी से परामर्श और बातचीत किए बिना घटनास्थल पर ही इसे बोलकर लिखवाया था । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मामले के सभी तात्विक पहलुओं पर इत्तिला देने वाली का समर्थन शेष दोनों तथ्य-साक्षियों बाब् (अभि. सा. 2) और लोचन (अभि. सा. 3) द्वारा किया गया है । उन्होंने अपराहन में 10.00 बजे घटना घटने का समय भी बताया है और यह भी साक्ष्य दिया है कि अपराध दर्ज करने के ठीक पश्चात अन्वेषक अधिकारी द्वारा उनसे परिप्रश्न किए गए थे । उनके परिसाक्ष्य में कुछ महत्वहीन लोप और विसंगतियां आई हैं, जिनसे अभियोजन पक्ष के अभिकथन प्रभावित नहीं होते हैं । अन्वेषक अधिकारी, उप निरीक्षक कोड सिंह (अभि. सा. 4) का कथन अभियोजन के वृत्तांत पर विश्वासप्रद रूप से विश्वास पैदा करता है क्योंकि उसने घटनास्थल से जली हुई झोपड़ी और सामान की राख एकत्रित की थी तथा इस मामले में मिथ्या फंसाए जाने का कोई कारण नहीं है । इस दृष्टि से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यथा अभिकथित कोई घटना नहीं घटी थी जिसमें अपीलार्थियों ने अपराधियों के रूप में भाग नहीं लिया था । इत्तिला देने वाली के पास अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में एक मिथ्या कहानी गढने का कतई कोई कारण नहीं था । वर्तमान घटना से पूर्व, इत्तिला देने वाली के साथ कोई मुकदमेबाजी या कोई अन्य दुश्मनी नहीं थी । प्रतिरक्षा पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध एक मिथ्या कहानी गढने के लिए कोई विश्वसनीय और स्वीकार्य कारण नहीं दे सका है।

- 14. संपूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात् मेरी यह राय है कि जहां तक अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का संबंध है, यह पूरी तरह से उचित है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।
- 15. दंडादेश, जो अपीलार्थियों पर अधिरोपित किया जाना चाहिए, पर विचार करते हैं । घटना के समय सभी अपीलार्थियों की आयु 30 से 40 वर्ष थी और घटना तीन दशक से भी अधिक समय पूर्व घटी थी । उनकी अपीलों के लंबित रहने के दौरान एक अपीलार्थी हिर सिंह की मृत्यु हो चुकी है और तारीख 18 दिसम्बर, 2006 को उसकी अपील का उपशमन

हो गया है । शेष दोनों अपीलार्थियों की आयु लगभग 60-70 वर्ष के बीच है । उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और न ही वे भगौड़े हैं या अभियोजन साक्षियों को तोड़ने की कोशिश है । उनकी पहले कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है और ये दोनों अपीलार्थी अब ठीक-ठीक जीवनयापन कर रहे होंगे । इस दृष्टि से, मेरी यह राय है कि यद्यपि इन दोनों अपीलार्थियों को दंडादिष्ट करते हुए नरम रुख अपनाया जाना चाहिए, किंतु शिकायत करने वाली विपदग्रस्त को पर्याप्त रूप से प्रतिकर दिए बिना नहीं । घटना के तथ्यों के आधार पर, दोनों अपीलार्थियों में से प्रत्येक पर संचयी रूप से 25,000/- रुपए का जुर्माना, जिसमें से 20,000/- रुपए प्रतिकर के रूप में इत्तिला देने वाली को दिए जाएंगे, और उनके द्वारा पहले ही भोगी गई कारावास की अवधि अधिरोपित करने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी ।

16. यह अपील भागतः मंजूर की जाती है । अपीलार्थी सं. 1 और 3, हुकुम सिंह और मानिक चंद की भारतीय दंड संहिता की धारा 436/34 के अधीन दोषसिद्धि तदद्वारा कायम रखी जाती है किंतु उनके दंडादेश उनमें से प्रत्येक पर 25,000/- रुपए के जुर्माने के साथ, जिसमें से 20,000/- रुपए प्रतिकर के रूप में इत्तिला देने वाली या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को दिया जाता है, उनके द्वारा पहले ही भोगी गई कारावास की अवधि में तब्दील किया जाता है । अपीलार्थियों को निदेशित किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए उनको दी गई स्चना से एक मास की अवधि के भीतर जुर्माना जमा करेंगे । जुर्माने जमा न करने पर दोनों अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया जाएगा और व्यतिक्रम दंडादेश के रूप में एक वर्ष के कठोर कारावास की अवधि भोगने के लिए कारावास में बंद किया जाए । प्रतिकर जमा करने की दशा में, विचारण न्यायालय इत्तिला देने वाली या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को सूचना देगा और प्रतिकर संवितरित करेगा । अपीलार्थियों की प्रतिभृतियों का उन्मोचन केवल उनके द्वारा जुर्माना जमा करने या व्यतिक्रम दंडादेश भोगने के लिए गिरफ्तार करने के पश्चात किया जाएगा ।

17. यह अपील उपरोक्त अनुसार भागतः मंजूर की जाती है।

18. इस निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को उसकी जानकारी के लिए भेजी जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.

राजेन्द्र कुमार

बनाम

उत्तरांचल राज्य

तारीख 22 नवंबर, 2012

मुख्य न्यायमूर्ति बारिन घोष और न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित नहीं होता कि अभियुक्त ने हत्या करने के आशय से दो बार गोली चलाई क्योंकि न तो कोई छर्रा घटनास्थल पर मिला, न ही क्षतिग्रस्त व्यक्ति घायल हुआ वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित नहीं है ।

अशोक कुमार नामक व्यक्ति द्वारा तारीख 27 जून, 1999 को जिला उधम सिंह नगर, पुलिस थाना गदरपुर के थाना अधिकारी को शिकायत भेजी । मामले में ये तथ्य प्रकट किए हैं कि उसने स्वयं उसी दिन तारीख 27 जून, 1999 को जब इत्तिलाकर्ता अपने खेत की फसल काट रहा था जो श्याम नगर में स्थित है तथा बिकऊ मियां द्वारा ट्रैक्टर चलाया जा रहा था तब इत्तिलाकर्ता का भाई राजेन्द्र कुमार खेत पर अपनी लाइसेंसी राइफल से लैस होकर अपने पिता हेमराज के पास आया । उन दोनों के बीच कृषि भूमि के बटवारे के संबंध में विवाद चल रहा था । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता अशोक कुमार को गाली दी । हेमराज ने राजेन्द्र को इत्तिलाकर्ता की हत्या करने के लिए प्रबोधित किया । राजेन्द्र कुमार ने इत्तिलाकर्ता की हत्या करने के आशय से अपनी लाइसेंसश्दा राइफल से दो गोलियां चलाईं । एक गोली ड्राइवर बिकऊ मियां के दाहिने भुजा पर लगी और दूसरी गोली ट्रैक्टर के मडगाड पर लगी । अशोक कुमार बिना क्षति पहुंचे भाग गया । कई व्यक्ति जो खेत में काम कर रहे थे, वहां पर पहुंचे । अभियुक्त-अपीलार्थी उन्हें भयानक परिणाम घटित होने के बारे में धमकी देने के पश्चात चले गए । यह घटना 6.30 बजे अपराह्न घटी । ड्राइवर/आहत को अस्पताल ले जाया गया था और घटना उसी दिन 7.30 बजे अपराह्न गदरपुर, पुलिस थाने पर दंड संहिता की धारा 307/506 के अधीन अपराधों के संबंध में लिखी गई थी । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण प्रारंभ किया गया । अन्वेषक अधिकारी उप-निरीक्षक

महिपाल सिंह तोमर ने इत्तिलाकर्ता और आहत के कथन लिए । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । अभि. सा. ६ ने हेमराज को गिरफ्तार किया और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । अभि. सा. 9 सहायक उप-निरीक्षक गंगा सहाय सत्संगी मामले का अन्वेषक अधिकारी है, जिसने आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभि. सा. 9 ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और राजेन्द्र कुमार को अभियोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा की ईप्सा की । न्यायालय के आदेश के अनुसार राइफल राजेन्द्र की सुपुर्दगी में दी गई थी । जब अन्वेषण कार्य पूरा करने के पश्चात दो आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिसमें से एक दंड संहिता की धारा 307/506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रस्तृत किया गया था और दूसरा आरोप पत्र आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध पेश किया गया । जब अभियोजन ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकथन को प्रकट किया, तब दंड संहिता की धारा 307/506(II) तथा आय्ध अधिनियम की धारा 25/27 के भी दंडनीय अपराधों के लिए आरोप अभियुक्त-अपीलार्थी राजेन्द्र के विरुद्ध विरचित किया गया था । दंड संहिता की धारा 307 के साथ पठित धारा 34 और दंड संहिता की धारा 506(II) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप अभियुक्त-अपीलार्थी हेमराज के विरुद्ध विरचित किए गए थे । दोनों अभियुक्तों ने अपने विरुद्ध विरचित किए गए आरोप से दोषी नहीं होने का अभिवाक किया और विचारण का दावा किया । 9 अभियोजन साक्षी यानी अशोक कुमार (अभि. सा. 1) बिकऊ मियां, हेड कांस्टेबल, अशोक कुमार (अभि. सा. 3) डा. जे. सी. मंडल, डा. पी. जी. सक्सेना, उप-निरीक्षक (सेवानिवृत्त) महिपाल सिंह तोमर, डा. डी. के. गुप्ता, स्रेन्द्र कुमार तथा सहायक उप-निरीक्षक, गंगा सहाय सत्संगी की अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा की गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के समक्ष अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य रखा गया था जिसमें उन्होंने यह कहा कि उन्हें रंजिशवश मिथ्या मामला बनाकर फंसाया गया है । 4 साक्षी अर्थात फार्मासिस्ट डी. के. जोशी, कांस्टेबल जगत सिंह, डा. जगदीश मंडल, चिकित्सा अधिकारी और डा. डी. के. वाजपेई अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज, बरेली की प्रतिरक्षा में परीक्षा की गई थी । अभिलेख के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध कर दिया और उन्हें समुचित रूप से दंडादिष्ट किया गया । उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान दांडिक अपीलें फाइल की गई थीं जिनपर बहस की गई और एक ही सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा कर दिया गया । अभियुक्त ने दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल एक्सरे करने की सलाह दी और क्षतियों की स्थिति ताजा थी (प्रदर्श क-7) के अनुसार क्षति अग्न्यायूध से कारित की गई थी । अभि. सा. 5 ने प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि वह उक्त क्षति के बारे में अग्न्यायुध से हुए छेद का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता जो आहत को कारित हुई थी । उसने यह कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या ऐसी क्षति 315 बोर या 312 बोर के अग्न्यायूध द्वारा कारित की जा सकती है । चिकित्सा अधिकारी ने आहत के घाव में कोई गोली नहीं पाई थी, इसलिए घाव से गोली को बाहर निकालने का प्रश्न कभी भी प्रकट नहीं हुआ है । वह अपनी प्रतिपरीक्षा में कई अन्य महत्वपूर्ण बातों का स्पष्टीकरण नहीं दे सका । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार कि राजेन्द्र कुमार ने दो बार अपनी बंदूक का प्रयोग किया । उसने गोली चलाई जो अशोक कुमार को नहीं लगी । एक गोली बिकऊ मियां के ऊपरी भुजा पर लगी और दूसरी ट्रैक्टर के मडगाड पर लगी थी । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि न तो घटना के स्थान (खेत) पर कोई गोली पाई गई थी और न आहत के घाव में कोई गोली पाई गई थी । इसलिए प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ के पास गोली या न्यायालयिक प्रयोगशाला गोली भेजे जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । गोलियों के साथ अग्न्यायुध के प्रयोग के संबंध को प्रकट किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया जिसके बारे में यह अधिकथित है कि अग्न्यायुध से बिकऊ मियां को गोली लगी या ट्रैक्टर के मडगाड पर गोली लगी या जमीन पर किसी अन्य स्थान पर गोली पाई गई । इस प्रकार अभियोजन पक्षकथन में बहुत बड़ी कमी पाई गई थी । उप-निरीक्षक महिपाल सिंह तोमर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि उसने घटना के स्थान पर कोई खेत नहीं पाया क्योंकि खेत जोता हुआ था । अभि. सा. 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गदरपुर गया किंत् उसने कपड़े नहीं पाए जो आहत के घाव के चारों ओर लपेटा हुआ था । आहत के रक्त-रंजित कपड़े अभि. सा. 6 द्वारा कब्जे में नहीं लिए गए थे ।

इस बारे में संदेह है कि क्या कोई रक्त की बूंद अभि. सा. 2 के पहने हुए कपड़ों पर वास्तव में गिरा हो । अभि. सा. 6 बरेली नहीं गया जहां बिकऊ मियां की अभि. सा. 5 द्वारा परीक्षा की गई थी । अभि. सा. 6 ने अपनी अभिरक्षा में उस ट्रैक्टर को नहीं लिया जिसके मडगाड पर क्षति पहुंची थी । अभि. सा. 8 से प्रतिपरीक्षा में जो कुछ प्रश्न सामूहिक रूप से पूछे गए थे उसके उत्तर से यह उपदर्शित होता है कि वह संयोगी साक्षी है । उसकी घटनास्थल पर मौजूदगी संदेहास्पद प्रकट हुई है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य से विश्वास उत्प्रेरित नहीं होता है कि न्यायालय द्वारा अभि. सा. 2 के कथन पर विश्वास क्यों किया जाना चाहिए कि वह ट्रैक्टर चला रहा था और उसके पास विधिमान्य लाइसेंस नहीं था । न्यायालय ने ऐसे लोगों के कथन पर विश्वास क्यों किया होगा । यह तथ्य कि अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार अशोर कुमार पर गोली चलाने के लिए अपनी लाइसेंसशुदा बंदुक का इस्तेमाल किया किंतु गोली नहीं लगी जो अभियोजन पक्षकथन में प्रकट है । दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय मामले को बनाने के लिए केवल बिकऊ मियां पर गोली चलाया जाना प्रकट किया गया है । साधारण अनुक्रम में दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय दोषिता को सिद्ध करना पर्याप्त नहीं था । अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य में कई किमयां प्रकट हुई हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है और इससे न्याय की हानि होगी । अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में पूरी तरह विफल हुआ है । दलील देने के दौरान अपीलार्थी हेमराज के विद्वान काउंसेल ने (2005 की दांडिक अपील सं. 92) में यह निवेदन किया कि हेमराज की मृत्यु हो चुकी है । न्यायालय विद्वान् काउंसेल से इस आशय का शपथपत्र फाइल करने का अनुरोध करता है और विद्वान काउंसेल से यह कहता है कि इस घटना के संबंध में ऐसा शपथपत्र फाइल करे जिस पर हेमराज की मृत्यु के बारे में संज्ञान लिया जाए । जब निर्णय दिए जाने की तैयारी थी तब विद्वान काउंसेल ने 2012 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1289 में निवेदन करते हुए राजेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज (अपीलार्थी) के शपथपत्र को सम्मिलित किया जो इस आशय का है कि अपीलार्थी हेमराज की मृत्यु तारीख 26 नवंबर, 2005 में हुई थी । तारीख ९ अक्तूबर, २०१० के मृत्यू प्रमाणपत्र की प्रति-शपथपत्र के साथ भी संलग्न की गई है । तदनुसार न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलार्थी हेमराज की मृत्यू हो चुकी है, इसलिए, इस निमित्त संस्थित की गई दांडिक अपील का उपशमन किया जाता है । (पैरा 12, 15, 16, 17 और 18)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 93.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री जे. एस. विर्क, जी. एस.

संध् और ललित शर्मा

राज्य की ओर से श्री एच. ओ. भाकुनी (ब्रीफ होल्डर)

परिवादी की ओर से श्री एस. के. मंडल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी ने दिया ।

न्या. ध्यानी – अशोक कुमार नामक व्यक्ति द्वारा तारीख 27 जून, 1999 को जिला उधम सिंह नगर, पुलिस थाना गदरपुर के थाना अधिकारी को शिकायत भेजी । मामले में ये तथ्य प्रकट किए हैं कि उसने स्वयं उसी दिन तारीख 27 जून, 1999 को जब इत्तिलाकर्ता अपने खेत की फसल काट रहा था जो श्याम नगर में स्थित है तथा बिकऊ मियां द्वारा ट्रैक्टर चलाया जा रहा था तब इत्तिलाकर्ता का भाई राजेन्द्र कुमार (अपीलार्थी) खेत पर अपनी लाइसेंसी राइफल से लैस होकर अपने पिता हेमराज (अपीलार्थी) के पास आया । उन दोनों (इत्तिलाकर्ता और अपीलार्थियों) के बीच कृषि भूमि के बटवारे के संबंध में विवाद चल रहा था । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता अशोक कुमार को गाली दी । हेमराज ने राजेन्द्र को इत्तिलाकर्ता की हत्या करने के लिए प्रबोधित किया । राजेन्द्र कुमार ने इत्तिलाकर्ता (अशोक कुमार) की हत्या करने के आशय से अपनी लाइसेंसशुदा राइफल से दो गोलियां चलाईं । एक गोली ड्राइवर बिकऊ मियां के दाहिने भुजा पर लगी और दूसरी गोली ट्रैक्टर के मडगाड पर लगी । अशोक कुमार बिना क्षति पहुंचे भाग गया । कई व्यक्ति जो खेत में काम कर रहे थे, वहां पर पहुंचे । अभियुक्त-अपीलार्थी उन्हें भयानक परिणाम घटित होने के बारे में धमकी देने के पश्चात चले गए । यह घटना 6.30 बजे अपराह्न घटी । ड्राइवर/आहत को अस्पताल ले जाया गया था और घटना उसी दिन 7.30 बजे अपराह्न गदरपुर, पुलिस थाने पर दंड संहिता की धारा 307/506 के अधीन अपराधों के संबंध में लिखी गई थी । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण प्रारंभ किया गया । अन्वेषक अधिकारी उप-निरीक्षक महिपाल सिंह तोमर (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6) ने इत्तिलाकर्ता और आहत के कथन लिए । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-8) तैयार किया । अभि. सा. 6 ने हेमराज को गिरफ्तार किया और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन

अभिलिखित किए । अभि. सा. ९ सहायक उप-निरीक्षक गंगा सहाय सत्संगी मामले का अन्वेषक अधिकारी है, जिसने आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभि. सा. ९ ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-11) तैयार किया और राजेन्द्र कुमार को अभियोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा (प्रदर्श क-12) की ईप्सा की । न्यायालय के आदेश के अनुसार राइफल राजेन्द्र की सुपूर्दगी में दी गई थी । जब अन्वेषण कार्य पूरा करने के पश्चात दो आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिसमें से एक दंड संहिता की धारा 307/506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था और दूसरा आरोप पत्र आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध पेश किया गया । जब अभियोजन ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकथन को प्रकट किया, तब दंड संहिता की धारा 307/506(II) तथा आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के भी दंडनीय अपराधों के लिए आरोप अभियुक्त-अपीलार्थी राजेन्द्र के विरुद्ध विरचित किया गया था । दंड संहिता की धारा 307 के साथ पठित धारा 34 और दंड संहिता की धारा 506(II) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप अभियुक्त-अपीलार्थी हेमराज के विरुद्ध विरचित किए गए थे । दोनों अभियुक्तों ने अपने विरुद्ध विरचित किए गए आरोप से दोषी नहीं होने का अभिवाक किया और विचारण का दावा किया । 9 अभियोजन साक्षी यानी अशोक कुमार (अभि. सा. 1), बिकऊ मियां (अभि. सा. 2), हेड कांस्टेबल, अशोक कुमार (अभि. सा. 3), डा. जे. सी. मंडल (अभि. सा. 4), डा. पी. जी. सक्सेना (अभि. सा. 5), उप-निरीक्षक (सेवानिवृत्त) महिपाल सिंह तोमर (अभि. सा. ६), डा. डी. के. गुप्ता (अभि. सा. 7), स्रेन्द्र कुमार (अभि. सा. 8) तथा सहायक उप-निरीक्षक, गंगा सहाय सत्संगी (अभि. सा. 9) की अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा की गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के समक्ष अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य रखा गया था जिसमें उन्होंने यह कहा कि उन्हें रंजिशवश मिथ्या मामला बनाकर फंसाया गया है। 4 साक्षी अर्थात फार्मासिस्ट डी. के. जोशी (प्रतिरक्षा साक्षी 1), कांस्टेबल जगत सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2), डा. जगदीश मंडल, चिकित्सा अधिकारी (प्रतिरक्षा साक्षी 3) और डा. डी. के. वाजपेई (प्रतिरक्षा साक्षी 4) अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज, बरेली की प्रतिरक्षा में परीक्षा की गई थी । अभिलेख के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध कर दिया और उन्हें समुचित रूप से दंडादिष्ट किया गया । उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान दांडिक अपीलें फाइल की गई थीं जिनपर बहस की गई और एक ही सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा कर दिया गया ।

- 2. अशोक कुमार (अभि. सा. 1) ने यह कहा है कि तारीख 27 जून, 1999 को 6.30 बजे अपराह्न जब वह ट्रैक्टर से अपने खेत की फसल काट रहा था जिस ट्रैक्टर को बिकऊ मियां (अभि. सा. 2) द्वारा चलाया जा रहा था और ट्रैक्टर के दाहिने मडगाड की ओर अभि. सा. 1 बैठा हुआ था उसके पिता हेमराज (अपीलार्थी) और छोटा भाई राजन कुमार (अपीलार्थी) श्याम नगर स्थित खेत पर पहुंचे । राजेन्द्र कुमार राइफल लेकर आया था । अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता को गाली दी और उससे खेत को खाली करने के लिए भी कहा । जब वह खेत को छोड़ने के लिए उन्हें विवश नहीं कर पाया तब अपीलार्थी हेमराज ने अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार को यह अनुदेश दिया कि वह अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की हत्या कर दे । अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार ने अशोक कुमार (अभि. सा. 1) पर गोली चलाई परंतु वह बिना क्षति पहुंचे भाग गया और ट्रैक्टर के ड्राइवर (बिकऊ मियां) के प्रबाह पर गोली लगी । दूसरी गोली ट्रैक्टर के मडगाड पर लगी जिसमें अभि. सा. 1 बैठा हुआ था । उस घटना को (अभि. सा. 1), अशोक कुमार तथा सुरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 8) द्वारा देखा गया था । अभियुक्त-अपीलार्थी भाग गए थे । आहत बिकऊ मियां को पुलिस थाना, गदरपुर ले जाया गया था, जहां रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अभि. सा. 1 ने शिकायत (प्रदर्श क-1) पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की । उसने यह भी कहा है कि आहत को सरकारी अस्पताल, रूद्रपुर ले जाया गया था जहां उसे उपचार दिया गया था । अभि. सा. 1 ने यह भी कहा कि उसके साथ तथा दूसरी ओर उसके पिता और भाई के बीच भूमि संबंधी विवाद चल रहा था।
- 3. बिकऊ मियां (अभि. सा. 2) जो आहत है, जिसने यह कहा है कि तारीख 27 जून, 1996 को 6.30 बजे अपराह्न जब वह ट्रैक्टर से अशोक कुमार का खेत जोत रहा था और अशोक कुमार (अभि. सा. 1) ट्रैक्टर के मडगाड पर बैठा हुआ था, अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार और हेमराज खेत पर पहुंचे । अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार अपने हाथ में लाइसेंसशुदा राइफल ला रहा था । इन दोनों ने उन्हें गालियां दीं । अपीलार्थी हेमराज जो अशोक कुमार (अभि. सा. 1) का पिता है, उसने अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार को यह अनुदेश

दिया कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की हत्या कर दे । अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार ने उसकी हत्या करने के आशय से अशोक कुमार (अभि. सा. 1) पर गोली चला दी परंतु वह बिना क्षति पहुंचे भाग गया और राइफल की गोली अभि. सा. 2 के प्रबाहु पर लगी । अभि. सा. 2 के प्रबाहु भाग पर क्षति कारित हुई और 5 सेकेंड गोलियां चलाईं जो ट्रैक्टर के मडगाड पर लगी जहां अभि. सा. 1 बैठा हुआ था । अभि. सा. 2 को सरकारी अस्पताल, गदरपुर ले जाया गया था जहां पर चिकित्साधिकारी ने उसे रुद्रपुर भेज दिया । उसका बरेली में भी उपचार किया गया था ।

- 4. सुरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 8) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने यह कहा है कि तारीख 27 जून, 1999 को 6.30 बजे अपराह्न जब वह खेत पर अपने चाचा के साथ जा रहा था, उसने यह देखा कि अशोक कुमार (अभि. सा. 1) ट्रैक्टर से खेत की फसल काट रहा है जिसे बिकऊ मियां द्वारा चलाया जा रहा था । अपीलार्थी हेमराज और राजेन्द्र कुमार खेत पर पहुंचे । अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार राइफल लेकर आ रहा था । दोनों अपीलार्थियों ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 से कहा कि खेत की फसल काटना बंद कर दें । अपीलार्थी हेमराज के प्रबोधित करने पर अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 पर गोली चलाई । प्रथम गोली बिकऊ मियां के प्रबाहु पर लगी और दूसरी ट्रैक्टर के मडगाड पर लगी । इसके पश्चात, अशोक कुमार (अभि. सा. 1) द्वारा बिकऊ मियां (अभि. सा. 2) को अस्पताल ले जाया गया ।
- 5. हेड कांस्टेबल अशोक कुमार शर्मा (अभि. सा. 3) ने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) तथा साधारण डायरी की प्रति (प्रदर्श क-3) साबित की । अभि. सा. 3 ने आयुध अधिनियम की धारा 25 (प्रदर्श क-4) और साधारण डायरी प्रविष्टि (प्रदर्श क-5) के संबंध में चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी साबित की । डा. जे. सी. मंडल (अभि. सा. 4) ने बिकऊ मियां की क्षिति रिपोर्ट (प्रदर्श क-6) साबित की जिसे अग्न्यायुध क्षिति कारित हुई थी । जिला अस्पताल, बरेली के डा. पी. सी. सक्सेना (अभि. सा. 5) ने आहत बिकऊ मियां की क्षिति रिपोर्ट (प्रदर्श क-7) (दूसरी) रिपोर्ट साबित की । उप-निरीक्षक (सेवानिवृत्त) महिपाल सिंह तोमर (अभि. सा. 6) ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-8) तथा आरोप पत्र (प्रदर्श क-9) साबित की । डा. डी. के. गुप्ता (अभि. सा. 7) ने आहत बिकऊ मियां का चिकित्सा प्रमाणपत्र (प्रदर्श क-10) साबित की । सहायक उप-निरीक्षक गंगा सहाय सत्संगी (अभि. सा. 9) ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-11) तथा

आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अधीन दंडनीय अपराध से संबंधित आरोप पत्र (प्रदर्श क-13) साबित की । सहायक उप-निरीक्षक गंगा सहाय सत्संगी (अभि. सा. 9) ने अभियुक्त राजेन्द्र कुमार को अभियोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति (प्रदर्श क-12) भी प्राप्त की ।

- 6. आपातकालीन रजिस्टर के पृष्ठ सं. 190 का सार जो वर्ष 1996 से 1999 तक अभिलेख यह दर्शित करने के लिए लाई गई थी कि आहत बिकऊ मियां पुत्र अब्बास मियां की तारीख 27 जून, 1999 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गदरपुर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा 5.45 बजे अपराहन परीक्षा (प्रदर्श क-1) की गई थी । उससे यह उपदर्शित हुआ है कि आहत बिकऊ मियां को पुलिस थाना रूद्रपुर के मोहन लाल सीपी 495 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गदरपुर तारीख 27 जून, 1999 को 5.45 बजे अपराह्न लाया गया था । चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) का परिशीलन करने पर यह प्रकट हुआ है कि अभिकथित घटना तारीख 27 जून, 1999 को 6.30 बजे अपराह्न घटित हुई थी जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना, गदरपुर में उसी दिन 7.40 बजे अपराह्न दर्ज की गई थी । इस तरह (प्रदर्श ख-1) और (प्रदर्श क-2) एक-दूसरे से मेल नहीं खाती जो अभिकथित घटना के समय के संदर्भ में तथा आहत को कायम हुई क्षतियों के बारे में मेल नहीं खाते । यदि घटना तारीख 27 जून, 1999 को 6.30 बजे घटित हुई तब रूद्रपुर के पुलिस थाने के कांस्टेबल उसी दिन 5.45 बजे अपराह्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गदरपुर आहत को कैसे ला सकते थे ? इस तथ्य से यह उपदर्शित हुआ है कि आहत को तारीख 27 जून, 1999 को 5.45 बजे अपराह्न क्षति किसी अन्य जगह कारित हुई थी और षड्यंत्र पूर्वक अपीलार्थियों को फंसाने के लिए शत्रुता के कारण उनके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जिसे दंड संहिता की धारा 307/506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 1999 की अपराध सं. 440 में मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था और यह संभावना थी कि आहत को क्षतियां कायम हो सकती थीं किंतु अपीलार्थियों द्वारा तारीख 27 जून, 1999 को 6.30 बजे अपराह्न क्षतियां कैसे कारित की जा सकती हैं जब चिकित्सा अधिकारी ने आहत की परीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि बिकऊ मियां के शरीर पर ये क्षतियां उसी दिन 5.45 बजे अपराह्न कैसे कायम हुईं । इस तथ्य से एकमात्र सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन पर्याप्त रूप से नष्ट हो जाता है।
 - 7. चिकित्सा अधिकारी अर्थात् अभि. सा. ४/प्रतिरक्षा साक्षी 3 डा. जे.

सी. मंडल, डा. पी. सी. सक्सेना (अभि. सा. 5), डा. डी. के. गुप्ता (अभि. सा. 7), डी. के. जोशी, प्रतिरक्षा साक्षी 1, फार्मासिस्ट/डा. ए. के. रस्तोगी और डी. के. वाजपेई, प्रतिरक्षा साक्षी 4 ने समय-समय पर आहत की परीक्षा की । इन चिकित्सा अधिकारियों में से किसी ने भी आहत को बंदूक की गोली की क्षति के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है । अभियोजन पक्ष इस बारे में यह सिद्ध करने में असमर्थ हुआ है कि कब आहत को ये क्षतियां कायम हुईं और किनके माध्यम से (ये क्षतियां कायम हुईं थीं) ? इन बातों से अभियोजन पक्षकथन में बहुत बड़ी कमी प्रतीत होती हैं । यद्यपि किसी भी साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन के जीवन में कोई जान नहीं फूंकी है तो भी यह न्यायालय इस कर्तव्य के अधीन है कि अन्य साक्ष्य पर चर्चा करे जो अभियोजन पक्ष द्वारा तथा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया था ।

8. प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, गदरपुर के चिकित्सा अधिकारी, डा. जे. सी. मंडल ने 6 जुलाई, 1999 को यह लिखा

एक अग्न्यायुध क्षति

"रोगी का रक्त बहने के कारण यहां पर उपचार नहीं किया जा सका और यहां पर किसी क्षति का उल्लेख नहीं किया गया तब उसे उसी समय जे. एल. एम. जिला अस्पताल, रुद्रपुर भेजा गया था"

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि आहत तारीख 27 जून, 1999 को डा. मंडल से मिला और ऊपर उल्लिखित प्रमाणपत्र (प्रदर्श क-6) उसे बिना कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण के तारीख 6 जुलाई, 1999 को दिया गया था।

- 9. डा. मंडल (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने आहत को कायम हुई क्षितियों की परीक्षा नहीं की । यद्यपि, वह उन क्षितियों की परीक्षा करने के लिए सक्षम था । यह बात व्यंग्यात्मक है कि आहत पिट्टयों के साथ उसके पास आया जो उसे कैमिस्ट की दुकान से या अस्पताल से प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि एक कपड़े का टुकड़ा था जिसे घाव के चारों ओर लपेटा गया था । अभि. सा. 4 की ओर से यह राय व्यक्त करते हुए यह कल्पना की गई है कि क्षिति अग्न्यायुध क्षिति है और इसका कोई आधार नहीं था ।
- 10. जे. एल. एन. अस्पताल, रूद्रपुर के डा. ए. के. रस्तोगी ने रजिस्टर पर निम्नलिखित बातें लिखीं जिसे अस्पताल में रखा गया :-

"सर्जन बुलाने पर उपस्थित हुआ और रोगी को जिला अस्पताल, बरेली भेजा गया । क्षितियों का कोई उल्लेख नहीं किया जा सका क्योंकि प्रभावित भाग में रक्त बह रहा था । सर्जन ने यह राय दी कि यदि पटि्टयां उतारी जाएंगी तो अत्यधिक रक्तस्राव होगा और तत्काल रक्त चढ़ाने का इंतजाम नहीं हो सकेगा इसलिए उसने (सर्जन) ने रोगी को बरेली अस्पताल भेजा ।" (प्रदर्श क-1)

- 11. जिला अस्पताल बरेली के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डा. पी. सी. सक्सेना (अभि. सा. 5) ने तारीख 28 जून, 1999 को 12.35 बजे पूर्वाह्न आहत की परीक्षा की और उन्होंने उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :-
 - "(i) दाहिने कांख के 7 से. मी. नीचे दाहिनी ऊपर भुजा पर 1 से. मी. x 0.5 से. मी. की क्षति का अग्न्यायुध घाव । उपान्त उलटे हुए थे और कोई कालापन नहीं था ।
 - (ii) 6 से. मी. x 4 से. मी. अग्न्यायुध घाव मौजूद था । उपान्त उलटे हुए थे । दाहिने कंधे के 6 से. मी. नीचे दाहिनी ऊपर भुजा के बाहरी पहलू पर रक्त बह रहा था और दाहिनी ऊपरी भुजा पर सूजन थी।"
- 12. चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल एक्सरे करने की सलाह दी और क्षितियों की स्थिति ताजा थी (प्रदर्श क-7) के अनुसार क्षित अग्न्यायुध से कारित की गई थी । अभि. सा. 5 ने प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि वह उक्त क्षित के बारे में अग्न्यायुध से हुए छेद का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता जो आहत को कारित हुई थी । उसने यह कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या ऐसी क्षिति 315 बोर या 312 बोर के अग्न्यायुध द्वारा कारित की जा सकती है । चिकित्सा अधिकारी ने आहत के घाव में कोई गोली नहीं पाई थी, इसलिए घाव से गोली को बाहर निकालने का प्रश्न कभी भी प्रकट नहीं हुआ है । वह अपनी प्रतिपरीक्षा में कई अन्य महत्वपूर्ण बातों का स्पष्टीकरण नहीं दे सका । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार कि राजेन्द्र कुमार ने दो बार अपनी बंदूक का प्रयोग किया । उसने गोली चलाई जो अशोक कुमार को नहीं लगी । एक गोली बिकऊ मियां के ऊपरी भुजा पर लगी और दूसरी ट्रैक्टर के मडगाड पर लगी थी । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि न तो घटना के स्थान (खेत) पर कोई गोली पाई गई थी और न आहत के घाव में कोई गोली पाई गई थी । इसलिए

प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ के पास गोली या न्यायालयिक प्रयोगशाला गोली भेजे जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । गोलियों के साथ अग्न्यायुध के प्रयोग के संबंध को प्रकट किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया जिसके बारे में यह अधिकथित है कि अग्न्यायुध से बिकऊ मियां को गोली लगी या ट्रैक्टर के मडगाड पर गोली लगी या जमीन पर किसी अन्य स्थान पर गोली पाई गई । इस प्रकार अभियोजन पक्षकथन में बहुत बड़ी कमी पाई गई थी ।

- 13. देवेन्द्र अस्पताल, बरेली के डा. डी. के. गुप्ता (अभि. सा. 7) ने यह कहा है कि आहत उसके पास जब उसे जिला अस्पताल, बरेली से उन्मुक्त कर दिया गया था तब पहुंचा । अभियोजन साक्षी 7 ने आहत को प्रमाणपत्र (प्रदर्श क-7) दिया था जो किसी तरह भी इस्तेमाल में लाने योग्य नहीं है और जिसका कोई महत्व है । इसलिए आहत प्राइवेट प्लास्टिक और जनरल सर्जन के पास गया जब उसे सरकारी अस्पताल से उन्मुक्त कर दिया गया था । यह बात समझ से परे है और यह बात किसी भी कारण से मुझे उचित प्रतीत नहीं होती ।
- 14. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज, बरेली के अधीक्षक डा. डी. के. वाजपेई (प्रतिरक्षा साक्षी 4) ने तारीख 28 जून, 1999 को 2.00 बजे पूर्वाह्न बिकऊ मियां पुत्र अब्बास मियां का एक्सरे लिया । प्रतिरक्षा साक्षी 4 के अनुसार कि उसने आहत के प्रबाहु में कोई अस्थिभंग नहीं पाया । उसके अनुसार उसने आहत के प्रबाहु में कोई प्रसमान्यता नहीं पाई है । प्रतिरक्षा साक्षी 4 ने यह भी कहा है कि उसने न तो आहत के प्रबाहु में कोई गोली पाई और न उस तरह का कोई कण पाया था, इस प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक डा. डी. के. वाजपेई (प्रतिरक्षा साक्षी 4) द्वारा दी गई रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) से अभियोजन पक्षकथन की अंतिम बात को साबित किया जाना चाहिए ।
- 15. उप-निरीक्षक महिपाल सिंह तोमर (अभि. सा. 6) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि उसने घटना के स्थान पर कोई खेत नहीं पाया क्योंकि खेत जोता हुआ था । अभि. सा. 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गदरपुर गया किंतु उसने कपड़े नहीं पाए जो आहत के घाव के चारों ओर लपेटा हुआ था । आहत के रक्त-रंजित कपड़े अभि. सा. 6 द्वारा कब्जे में नहीं लिए गए थे । इस बारे में संदेह है कि क्या कोई रक्त की बूंद अभि. सा. 2 के पहने हुए कपड़ों पर वास्तव में गिरा हो । अभि. सा. 6 बरेली नहीं गया जहां बिकऊ मियां की अभि. सा. 5 द्वारा परीक्षा की गई थी ।

अभि. सा. 6 ने अपनी अभिरक्षा में उस ट्रैक्टर को नहीं लिया जिसके मडगाड पर क्षति पहुंची थी ।

16. अभि. सा. 8 से प्रतिपरीक्षा में जो कुछ प्रश्न सामूहिक रूप से पूछे गए थे उसके उत्तर से यह उपदर्शित होता है कि वह संयोगी साक्षी है । उसकी घटनास्थल पर मौजूदगी संदेहास्पद प्रकट हुई है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य से विश्वास उत्प्रेरित नहीं होता है कि न्यायालय द्वारा अभि. सा. 2 के कथन पर विश्वास क्यों किया जाना चाहिए कि वह ट्रैक्टर चला रहा था और उसके पास विधिमान्य लाइसेंस नहीं था । न्यायालय ने ऐसे लोगों के कथन पर विश्वास क्यों किया होगा । यह तथ्य कि अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार अशोर कुमार पर गोली चलाने के लिए अपनी लाइसेंसशुदा बंदूक का इस्तेमाल किया किंतु गोली नहीं लगी जो अभियोजन पक्षकथन में प्रकट है । दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय मामले को बनाने के लिए केवल बिकऊ मियां (अभि. सा. 2) पर गोली चलाया जाना प्रकट किया गया है । साधारण अनुक्रम में दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय दोषिता को सिद्ध करना पर्याप्त नहीं था ।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य में कई किमयां प्रकट हुई हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है और इससे न्याय की हानि होगी । अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में पूरी तरह विफल हुआ है।

18. दलील देने के दौरान अपीलार्थी हेमराज के विद्वान् काउंसेल ने (2005 की दांडिक अपील सं. 92) में यह निवेदन किया कि हेमराज की मृत्यु हो चुकी है। हम विद्वान् काउंसेल से इस आशय का शपथपत्र फाइल करने का अनुरोध करते हैं और विद्वान् काउंसेल से यह कहते हैं कि इस घटना के संबंध में ऐसा शपथपत्र फाइल करे जिस पर हेमराज की मृत्यु के बारे में संज्ञान लिया जाए। जब निर्णय दिए जाने की तैयारी थी तब विद्वान् काउंसेल ने 2012 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1289 में निवेदन करते हुए राजेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज (अपीलार्थी) के शपथपत्र को सम्मिलित किया जो इस आशय का है कि अपीलार्थी हेमराज की मृत्यु तारीख 26 नवंबर, 2005 में हुई थी। तारीख 9 अक्तूबर, 2010 के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति-शपथपत्र के साथ भी संलग्न की गई है। तद्नुसार हमने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलार्थी हेमराज की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए, इस निमित्त संस्थित की गई दांडिक अपील का उपशमन किया जाता है।

19. अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई दांडिक अपील मंजूर की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 24 मई, 2005 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है और जिस बारे में अभिलिखित दोषसिद्धि तथा दंडादेश जो उसके लिए अधिनिर्णीत किया गया है, उसे भी अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार जमानत पर है, उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं । प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है उसे अभ्यर्पण करने की जरूरत नहीं है ।

20. निर्णय की प्रति निचले न्यायालय को भेजी जाए और निचले न्यायालय के अभिलेख भी वापस भेजे जाएं।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

(2013) 2 दा. नि. प. 27

छत्तीसगढ

अशरफ खान

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 31 अक्तूबर, 2012

न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 354 [सपिटत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1889 की धारा 3(1) (xi)] – स्त्री का लज्जाभंग – यदि मामले के तथ्यों और साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का स्तन दबाया था तो अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना उचित है।

दंड संहिता, 1860 – धारा 354 [सपिटत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1889 की धारा 3(1)(xi)] – जाति साबित किए जाने हेतु दस्तावेज पेश नहीं किया जाना – जहां मामले में अभियोक्त्री के बारे में अनुसूचित जाति से संबंधित होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को

उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के आरोप से दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 19 सितंबर, 1996 को 11.50 बजे अपराह्न अभियोक्त्री जो अप्राप्तवय है जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष है, ने यह अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है कि एक घंटा पूर्व अर्थात् लगभग 10.00 बजे अपराह्न टेलीविजन देखने के पश्चात जब वह अपनी दादी फुल्तोरी बाई के साथ वापस लौट रही थी, रास्ते पर अभियुक्त पीछे से आया और उसके स्तनों को दबाया जब उसने विरोध किया, लोग जो उसके साथ चल रहे थे ने उसे गालियां दीं जिस पर वह घटनास्थल से भाग गया । इस आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 354 तथा अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रिजस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषण के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध तारीख 2 नवंबर, 1996 को चालान फाइल किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को सिद्ध करने के लिए पांच साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए आरोपों से इनकार किया और मामले में अपनी निर्दोषिता और मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक किया । इसके अतिरिक्त दो प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराई गई । पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने उन्हें दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित — साक्ष्य की बारीकी से परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि घटना की तारीख को अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के स्तनों को दबाया था । अभियोक्त्री के कथन का रामेश्वर और अभियोक्त्री की दादी फुल्तोरी बाई द्वारा सम्यक् रूप से समर्थन किया गया था और इसलिए, इस न्यायालय के पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाए । इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन दोषसिद्ध होने का दायी है या नहीं । अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की जाति के संबंध में न तो कोई दस्तावेज फाइल किया है और न उसे साबित किया है । अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

(अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंध के संबंध में अपराध के बारे में किसी व्यक्ति को सिद्धदोष किए जाने के लिए ऐसे किसी दस्तावेज को फाइल करके साबित किया जाना अनिवार्य है । यह सुस्थिर विधिक स्थिति है कि शिकायतकर्ता की जाति के संबंध में स्संगत दस्तावेज पेश करना अत्याचार निवारण अधिनियम के उपबंध के अधीन अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक है । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न तो फाइल किया गया और न उसे साबित किया गया तथा अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री की जाति को स्वीकार भी नहीं किया है । इस प्रकार, यह अति स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अनुसरण में नहीं की गई है इसलिए इसे अपास्त किया जाता है । इस प्रकार, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन दोषमुक्त किया जाता है । तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन सिद्धदोष किया जाता है । जहां तक दंड के भाग का संबंध है यह घटना लगभग 16 वर्ष पूर्व घटित हुई थी उस स्संगत समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी एक जवान लड़का था जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी । कारागार दंड आज्ञापक नहीं है तथा मामले की सम्पूर्णता पर विचार करते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को छह मास के कठोर कारावास को कम करते हुए 7 दिन के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया जा सकता है । तद्नुसार आदेश किया गया । अपीलार्थी जमानत पर है उसके जमानत और बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और उसे कारागार भेजा जाता है और तत्काल उसे उपांतरित दंडादेश के शेष भाग को भोगने के लिए कारागार भेजा जाता है । इस प्रकार अपील भागतः सफल है । तद्नुसार आदेश किया गया । (पैरा ८, ९ और 10)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1997 की दांडिक अपील सं. 747.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अरुण कोचर

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री वैभव गोवर्धन, पी. एल.

न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर – यह वर्तमान अपील 1996 का विशेष दांडिक मामला सं. 421 में विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा तारीख 21 मार्च, 1997 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से उद्भूत है जिसमें अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा (3)(1)(xi) के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके 6 मास का कठोर कारावास भोगने तथा 500.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 3 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया है।

- 2. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 19 सितंबर, 1996 को 11.50 बजे अपराहन अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) जो अप्राप्तवय है जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष है, ने यह अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की है कि एक घंटा पूर्व अर्थात् लगभग 10.00 बजे अपराहन टेलीविजन देखने के पश्चात् जब वह अपनी दादी फुल्तोरी बाई के साथ वापस लौट रही थी, रास्ते पर अभियुक्त/अपीलार्थी पीछे से आया और उसके स्तनों को दबाया जब उसने विरोध किया, लोग जो उसके साथ चल रहे थे ने उसे गालियां दीं जिस पर वह घटनास्थल से भाग गया । इस आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 354 तथा अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रिजस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध तारीख 2 नवंबर, 1996 को चालान फाइल किया गया था।
- 3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि को सिद्ध करने के लिए पांच साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त/अपीलार्थी के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए आरोपों से इनकार किया और मामले में अपनी निर्दोषिता और मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । इसके अतिरिक्त दो प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराई गई ।
- 4. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने उन्हें दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह अपील फाइल की गई।
- 5. अपीलार्थी के काउंसेल श्री कोचर ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता की जाति के संबंध में कोई दस्तावेज साबित करने के लिए फाइल नहीं किया है तथा जाति प्रमाणपत्र साबित

किए जाने के लिए फाइल करना या ऐसा कोई दस्तावेज जो अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए फाइल किया जाना अनिवार्य है । इसलिए अपीलार्थी को उक्त अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । उसने यह भी दलील दी कि अभियोजन के सम्पूर्ण पक्षकथन के लिए यह अच्छा होगा कि अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है क्योंकि दंड संहिता की धारा 354 के अधीन कारागार दंड आज्ञापक नहीं है और उसे जुर्माने की रकम अधिरोपित करने के पश्चात् छोड़ देना चाहिए । यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का फायदा दिया जा सकता है ।

- 6. दूसरी ओर राज्य के काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है, तथापि, उसने यह स्वीकार किया है कि अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता की जाति दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज फाइल नहीं किया है।
- 7. पक्षकारों के काउंसेल को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है ।

अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) जिसकी आयु लगभग 14 वर्ष है, उसने अपने कथन में यह कहा है कि वह सतनामी जाति की है और अशिक्षित है । उसने यह कथन किया कि वह अपनी दादी फुल्तोरी बाई के साथ रहती है और वह अभियुक्त/अपीलार्थी को नहीं जानती है । उसके अनुसार घटना की तारीख को वह सरपंच के मकान में वीडियो देखने गई थी और जब वह अपनी दादी के साथ वापस लौट रही थी तब अभियुक्त/अपीलार्थी पीछे से आया और उसने उसके स्तन दबाए जिस पर वह चीखी-चिल्लाई और तब बच्चे जो उसके साथ आ रहे थे ने अभियुक्त/अपीलार्थी को गालियां दीं । इसके पश्चात् रामेश्वर दौड़कर पहुंचा और अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया । उसने यह भी कथन किया है कि वह गांव पहुंची और उसके पश्चात् घटना के बारे में बड़े लोगों को वृत्तांत स्नाया और उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट की । वह प्रतिपरीक्षा में अति दृढ रही तथा उसके कथन से ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हो सका । रामेश्वर (अभि. सा. 2) ने अभियोक्त्री के कथन का समर्थन करते हुए यह कहा है कि जब वह अन्य गांववासियों के साथ सरपंच के मकान से लौट रहा था तो उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को अभियोक्त्री के स्तन को दबाते हुए देखा था तथा अभियोक्त्री और उसकी दादी जमीन पर लेटे हुए थे । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने पूर्व में भी एक पटेल लड़की को तंग किया था जो पढाई कर रही थी, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्य सहनीय नहीं हैं ऐसा विनिश्चय किया गया था । अभियोक्त्री की दादी श्रीमती फुल्तोरी बाई (अभि. सा. 3) ने अभियोक्त्री के कथन का भी समर्थन किया है और स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने अभियोक्त्री के स्तन को दबाते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को देखा था । सनहर (अभि. सा. 4) और श्याम दास (अभि. सा. 5) जो गांववासी हैं उन्होंने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री के भाई ने उन्हें बुलाया जब वे उसके मकान पर पहुंचे तब अभियोक्त्री द्वारा उसे यह बताया गया कि फुल्तोरी बाई अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्य के बारे में जानती है । दाऊ सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को जब वह वीडियो देखने के पश्चात वापस लौट रहे थे तब बिजली आपूर्ति में बाधा होने के कारण सभी गांववासी अपने घरों को लौट रहे थे । उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री का कथन कि अभियुक्त/ अपीलार्थी ने उसे उसकी भुजाओं से पकड़ा था सही नहीं है बल्कि अभियुक्त/अपीलार्थी एक अच्छे चरित्र का लड़का है । अज्जू खान (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने भी वही कथन किया है जैसाकि दाऊ सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने किया था ।

- 8. साक्ष्य की बारीकी से परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि घटना की तारीख को अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के स्तनों को दबाया था । अभियोक्त्री के कथन का रामेश्वर (अभि. सा. 2) और अभियोक्त्री की दादी फुल्तोरी बाई (अभि. सा. 3) द्वारा सम्यक् रूप से समर्थन किया गया था और इसलिए, इस न्यायालय के पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाए ।
- 9. इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन दोषसिद्ध होने का दायी है या नहीं । अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की जाति के संबंध में न तो कोई दस्तावेज फाइल किया है और न उसे साबित किया है । अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंध के संबंध में अपराध के बारे में किसी व्यक्ति को सिद्धदोष किए जाने के लिए ऐसे किसी दस्तावेज को फाइल करके साबित किया जाना अनिवार्य है । यह सुस्थिर विधिक स्थिति है कि शिकायतकर्ता की जाति के संबंध में सुसंगत दस्तावेज पेश करना अत्याचार निवारण अधिनियम के

उपबंध के अधीन अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न तो फाइल किया गया और न उसे साबित किया गया तथा अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री की जाति को स्वीकार भी नहीं किया है। इस प्रकार, यह अति स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अनुसरण में नहीं की गई है इसलिए इसे अपास्त किया जाता है।

10. इस प्रकार, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन दोषमुक्त किया जाता है । तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन सिद्धदोष किया जाता है ।

जहां तक दंड के भाग का संबंध है यह घटना लगभग 16 वर्ष पूर्व घटित हुई थी उस सुसंगत समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी एक जवान लड़का था जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी । कारागार दंड आज्ञापक नहीं है तथा मामले की सम्पूर्णता पर विचार करते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को छह मास के कठोर कारावास को कम करते हुए 7 दिन के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया जा सकता है । तद्नुसार आदेश किया गया ।

अपीलार्थी जमानत पर है उसके जमानत और बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और उसे कारागार भेजा जाता है और तत्काल उसे उपांतरित दंडादेश के शेष भाग को भोगने के लिए कारागार भेजा जाता है।

इस प्रकार अपील भागतः सफल है । तद्नुसार आदेश किया गया । अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

विजय कुमार

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य

तारीख 12 जुलाई, 2012

न्यायमूर्ति जे. पी. सिंह और न्यायमूर्ति मुजफ्फर हुसैन अत्तर

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) — धारा 302 [सपिटत साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977 — धारा 32] — आपराधिक मानववध — मृत्युकालिक कथन — साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सा प्रमाणपत्र और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में थी इसिलए अभियुक्त को मृतका के अपुष्ट मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) — धारा 498-क — क्रूरता — जब अभियुक्त और मृतका के निकट पड़ोसियों ने अभियोजन के क्रूरता के आरोप का समर्थन नहीं किया और मृतका के नातेदारों के साक्ष्य अनिश्चित और संदिग्ध हैं तो अभियुक्त को क्रूरता के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

पिंकी देवी उर्फ बबली अपीलार्थी की पत्नी थी जिसे तारीख 1 फरवरी, 2003 को अपीलार्थी के रसोईघर, मकान जो ग्राम सेसवान रेंज तालाब हीरा नगर पर स्थित है, में दाह क्षतियां पहुंची थीं । उसे प्रारंभ में सरकारी अस्पताल, कठुआ ले जाया गया था और इसके पश्चात् उपचार के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू ले जाया गया था । पुलिस चौकी, छदवाल के भारसाधक अधिकारी जिन्हें उसके कथन अभिलिखित करने के लिए तैनात किया गया था, ऐसा नहीं कर सका क्योंकि चिकित्सक जो पिंकी देवी का उपचार कर रहे थे यह अभिप्रमाणित किया कि "वह कथन देने की उपयुक्त स्थिति में नहीं है" । चिकित्सकों ने 6 फरवरी, 2003 तक कथन करने के लिए अनुपयुक्त बताया । उसी बीच में पिंकी देवी के भाई राजकुमार ने पुलिस चौकी छदवाल पर लिखित रिपोर्ट दर्ज की जिसमें अपीलार्थी और उसके भाई कालीदास और भाई की पत्नी रानी देवी को अभियोजित किया है ने उसकी बहन की जिन्दगी छीन

लेने की धमकी दी है तथा माता-पिता से धन लाने के लिए उस पर दबाव डाला है । मृतका के माता-पिता उनकी मांगों से संतुष्ट होंगे इसके पश्चात उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा और पिंकी देवी पर मिटटी का तेल छिड़क कर आग लगा दी । राजकुमार की रिपोर्ट के आधार पर रणबीर दंड संहिता की धारा 307/498-क के अधीन पुलिस थाना राज बाग, कठुआ में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 34/2003 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । कांस्टेबल, सतपाल पुलिस चौकी, छदवाल का भारसाधक अधिकारी है, उसने तारीख 6 फरवरी, 2003 को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू में पिंकी देवी का कथन अभिलिखित किया जब वह डाक्टर द्वारा कथन देने के लिए उपयुक्त घोषित की गई थी । पिंकी देवी की 9 फरवरी, 2003 को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू में क्षतियों के कारण मृत्यू हो गई । अपीलार्थी को तारीख 10 फरवरी, 2003 अर्थात पिंकी देवी की मृत्यु के एक दिन पश्चात गिरफ्तार किया गया था तथा उसके भाई कालीदास को तारीख 17 फरवरी, 2003 को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण के आधार पर अपीलार्थी, उसके भाई और भाई की पत्नी को रणबीर दंड संहिता की धारा 302/498-क/120-ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने में अंतर्वलित पाया गया था । पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, हीरा नगर के समक्ष अंतिम पुलिस रिपोर्ट पेश की गई जिसे सेशन न्यायालय, कठुआ को सुपुर्द कर दिया गया था जहां अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए आरोपित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का अभिवाक किया । आरोप को कायम रखने के लिए अभियोजन पक्ष ने मृतका का भाई राजकुमार और पिता मनोहर लाल और माता बीरो देवी, मदन लाल और चमन लाल, मृतका के चाचा, ज्योति देवी, शशि पोल, श्रेष्ठा देवी, कमलेश कुमारी जो मृतका के पड़ोसी हैं, इसके अतिरिक्त हेड कांस्टेबल, सतपाल जिसने पिंकी देवी की सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू में मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था, की परीक्षा कराई । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने रामचन्द, डा. एल. डी. भगत, हरभजन सिंह, अशोक कुमार, ओंकार नाथ, रोमेश चन्द और इसके अतिरिक्त रवीन्द्र सिंह, अन्वेषक पृलिस अधिकारी जिन्होंने मामले में अन्वेषण किया था, की परीक्षा कराई । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया । न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्धि और दंडादिष्ट करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित - तीन साक्षियों द्वारा किए गए भिन्न-भिन्न कथन को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कथनों की स्वतंत्र रूप से संवीक्षा की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि साक्षियों द्वारा जो कुछ भी कथन किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए पिंकी देवी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कथन करने के लिए निश्चित तौर पर उपयुक्त मानसिक अवस्था में थी । तीन साक्षियों के कथन विभेदकारी होने की वजह से उस रीति का समर्थन नहीं करते हैं जिसमें हेड कांस्टेबल सतपाल द्वारा कथन किया जाना अभिलिखित किया गया है । इसके अतिरिक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जब साक्षियों ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि पिंकी देवी के कथन अभिलिखित करते समय वह चक्कर महसूस कर रही थी और बहुत धीरे-धीरे बोल रही थी । उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि उसने पुलिस द्वारा कथन अभिलिखित करते समय सामान्य शैली में विस्तृत कथन किया हो । इन परिस्थितियों में जब अभिलेखों के साक्ष्य से इस बारे में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि हेड कांस्टेबल द्वारा साक्षी द्वारा पूछने के लिए कौन से कथन रखे गए जिसका उसने हां या नहीं में उत्तर दिया था और उस समय केवल वह प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिर हिलाती थी । इस पर ऐसे कथन का अवलंब लेना अत्यधिक असुरक्षित होगा, इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा न तो डा. मसूक को पेश किया गया था जिन्होंने पिंकी देवी के बारे में कथन देने की उपयुक्तता का प्रमाण दिया था और न विचारण के दौरान अस्पताल के अभिलेख पेश किए गए जिसके आधार पर उसकी चिकित्सा दशा की परीक्षा की जा सके जिससे कि यह राय प्रकट की जा सके कि वह 6 फरवरी, 2003 को कथन करने में समर्थ थी या नहीं । चर्चा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया साक्ष्य पिंकी देवी तारीख 6 फरवरी, 2003 को स्वस्थ मानसिक दशा में थी, साबित नहीं होता है । हमने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि हेड कांस्टेबल सतपाल का स्वयं यह समाधान नहीं हुआ है कि पिंकी देवी कथन करने के लिए उपयुक्त और समुचित हालात में थी । हेड कांस्टेबल ने पिंकी देवी के कथन को प्रश्न और उत्तर के प्ररूप में अभिलिखित नहीं किया था जिसमें उसके कथन को ध्यान में रखते हुए अभिलिखित किया जाना चाहिए था, उसने इस साक्षी के समक्ष जो प्रश्न रखे. उसने हां या नहीं में उत्तर दिया होगा और उस समय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपना सिर हिलाया होगा ईएक्सपीडब्ल्यू-एसपी/6 में प्रकट होने वाले कथन से यह प्रतीत नहीं होता है कि पिंकी देवी जो शरीर पर अत्यधिक तीव्र दाह क्षतियों से ग्रसित थी ।

वह ऐसा विस्तृत कथन नहीं कर सकती थी जब वह हर दो मिनट के पश्चात चक्कर आना महसूस कर रही थी । अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी सभी तरह मृतका को आग लगने की तारीख से उसकी मृत्यु की तारीख पर अस्पताल में उसके साथ रहा । अभियोजन पक्ष ने 10 फरवरी, 2003 तक अभियुक्त की गिरफ्तार में होने वाले लोप का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जबिक पिंकी देवी ने 6 फरवरी, 2003 को अभियुक्त द्वारा उस पर मिटटी का तेल छिड़क कर आग लगाने में उसका शामिल होना विनिर्दिष्ट रूप से अभिकथित किया है । लोप से यह उपदर्शित होता है कि पिंकी देवी की मृत्यु के पश्चात् अभिलिखित मृत्युकालिक कथन की ओर इंगित करता है । पुलिस द्वारा 10 फरवरी, 2003 को फर्द सुरथाल तैयार किया था और तारीख 6 फरवरी, 2003 को पिंकी देवी के कथन करने के तथ्य को अभिलेख पर भी नहीं लाया गया है। अब न्यायालय राज्य के विद्वान काउंसेल के अभिवाक पर विचार करेगा कि इस बारे में यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी के मकान में उसकी पत्नी को कैसे आग पकड़ गई । अपीलार्थी के बारे में मृतका को दाह क्षतियां कारित किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराने की उपधारणा की गई है । हत्या के आरोप के बारे में विद्वान राज्य काउंसेल द्वारा दी गई दलील का विधि द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त के बारे में निर्दोष होने की उपधारणा की गई है जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रारंभिक भार निर्वहन कर दिया जाए । विधि में ऐसी कोई उपधारणा नहीं की गई है जैसाकि विद्वान राज्य के काउंसेल द्वारा दलील दी गई है कि पति के मकान में दाह क्षतियों से ग्रसित पत्नी के होने की दशा में पति के बारे में यह उपधारणा कि वह उसकी हत्या किए जाने के लिए क्षतियां कारित करने में शामिल था । सभी मामलों में ऐसी बातें उद्भूत होती हैं । साक्ष्य अधिनियम संवत् 1977 में ऐसी किसी उपधारणा को अनुध्यात नहीं करती है और विधि द्वारा केवल ऐसी उपधारणा को अन्ध्यात किया गया है जैसाकि अधिनियम की धारा 114-ग के उपबंध में प्रविष्ट है जो विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा से संबंधित है न कि विवाहित महिला की हत्या से । (पैरा 15, 16, 17, 21, 22 और 23)

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अपीलार्थी और मृतका के बीच आपसी संबंध एक साल से सौहार्दपूर्ण थे परंतु बाद में अपीलार्थी ने उसे पीटा था । वह उसे कम दहेज लाने के लिए ताने सुनाता था और उसने यह घोषणा की थी कि वह अपने स्थान पर उसे रहने की इजाजत नहीं देगा । तथापि, अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अपीलार्थी विधि-विरुद्ध मांग पुरी न होने के कारण मृतका को प्रताङ्गित करता था । यद्यपि, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप रणबीर दंड संहिता की धारा 498-क(ख) में प्रकट क़ुरता की परिभाषा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से नहीं आता है, ऐसे किसी अभिकथन के अभाव में कि अपीलार्थी किसी संपत्ति के लिए विधि-विरुद्ध मांग पूरा करवाने के लिए मृतका को प्रताड़ित किया करता था तो भी अभियोजन पक्षकथन से यह प्रकट हुआ है कि आरोप अस्पष्ट है क्योंकि न तो कोई तारीख, महीना या वर्ष जिसमें अपीलार्थी ने विधिविरुद्ध मांग से संतुष्ट होने के लिए मृतका को प्रताड़ित किया था । जो बात या तो अभियोजन पक्षकथन से या उसके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से सामने आई हो । इसके अतिरिक्त, मृतका के माता-पिता के साक्ष्य से आरोप की पृष्टि नहीं होती है अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अपीलार्थी ने किसी सम्पत्ति की कभी कोई मांग नहीं की थी । मतका की माता के अनुसार मृतका अपीलार्थी की दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण तनाव में रहा करती थी, उसके बारे में यह कहा गया है कि घटना से लगभग 6 मास पूर्व वह बदतर हालत में था जब उसका प्रादेशिक सेना से नियोजन छिन गया । मृतका के पड़ोसी जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध क़ुरता के आरोप का समर्थन करने के लिए पेश किया गया था जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे तथापि, उन्होंने भिन्न-भिन्न बातें कहीं हैं । उनके अनुसार अपीलार्थी और मृतका घटना से पहले प्रसन्नचित्त थे और उनमें से कुछ लोगों के अनुसार कि मृतका ने यह स्वीकार किया है कि उसने गलती की है । इन परिस्थितियों में, जो लोग अपीलार्थी के समीप पर रहते हैं, उन्होंने तथा मृतका ने क्रूरता के आरोप पर अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और मृतका के नातेदारों का साक्ष्य विभेदमूलक होने के बावजूद अस्पष्ट और असंदिग्ध है तथा परिस्थितियों से क्या रणबीर दंड संहिता की धारा 498-क(ख) के अधीन अपराध को घटित करने वाले संघटक साबित होते हैं । तब हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने दूसरे आरोप को भी साबित किया हो । सभी प्रकार, जैसाकि ऊपर कहा गया है न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध किसी आरोप को साबित करने में विफल हुआ है और विद्वान सेशन न्यायाधीश ने रणबीर दंड संहिता की धारा 302/498-क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराकर गलती की है । विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं। (पैरा 28, 29 और 30)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2009] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2703 : **कांति लाल** बनाम **राजस्थान राज्य** ।

19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता

2009 की दांडिक अपील सं. 26, 2009 की दांडिक (प्रकीर्ण) अपील सं. 25 तथा 2009 की पुष्टिकरण सं. 7.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कठुआ के तारीख 16 अप्रैल, 2009 के आदेश और निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनिल खजूरिया, अधिवक्ता सुश्री जेड. एस. वताली, उप-महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जे. पी. सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह — विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कठुआ ने अपीलार्थी विजय कुमार द्वारा अपनी पत्नी पिंकी देवी उर्फ बबली की हत्या करने तथा उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए तारीख 16 अप्रैल, 2009 को आदेश और निर्णय पारित करके रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए, जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया तथा रणबीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास और 2,000/- रुपए जुर्माना और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास के कारावास का दंड के साथ दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया।

- 2. अपीलार्थी ने दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की है।
- 3. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी के लिए अधिनिर्णीत किए गए आजीवन कारावास के दंडादेश की पुष्टिकरण हेतु निर्देश भी किया है ।
- 4. अपील तथा पुष्टिकरण निर्देश के निपटारे के लिए संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार है :-

''पिंकी देवी **उर्फ** बबली अपीलार्थी की पत्नी थी जिसे

तारीख 1 फरवरी, 2003 को अपीलार्थी के रसोईघर, मकान जो ग्राम सेसवान रेंज तालाब हीरानगर पर स्थित है, में दाह क्षतियां पहंची थीं । उसे प्रारंभ में सरकारी अस्पताल, कठ्आ ले जाया गया था और इसके पश्चात् उपचार के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू ले जाया गया था । पुलिस चौकी, छदवाल के भारसाधक अधिकारी जिन्हें उसके कथन अभिलिखित करने के लिए तैनात किया गया था, ऐसा नहीं कर सका क्योंकि चिकित्सक जो पिंकी देवी का उपचार कर रहे थे यह अभिप्रमाणित किया कि 'वह कथन देने की उपयुक्त स्थिति में नहीं है।' चिकित्सकों ने 6 फरवरी, 2003 तक कथन करने के लिए अनुपयुक्त बताया । उसी बीच में पिंकी देवी के भाई राजकुमार ने पुलिस चौकी छदवाल पर लिखित रिपोर्ट दर्ज की जिसमें अपीलार्थी और उसके भाई कालीदास और भाई की पत्नी रानी देवी को अभियोजित किया है ने उसकी बहन की जिन्दगी छीन लेने की धमकी दी है तथा माता-पिता से धन लाने के लिए उस पर दबाव डाला है । मृतका के माता-पिता उनकी मांगों से संतृष्ट होंगे इसके पश्चात् उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा और पिंकी देवी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी । राजकुमार की रिपोर्ट के आधार पर रणबीर दंड संहिता की धारा 307/498-क के अधीन पुलिस थाना राज बाग, कठ्आ में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 34/2003 रजिस्ट्रीकृत की गई थी।

कांस्टेबल, सतपाल पुलिस चौकी, छदवाल का भारसाधक अधिकारी है, उसने तारीख 6 फरवरी, 2003 को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू में पिंकी देवी का कथन अभिलिखित किया जब वह डाक्टर द्वारा कथन देने के लिए उपयुक्त घोषित की गई थी।

पिंकी देवी की 9 फरवरी, 2003 को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू में क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई ।

अपीलार्थी को तारीख 10 फरवरी, 2003 अर्थात् पिंकी देवी की मृत्यु के एक दिन पश्चात् गिरफ्तार किया गया था तथा उसके भाई कालीदास को तारीख 17 फरवरी, 2003 को गिरफ्तार किया गया।

अन्वेषण के आधार पर अपीलार्थी, उसके भाई और भाई की पत्नी को रणबीर दंड संहिता की धारा 302/498-क/120-ख के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने में अंतर्वलित पाया गया था।

पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, हीरानगर के समक्ष अंतिम पुलिस रिपोर्ट पेश की गई जिसे सेशन न्यायालय, कठुआ को सुपुर्द कर दिया गया था जहां अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए आरोपित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का अभिवाक किया।

आरोप को कायम रखने के लिए अभियोजन पक्ष ने मृतका का भाई राजकुमार और पिता मनोहर लाल और माता बीरो देवी, मदन लाल और चमन लाल, मृतका के चाचा, ज्योति देवी, शिश पोल, श्रेष्ठा देवी, कमलेश कुमारी जो मृतका के पड़ोसी हैं, इसके अतिरिक्त हेड कांस्टेबल, सतपाल जिसने पिंकी देवी की सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू में मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था, की परीक्षा कराई । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने रामचन्द, डा. एल. डी. भगत, हरभजन सिंह, अशोक कुमार, ओंकार नाथ, रोमेश चन्द और इसके अतिरिक्त रवीन्द्र सिंह, अन्वेषक पुलिस अधिकारी जिन्होंने मामले में अन्वेषण किया था, की परीक्षा कराई ।

निदेशालय, न्यायालयिक प्रयोगशाला, जम्मू-कश्मीर तथा जम्मू की रिपोर्टों सहित पुलिस चालान के साथ अभिलेख पर दस्तावेज रखे गए जिनसे यह उपदर्शित होता है कि प्लास्टिक जर्किन में मिट्टी का तेल मौजूद था और प्लास्टिक बोतल घटना के स्थान से अभिगृहीत की गई थी । इसके अतिरिक्त मृतका की शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18-एल. डी. जिसके साथ-साथ मृत्यु कारित होने के अभिलेख तथा मृतका के शव पर निम्नलिखित क्षतियां पाई गई थीं :--

मृतका के पूरे चेहरे, गर्दन और वक्ष के आगे और पीछे, उदर और पीठ, दोनों हाथों की हथेलियों तथा उसके पृष्ठ भाग से दोनों भुजाओं, दोनों जाघों के पूर्ववर्ती और परवर्ती भागों पर और दोनों नितम्ब क्षेत्रों पर, दोनों पैरों की पूर्ववर्ती और परवर्ती भागों पर मौजूद संक्रमित दाह क्षतियां पहुंची थीं।

दोनों पैरों तथा पैरों के तलवों, इसके अतिरिक्त उपजंघिका क्षेत्र आधे भाग पर संक्रमित दाह क्षतियां पहुंची थीं ।

अनुमानतः शरीर का 90 प्रतिशत भाग जला हुआ था ।

मृत्यु का कारण पूतिरक्तता और तीव्र संक्रमित दाह क्षतियों के परिणामस्वरूप आघात बताया जाता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन प्रतिरक्षा पक्ष की परीक्षा की गई । अभियुक्त ने प्रेमचंद और रामचंद की यह साबित करने के लिए परीक्षा कराई कि पिंकी देवी ने आत्महत्या की थी क्योंकि उसके पित को आर्मी सेना से निलंबित कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वह अत्यधिक तनाव में थी और निलंबन होने की वजह से वह तनाव से बाहर नहीं निकल पाई और उसने आत्महत्या कर ली ।

पक्षकारों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर विचारण न्यायालय ने पिंकी देवी के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर और उसे आग लगाकर हत्या करने के आरोप में विजय कुमार को दोषी पाया था जिसके परिणामस्वरूप मृतका की अस्पताल में दाह क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । इसके अतिरिक्त मृतका से उसके जीवनपर्यन्त क्रूरता बरती गई थी । तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के भाई और भाई की पत्नी के विरुद्ध कोई मामला साबित नहीं किया है । तद्नुसार उन्हें दोषमुक्त किया गया था ।

यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप साबित किया गया था, विचारण न्यायालय ने हेड कांस्टेबल सतपाल के कथन का अत्यधिक अवलंब लिया जिसने पिंकी देवी का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था । इसके अतिरिक्त मदन लाल, ओंकार नाथ और हरभजन सिंह के कथनों का भी अवलंब लिया जिन्होंने साक्षी के रूप में मृत्युकालिक कथन पर हस्ताक्षर किए थे क्योंकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।"

5. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अनिल खजूरिया ने यह दलील देते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर प्रश्न उठाया कि स्वीकार्य योग्य साक्ष्य के अभाव में जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया जाना चाहिए था कि पिंकी देवी कथन करने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त थी तब विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इस बात का अवलंब लेकर गलती की थी और उसके आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दिया । उसके अनुसार अभियोजन पक्ष ऐसे किसी सारभूत साक्ष्य को पेश करने में विफल हुआ था जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध कोई आरोप कानून के अनुसार साबित किया जाना कहा जा सकता हो । साक्ष्य में प्रकट होने वाले मामले के महत्वपूर्ण पहलू को विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा विचार में लिए जाने की उपेक्षा किया जाना कहा गया है जबकि अभियोजन के साक्ष्य का मूल्यांकन

करते हुए यदि उस पर विचार किया जाता तो सही परिप्रेक्ष्य यह था कि वह अपीलार्थी की निर्दोषिता इंगित करता । उन्होंने यह दलील दी कि अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके विरुद्ध किसी मामले को साबित करने में विफल हुआ है ।

- 6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् महाधिवक्ता सुश्री वताली ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को न्यायसंगत रूप देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश किया था और मामले का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विचार में लेने से इनकार किया गया हो । यदि ऐसा होता तो अपीलार्थी की निर्दोषिता की ओर इंगित किया जाता । उसने यह दलील दी कि मृतका को अपीलार्थी के परिसर में दाह क्षतियां पहुंची थीं और दाह क्षतियां कारित करने में अपीलार्थी के शामिल होने की प्रबल उपधारणा की गई है और अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसकी दोषसिद्धि को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से समर्थन मिलता है । इसलिए अपील में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है ।
- 7. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर विचार किया और अभिलेख की सामग्री के साक्ष्य का परिशीलन किया ।
- 8. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रश्न पर इस बारे में विचार किया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि मृतका स्वस्थ्य मानसिक स्थिति में थी जब उसका कथन अभिलिखित किया गया था और यदि ऐसा है तो क्या मृत्युकालिक कथन ईएक्सपीडब्ल्यू-एसपी/6 साक्ष्य का विश्वसनीय टुकड़ा है जिस पर क्या अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपेक्षित है ?
- 9. इस प्रश्न की संवीक्षा करते हुए हम सर्वप्रथम पिंकी देवी का मृत्युकालिक कथन ईएक्सपीडब्ल्यू-एसपी/6 का उल्लेख करेंगे जिसका विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अवलंब लिया गया है जिसकी अंग्रेजी निम्नलिखित है:—

*"पिंकी देवी उर्फ बबली पत्नी विजय कुमार जाति चमार निवासी रंग तालाब, हीरानगर जिसकी आयु 20 वर्ष है, कथन में साक्ष्य

^{*}अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :--

[&]quot;Statement of Pinki Devi alias Babli wife of Vijay Kumar. Caste Chamaar R/O Rang Talab, Hiranagar. Aged 20

अधिनियम की धारा 32 के अधीन (साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन लिए गए शब्दों को तारीख 6 फरवरी, 2003 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन शब्दों पर अध्यारोपित किया गया है) घरेलू पत्नी है ।

जब पुलिस द्वारा प्रश्न पूछा गया तब उसने यह कथन किया कि मैं घरेलू पत्नी हूं और रंग तालाब तहसील, हीरानगर की निवासनी हूं । मेरा विजय कुमार पुत्र बुई लाल जाित चमार निवासी सेसवान, रंग तालाब, तहसील हीरानगर के साथ लगभग तीन वर्ष पूर्व हिन्दू धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ था । मेरे माता-पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था और मैंने अपने पति से एक पुत्र को जन्म दिया जिसके पश्चात् उन्होंने मुझे पीटा और अत्यधिक कष्ट पहुंचाया । वह कम दहेज लाने के लिए मुझे दोषारोपित करते थे और मैं अपने माता-पिता से पैसा लाई और उसे अपने पित को दिया । मेरे माता-पिता ने मुझे स्कूटर खरीदने के लिए 20,000/- रुपए दिए थे और उस पैसे को जम्मू और कश्मीर बैंक, बारनोटि में जमा कर दिया । मेरे पित का भाई कालीदास और उसकी पत्नी रानी देवी यह भी कहा करते थे कि मेरे माता-पिता ने कम दहेज दिया था और जब मैंने उन्हें यह बताया कि उन्होंने जो कुछ भी दिया है अपने संसाधनों के अंतर्गत दिया है । इस पर मेरा पित उसका भाई और भाई की पत्नी

years, Occupation housewife, under section 32 of Evidence Act (the words under section 32 of the Evidence Act superimposed on the words "under section 161 Cr. P. C.) dated 6.2.2003."

When questioned by the police, staed, "I am a housewife and resident of Rang Talab Tehsil Hiranagar. I was married to Vijay Kumar son of Bui Lal caste Chamaar R/O Seswan Rang Talab Tehsil Hiranagar according to Hindu religious rites about three years ago. My parents gave dowry much beyond their means. A son was born to me from my husband, whereafter he started beating me and would trouble me a lot. He would accuse me of bringing less dowry. I would bring money from my parents and give it to my husband. My parents had given rupees twenty thousand to me for the purchase of a scooter and the money is in deposit in the Jammu and Kashmir Bank, Barnoti. My husband's brother

अनावश्यक रूप से मुझे ताना दिया करते थे और दोषारोपित किया करते थे तथा मेरा पति हमेशा मुझे पीटा करता था । मैं इन सभी बातों को सहन करती रही और वे हमेशा यह कहते रहे कि वे उसे अपने मकान में नहीं रखना चाहते थे । मैं इन सभी बातों को समय-समय पर अपनी माता को बताती थी । मेरी माता मुझे सांत्वना देती थी और मुझे वापस मेरे सस्राल के मकान में भेज देती थी ताकि मेरा वैवाहिक गृह बसा रहे । ये तीनों मुझे हमेशा ताना कसते थे परंत् में अपने बच्चे के साथ खेल में अपना ध्यान केन्द्रित करती थी और उनके तानों की ओर ध्यान नहीं देती थी । मेरा पति हमेशा मुझे पीटा करता और यह धमकी देता था कि वह किसी दिन उसकी हत्या कर देगा । इस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र रचा और मुझसे इस बारे में पृछा कि तुम क्या कर रही हो जिस पर मैंने उत्तर दिया कि मैं दाल बना रही हूं और मेरे पित ने मुझसे कहा कि किसके लिए खाना बना रही हो क्योंकि तुम्हारा अंत आ गया है और इन शब्दों के साथ ही उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और अपने जुतों से पीटने लगा । यह घटना फरवरी, 2003 का प्रथम दिन शनिवार को घटी थी और उस समय लगभग 5.00/5.30 बजे अपराह्न का समय था । मेरा पति विजय

Kali Dass and his wife Rani Devi would also say that my parents had given less dowry and when I would tell them that they had given whatever was within their means, my husband, his brother and brother's wife would unnecessarily taunt and accuse me and my husband would always beat me. I would tolerate all this; but they would always say that they did not want to keep me in their house. I would narrate all this to my mother from time to time. My mother used to console me and send me back to my in-laws' house so that my matrimonial home remained rehabilitated. All the three would always taumt me but I would concentrate on my child playing with him and would not take note of their taunts. My husband would always beat me and threaten me that one day or the other he would kill me. After all one day, pursuant to a conceived plan, I was asked as to what was I doing, to which I responded that I was cooding pulses. My husband told me that for whom was I cooking, because my end had come, and with these words he held me from hair and started beating with his shoes. This happened on Saturday the first of February, 2003 at about 5/5.30 p.m. My husband Vijay Kumar son of

कुमार जो बुई लाल चमार का पुत्र है और जो सेसवान, रंग तालाब, तहसील हीरानगर का निवासी है ने मुझपर मिट्टी के तेल का जरिकन उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दी । मैंने चीख-पुकार की तथा सहायता के लिए मदद मांगी और रसोईघर से आहते पर पहुंची और मैं जमीन पर गिर गई । मेरे पित का भाई और उसकी पत्नी यह सब देखते रहे । कुछ राजपूत महिलाओं ने मुझपर पानी डाला और रजाई से मुझे ढक दिया और जिसके पश्चात् मैं बेहोश हो गई । इस समय मैं पूरे होश-हवास में हूं और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है । मेरा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू, वार्ड नं. 11, बेड नं. 58 में इलाज चल रहा है । यह मेरा कथन है जिसे मैंने पढ़ा और यह सही है ।"

10. अपील की सुनवाई के समय पर अभियोजन पक्ष द्वारा इस बारे में कोई विवाद नहीं किया गया और इसे ठीक बताया कि डा. मसूक जिन्होंने कथन करने के लिए पिंकी देवी के बारे में उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र दिया था, विचारण के दौरान परीक्षा नहीं की गई थी । अतः डा. मसूक के साक्ष्य के अभाव में इस बारे में परीक्षा की जानी जरूरी समझी गई और अभियोजन पक्ष द्वारा एक दूसरा साक्ष्य पेश किया था और जिससे साबित किया गया कि पिंकी देवी मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में थी जब हेड कांस्टेबल सतपाल द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया था । प्रथम साक्षी जिसका कथन पर विचार किया जाना जरूरी है, वह हेड कांस्टेबल सतपाल है ।

11. सतपाल (अभि. सा.) के अनुसार उसके अनुरोध पर कई चिकित्सकों ने पिंकी देवी की परीक्षा करके इस बारे में प्रमाणित किया था

Bui Lal Chamaar, r/o Saiswan, Rang Talab, Tehsil Hiranagar emptied kerosene jeerican on me and lit it with a matchstick. I raised hue and cry, called for help and came out from the kitchen in the compound and there I fell down. My husband's brother and his wife kept on watching all this. Some Rajput ladies poured water on me and covered me with quilt whereafter I lost consciousness. At this time, I am fully conscious and there is no pressure on me. I am receiving treatment in Government Medical College Hospital, Jammu in Ward No. 11, Bed No. 58. This is my Statement which I have read and is correct."

कि वह कथन करने की स्थिति में है या नहीं जबकि अन्य डाक्टरों ने पिंकी देवी को कथन करने के लिए अनुपयुक्तता प्रमाणित की थी; केवल डा. मसुक जिसने 6 फरवरी, 2003 को कथन करने के लिए उसे उपयुक्त पाया था । उसके अनुसार मामले में अन्वेषण किया गया था । मृतका घटना के पश्चात् प्रथम बार 6 फरवरी, 2003 को बोल पाई थी उससे पूर्व बोलने की स्थिति में नहीं थी । वह अस्पताल जम्मू में लगभग 12.00 बजे अपराह्न होश में आई थी और तत्पश्चात चिकित्सों से अनुज्ञा ली गई और उसने 12.30 बजे अपराह्न उसका कथन अभिलिखित किया और उसने आधे घंटे में उसका कथन पूरा कर लिया । पिंकी देवी की 9 फरवरी, 2003 को मृत्यु हो गई परंतु उसने उसके कथन को अभिलिखित करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट से समावेदन नहीं किया । उसने यह स्वीकार किया है कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्म् के किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा पिंकी देवी के कथन अभिप्रमाणित या साक्षांकित नहीं किया था । उसके अनुसार डाक्टर कथन को अभिलिखित करने के समय पर मौजूद नहीं था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने द्वारा अभिलिखित किए गए पिंकी देवी के कथन में छेड़छाड़ करने के बारे में अपनी अनभिज्ञता दिखाई जहां "साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन" "शब्द दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन" शब्दों को अध्यारोपित किया जाना प्रकट हुआ है । उसने यह कथन किया है कि पिंकी देवी से पूछने पर उसने "हां" या "नहीं" में उत्तर दिया था । उसने साक्षी द्वारा जो कुछ कथन किया गया उसे अभिलिखित किया और उस समय साक्षी ने अपना सिर हिलाकर ''हां' या ''नहीं'' में बात प्रकट की है । पिंकी देवी डोगरी भाषा में बोली थी और उसने उसे उर्दू में अभिलिखित किया । उसने डाक्टर से यह अनुरोध किया कि कथन को साक्षांकित करें परंतु उसने बाद में स्पष्ट रूप से ऐसा करने से इनकार कर दिया । उसने केस डायरियों में डाक्टर ने कथन को साक्षांकित करने से इनकार किए जाने की बात का उल्लेख नहीं किया है।

12. सतपाल के कथन के उपरोक्त सार से यह प्रकट हुआ है कि मृतका ने हेड कांस्टेबल के प्रश्नों का हां या नहीं में उत्तर दिया था । उस समय उसने केवल अपना सिर हिलाया था जिससे कि उसके समक्ष रखे गए उत्तरों का जबाव देना उपदर्शित हुआ । पिंकी देवी द्वारा डोगरी भाषा में कथन किया जाना प्रकट हुआ है और सतपाल ने उर्दू में उसे लिखा था ।

13. कथन की प्रकृति को देखते हुए जो ईएक्सपीडब्ल्यू-एसपी-6 में

यह प्रकट हुआ है और इससे यह किनाई प्रकट हुई है कि उसके कथन की प्रमाणिकता को स्वीकार करें, अन्य बातों के साथ-साथ यह बहुत विस्तृत है और सामान्य रूप से उसे पुलिस बोली में व्यक्त किया गया है। कोई भी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथनों को देख सकता है जिसमें अभिलिखित करने वाले अधिकारी ने अभियुक्त/साक्षियों के माता-पिता, जाति और निवास को सामान्यता प्रकट किया है जो कथन में हर जगह पर प्रकट हुए हैं। इतना ही नहीं यह कथन पिंकी देवी के विवाह धार्मिक अनुष्ठान और अभिकथित क्रूरता का संक्षिप्त इतिहास के तथ्यों से शुरू हुआ है। तत्पश्चात् वास्तविक घटना का जिक्र किया गया है। कथन के अंत में यह अभिलिखित किया गया है कि पिंकी देवी पूर्ण रूप से होश-हवास में थी और उस पर कोई दबाव नहीं था और उसने सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू, वार्ड सं. 11, बेड सं. 58 में उपचार प्राप्त किए जाने के बारे में अभिलिखित किया है।

ऐसा ब्यौरेवार कथन जो बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है ऐसे किसी व्यक्ति से आशा नहीं की जाती है जिसके शरीर पर 90 प्रतिशत दाह क्षितियां कायम हुई हों और क्षितियां कायम होने के समय से केवल कुछ समय पूर्व जब उसका कथन अभिलिखित किया जा रहा हो, पुनः होश में आई हो । अतः अन्य साक्षियों के कथनों का यह निष्कर्ष निकालने के लिए उल्लेख किया जाना आवश्यक हो गया है कि क्या पिंकी देवी मानसिक रूप से स्वस्थ थी जब उसका कथन सतपाल द्वारा अभिलिखित किया गया था।

14. अतः, हम मदन लाल, ओंकार नाथ और हरभजन सिंह के कथनों पर विचार करेंगे जिनके बारे में मृत्युकालिक कथन पर हस्ताक्षर किया जाना प्रकट है ।

मृतका के चाचा अभि. सा. मदन लाल ने यह कथन किया है कि वह सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू में उस समय मौजूद था जब पिंकी देवी का कथन अभिलिखित किया गया था । उसके अनुसार पिंकी देवी होश-हवास में थी और उसने ज्यादा बातचीत नहीं की । जब पिंकी देवी का कथन अभिलिखित किया गया था तो डाक्टर मौजूद था । भजन लाल, रोमेश कुमार, बीरो देवी के अतिरिक्त 6/7 पुलिस कार्मिक भी मौजूद थे जब कथन अभिलिखित किया जा रहा था । करीब 2 से 2-1/2 घंटे में कथन अभिलिखित किया गया था । पुलिस कार्मिक ने पिंकी देवी से कोई प्रश्न नहीं पूछा और पिंकी देवी ने डोगरी भाषा में अपना कथन दिया

था । तथापि, धीरे-धीरे अपना कथन दिया । कथन को अभिलिखित करने के पश्चात् डाक्टर के हस्ताक्षर किए जाने के लिए प्रयास किया गया था परंतु वह उपलब्ध नहीं था । उसके पश्चात् उसके हस्ताक्षर लेने के लिए आगे प्रयास किया गया परंतु उसे इस बारे में पता नहीं चला कि उसके बाद क्या हुआ । उसने यह भी कथन किया है कि डाक्टर मौजूद था परंतु उसने कथन को साक्षांकित करने से इनकार कर दिया । परंतु उसने यह अभिवाक् करते हुए कि कथन पर साक्षांकन ज्येष्ठ डाक्टर ही करेगा और उसने कथन को साक्षांकित करने से इनकार कर दिया । उसने अपने हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व कथन का परिशीलन किया । अन्य साक्षियों ने भी हस्ताक्षर करने से पूर्व इसका परिशीलन किया ।

अभि. सा. ओंकार नाथ ने यह कथन किया है कि जब वह अस्पताल गया तब पुलिस ने पिंकी देवी का कथन अभिलिखित किया था जहां उसने यह कहा है कि उसके पित ने उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला था और उसके पश्चात् आग लगाई थी । मृतका के कथन अभिलिखित करते समय उसे लगभग 30 से 35 व्यक्तियों ने चारों ओर से घेर रखा था । डाक्टर और नर्स भी वहां पर मौजूद थे । कथन 15 से 20 मिनट के अंतर्गत अभिलिखित किया गया था । पिंकी देवी धीरे-धीरे कथन कर रही थी, उसके कथन पर 4 से 5 व्यक्तियों ने कथन पर हस्ताक्षर किए हैं और डाक्टर ने भी उस पर हस्ताक्षर किया होगा ।

हरभजन अभि. सा. ने यह कथन किया है कि पिंकी देवी का चेहरा जला हुआ था और उस पर सूजन थी तथा दाह क्षतियों के कारण वह दवा लेने में असमर्थ थी तथा धीरे-धीरे बोल रही थी । उसके हाथ और पैर भी जले हुए थे और उसने बड़ी कठिनाई से कथन पर हस्ताक्षर किए थे । पिंकी देवी ने धीर-धीरे कथन किया था और दो मिनट के पश्चात् ऐसा कथन घूमाने वाला था और इस कारण से वह धीरे-धीरे कथन कर रही थी ।

15. तीन साक्षियों द्वारा किए गए भिन्न-भिन्न कथन को ध्यान में रखते हुए हमने कथनों की स्वतंत्र रूप से संवीक्षा की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि साक्षियों द्वारा जो कुछ भी कथन किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए पिंकी देवी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कथन करने के लिए निश्चित तौर पर उपयुक्त मानसिक अवस्था में थी । तीन साक्षियों के कथन विभेदकारी होने की वजह से उस रीति का समर्थन नहीं करते हैं जिसमें हेड कांस्टेबल सतपाल द्वारा कथन किया जाना अभिलिखित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जब साक्षियों ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि पिंकी देवी के कथन अभिलिखित करते समय वह चक्कर महसूस कर रही थी और बहुत धीरे-धीरे बोल रही थी । उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि उसने पुलिस द्वारा कथन अभिलिखित करते समय सामान्य शैली में विस्तृत कथन किया हो ।

16. इन परिस्थितियों में जब अभिलेखों के साक्ष्य से इस बारे में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि हेड कांस्टेबल द्वारा साक्षी द्वारा पूछने के लिए कौन से कथन रखे गए जिसका उसने हां या नहीं में उत्तर दिया था और उस समय केवल वह प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिर हिलाती थी । इस पर ऐसे कथन का अवलंब लेना अत्यधिक असुरक्षित होगा, इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा न तो डा. मसूक को पेश किया गया था जिन्होंने पिंकी देवी के बारे में कथन देने की उपयुक्तता का प्रमाण दिया था और न विचारण के दौरान अस्पताल के अभिलेख पेश किए गए जिसके आधार पर उसकी चिकित्सा दशा की परीक्षा की जा सके जिससे कि यह राय प्रकट की जा सके कि वह 6 फरवरी, 2003 को कथन करने में समर्थ थी या नहीं।

17. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया साक्ष्य पिंकी देवी तारीख 6 फरवरी, 2003 को स्वस्थ मानसिक दशा में थी, साबित नहीं होता है । हमने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि हेड कांस्टेबल सतपाल का स्वयं यह समाधान नहीं हुआ है कि पिंकी देवी कथन करने के लिए उपयुक्त और समुचित हालात में थी । हेड कांस्टेबल ने पिंकी देवी के कथन को प्रश्न और उत्तर के प्ररूप में अभिलिखित नहीं किया था जिसमें उसके कथन को ध्यान में रखते हुए अभिलिखित किया जाना चाहिए था, उसने इस साक्षी के समक्ष जो प्रश्न रखे, उसने हां या नहीं में उत्तर दिया होगा और उस समय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपना सिर हिलाया होगा ईएक्सपीडब्ल्यू-एसपी 6 में प्रकट होने वाले कथन से यह प्रतीत नहीं होता है कि पिंकी देवी जिसके शरीर पर अत्यधिक तीव्र दाह क्षतियां थीं । वह ऐसा विस्तृत कथन नहीं कर सकती थी जब वह हर दो मिनट के पश्चात् चक्कर आना महसूस कर रही थी ।

18. अतः, हम, ईएक्सपीडब्ल्यू-एसपी 6 का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं पाते हैं । 19. हम कांति लाल बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले में उपदर्शित सुस्थिर विधिक स्थिति की उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सहमत हैं जहां एक समान परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया जो निम्नलिखित है:—

"यह सुस्थिर है कि मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता की महत्वपूर्ण कसौटियों में से एक यह है कि व्यक्ति जो ऐसे कथन को अभिलिखित कर रहा है उसका यह समाधान होना चाहिए कि मृतका सही मानसिक स्थिति में थी । मृत्युकालिक कथन का विवक्षित रूप से अवलंब लेते हुए न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि मृतका घटना के सही तथ्यों का वर्णन करने के लिए सही मानसिक स्थिति में थी यदि कथन करने वाले की सामर्थ्यता बिगड़ी हुई पाई जाती है तब ऐसे मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार कर देना चाहिए क्योंकि इसका अवलंब लेना अत्यधिक असुरक्षित होता है । मृत्युकालिक कथन सुरक्षित होना चाहिए और त्वरित रूप से दिया हुआ नहीं होना चाहिए तथा कथन करने वाले की शारीरिक और मानसिक उपयुक्तता को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिए ।"

- 20. यदि मृत्युकालिक कथन को बाहर कर दिया जाए तब भी अभियोजन पक्ष ने कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि तारीख 1 फरवरी, 2003 को अपीलार्थी ने मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़का था और उसे आग लगाई थी।
- 21. अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी सभी तरह मृतका को आग लगने की तारीख से उसकी मृत्यु की तारीख तक अस्पताल में उसके साथ रहा । अभियोजन पक्ष ने 10 फरवरी, 2003 तक अभियुक्त के गिरफ्तार में होने वाले लोप का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जबकि पिंकी देवी ने 6 फरवरी, 2003 को अभियुक्त द्वारा उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने में उसके शामिल होना विनिर्दिष्ट रूप से अभिकथित किया है । लोप से यह उपदर्शित होता है कि पिंकी देवी की मृत्यु के पश्चात् अभिलिखित मृत्युकालिक कथन की ओर इंगित करता है ।

पुलिस द्वारा 10 फरवरी, 2003 को फर्द सुरथाल तैयार किया था और

¹ ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2703.

तारीख 6 फरवरी, 2003 को पिंकी देवी के कथन करने के तथ्य को अभिलेख पर भी नहीं लाया गया है ।

- 22. अब हम राज्य के विद्वान् काउंसेल के अभिवाक् पर विचार करेंगे कि इस बारे में यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी के मकान में उसकी पत्नी को कैसे आग पकड़ गई । अपीलार्थी के बारे में मृतका को दाह क्षतियां कारित किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराने की उपधारणा की गई है ।
- 23. हत्या के आरोप के बारे में विद्वान् राज्य काउंसेल द्वारा दी गई दलील का विधि द्वारा समर्थन नहीं किया गया है । अभियुक्त के बारे में निर्दोष होने की उपधारणा की गई है जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रारंभिक भार निर्वहन कर दिया जाए । विधि में ऐसी कोई उपधारणा नहीं की गई है जैसािक विद्वान् राज्य के काउंसेल द्वारा दलील दी गई है कि पित के मकान में दाह क्षतियों से ग्रसित पत्नी के होने की दशा में पित के बारे में यह उपधारणा कि वह उसकी हत्या किए जाने के लिए क्षतियां कािरत करने में शामिल था । सभी मामलों में ऐसी बातें उद्भूत होती हैं । साक्ष्य अधिनियम संवत् 1977 में ऐसी किसी उपधारणा को अनुध्यात नहीं करती है और विधि द्वारा केवल ऐसी उपधारणा को अनुध्यात किया गया है जैसािक अधिनियम की धारा 114-ग के उपबंध में प्रविष्ट है जो विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा से संबंधित है न कि विवाहित महिला की हत्या से ।
- 24. अतः, हम विद्वान् राज्य काउंसेल की दलील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।
- 25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील देते हुए ठीक ही किया है कि पिंकी देवी के बारे में तारीख 6 फरवरी, 2003 को स्वस्थ मानसिक दशा में होना साबित नहीं किया गया था और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उसके कथन को मृत्युकालिक कथन मानकर अवलंब लेकर गलती की थी और जिसके आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दिया गया था।
- 26. अब हम दूसरे आरोप पर विचार करेंगे जिस पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है ।

27. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने बिना इस बात पर विचार करते हुए द्वितीय आरोप पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दिया, मात्र प्रथम आरोप के सबूत पर । प्रत्येक आरोप पर साक्ष्य के बल पर पृथक् रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है जिसे समर्थन में दिया गया हो । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप पर पेश किए गए साक्ष्य पर विचार किए जाने पर लोप करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । हमें सम्पूर्ण मामले पर विचार करना चाहिए और हम द्वितीय आरोप पर भी विचार करना चाहिंगे ।

28. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अपीलार्थी और मृतका के बीच आपसी संबंध एक साल से सौहार्दपूर्ण थे परंतु बाद में अपीलार्थी ने उसे पीटा था । वह उसे कम दहेज लाने के लिए ताने सुनाता था और उसने यह घोषणा की थी कि वह अपने स्थान पर उसे रहने की इजाजत नहीं देगा।

तथापि, अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अपीलार्थी विधि-विरुद्ध मांग पूरी न होने के कारण मृतका को प्रताड़ित करता था । यद्यपि, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप रणबीर दंड संहिता की धारा 498-क(ख) में प्रकट क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से नहीं आता है, ऐसे किसी अभिकथन के अभाव में कि अपीलार्थी किसी संपत्ति के लिए विधि-विरुद्ध मांग पूरा करवाने के लिए मृतका को प्रताड़ित किया करता था तो भी अभियोजन पक्षकथन से यह प्रकट हुआ है कि आरोप अस्पष्ट है क्योंकि न तो कोई तारीख, महीना या वर्ष जिसमें अपीलार्थी ने विधिविरुद्ध मांग से संतुष्ट होने के लिए मृतका को प्रताड़ित किया था । जो बात या तो अभियोजन पक्षकथन से या उसके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से सामने आई हो ।

इसके अतिरिक्त, मृतका के माता-पिता के साक्ष्य से आरोप की पुष्टि नहीं होती है अर्थात् उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अपीलार्थी ने किसी सम्पत्ति की कभी कोई मांग नहीं की थी । मृतका की माता के अनुसार मृतका अपीलार्थी की दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण तनाव में रहा करती थी, उसके बारे में यह कहा गया है कि घटना से लगभग 6 मास पूर्व वह बदतर हालत में थी जब उसका प्रादेशिक सेना से नियोजन छिन गया । मृतका के पड़ोसी जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध क्रूरता के आरोप का समर्थन करने के लिए पेश किया गया था जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे तथापि, उन्होंने भिन्न-भिन्न बातें कही हैं । उनके अनुसार अपीलार्थी और मृतका घटना से पहले प्रसन्नचित्त थे और उनमें से कुछ लोगों के अनुसार कि मृतका ने यह स्वीकार किया है कि उसने गलती की है ।

- 29. इन परिस्थितियों में, जो लोग अपीलार्थी के समीप रहते हैं, उन्होंने तथा मृतका ने क्रूरता के आरोप पर अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और मृतका के नातेदारों का साक्ष्य विभेदमूलक होने के बावजूद अस्पष्ट और असंदिग्ध है तथा परिस्थितियों से क्या रणबीर दंड संहिता की धारा 498-क(ख) के अधीन अपराध को घटित करने वाले संघटक साबित होते हैं । तब हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने दूसरे आरोप को भी साबित किया हो ।
- 30. सभी प्रकार, जैसाकि ऊपर कहा गया है हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध किसी आरोप को साबित करने में विफल हुआ है और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने रणबीर दंड संहिता की धारा 302/498-क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराकर गलती की है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं ।
- 31. तद्नुसार अपील सफल है और, इसलिए, उसे मंजूर करते हुए पुष्टिकरण निर्देश अस्वीकार किया जाता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कठुआ के तारीख 16 अप्रैल, 2009 के आदेश और निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे तत्काल निर्मुक्त किए जाने का निदेश किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

जम्मू-कश्मीर राज्य

बनाम

अकबर अली

तारीख 22 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर और न्यायमूर्ति बंसी लाल भट

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) — धारा 302 — हत्या — पारिस्थितिक साक्ष्य — पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए जिससे केवल यही निष्कर्ष निकले कि अपराध सभी अधिसंभाव्यताओं में अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियां अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार से साबित नहीं होती हैं, इसलिए, उसकी दोषमुक्ति उचित और न्यायसंगत है।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त (प्रत्यर्थी) ने एक दिन मृतक के साथ बनतालाब पर स्थित नरिन्द्र सिंह की दुकान (खोखा) में शराब पीने के लिए जबरदस्ती की थी । प्रत्यर्थी (अभियुक्त) को यह बात अरुचिकर लगी और उसने मृतक को चेतावनी दी कि वह उसे देख लेगा । अभियुक्त ने विद्वेष की पूर्ति के लिए अवसर पाकर तारीख 28 फरवरी, 1997 को मृतक सतपाल को उसके घर से बुलाया और उसके पश्चात उसे सुखदेव सिंह पुत्र बसंत सिंह के भूखंड पर ले गया और आक्रामक आयुध अर्थात छूरे से सिर, गर्दन और शरीर के अन्य अंगों पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी । पुलिस थाना, डोमाना में मामला दर्ज किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने पर प्रत्यर्थी (अभियुक्त) के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । प्रत्यर्थी ने रणबीर दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 4/27 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए विचारण का सामना किया । विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात इसमें विरोधाभास और किमयां पाईं और विस्तृत कारण देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन का पक्षकथन इस आधार पर अग्रसर हुआ है कि अभियुक्त, जो कि मुस्लिम है, को जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी और

उसके आधार पर उसने मृतक को चेतावनी दी थी कि वह उसे देख लेगा । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, चूंकि अभियुक्त को अभियोजन साक्षी नरिन्द्र सिंह **उर्फ** पिंटू की दुकान (खोखा) में जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी, इसलिए वह (नरिन्द्र सिंह) ही इस परिस्थिति का एकमात्र साक्षी है। अभि. सा.-नरिन्द्र सिंह ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया. इसलिए उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया । उसने प्रतिपरीक्षा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन से पूर्णतः इनकार किया । उसने अभियुक्त या मृतक के साथ कोई जान-पहचान होने की बात से भी इनकार किया । अभि. सा.-विजय लक्ष्मी (मृतक की पत्नी), अभि. सा.-बिमल शर्मा, अभि. सा.-विनोद शर्मा (मृतक के पुत्र) और वेद प्रकाश (मृतक का सगा भाई) ने अपने अभिसाक्ष्यों में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि मृतक और अभियुक्त एक साथ शराब पीते थे या मृतक का अभियुक्त के साथ किसी प्रकार का मेल-मिलाप था । इसकी बजाय, अभि. सा.- वेद प्रकाश, विजय लक्ष्मी और विनोद कुमार ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना की तारीख से पूर्व अभियुक्त और मृतक के बीच किसी बात को लेकर कोई दृश्मनी नहीं थी । अपराध कारित करने की बात से अभियुक्त को संयोजित करने के लिए अगली कड़ी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति है, जिसका एकमात्र साक्षी अभि. सा.- हंस राज है, जिसे विचारण के दौरान पेश नहीं किया गया । इसलिए यह कड़ी भी सब्त के अभाव में टूट जाती है । अभियुक्त को अपराध के कारित करने से संयोजित करने के लिए एक अन्य कड़ी प्रकटन कथन है, जिसके साक्षी अभि. सा.-प्रीतम लाल, कुलबीर कुमार और अभि. सा.-जगदेव सिंह (अन्वेषक अधिकारी) हैं । अभि. सा.-प्रीतम लाल ने यह कथन किया है कि पुलिस तारीख 3 मार्च, 1997 को अभियुक्त को मृतक के मकान पर लेकर आई थी और उसे (साक्षी) आक्रामक आयुध की बरामदगी के लिए बुलाया था । अभियुक्त पुलिस के साथ गया था, जबकि वह (साक्षी) 10 मिनट पश्चात् पहुंचा और पुलिस के हाथों में "छुरा" देखा । कोई बरामदगी ज्ञापन नहीं बनाया गया । पुलिस ने उसके हस्ताक्षर बाद में कराए थे । इस साक्षी ने प्रकटन ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू./केके को साबित नहीं किया है । एक अन्य साक्षी कुलबीर कुमार (मृतक का भतीजा) ने प्रकटन ज्ञापन को साबित किया है । वह मृतक का घनिष्ठ नातेदार है, इसलिए उसके कथन की सतर्कतापूर्वक संवीक्षा किए जाने के साथ-साथ इसकी संपुष्टि की जानी भी आवश्यक है । प्रथमतः, इस साक्षी के आधार का अभि. सा.-प्रीतम लाल द्वारा समर्थन नहीं किया गया है और द्वितीयतः, उसके स्वयं के कथन

में खामियां हैं । उसने यह कथन किया है कि वह तारीख 3 मार्च, 1997 को अपने आप ही पुलिस थाने गया था, उसका यह कथन अभि. सा.-प्रीतम लाल के बयान के विरोध में है जिसने यह कथन किया है कि पुलिस तारीख 3 मार्च, 1997 को अभियुक्त को मृतक सतपाल के मकान पर लेकर आई थी । प्रीतम पाल और कुलदीप वहां से पुलिस थाने गए थे । इस साक्षी की स्थिति पूरी तरह से अन्वेषक अधिकारी द्वारा किए गए कथन से अभिदर्शित होती है जिसने यह कथन किया है कि कुलबीर कुमार और प्रीतम लाल दोनों पूर्वाह्न में 8.00/8.15 बजे पुलिस थाने आए थे और उसके अनुसार प्रकटन ज्ञापन घटनास्थल पर तैयार किया गया था, इस बात का समर्थन अभि. सा.-प्रीतम लाल द्वारा नहीं किया गया है । प्रीतम लाल स्वतंत्र साक्षी था । इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी का यह कथन है कि अभियुक्त और प्रीतम लाल मृतक के मकान पर गए थे, जिसका यह अर्थ है कि पुलिस बरामदगी के स्थान को जानती थी । स्वतंत्र साक्षी प्रीतम लाल के कथन को देखते हुए कुलबीर कुमार (मृतक के भतीजे) के बयान को स्वीकार करना और इसी प्रकार अन्वेषक अधिकारी, जिससे सदैव मामले की सफलता में हितबद्ध होने की प्रत्याशा की जाती है, पर विश्वास करना कठिन होगा । एक अन्य कड़ी आक्रामक आयुध की बरामदगी है । (क) स्वतंत्र साक्षी, अभि. सा.-प्रीतम लाल के अनुसार वह मृतक के मकान पर पुलिस के आने के 10 मिनट पश्चात पहुंचा था और पुलिस ने हाथ में "छुरा" लिया हुआ था किंतु कोई बरामदगी ज्ञापन नहीं बनाया गया था । इस रीति से, इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू/केके को साबित नहीं किया है । यहां तक कि अभि. सा.-कुलबीर कुमार (मृतक का भतीजा) ने भी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह पूर्वाह्न में 10.00/10.30 बजे अपने आप प्रीतम लाल के साथ पुलिस थाने गया था और पुलिस ने पुलिस थाने में उसके और प्रीतम लाल के 2/3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे और उसके बाद एक यान (जीप) में पुलिस थाने से मृतक के मकान पर गए थे । प्रीतम लाल के अनुसार, पुलिस ने बनतालाब पर मृतक सतपाल के मकान पर पहुंचने पर "छुरे" की बरामदगी को सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया था, जबकि कुलबीर कुमार ने यह कथन किया है कि वह और प्रीतम लाल तारीख 3 मार्च, 1997 को अपने आप ही पुलिस थाने गए थे । (ख) अभि. सा.-प्रीतम लाल के कथन से यह प्रतीत होता है कि उनके बरामदगी के स्थल पर पहुंचने से पहले ही बरामदगी कर ली गई थी । इसके अतिरिक्त, अभि. सा.-कुलबीर कुमार और प्रीतम लाल ने आक्रामक आयुध "छूरे" की बरामदगी और उस पर रक्त

लगा होने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है । प्रीतम लाल ने यह भी कथन किया है कि न्यायालय में उसे दिखाया गया आक्रामक आयुध वह आयुध नहीं है जो पुलिस द्वारा बरामद किया गया था, क्योंकि बरामद किया गया आयुध अधिक लंबा था । (ग) विद्वान विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि कुलबीर कुमार (मृतक का भतीजा) के कथन पर इसकी संपुष्टि के अभाव में विश्वास करना असुरक्षित होगा । अभियुक्त को अपराध के कारित करने से संयोजित करने के लिए एक अन्य कड़ी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है । उक्त रिपोर्ट और साक्ष्य से यह उपदर्शित नहीं होता है कि आक्रामक आयुध पर लगा रक्त किस रक्त-समूह का था । अभि. सा.-मूल राज, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के विज्ञान सहायक ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए ऐसा कोई निश्चायक सबूत नहीं है कि यह कहा जा सके कि आक्रामक आयुध पर लगा रक्त मृतक का था । अभियोजन पक्ष के यह सिद्ध करने में असफल रहने पर कि आयुध पर पाया गया रक्त मृतक के रक्त-समूह से मेल खाता है, ऐसी परिस्थिति को अपराध कारित करने की बात से अभियुक्त को संयोजित करने के लिए एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में नहीं लिया जा सकता है । एक अन्य कड़ी जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना अपेक्षित है, यह है कि यदि अभियुक्त ने मृतक पर हमला किया था, तो इस प्रक्रिया में कम-से-कम अभियुक्त को भी कुछ क्षतियां पहुंची होंगीं । मृतक, जिसकी अच्छी सेहत थी, जब अभियुक्त द्वारा उस पर हमला किया गया होगा तो उसके मूक वक्ता बना रहने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है और उसने भी इसका प्रतिकार किया होगा । यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंची थी या खरोंच आई थी, या यह कि मृतक के पास अभियुक्त पर जवाबी हमला करने का कोई अवसर नहीं था । एक अन्य कड़ी, जिससे कि अभियुक्त को अपराध कारित करने से संयोजित किया जा सके, अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य है । अभि. सा. मुस्मात् विजय लक्ष्मी (मृतक की विधवा) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त तारीख 28 फरवरी, 1997 को रात्रि में उसके घर आया था और मृतक को यह कहकर बुलाया था कि "चाचू आओ" । इसके पश्चात उसने यह कथन किया कि उसके बच्चे अभि. सा. बिमल और विनोद अपराह्न में 10.00 बजे घर वापस आए थे । उसने उन्हें बताया कि उसके पति को अभियुक्त ले गया है । मृतक के पुत्र अभि. सा. बिमल और विनोद दोनों तलाश करने के लिए गए और रात्रि में 12.00 बजे या 12.30 बजे वापस आए और उसके पश्चात उन्होंने सुबह होने तक इंतजार किया तथा जब सुबह अभि. सा. विनोद पुनः तलाश करने के लिए गया और वापस आकर उसे बताया कि उसके पति का शव सुखदेव सिंह लम्बरदार के चबुतरे पर पड़ा हुआ है । मृतक की विधवा ने आगे यह कथन किया कि उसने अपने पति के गुम होने के बारे में वेद प्रकाश सहित आस-पास किसी व्यक्ति को नहीं बताया था । इस साक्षी का यह कथन कि वह अभियुक्त को जानती थी और फिर यह कहना कि उसने अभियुक्त को देखा था, संदेह से मुक्त प्रतीत नहीं होता है । साक्ष्य में कहीं भी यह बात नहीं आई है कि अभियुक्त मृतक को "चाचू" कहकर पुकारता था या वह उनके घर आता रहता था और इसके बाद इस साक्षी ने यह कहा कि उसने 30 फूट की दूरी से, जहां लोहे का दरवाजा लगा हुआ है और जहां से अभियुक्त ने मृतक को पुकारा था, अभियुक्त की आवाज पहचानी थी । अभियोजन साक्षियों, विशेषकर मृतक के परिवार के सदस्यों ने यह कथन किया है कि वे अभियुक्त को जानते थे, जो उनके मकान से डेढ किलोमीटर की दूरी पर रहता है । यदि ऐसी बात थी, तो जब विजय लक्ष्मी, विधवा ने अपने बच्चों को बताया था कि अभियुक्त मृतक के साथ गया था, तो बच्चे अभियुक्त के मकान पर क्यों नहीं गए, बजाय इसके मृतक को तलाश करने इधर-उधर गए और अपराह्न में 12.30 बजे वापस आए और रातभर प्रतीक्षा की । यह कहानी अविश्वसनीय है । एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति जिससे मृतक को अभियुक्त के साथ जाने के बारे में संदेह उत्पन्न होता है, यह है कि मृतक की पुत्री अभि. सा.-अंजू, जो, विजय लक्ष्मी के अनुसार, उस समय जब अभियुक्त ने उसके पति सतपाल को बुलाया था, रसोई में फर्श की सफाई कर रही थी । अभियुक्त द्वारा मृतक को बुलाने के बारे में विजय लक्ष्मी के वृत्तांत का समर्थन करने के लिए वह (अंजू) महत्वपूर्ण साक्षी थी । उसे साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है । इतनी महत्वपूर्ण साक्षी को क्यों विधारित किया गया ? इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस ने घटना का ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू./जीएस-2 तैयार किया है और उस पर अभि. सा.-बिमल और वेद प्रकाश द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । उक्त ज्ञापन में यह अभिलिखित है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ने आपराधिक आशय से किसी कुंद आयुध से मृतक की हत्या कर दी है। यदि उनका अभियुक्त पर संदेह था या यदि मृतक को अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था, तब यह अभिलिखित करने की क्या आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मृतक को ले गए हैं । प्रस्तुत परिस्थितियों के संवर्ग में एक अन्य अति महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि घटना तारीख 29 फरवरी, 1997 को घटी

थी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति तारीख 3 मार्च, 1997 को भेजी गई थी । इसे तुरंत क्यों नहीं भेजा गया, जैसी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 की अपेक्षा है । इस धारा में प्रयुक्त शब्दों 'प्रति तुरंत भेजेगा' का एक प्रयोजन और उद्देश्य इसे विचार-विमर्श करके सुधार करने या जोड़-तोड़ करने से बचाना है । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तारीख पर ऊपरिलेखन किया गया है अर्थात 1 मार्च, 1997 के रूप में अभिलिखित तारीख में अंक 1 और 3 खुली आंखों से दिखाई पड़ता है कि ऊपरिलेखन किया गया है जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा तारीख 3 मार्च, 1997 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्राप्ति स्पष्ट है। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करने में विलंब और फिर तारीख 1 मार्च, 1997 पर ऊपरिलेखन संदेह से मुक्त नहीं है । अब यह अनिर्णीत विषय नहीं है कि जब मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर हो, तो परिस्थितियों की अवश्य ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि कृत्य केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं तथा सभी अधिसंभाव्यताओं में अभियुक्त की दोषिता के सिवाय कोई गुंजाइश या कोई अन्य परिकल्पना न रहे । सभी कड़ियां, जो अभियुक्त को अपराध कारित करने की बात से संयोजित करने के लिए बताई गई हैं और जैसी कि इसमें ऊपर चर्चा की गई है, साबित नहीं होती हैं । (पैरा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 और 21)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 18.

रणबीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 संवत् (1933 ईस्वी) की धारा 410 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एच. ए. सिद्दीकी, अपर

महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती सुरिन्दर कौर और सुश्री

बंदना शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर ने दिया ।

न्या. मीर – विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जम्मू द्वारा तारीख 24 दिसम्बर, 2002 को पारित किए गए निर्णय को इस दांडिक दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील द्वारा चुनौती दी गई है।

2. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया पक्षकथन यह है कि अभियुक्त (प्रत्यर्थी) ने मृतक के साथ बनतालाब पर स्थित नरिन्द्र सिंह की दुकान (खोखा) में शराब पीने के लिए जबरदस्ती की थी । प्रत्यर्थी (अभियुक्त) को यह बात अरुचिकर लगी और उसने मृतक को चेतावनी दी कि वह उसे देख लेगा । अभियुक्त ने विद्वेष की पूर्ति के लिए अवसर पाकर तारीख 28 फरवरी, 1997 को अपराहन में 9.30 बजे मृतक सतपाल को उसके घर से बुलाया और उसके पश्चात् उसे सुखदेव सिंह पुत्र बसंत सिंह, जाति राजपूत के भू-खंड पर ले गया और आक्रामक आयुध अर्थात् छुरे से सिर, गर्दन और शरीर के अन्य अंगों पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी । पुलिस थाना, डोमाना में 1997 के अपराध सं. 47 के रूप में मामला दर्ज किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने पर प्रत्यर्थी (अभियुक्त) के विरुद्ध आरोप पत्र (चालान) फाइल किया गया ।

- 3. प्रत्यर्थी ने रणबीर दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 4/27 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए विचारण का सामना किया । विचारण के दौरान कुल मिलाकर 13 अभियोजन साक्षी पेश किए गए और परीक्षा कराई गई । अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् साक्ष्य में यथा प्रकट अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को अभियुक्त पर अधिरोपित किया गया । अभियुक्त ने अपराध में सहापराधिता से इनकार किया ।
- 4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् इसमें विरोधाभास और किमयां पाईं और विस्तृत कारण देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया ।
- 5. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभियोजन पक्ष द्वारा यथा प्रस्तुत साक्ष्य की सतर्कतापूर्वक छानबीन की ।
- 6. विद्वान् अपर महाधिवक्ता से बिन्दुवार यह दर्शित करने के लिए कहा गया कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने में कहां गलती की है या विधि की दृष्टि से उसने क्या नहीं किया, तथापि, यह उजागर किया गया कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था।
- 7. अपराध का हेतु महत्वपूर्ण हो सकता है । इसके अभाव में, यदि साक्ष्य ऐसा है जिससे यह दर्शित हो सके कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है, तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है । प्रस्तुत मामले में, हेतु महत्वपूर्ण है ताकि यह देखा जा सके कि श्रृंखला की कड़ी व्यवस्थित और संगत है ।

- 8. (क) अभियोजन का पक्षकथन इस आधार पर अग्रसर हुआ है कि अभियुक्त, जो कि मुस्लिम है, को जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी और उसके आधार पर उसने मृतक को चेतावनी दी थी कि वह उसे देख लेगा । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, चूंकि अभियुक्त को अभियोजन साक्षी-निरन्द्र सिंह उर्फ पिंटू की दुकान (खोखा) में जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी, इसलिए वह (निरन्द्र सिंह) ही इस परिस्थिति का एकमात्र साक्षी है ।
- (ख) अभि. सा.-निरन्द्र सिंह ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया, इसिलए उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया । उसने प्रतिपरीक्षा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन से पूर्णतः इनकार किया । उसने अभियुक्त या मृतक के साथ कोई जान-पहचान होने की बात से भी इनकार किया । अभि. सा.-विजय लक्ष्मी (मृतक की पत्नी), अभि. सा.-बिमल शर्मा, अभि. सा.-विनोद शर्मा (मृतक के पुत्र) और वेद प्रकाश (मृतक का सगा भाई) ने अपने अभिसाक्ष्यों में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि मृतक और अभियुक्त एक-साथ शराब पीते थे या मृतक का अभियुक्त के साथ किसी प्रकार का मेल-मिलाप था । इसकी बजाय, अभि. सा.- वेद प्रकाश, विजय लक्ष्मी और विनोद कुमार ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना की तारीख से पूर्व अभियुक्त और मृतक के बीच किसी बात को लेकर कोई दुश्मनी नहीं थी ।
- 9. अपराध कारित करने की बात से अभियुक्त को संयोजित करने के लिए अगली कड़ी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति है, जिसका एकमात्र साक्षी अभि. सा.- हंस राज है, जिसे विचारण के दौरान पेश नहीं किया गया । इसलिए यह कड़ी भी सबूत के अभाव में टूट जाती है ।
- 10. अभियुक्त को अपराध के कारित करने से संयोजित करने के लिए एक अन्य कड़ी प्रकटन कथन है, जिसके साक्षी अभि. सा.-प्रीतम लाल, कुलबीर कुमार और अभि. सा.-जगदेव सिंह (अन्वेषक अधिकारी) हैं । अभि. सा.-प्रीतम लाल ने यह कथन किया है कि पुलिस तारीख 3 मार्च, 1997 को अभियुक्त को मृतक के मकान पर लेकर आई थी और उसे (साक्षी) आक्रामक आयुध की बरामदगी के लिए बुलाया था । अभियुक्त पुलिस के साथ गया था, जबिक वह (साक्षी) 10 मिनट पश्चात् पहुंचा और पुलिस के हाथों में "छुरा" देखा । कोई बरामदगी ज्ञापन नहीं बनाया गया । पुलिस ने उसके हस्ताक्षर बाद में कराए थे । इस साक्षी ने प्रकटन ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू./केके को साबित नहीं किया है । एक अन्य साक्षी कुलबीर कुमार (मृतक का भतीजा) ने प्रकटन ज्ञापन को साबित किया है । वह

मृतक का घनिष्ठ नातेदार है, इसलिए उसके कथन की सतर्कतापूर्वक संवीक्षा किए जाने के साथ-साथ इसकी संपृष्टि की जानी भी आवश्यक है । प्रथमतः, इस साक्षी के आधार का अभि. सा.-प्रीतम लाल द्वारा समर्थन नहीं किया गया है और द्वितीयतः, उसके स्वयं के कथन में खामियां हैं। उसने यह कथन किया है कि वह तारीख 3 मार्च, 1997 को अपने आप ही पुलिस थाने गया था, उसका यह कथन अभि. सा.-प्रीतम लाल के बयान के विरोध में है जिसने यह कथन किया है कि पुलिस तारीख 3 मार्च, 1997 को अभियुक्त को मृतक सतपाल के मकान पर लेकर आई थी । प्रीतम पाल और कुलदीप वहां से पुलिस थाने गए थे । इस साक्षी की स्थिति पूरी तरह से अन्वेषक अधिकारी द्वारा किए गए कथन से अभिदर्शित होती है जिसने यह कथन किया है कि कुलबीर कुमार और प्रीतम लाल दोनों पूर्वाह्न में 8.00/8.15 बजे पुलिस थाने आए थे और उसके अनुसार प्रकटन ज्ञापन घटनास्थल पर तैयार किया गया था, इस बात का समर्थन अभि. सा.-प्रीतम लाल द्वारा नहीं किया गया है । प्रीतम लाल स्वतंत्र साक्षी था । इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी का यह कथन है कि अभियुक्त और प्रीतम लाल मृतक के मकान पर गए थे, जिसका यह अर्थ है कि पुलिस बरामदगी के स्थान को जानती थी । स्वतंत्र साक्षी प्रीतम लाल के कथन को देखते हुए कुलबीर कुमार (मृतक के भतीजे) के बयान को स्वीकार करना और इसी प्रकार अन्वेषक अधिकारी, जिससे सदैव मामले की सफलता में हितबद्ध होने की प्रत्याशा की जाती है, पर विश्वास करना कठिन होगा ।

11. एक अन्य कड़ी आक्रामक आयुध की बरामदगी है।

(क) स्वतंत्र साक्षी, अभि. सा.-प्रीतम लाल के अनुसार वह मृतक के मकान पर पुलिस के आने के 10 मिनट पश्चात् पहुंचा था और पुलिस ने हाथ में 'छुरा' लिया हुआ था किंतु कोई बरामदगी ज्ञापन नहीं बनाया गया था । इस रीति से, इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू./केके को साबित नहीं किया है । यहां तक कि अभि. सा.-कुलबीर कुमार (मृतक का भतीजा) ने भी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह पूर्वाह्न में 10.00/10.30 बजे अपने आप प्रीतम लाल के साथ पुलिस थाने गया था और पुलिस ने पुलिस थाने में उसके और प्रीतम लाल के 2/3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे और उसके बाद एक यान (जीप) में पुलिस थाने से मृतक के मकान पर गए थे । प्रीतम लाल के अनुसार, पुलिस ने बनतालाब पर मृतक सतपाल के मकान पर पहुंचने पर "छुरे" की बरामदगी को सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया था, जबिक कुलबीर कुमार ने यह कथन किया

है कि वह और प्रीतम लाल तारीख 3 मार्च, 1997 को अपने आप ही पुलिस थाने गए थे ।

- (ख) अभि. सा.-प्रीतम लाल के कथन से यह प्रतीत होता है कि उनके बरामदगी के स्थल पर पहुंचने से पहले ही बरामदगी कर ली गई थी । इसके अतिरिक्त, अभि. सा.-कुलबीर कुमार और प्रीतम लाल ने आक्रामक आयुध "छुरे" की बरामदगी और उस पर रक्त लगा होने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है । प्रीतम लाल ने यह भी कथन किया है कि न्यायालय में उसे दिखाया गया आक्रामक आयुध वह आयुध नहीं है जो पुलिस द्वारा बरामद किया गया था, क्योंकि बरामद किया गया आयुध अधिक लंबा था।
- (ग) विद्वान् विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि कुलबीर कुमार (मृतक का भतीजा) के कथन पर इसकी संपुष्टि के अभाव में विश्वास करना असुरक्षित होगा ।
- 12. अभियुक्त को अपराध के कारित करने से संयोजित करने के लिए एक अन्य कड़ी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है । उक्त रिपोर्ट और साक्ष्य से यह उपदर्शित नहीं होता है कि आक्रामक आयुध पर लगा रक्त किस रक्त-समूह का था । अभि. सा.-मूल राज, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के विज्ञान सहायक ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए ऐसा कोई निश्चायक सबूत नहीं है कि यह कहा जा सके कि आक्रामक आयुध पर लगा रक्त मृतक का था । अभियोजन पक्ष के यह सिद्ध करने में असफल रहने पर कि आयुध पर पाया गया रक्त मृतक के रक्त-समूह से मेल खाता है, ऐसी परिस्थिति को अपराध कारित करने की बात से अभियुक्त को संयोजित करने के लिए एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में नहीं लिया जा सकता है ।
- 13. एक अन्य कड़ी जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना अपेक्षित है, यह है कि यदि अभियुक्त ने मृतक पर हमला किया था, तो इस प्रक्रिया में कम-से-कम अभियुक्त को भी कुछ क्षतियां पहुंची होंगीं । मृतक, जिसकी अच्छी सेहत थी, जब अभियुक्त द्वारा उस पर हमला किया गया होगा तो उसके मूक वक्ता बना रहने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है और उसने भी इसका प्रतिकार किया होगा । यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंची थी या खरोंच आई थी, या यह कि मृतक के पास अभियुक्त पर जवाबी हमला करने का कोई अवसर नहीं था।

14. एक अन्य कड़ी, जिससे कि अभियुक्त को अपराध कारित करने से संयोजित किया जा सके, अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य है । अभि. सा. मुस्मात विजय लक्ष्मी (मृतक की विधवा) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त तारीख 28 फरवरी, 1997 को रात्रि में उसके घर आया था और मृतक को यह कहकर बुलाया था कि "चाचू आओ" । इसके पश्चात् उसने यह कथन किया कि उसके बच्चे अभि. सा. बिमल और विनोद अपराहन में 10.00 बजे घर वापस आए थे । उसने उन्हें बताया कि उसके पति को अभियुक्त ले गया है । मृतक के पुत्र अभि. सा. बिमल और विनोद दोनों तलाश करने के लिए गए और रात्रि में 12.00 बजे या 12.30 बजे वापस आए और उसके पश्चात उन्होंने सुबह होने तक इंतजार किया तथा जब सुबह अभि. सा. विनोद पुनः तलाश करने के लिए गया और वापस आकर उसे बताया कि उसके पति का शव सुखदेव सिंह लम्बरदार के चबूतरे पर पड़ा हुआ है । मृतक की विधवा ने आगे यह कथन किया कि उसने अपने पति के गुम होने के बारे में वेद प्रकाश सहित आस-पास किसी व्यक्ति को नहीं बताया था । इस साक्षी का यह कथन कि वह अभियुक्त को जानती थी और फिर यह कहना कि उसने अभियुक्त को देखा था, संदेह से मुक्त प्रतीत नहीं होता है । साक्ष्य में कहीं भी यह बात नहीं आई है कि अभियुक्त मृतक को ''चाचू'' कहकर पुकारता था या वह उनके घर आता रहता था और इसके बाद इस साक्षी ने यह कहा कि उसने 30 फुट की दूरी से, जहां लोहे का दरवाजा लगा हुआ है और जहां से अभियुक्त ने मृतक को पुकारा था, अभियुक्त की आवाज पहचानी थी ।

15. अभियोजन साक्षियों, विशेषकर मृतक के परिवार के सदस्यों ने यह कथन किया है कि वे अभियुक्त को जानते थे, जो उनके मकान से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर रहता है । यदि ऐसी बात थी, तो जब विजय लक्ष्मी, विधवा ने अपने बच्चों को बताया था कि अभियुक्त मृतक के साथ गया था, तो बच्चे अभियुक्त के मकान पर क्यों नहीं गए, बजाय इसके मृतक को तलाश करने इधर-उधर गए और अपराह्न में 12.30 बजे वापस आए और रातभर प्रतीक्षा की । यह कहानी अविश्वसनीय है ।

16. एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति जिससे मृतक को अभियुक्त के साथ जाने के बारे में संदेह उत्पन्न होता है, यह है कि मृतक की पुत्री अभि. सा.-अंजू, जो, विजय लक्ष्मी के अनुसार, उस समय जब अभियुक्त ने उसके पित सतपाल को बुलाया था, रसोई में फर्श की सफाई कर रही थी । अभियुक्त द्वारा मृतक को बुलाने के बारे में विजय लक्ष्मी के वृत्तांत का समर्थन करने के लिए वह (अंजू) महत्वपूर्ण साक्षी थी । उसे साक्षी के

रूप में उद्धृत नहीं किया गया है । इतनी महत्वपूर्ण साक्षी को क्यों विधारित किया गया ? इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

- 17. मृतक के संगे भाई, अभि. सा.-वेद प्रकाश ने यह कथन किया है कि विजय लक्ष्मी ने उसे अपराह्न में 9/9.30 बजे सूचित किया कि अभियुक्त मृतक को अपने साथ ले गया है । उन्होंने न तो किसी व्यक्ति को यह बताया कि मृतक को अभियुक्त ले गया था और न ही उन्होंने किसी को सूचित किया तथा वे सुबह भी अभियुक्त के मकान पर नहीं गए । अभि. सा.-विजय लक्ष्मी ने यह कथन किया कि उसने वेद प्रकाश को भी यह सूचित नहीं किया था कि मृतक को अभियुक्त ले गया था ।
- 18. क्या यह बात विश्वसनीय है कि परिवार के सदस्य यथा पत्नी, पुत्री, दो पुत्र और मृतक का भाई सुबह तक प्रतीक्षा करते और पुलिस, पड़ोसियों या इलाके के निवासियों को मृतक सतपाल के गुम होने के बारे में नहीं बताते।
- 19. महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस ने घटना का ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू./जी.एस.2 तैयार किया है और उस पर अभि. सा.-बिमल और वेद प्रकाश द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । उक्त ज्ञापन में यह अभिलिखित है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ने आपराधिक आशय से किसी कुंद आयुध से मृतक की हत्या कर दी है । यदि उनका अभियुक्त पर संदेह था या यदि मृतक को अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था, तब यह अभिलिखित करने की क्या आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मृतक को ले गए हैं ।
- 20. प्रस्तुत परिस्थितियों के संवर्ग में एक अन्य अति महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि घटना तारीख 29 फरवरी, 1997 को घटी थी और मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति तारीख 3 मार्च, 1997 को भेजी गई थी । इसे तुरंत क्यों नहीं भेजा गया, जैसी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 की अपेक्षा है । इस धारा में प्रयुक्त शब्दों 'प्रति तुरंत भेजेगा' का एक प्रयोजन और उद्देश्य इसे विचार-विमर्श करके सुधार करने या जोड़-तोड़ करने से बचाना है । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तारीख पर ऊपरिलेखन किया गया है अर्थात् 1 मार्च, 1997 के रूप में अभिलिखित तारीख में अंक 1 और 3 खुली आंखों से दिखाई पड़ता है कि ऊपरिलेखन किया गया है जबकि मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा तारीख 3 मार्च, 1997 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्राप्ति स्पष्ट है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करने में विलंब और फिर तारीख 1 मार्च, 1997 पर

ऊपरिलेखन संदेह से मुक्त नहीं है।

- 21. अब यह अनिर्णीत विषय नहीं है कि जब मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर हो, तो परिस्थितियों की अवश्य ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि कृत्य केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं तथा सभी अधिसंभाव्यताओं में अभियुक्त की दोषिता के सिवाय कोई गुंजाइश या कोई अन्य परिकल्पना न रहे । सभी कड़ियां, जो अभियुक्त को अपराध कारित करने की बात से संयोजित करने के लिए बताई गई हैं और जैसी कि इसमें ऊपर चर्चा की गई है, साबित नहीं होती हैं ।
- 22. यह प्रतीत होता है कि अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण के कार्य को केवल यह दर्शित करने के उद्देश्य से समाप्त कर दिया था कि हत्या का मामला सुलझा लिया गया है और इस तथ्य की उपेक्षा की गई कि एक मानव जीवन का अंत हो गया है और अपराधी तक पहुंचना शेष है और इस प्रकार अपराधी अदंडित रह गया । विद्यमान आपराधिक न्याय प्रणाली प्रख्यात है किंतु कभी-कभी बनावटी अन्वेषण से इसमें दरार पड़ जाती है । अन्वेषक अधिकारी ने संपूर्ण प्रक्रिया को चौपट कर दिया है जिसके परिणावस्वरूप जघन्य हत्या एक रहस्य बनकर रह गई है ।
- 23. उपर्युक्त चर्चा के संचयी प्रभाव से केवल एक निष्कर्ष निकलता है अर्थात् अभियुक्त के विरुद्ध दोषिता किसी भी मानक से साबित नहीं होती है। प्रत्यर्थी (अभियुक्त) की दोषमुक्ति को अभिलिखित करने वाला आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से न्यायोचित है। कोई गलती, अवैधता हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है और न ही साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन करने पर हमारे ध्यान में आई है।
- 24. इसलिए, यह अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।
- 25. विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए । सम्यक् संकलन करके फाइल की गई अपील अभिलेख में प्रेषित की जाए ।

अपील खारिज की गई।

जस.

राम चन्द्र वर्मा और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य और एक अन्य

तारीख 12 अप्रैल, 2012 न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 204(1)(ख) – समन आदेश जारी करने की शक्ति – जहां मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उक्त धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उसी मामले के अन्य अभियुक्तों को समन आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि दुंमका पुलिस थाना मामला सं. 166/1998 तारीख 6 दिसंबर, 1998 को इत्तिलाकर्ता विमल कुमार मोदी के कहने पर आवेदकों और दो अन्यों के विरुद्ध संस्थित किया गया । यह भी प्रकट हुआ है कि पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात दो अभियुक्त अर्थात संजय वर्मा और लालू वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए । तथापि, आवेदकों को विचारण किए जाने के लिए नहीं भेजा गया था । यह भी प्रकट हुआ है कि तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका ने तारीख 22 फरवरी, 1999 को आदेश पारित करके दंड संहिता की धारा 302, 324/34 और 552 के अधीन पूर्वीक्त दो अभियुक्त संजय वर्मा और लालू वर्मा के विरुद्ध संज्ञान लिया था और एक ही आदेश पारित करके आवेदकों को उन्मोचित किया गया था । यहां पर यह उल्लेख करना सूसंगत है कि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध इत्तिलाकर्ता ने दांडिक प्रकीर्ण सं. 27612/1999 पटना उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन फाइल किया । उक्त आवेदन का माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2000 को आदेश पारित करके निपटारा कर दिया गया था । उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए इत्तिलाकर्ता ने तारीख 7 नवंबर, 2000 को आवेदन में यह प्रार्थना करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका के समक्ष आवेदन फाइल किया कि उसके द्वारा फाइल किए गए विरोध याचिका पर विचार किया जाए तथा विधि के

अनुसरण में उसका निपटारा किया जाए । यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विद्वान् निचले न्यायालय की फाइल में मामले को अंतरित कर दिया है । इसके पश्चात् विद्वान् निचले न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करके आवेदकों के विरुद्ध समन जारी किए । उसके अनुसार दंड संहिता की धारा 147, 323, 342, 449 और 452/34 के अधीन प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है । इस आवेदन में आवेदकों ने पी. सी. आर. सं. 56/99 के समरूप टी. आर. सं. 665/2001 में तारीख 19 मार्च, 2001 को पारित किए गए आदेश को अभिखंडित करने के लिए अनुरोध किया है जिसके द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका ने दंड संहिता की धारा 147, 232, 342, 449 और 452/34 के अधीन प्रथमदृष्ट्या अपराध के संघटक प्रकट होने की वजह से संतुष्ट होकर आवेदकों के विरुद्ध मामला बनाकर उनके विरुद्ध समन जारी किए गए थे । आवेदकों ने मजिस्ट्रेट के समन जारी करने के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन किया । आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सुस्थिर है कि यदि एक बार कोई मामला सेशन न्यायालय के सुपूर्व कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204(1)(ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्य व्यक्तियों को समन जारी करें। इस संबंध में जिले सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा सं. 12 और 13 का परिशीलन करने पर यह स्संगत है जो इस प्रकार है "12. वर्तमान मामले में यदि प्रत्यर्थी सं. 2 परिवादी द्वारा फाइल किए गए परिवाद पर अपीलार्थी के विरुद्ध समन जारी करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा आदेश पारित कर लिया जाता जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पृष्टि की गई है उसके आधार को मंजुर कर लिया गया है । इससे यह अर्थ निकलता है कि अपीलार्थी के अतिरिक्त कि उस न्यायालय द्वारा किसी साक्ष्य को एकत्रित करने के पूर्वक्रम पर सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामले में अभियुक्त को समन करना था । यह विषय पूर्णतया रंजीत सिंह वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया अननुज्ञेय है । 13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 की अवस्था जो इस मामले में निष्कर्ष निकालने के लिए ध्यान में रखी गई है । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि अपीलार्थी को समन जारी करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करे । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा का आदेश स्पष्टता बिना अधिकारिता का है । उच्च न्यायालय ने रंजीत सिंह वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से गलती की थी जिस निर्णय का किशोर सिंह वाले मामले के पश्चात्वर्ती विनिश्चय में अनुसरण किया गया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा के आदेश को अवैध ठहराया गया था।" जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है वर्तमान मामले को पहले ही सेशन न्यायालय के सुपूर्व कर दिया गया था और इसके पश्चात सेशन विचारण सं. 253/1999 छठे अपर सेशन न्यायाधीश, दुंमका के समक्ष लंबित था । इस प्रकार, मजिस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204(1)(ख) के अधीन समन जारी करने की कोई शक्ति नहीं है । उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत आक्षेपित आदेश स्पष्टता बिना अधिकारिता का है । इस बात को दोहराया जाना अनावश्यक है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने विधि के अनुसरण में आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट को निदेश दिया था किंतु वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया जो पूर्णतया विधि के विरुद्ध है । इस प्रकार, मेरे विचार से आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। (पैरा 8 और 9)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 3 एस. सी. सी. 383 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 533 (क्रिमिनल) :

जिले सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ।

अपीली/पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक डब्ल्यू. जे. सी. सं. 58.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदकों की ओर से श्री ए. के. कश्यप, ज्येष्ठ अधिवक्ता

राज्य की ओर से श्री राजेश कुमार, जी. पी. वी.

प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से श्री एस. के. मूर्ति

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार – इस आवेदन में आवेदकों ने पी. सी. आर. सं. 56/99 के समरूप टी. आर. सं. 665/2001 में तारीख 19 मार्च, 2001 को पारित किए गए आदेश को अभिखंडित करने के लिए अनुरोध किया है जिसके द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका ने दंड संहिता की धारा 147, 232, 342, 449 और 452/34 के अधीन प्रथमदृष्ट्या अपराध के संघटक प्रकट होने की वजह से संतुष्ट होकर आवेदकों के विरुद्ध मामला बनाकर उनके विरुद्ध समन जारी किए गए थे।

2. मामले के अनावश्यक विशिष्ट तथ्यों को छोड़कर संक्षिप्त रूप से यह प्रकट किया गया है । जिससे यह प्रतीत होता है कि दुंमका पुलिस थाना मामला सं. 166/1998 तारीख 6 दिसंबर, 1998 को इत्तिलाकर्ता विमल कुमार मोदी के कहने पर आवेदकों और दो अन्यों के विरुद्ध संस्थित किया गया । यह भी प्रकट हुआ है कि पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात दो अभियुक्त अर्थात् संजय वर्मा और लालू वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए । तथापि, आवेदकों को विचारण किए जाने के लिए नहीं भेजा गया था । यह भी प्रकट हुआ है कि तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका ने तारीख 22 फरवरी, 1999 को आदेश पारित करके दंड संहिता की धारा 302, 324/34 और 552 के अधीन पूर्वोक्त दो अभियुक्त संजय वर्मा और लालू वर्मा के विरुद्ध संज्ञान लिया था और एक ही आदेश पारित करके आवेदकों को उन्मोचित किया गया था । यहां पर यह उल्लेख करना स्संगत है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध इत्तिलाकर्ता ने दांडिक प्रकीर्ण सं. 27612/1999 पटना उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन फाइल किया । उक्त आवेदन का माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2000 को आदेश पारित करके निपटारा कर दिया गया था । पूर्वोक्त आदेश का प्रवर्तनशील भाग इस प्रकार है :-

"इस मामले में यह प्रकट हुआ है कि यद्यपि आवेदक ने विरोध याचिका फाइल की है तो भी उसका विधि के अनुसरण में निपटारा नहीं किया गया है । तद्नुसार आवेदक को यह सलाह दी जाती है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम प्ररूप के विरुद्ध विरोध दर्शाने के लिए नए सिरे से याचिका फाइल कर सकता है जिस पर विचार किया जाएगा और इस न्यायालय के आदेश से प्रतिकूल हुए बिना अभिलेख की सामग्रियों के संदर्भ में विधि के अनुसरण में पूर्णतया निपटारा किया जाएगा । तद्नुसार इस आवेदन का निपटारा किया गया ।"

3. उच्च न्यायालय के पूर्वीक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए

इत्तिलाकर्ता ने तारीख 7 नवंबर, 2000 को आवेदन में यह प्रार्थना करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका के समक्ष आवेदन फाइल किया कि उसके द्वारा फाइल किए गए विरोध याचिका पर विचार किया जाए तथा विधि के अनुसरण में उसका निपटारा किया जाए । यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विद्वान् निचले न्यायालय की फाइल में मामले को अंतरित कर दिया है । इसके पश्चात् विद्वान् निचले न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करके आवेदकों के विरुद्ध समन जारी किए । उसके अनुसार दंड संहिता की धारा 147, 323, 342, 449 और 452/34 के अधीन प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है ।

- 4. आवेदकों की ओर से हाजिर होकर श्री ए. के. कश्यप, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि पटना उच्च न्यायालय का आदेश अवैध है क्योंकि आवेदक जिन्हें तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका द्वारा उन्मोचित किया गया था उन्हें पटना उच्च न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के परंतुक के अनुसार आज्ञापक है। तद्नुसार उन्होंने यह दलील दी कि पूर्वोक्त अवैध आदेश की कार्यवाहियों का पालन करवाना अवैध ही है । अतः, उसे कायम नहीं रखा जा सकता । उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि यह भी उपधारणा कर ली जाए कि पूर्वोक्त आदेश वैध है तब भी आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता । उन्होंने यह भी आदेश दिया कि पटना उच्च न्यायालय ने विधि के अनुसरण में विरोध याचिका पर आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट को निदेश दिए हैं । उन्होंने यह दलील दी कि मूल मामले में आक्षेपित आदेश पारित करने के समय पर मामले को पहले ही सेशन न्यायालय के सुपूर्द कर दिया गया था और इसके पश्चात सेशन मामला सं. 235/1999 पहले ही संस्थित किया गया था । उन्होंने यह दलील दी कि सेशन न्यायालय को मामला सुपूर्व करने के पश्चात मजिस्ट्रेट इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204(1)(ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करे तथा अन्य अभियुक्तों को समन जारी करे । तदनुसार उसने यह भी दलील दी कि आक्षेपित आदेश पूर्णतया बिना अधिकारिता का है और विधि के विरुद्ध है इसलिए यह पटना उच्च न्यायालय के निदेशों के समरूप नहीं है ।
- 5. श्री राजेश कुमार, जी. पी. वी. तथा प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान् काउंसेल श्री एस. के. मूर्ति ने यह दलील दी कि चूंकि आवेदक ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं

दी है इसलिए यह आदेश अंतिम हो गया है, इस प्रकार, अब आवेदक इस न्यायालय के समक्ष भी उक्त आदेश के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं कर सकता । यह भी निवेदन किया गया कि इस न्यायालय के पास पटना उच्च न्यायालय के किसी आदेश को अपास्त या घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि ऐसा करना अवैध है । यह निवेदन किया गया कि यह सुस्थिर है कि यदि पुलिस अन्वेषण के पश्चात् किसी अभियुक्त को विचारण के लिए भेजती है तब इत्तिलाकर्ता के पास विरोध याचिका फाइल करने तथा उक्त अभियुक्त को समन जारी करवाने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार है । इस प्रकार, विद्वान् मजिस्ट्रेट के पास आवेदक को समन जारी करने की अधिकारिता थी ।

- 6. उपरोक्त दलीलों को सुनने के पश्चात् मैंने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया श्री कश्यप की प्रथम दलील यह है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अवैध है तथा खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि आवेदकों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी । इस प्रकार, आवेदकों को पटना उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश को स्वीकार करना चाहिए । इसलिए, इस आवेदन में वे पटना उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं कर सकते ।
- 7. अब हम दूसरी दलील पर विचार करेंगे जो उल्लेख किए जाने योग्य है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने विधि के अनुसरण में मिजस्ट्रेट को विरोध याचिका पर विचार करने के लिए निदेश दिया था। आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि विद्वान् मिजस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में यह बात थी कि मूल मामला पहले ही सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सेशन विचारण सं. 235/1999 को सुपुर्द करने के पश्चात् छठे अपर सेशन न्यायाधीश, दुंमका के समक्ष मामले को संस्थित किया गया था तथा उसके समक्ष लंबित था।
- 8. यह सुस्थिर है कि यदि एक बार कोई मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204(1)(ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्य व्यक्तियों को समन जारी करें । इस संबंध में जिले सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य वाले मामले में माननीय उच्चतम

¹ (2012) 3 एस. सी. सी. 383 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 533 (क्रिमिनल).

न्यायालय के निर्णय के पैरा सं. 12 और 13 का परिशीलन करने पर यह सुसंगत है जो इस प्रकार है :-

"12. वर्तमान मामले में यदि प्रत्यर्थी सं. 2 परिवादी द्वारा फाइल किए गए परिवाद पर अपीलार्थी के विरुद्ध समन जारी करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा की ओर से आदेश पारित कर लिया गया जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है उसके आधार को मंजूर कर लिया गया है । इससे यह अर्थ निकलता है कि अपीलार्थी के अतिरिक्त कि उस न्यायालय द्वारा किसी साक्ष्य को एकत्रित करने के पूर्वक्रम पर सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामले में अभियुक्त को समन करना था । यह विषय पूर्णतया रंजीत सिंह वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया अननुज्ञेय है ।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 की अवस्था जो इस मामले में निष्कर्ष निकालने के लिए ध्यान में रखी गई है । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि अपीलार्थी को समन जारी करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करे । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा का आदेश स्पष्टता बिना अधिकारिता का है । उच्च न्यायालय ने रंजीत सिंह वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से गलती की थी जिस निर्णय का किशोर सिंह वाले मामले के पश्चात्वर्ती विनिश्चय में अनुसरण किया गया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा के आदेश को अवैध ठहराया गया था ।"

9. जैसािक की ऊपर उल्लेख किया गया है वर्तमान मामले को पहले ही सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया था और इसके पश्चात् सेशन विचारण सं. 253/1999 छठे अपर सेशन न्यायाधीश, दुंमका के समक्ष लंबित था । इस प्रकार, मिजस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204(1)(ख) के अधीन समन जारी करने की कोई शक्ति नहीं है । उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत आक्षेपित आदेश स्पष्टता बिना अधिकारिता का है । इस बात को दोहराया जाना अनावश्यक है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने विधि के अनुसरण में आदेश पारित करने के लिए मिजस्ट्रेट को निदेश दिया था किंतु वर्तमान मामले में मिजस्ट्रेट ने आदेश पारित किया जो पूर्णतया विधि के विरुद्ध है । इस प्रकार, मेरे विचार से आक्षेपित आदेश

को कायम नहीं रखा जा सकता है।

10. परिणामस्वरूप यह आवेदन मंजूर किया जाता है । न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुंमका के न्यायालय में लंबित पी. सी. आर. सं. 56/1999 के समरूप टी. आर. सं. 665/2001 में तारीख 19 मार्च, 2001 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश को अभिखंडित किया जाता है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

(2013) 2 दा. नि. प. 75

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

नरिन्दर कुमार और अन्य

तारीख 29 अगस्त, 2012

न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्र और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) — धारा 302, 201, 148 और 323 — विधिविरुद्ध जमाव द्वारा हत्या या स्वेच्छया उपहित कारित करना — जहां अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए कथनों में तात्विक विरोधाभास हो और स्वतंत्र साक्षियों की उपलब्धता के बावजूद उनकी परीक्षा न कराई गई हो तथा मामले की अन्य तात्विक विशिष्टियों में विरोधाभास हो वहां अभियुक्तों को अपराध से दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि संतोष कुमार मनोज कुमार के साथ तारीख 17 जून, 2003 को 9.30 बजे अपराहन अपने स्कूटर से घर से निकला था जब वे पाट्टी पर पहुंचे मनजीत पठानियां उनसे मिला । उनकी जानकारी में यह आया कि कुछ व्यक्ति सड़क पर खड़े हैं जब वे पंतेहर बैंड बिहार चौक के नजदीक पहुंचे उन्हें पीए हुए देखा और उन्होंने उनसे रास्ते से हटने के लिए प्रार्थना की परंतु वे विवश नहीं हुए । उन व्यक्तियों ने मनजीत को पीटा और वे व्यक्ति पीटने के बाद रास्ते से चले गए और पुनः वापस लौटे । इन व्यक्तियों के साथ नरिन्दर, विनोद कुमार, प्रताप कुमार और संतोष थे । वे गाड़ी में आए और उन्होंने अभि. सा. 1 , अभि. सा. 2 और मनोज की पिटाई की । नरेश द्वारा मनोज को पत्थर से चोट पहुंचाई गई थी । अभि. सा. 1 को बलपूर्वक नरिन्दर के मकान पर ले जाया गया था । उसे एक कमरे में परिरुद्ध कर दिया गया था । मनजीत और मनोज क्षतिग्रस्त हालत में घटनास्थल से चले गए थे। अभि. सा. 2 की जानकारी में यह आया कि मनोज अपने मकान में नहीं पहुंचा है । इसके पश्चात् उन्होंने मनोज को ढूढ़ना प्रारंभ किया । उसका पता नहीं चल पाया । इन परिस्थितियों में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । संतोष कुमार और मनजीत की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । बलबीर सिंह पटियाल द्वारा अन्वेषण का कार्य किया गया था । उसने डा. अरविन्द भान से आहत की चिकित्सा परीक्षा करवाई थी । उसने मनोज कुमार के शव का शवपरीक्षण भी कराया था । उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । उसने रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पीए और पीबी प्राप्त की थी । अन्वेषण पूरा करके और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान प्रस्तुत किया गया था । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 18 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन अभिलिखित किए गए थे । अभियुक्त ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 20 मार्च, 2004 को अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । इन परिस्थितियों में राज्य ने वर्तमान अपील फाइल की है । राज्य द्वारा 2003 के सेशन मामला सं. 37-पी में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (I), कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की है जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों का दंड संहिता की धारा 302, 201, 120-ख, 147, 148, 149, 364, 323 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों से आरोपित कर विचारण किया गया था और तारीख 2 मार्च, 2004 को उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया । राज्य द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित — अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए कथनों में तात्विक विभेद हैं । यह घटना लगभग 9.30 बजे अपराह्न घटित हुई थी । अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि वहां पर पर्याप्त प्रकाश था

जिससे कि साक्षी पहचान करने में समर्थ हो सकते थे । अति विशिष्टतया अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अभियुक्त की शिनाख्त की थी । संजय कुमार ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा उसे पीटा गया था । नरेश कुमार अभियुक्त द्वारा मनोज कुमार को पत्थर से चोट पहुंचाई गई थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह नरिन्दर के मकान पर गाड़ी लाया था । नरिन्दर के मकान में 250 लोग थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि अभियुक्त निरन्दर के मकान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले प्रांगण से और बरामदे से गुजरना पड़ता था और तब केवल कोई भी व्यक्ति अभियुक्त नरिन्दर के मकान में प्रवेश कर सकता था । उसने घटना के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया था जो नरिन्दर के मकान में इकटठा हुए थे, यद्यपि उसके अनुसार उसे क्षतिग्रस्त हालत में देखा गया था । अभि. सा. 1 ने माता-पिता को यह सूचना नहीं दी कि मनोज को क्षतियां कायम हुई हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्त नरेश द्वारा मनोज कुमार को पत्थर से चोट पहुंचाई गई थी । मंजीत सिंह को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था । उसके वृत्तांत पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यद्यपि, उसने यह कथन किया है कि उसकी अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा पिटाई की गई थी । अभि. सा. 8 के कथन में यह प्रकट हुआ है कि संतोष कुमार और मंजीत पठानियां को पहुंचीं क्षतियां साधारण और सतही तौर पर थीं । कोई भी व्यक्ति इन क्षतियों के कारण बेहोश नहीं हो सकता है । वर्तमान मामले में अभियुक्त-व्यक्तियों की शिनाख्त करने के लिए कोई शिनाख्त परेड नहीं रखी गई थी । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3,. अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनोज कुमार की नरेश कुमार द्वारा पत्थर से कारित होने की क्षति के कारण मृत्यु हुई थी । डा. करण सिंह के कथन में प्रकट हुआ है कि ऐसी क्षति अपराध के आयुध अर्थात् पत्थर प्रदर्श पी-1 द्वारा कारित की जानी नहीं हो सकती । उसने मृतक के सिर के किसी भाग पर बाहरी विदीर्ण घाव नहीं पाया था । उसके अनुसार ऐसी क्षति कठोर सतह पर गिरने से पाई गई है और ऐसी क्षति का पत्थर द्वारा प्रहार की गई क्षति से विभेद किया जा सकता है। रसायन परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार पत्थर पर किसी तरह का रक्त नहीं पाया गया था । पत्थर की बरामदगी निःसंदेहपूर्ण है जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य दिया गया है । साक्षियों में से कोई भी व्यक्ति अर्थात् अभि. सा. 3 जिसने प्रकटीकरण कथन पर हस्ताक्षर किया था, वह मृतक मनोज कुमार

का नातेदार था । सामान्य परिस्थितियों में अभि. सा. 1 ने उस रीति के बारे में अपने माता-पिता तथा मनोज के माता-पिता को बताना चाहिए था जिसमें उसे और मंजीत और मनोज को पीटा गया था । अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने कथनों में सुधार किए गए हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्त् में तथा न्यायालय में साक्षियों द्वारा किए गए कथनों में विचलन है । इस घटना के बारे में पाट्टी पर घटित होना बताया गया है परंतु शव ग्राम कंडी से बरामद किया गया था । शव कैसे ग्राम कंडी पहुंचा इस बात का अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अभियोजन साक्षी 1 और अभि. सा. 2 के कथनों का डा. करण सिंह के कथन से विचलन हुआ है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अनुसार मनोज कुमार के सिर पर पत्थर से चोट पहुंचाई गई थी । डा. करण सिंह ने जैसा ऊपर उल्लेख किया है और स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मनोज कुमार को पहुंची क्षति पत्थर प्रदर्श पी-1 द्वारा कारित किया जाना नहीं हो सकता है। मंजीत सिंह के बारे में अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा पीटा जाना भी अभिकथित है जैसाकि मुख्य परीक्षा में प्रकट है । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उस पर एक बड़ा पत्थर फेंका गया था और वह बेहोश हो गया और वह 3.00 बजे पूर्वाह्न तक बेहोश रहा । इस कथन का डा. अरविन्द भान के कथन से विचलन हुआ है । अभि. सा. 2 के अनुसार कि वह बेहोश हो गया था तथापि, डा. अरविन्द के अनुसार कि उसे पहुंची हुई क्षतियां ऊपरी सतह पर थीं और वह इन क्षतियों के कारण बेहोश नहीं हो सकता है । अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा नहीं कराई है, यद्यपि वे निरन्दर कुमार के मकान में उपलब्ध थे जहां जनेऊ समारोह चल रहा था । (पैरा 15)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 370.

दंड प्रक्रिया संहिता. 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अपर

महाधिवक्ता साथ में श्री पी. एम.

नेगी, उप-महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से (प्रत्यर्थी सं. 1 से 9) श्री जगदीश वत्स, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 10 की ओर से

श्री अनूप चितकारा, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा — राज्य द्वारा 2003 के सेशन मामला सं. 37-पी में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (I), कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की है जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों का दंड संहिता की धारा 302, 201, 120-ख, 147, 148, 149, 364, 323 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों से आरोपित कर विचारण किया गया था और तारीख 2 मार्च, 2004 को उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि संतोष कुमार मनोज कुमार के साथ तारीख 17 जून, 2003 को 9.30 बजे अपराहन अपने स्कूटर से घर से निकला था जब वे पाट्टी पर पहुंचे मनजीत पठानियां उनसे मिला । उनकी जानकारी में यह आया कि कुछ व्यक्ति सड़क पर खड़े हैं जब वे पंतेहर बैंड बिहार चौक के नजदीक पहुंचे उन्हें पीए हुए देखा और उन्होंने उनसे रास्ते से हटने के लिए प्रार्थना की परंतु वे विवश नहीं हुए । उन व्यक्तियों ने मनजीत को पीटा और वे व्यक्ति पीटने के बाद रास्ते से चले गए और पुनः वापस लौटे । इन व्यक्तियों के साथ नरिन्दर, विनोद कुमार, प्रताप कुमार और संतोष थे । वे गाड़ी में आए और उन्होंने अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और मनोज की पिटाई की । नरेश द्वारा मनोज को पत्थर से चोट पहुंचाई गई थी । अभि. सा. 1 को बलपूर्वक नरिन्दर के मकान पर ले जाया गया था । उसे एक कमरे में परिरुद्ध कर दिया गया था । मनजीत और मनोज क्षतिग्रस्त हालत में घटनास्थल से चले गए थे । अभि. सा. 2 की जानकारी में यह आया कि मनोज अपने मकान में नहीं पहुंचा है । इसके पश्चात् उन्होंने मनोज को ढूढ़ना प्रारंभ किया । उसका पता नहीं चल पाया । इन परिस्थितियों में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । संतोष कुमार (अभि. सा. 1) और मनजीत (अभि. सा. 2) की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । बलबीर सिंह पटियाल (अभि. सा. 18) द्वारा अन्वेषण का कार्य किया गया था । उसने डा. अरविन्द भान (अभि. सा. 8) से आहत की चिकित्सा परीक्षा करवाई थी । उसने मनोज कुमार के शव का शवपरीक्षण भी कराया था । उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । उसने रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पीए और पीबी प्राप्त की थी । अन्वेषण पूरा करके और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान प्रस्तृत किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 18 साक्षियों की परीक्षा कराई ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन अभिलिखित किए गए थे । अभियुक्त ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 20 मार्च, 2004 को अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । इन परिस्थितियों में राज्य ने वर्तमान अपील फाइल की है ।

- 4. श्री आर. के. शर्मा विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है । उसके अनुसार विचारण न्यायालय ने मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया है ।
- 5. श्री जगदीश वत्स और अनूप चितकारा ने दोषमुक्ति के निर्णय का समर्थन किया है ।
- 6. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और सावधानीपूर्वक अभिलेखों का परिशीलन किया ।
- 7. संतोष कुमार (अभि. सा. 1) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 17 जून, 2003 को लगभग 9.30 बजे अपराह्न वह मनोज कुमार (मृतक) के साथ स्कूटर पर अपने घर से चला था । जब वे पाट्टी पर पहुंचे मनजीत पठानियां (अभि. सा. 2) उनसे मिला । वह भी अपने स्कूटर से आ रहा था । जब वे बैंड बिहार चौक के नजदीक पंतेहर पर पहुंचे तो उनकी जानकारी में यह आया कि कुछ व्यक्ति सड़क पर खड़े हैं । वे पीए हुए हालात में थे । मनजीत ने स्कूटर का हार्न बजाया परंतु उन्होंने उन्हें रास्ता नहीं दिया । इसके पश्चात इन व्यक्तियों ने मनजीत को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे । उन्हें इन व्यक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वे अजनबी थे । तत्पश्चात, व्यक्ति जिन्होंने मनजीत को पीटा था, उस स्थान से चले गए और वापस लौटे । उसी बीच में, अभियुक्त नरेश, नरिन्दर, विनोद कुमार, प्रताप कुमार, संतोष और कुछ अन्य व्यक्ति जिन्हें वह नहीं जानते थे घटनास्थल पर पहुंचे । वे गाड़ी से नीचे उतरे और मनजीत और मनोज पर झपटे और उसने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया और उसे भी पकड़ लिया गया और पीटा गया । नरिन्दर, विनोद कुमार और नरेश कुमार द्वारा मनजीत को पीटा गया था और नरेश तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा मनोज कुमार को पीटा गया था जिनका नाम उसे पता नहीं है । नरेश द्वारा मनोज कुमार के सिर पर पत्थर से प्रहार किया गया था

और उसे अभियुक्त निरन्दर के मकान की ओर गाड़ी में ले जाया गया था और वहां भी उसे पीटा गया था और उसे एक कमरे में परिरुद्ध कर दिया गया । एक अन्य अभियुक्त सुदेश कुमार भी वहां पर मौजूद था । मनजीत और मनोज घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त हालत में चले गए थे । अगले दिन उसकी जानकारी में यह आया कि मनोज कुमार अपने घर पर नहीं पहुंचा था । तत्पश्चात् उन्होंने मनोज को ढूंढना प्रारंभ किया । उसका पता नहीं चल पाया था उसके पश्चात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । उसकी चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी देखिए एमएलसी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त नरिन्दर सिंह के मकान में उस दिन जनेऊ समारोह का कार्यक्रम चल रहा था । उसने अपने पूरे कुटुंब के सदस्यों को रात्रि के भोजन में भी निमंत्रण दिया था । सभी गांववासियों ने नरिन्दर के मकान में शाम को अपना-अपना भोजन ग्रहण किया था । नरिन्दर के मकान में लगभग 250 लोगों ने भोजन ग्रहण किया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त नरिन्दर के मकान में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले प्रांगण और बरामदे से गुजरना होता है और तब अभियुक्त नरिन्दर के मकान में प्रवेश किया जा सकता है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त नरिन्दर कुमार के मकान से बाहर जाने के लिए भी किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम बरामदे और प्रांगण से होकर गुजरना पड़ता है तब कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है । उसने अपने कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क से विरोध प्रकट किया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क में यह कथन नहीं किया गया है कि नरेश कुमार ने मनोज के सिर पर पत्थर से प्रहार किया । उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब उसे घटनास्थल से पकड़ा गया तो उसे प्रांगण और बरामदे से गुजर कर पकड़ा गया था जहां जनेऊ समारोह चल रहा था । लोगों ने उसे क्षतिग्रस्त हालत में देखा था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि वह लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाने पर मंजीत के साथ गया था और मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी । उसने अपने माता-पिता या किसी व्यक्ति को यह सूचना नहीं दी कि मनोज को क्षतियां कारित हुई हैं । उसने मनोज के माता-पिता को इस तथ्य के बारे में नहीं बताया । उसने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी अभियुक्त की मनोज और मंजीत से शत्रुता नहीं थी।

- 8. मंजीत सिंह (अभि. सा. 2) को पक्षद्रोही घोषित किया गया था यद्यपि वह 17 जून, 2003 को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह सभी व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं कर सकता है जिन्होंने उसकी पिटाई की क्योंकि वे सभी अजनबी थे । उसने 20-25 व्यक्तियों में से केवल 3 व्यक्तियों की शिनाख्त की है जो पुनः घटनास्थल पर पहुंचे थे अर्थात् निरन्दर, नरेश और विनोद कुमार ।
- 9. द्वारिका दास (अभि. सा. 3) ने प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/क में हस्ताक्षर किया था । ओम प्रकाश द्वारा उसकी मौजूदगी में भी हस्ताक्षर किया गया था । अभियुक्त द्वारा पुलिस को पंतेहर चौक पर ले जाया गया था और वहां पर पत्थर की बरामदगी की गई थी जिसे अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ख के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पत्थर पर रक्त के धब्बे नहीं लगे थे ।
- 10. जगदीश चन्द (अभि. सा. 4) ग्राम पंचायत, टंडा का प्रधान है । उसे पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने में सहबद्ध किया गया था । उसे पक्षद्रोही भी घोषित किया गया था । संसार चन्द (अभि. सा. 5) भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था । पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त किए जाने के लिए अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 को सहबद्ध किया गया था जो कंडी में पड़ा हुआ था । श्याम लाल (अभि. सा. 6) को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।
- 11. डा. अनुपमा सिंह (अभि .सा. 7) ने अभियुक्त प्रताप चन्द और विनोद कुमार की परीक्षा की और एमएलसी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख जारी किए । डा. अरविन्द भान (अभि. सा. 8) ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की परीक्षा की तथा एमएलसी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख जारी किए । पी. डब्ल्यू. 8 के अनुसार अभि. सा. 1 के शरीर पर क्षतियां साधारण और ऊपरी सतह पर थीं जो लघु प्रकृति की थीं और इसी तरह अभि. सा. 2 की क्षतियां साधारण और ऊपरी सतह पर थीं तथा लघु प्रकृति की थीं । कोई भी व्यक्ति इन क्षतियों से बेहोश नहीं हो सकता है।
 - 12. मृतक मनोज का शवपरीक्षण डा. करण सिंह (अभि. सा. 9) द्वारा

किया गया था । उसके अनुसार मनोज की आघात और सिर की क्षिति से मृत्यु हुई थी । मनोज के शव पर उन्होंने निम्नलिखित क्षितियां पाईं :-

- "1. अग्रबाहु के दाहिनी ओर कई खरोंचे । सोरसेल पहलू पर 1 से. मी. x 5 से. मी. की नाप, रंग में रक्तिम भूरा ।
 - 2. ऊपरी होंठ पर 3 से. मी. x 2 से. मी. का विदीर्ण घाव ।
- 3. आंख के भोहें के थोड़ा पार्श्व भाग पर 2 से. मी. x 2 से. मी. का विदीर्ण घाव ।
- 4. दाहिने कान के पीछे 1 से. मी. x 2 से. मी. का विदीर्ण घाव ।
 - 5. दाहिने अग्र क्षेत्र और दाहिने पार्श्व क्षेत्र पर गुमटा ।
 - II. कपाल और मेरुरज्जु

शिरोवल्क का विच्छेदन ।

कोंटशियस उत्तक में गुमटा और रक्तस्राव मौजूद । मौजूद शिरोवल्क अस्थि का कोई अस्थिभंग नहीं । शिरोवल्क की चीरफाड़ करने पर दाहिने क्षेत्र के अग्र पार्श्व क्षेत्र पर सब ड्रस्ल हेमरेज मौजूद ।

मेरुरज्जु क्षतियों के समरूप मस्तिष्क उत्तर एडेमैटर और संकुचित मेरूरज्जु - सामान्य ।

वक्ष : एनएडी

उदर:

आमाशय : अर्द्ध पचित भोजन ।

मांसपेशियां और अस्थिसंधियां : एनएडी ।"

13. अभि. सा. 9 ने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क जारी की । उसके अनुसार, शिरोवल्क की शल्य क्रिया करने पर शवपरीक्षण के दौरान सिर पर क्षित पाई गई थी और ऐसी क्षित किसी बाहरी क्षित के बिना कायम नहीं हो सकती थी और यदि ऐसी क्षित किसी धारदार आयुध से कारित की गई थी तो विदीर्ण घाव की संभावना बनती है जैसािक पत्थर प्रदर्श पी-1 से हो सकती है । उसके अनुसार मृतक को कायम हुई सिर की क्षित लड़ाई-झगड़े के दौरान घूसों या लातों के प्रहार से या प्रबल रूप

से जमीन पर गिरने से कारित हो सकती हैं । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतक के सिर पर जो क्षिति पाई गई है उसमें सभी तरह यह संभावना प्रतीत होती है कि पत्थर प्रदर्श पी-1 के प्रहार से कारित होने का परिणाम नहीं हो सकती । ऐसी क्षित कठोर सतह पर गिरने से देखी गई है और ऐसी क्षिति का पत्थर के प्रहार से कारित हुई क्षिति से प्रभेद किया जा सकता है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब मृतक मनोज कुमार के शव का शवपरीक्षण किया गया तब उसकी जानकारी में मृतक के सिर के किसी भाग पर कोई बाहरी विदीर्ण घाव या छिन्न घाव उसकी जानकारी में नहीं आया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में पुनः यह बात दोहराई है कि मृतक के शरीर पर पाई गई सिर की क्षिति पत्थर प्रदर्श पी-1 से प्रहार के परिणामस्वरूप नहीं हो सकती है ।

14. मामले का अन्वेषण निरीक्षक बलबीर सिंह पटियाल द्वारा किया गया था । उसके अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क संतोष कुमार के कथन पर राजेन्द्र पठानिया द्वारा लिखाकर रिजस्ट्रीकृत की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति इलाका मिजस्ट्रेट, पालमपुर को भेजी गई थी । आहत संतोष और मंजीत को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था । डा. अरविन्द भान (अभि. सा. 8) द्वारा उनकी परीक्षा की गई थी । वह साक्षी संजय और अभियुक्त के साथ कंडी गया था तथा मनोज के शव को बरामद किया था और तद्नुसार उसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने मनोज कुमार के शव को ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, पालमपुर शवपरीक्षण के लिए भेजा था । अभियुक्त नरेश कुमार द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/क के आधार पर पत्थर प्रदर्श पी-1 बरामद किया गया था और उसे बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ख के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया था । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 और पीबी के माध्यम से प्राप्त की गई थी ।

15. अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए कथनों में तात्विक विभेद हैं। यह घटना लगभग 9.30 बजे अपराह्न घटित हुई थी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि वहां पर पर्याप्त प्रकाश था जिससे कि साक्षी पहचान करने में समर्थ हो सकते थे। अति विशिष्टतया अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अभियुक्त की शिनाख्त की थी। संजय कुमार (अभि. सा. 1) ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा उसे पीटा गया था।

नरेश कुमार अभियुक्त द्वारा मनोज कुमार को पत्थर से चोट पहुंचाई गई थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह नरिन्दर के मकान पर गाड़ी लाया था । नरिन्दर के मकान में 250 लोग थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि अभियुक्त नरिन्दर के मकान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले प्रांगण से और बरामदे से गुजरना पड़ता था और तब केवल कोई भी व्यक्ति अभियुक्त नरिन्दर के मकान में प्रवेश कर सकता था । उसने घटना के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया था जो नरिन्दर के मकान में इकट्ठा हुए थे, यद्यपि उसके अनुसार उसे क्षतिग्रस्त हालत में देखा गया था । अभि. सा. 1 ने माता-पिता को यह सूचना नहीं दी कि मनोज को क्षतियां कायम हुई हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्त नरेश द्वारा मनोज कुमार को पत्थर से चोट पहुंचाई गई थी । मंजीत सिंह (अभि. सा. 2) को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था । उसके वृत्तांत पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यद्यपि, उसने यह कथन किया है कि उसकी अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा पिटाई की गई थी । अभि. सा. 8 के कथन में यह प्रकट हुआ है कि संतोष कुमार और मंजीत पठानिया को पहुंचीं क्षतियां साधारण और सतही तौर पर थीं । कोई भी व्यक्ति इन क्षतियों के कारण बेहोश नहीं हो सकता है । वर्तमान मामले में अभियुक्त-व्यक्तियों की शिनाख्त करने के लिए कोई शिनाख्त परेड नहीं रखी गई थी । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनोज कुमार की नरेश कुमार द्वारा पत्थर से कारित होने की क्षति के कारण मृत्यू हुई थी । डा. करण सिंह (अभि. सा. 9) के कथन में प्रकट हुआ है कि ऐसी क्षति अपराध के आयुध अर्थात् पत्थर प्रदर्श पी-1 द्वारा कारित की जानी नहीं हो सकती । उसने मृतक के सिर के किसी भाग पर बाहरी विदीर्ण घाव नहीं पाया था । उसके अनुसार ऐसी क्षति कठोर सतह पर गिरने से पाई गई है और ऐसी क्षति का पत्थर द्वारा प्रहार की गई क्षति से विभेद किया जा सकता है । रासायन परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार पत्थर पर किसी तरह का रक्त नहीं पाया गया था । पत्थर की बरामदगी निःसंदेहपूर्ण है जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य दिया गया है । साक्षियों में से कोई भी व्यक्ति अर्थात् अभि. सा. 3 जिसने प्रकटीकरण कथन पर हस्ताक्षर किया था, वह मृतक मनोज कुमार का नातेदार था । सामान्य परिस्थितियों में अभि. सा. 1 ने उस रीति के बारे में अपने माता-पिता तथा मनोज के माता-पिता को बताना चाहिए था जिसमें उसे और मंजीत (अभि.

सा. 2) और मनोज को पीटा गया था । अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने कथनों में सुधार किए गए हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तू में तथा न्यायालय में साक्षियों द्वारा किए गए कथनों में विचलन है । इस घटना के बारे में पाटटी पर घटित होना बताया गया है परंतु शव ग्राम कंडी से बरामद किया गया था । शव कैसे ग्राम कंडी पहुंचा इस बात का अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अभियोजन साक्षी 1 और अभि. सा. 2 के कथनों का डा. करण सिंह (अभि. सा 9) के कथन से विचलन हुआ है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अनुसार मनोज कुमार के सिर पर पत्थर से चोट पहुंचाई गई थी । डा. करण सिंह (अभि. सा. 9) ने जैसा ऊपर उल्लेख किया है और स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मनोज कुमार को पहुंची क्षति पत्थर प्रदर्श पी-1 द्वारा कारित किया जाना नहीं हो सकता है । मंजीत सिंह (अभि. सा. 2) के बारे में अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा पीटा जाना भी अभिकथित है जैसाकि मुख्य परीक्षा में प्रकट है । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उस पर एक बड़ा पत्थर फैंका गया था और वह बेहोश हो गया और वह 3.00 बजे पूर्वाह्न तक बेहोश रहा । इस कथन का डा. अरविन्द भान (अभि. सा. 8) के कथन से विचलन हुआ है । अभि. सा. 2 के अनुसार कि वह बेहोश हो गया था तथापि, डा. अरविन्द (अभि. सा. 8) के अनुसार कि उसे पहुंची हुई क्षतियां ऊपरी सतह पर थीं और वह इन क्षतियों के कारण बेहोश नहीं हो सकता है। अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा नहीं कराई है, यद्यपि वे निरन्दर कुमार के मकान में उपलब्ध थे जहां जनेऊ समारोह चल रहा था ।

16. तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-व्यक्तियों को दोषमुक्त करके ठीक ही किया और यह न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझता है।

17. परिणामस्वरूप, इसमें ऊपर उल्लिखित मताभिव्यक्तियों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, अपील में कोई सार नहीं है इसे खारिज किया जाता है। जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

डोडा राम

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 4 सितम्बर, 2012

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 और 511 – बलात्संग का प्रयत्न – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अप्राप्तवय अभियोक्त्री के साक्ष्य और तात्विक विशिष्टियों में उसकी माता और भाई के कथन से अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित कर देने पर कि अभियुक्त ने न केवल अभियोक्त्री की सलवार उतारी बल्कि अपना भी जांधिया उतारकर उस पर लेट गया, इससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त अपनी कामवासना की तुष्टि के लिए आतुर था, इसलिए उसकी बलात्संग के प्रयत्न के लिए दोषसिद्धि उचित है।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियोक्त्री, आयु लगभग नौ वर्ष, तारीख 18 सितम्बर, 2009 को अपराहन में लगभग 6.00 बजे खेतों से बकरियां लाने के लिए गई थी । अभियुक्त वहां पर एक शिलाखण्ड पर खड़ा हुआ था । उसने अभियोक्त्री को एक भुट्टा लेने के लिए फुसलाया । जब अभियोक्त्री अभियुक्त के निकट पहुंची, तो उसने उसे नीचे गिरा लिया और उसकी सलवार तथा जांघिया उतार दिया । जब अभियोक्त्री ने उससे पुछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने उसका मृंह दबा लिया और अभिकथित रूप से कुकृत्य (गलत काम) किया । अभियोक्त्री ने अपनी सलवार उठाई और अपने घर की ओर भागी । अभियोक्त्री ने अपनी माता को संपूर्ण वृत्तांत बताया । तारीख 20 सितम्बर, 2009 को अभियोक्त्री द्वारा अपने भाई नीम चंद के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । पुलिस ने अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया । डाक्टर ने ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे मैथून किए जाने का पता चलता हो । मामले का अन्वेषण किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसका भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । उसे मैथून करने के लिए योग्य पाया गया । न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजे गए अभियोक्त्री के पहने हुए कपड़ों और अभियुक्त के जांघिए पर रक्त और वीर्य नहीं पाया गया । प्रारंभ में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दर्ज

की गई थी किंतु चिकित्सीय रिपोर्ट और राय मिलने पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह बलात्संग के प्रयत्न का मामला है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए चालान प्रस्तुत किया गया । तद्नुसार, अभियुक्त का बलात्संग के प्रयत्न के लिए विचारण किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की प्रतिरक्षा तथा यथा अभिकथित मिथ्या फंसाए जाने की बात को अविश्वसनीय माना और विचारण के अंत में उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री का कथन अभिलिखित करने से पूर्व विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री से कतिपय प्रश्न, कि क्या वह सच बोलने के कर्तव्य को समझती है, करने के पश्चात् अपनी राय अभिलिखित की थी और जब उसका यह समाधान हो गया कि वह इसकी पवित्रता को समझती है, तब शपथ पर उसका कथन अभिलिखित किया गया । हालांकि बालक को सिखाने-पढाने की पूरी गुंजाइश होती है, किंतू केवल यह बात ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है और इसके लिए बालक के समग्र परिसाक्ष्य को देखा जाना चाहिए कि क्या उसे सिखाया-पढाया गया है या नहीं और सिखाने-पढाने के बात का पता लगाने के लिए यह बात केवल साक्ष्य और उसकी अंतर्वस्तुओं की परीक्षा करके अभिनिश्चित की जा सकती है । यदि अभिलेख पर प्रकट तात्विक विशिष्टियों की संपृष्टि बालक के कथन से होती है, तो आरोप को सिद्ध करने के लिए उसके साक्ष्य का अत्यधिक महत्व होगा । न्यायालय इस बात से अवगत है कि बालक साक्षी के साक्ष्य का अधिक सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि बालक का उन बातों से जो उसे अन्य व्यक्ति कहते हैं प्रभावित होना संभाव्य है और इस प्रकार बाल साक्षी सिखाने-पढाने का आसानी से शिकार हो जाता है । किंत् अभियोक्त्री के कथन की संवीक्षा करने पर इस संभाव्यता से पूरी तरह इनकार किया जाता है। यद्यपि अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि उसे न्यायालय के बाहर यह बताया गया था कि उसे न्यायालय में क्या बोलना है, किंतु उसने अपनी आगे प्रतिपरीक्षा में इस बात से पूर्णतः इनकार किया कि उसे न्यायालय में प्रस्तुत किए गए वृत्तांत के अनुसार कथन करने के लिए कहा गया था । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए प्रारंभिक वृत्तांत की निःसंकोच संपृष्टि की है । उसने यह भी साक्ष्य दिया कि

अभियुक्त ने उसे भुट्टा लेने के लिए बुलाया था । जब वह उसके पास गई तो अभियुक्त ने उसकी सलवार खोली और अपना जांघिया भी खोला और उसके ऊपर लेट गया । उसने यह भी साक्ष्य दिया कि सलवार खोलते समय उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है, किंतू अभियुक्त ने जो कुछ किया था, अभियोक्त्री के शब्दों में, वह कुकृत्य (गलत काम) था । उसके बाद वह भाग गया । अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि वह अपने घर लौट आई, उसकी माता गाय दृह रही थी । उसने उससे रसोई में आग जलाने के लिए कहा, किंतु क्योंकि उसके शरीर में दर्द हो रहा था इसलिए वह आग नहीं जला सकी । उसे उसकी माता ने फटकार लगाई और उसके बाद उसने अपनी माता को संपूर्ण घटना के बारे में बताया । उसके पश्चात उसकी माता ने उसे स्नान कराया और बिस्तर पर ले गई । अभि. सा. 3 नीम चंद को बुलाया गया । अभि. सा. 2 ने अभियोक्त्री के वृत्तांत की तात्विक विशिष्टियों की संपृष्टि की है और अभि. सा. 3 नीम चंद के कथन से इसकी पृष्टि होती है । अभि. सा. 3 ने यह साक्ष्य दिया है कि उसे उसकी माता द्वारा यह सूचित किया गया था कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ कोई गलत काम किया है । अभि. सा. 2 बंटी देवी और अभि. सा. 3 नीम चंद की प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई थी । बंटी देवी ने यह कथन किया कि दो पुत्रों के अतिरिक्त उसकी पांच पुत्रिया हैं और उसकी बड़ी पुत्री एक बालक की अविवाहित माता है और धनवंत द्वारा दो बिस्वा भूमि दी गई थी । अभि. सा. 3 के अनुसार, उन्होंने धनवंत को उक्त भूमि के लिए संदाय किया था । अभि. सा. 2 ने भी यह कथन किया है कि एक बार लेख राज उनके मकान में ठहरा था और शराब पीकर उसकी पुत्री के दरवाजे को धक्का दिया था, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था और उसके विरुद्ध छेड़खानी का आरोप लगाया गया था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसकी सास के साथ झगड़ा किया था । विद्वान काउंसेल के अनुसार ये पूर्ववर्ती घटनाएं तथा अभि. सा. 2 की एक पुत्री अविवाहित माता बन गई थी, ऐसी बातें हैं जो अभियोजन के विरुद्ध जाती हैं । इन दलीलों में कोई गुणागुण नहीं है और इस मामले से कोई सरोकार नहीं है । यहां तक कि अभि. सा. 3 ने भी भूमि के संबंध में अभियुक्त के साथ कोई विवाद होने की बात से विनिर्दिष्ट रूप से इनकार किया है । उसने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में एक विशिष्ट बयान देने के लिए अभियोक्त्री को सिखाने-पढाने की बात से भी इनकार किया और इस बात से भी इनकार किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सोच-विचार के पश्चात दर्ज की गई थी । इसके अतिरिक्त, अभि.

सा. 4 प्रकाश चंद ने यह कथन किया है कि वह अभियोक्त्री के मकान पर गया था । अभियोक्त्री से पूछने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को बुलाया गया था । उस समय अभियोक्त्री बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे वह बीमार लग रही थी । इस बात से अभियोक्त्री की हालत के तथ्य की संपुष्टि होती है । अभियोक्त्री ने भी यह नहीं कहा है कि उसके साथ बलात्संग किया गया था । यहां तक कि अभि. सा. 5 डा. अनुपमा शर्मा द्वारा और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्टों में अभियोक्त्री के साथ मैथून की बात को नकारा गया है । पूर्वोक्त साक्ष्य की समालोचनात्मक परीक्षा के पश्चात न्यायालय अभियोक्त्री के कथन में कोई अतिरंजना, बढा-चढाकर कही गई बात या असंगति नहीं पाता है, अपित् न्यायालय में परीक्षा करते समय वह ठीक और गलत के बीच के अंतर को समझने योग्य पाई गई थी । उसने कठोर प्रतिपरीक्षा का भली-भांति सामना किया । उसकी माता और भाई द्वारा उसके परिसाक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों का समर्थन किया गया है, जिससे सिखाने-पढाने का कोई आभास नहीं होता है । अभियोजन पक्ष उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित करने में समर्थ रहा है कि अभियुक्त तैयारी के प्रक्रम से आगे निकल गया था क्योंकि उसने न केवल अभियोक्त्री की सलवार उतारी थी, अपित उसने अपना जांघिया भी उतारा था और उसके ऊपर लेट गया था । अभियोक्त्री अपनी अल्प आयु के कारण अभियुक्त के आगे बढ़ने का विरोध नहीं कर सकी, किंतु उसने उससे उसके कृत्य के बारे में प्रश्न किया था । अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया और बचकर आ गई । जब अभियोक्त्री घर पहुंची तो उसने अपनी माता को घटना बताई और उसे नहलाया गया । उसके कपड़े बदले गए । जब परिवार के अन्य सदस्य आए तो वह बिस्तर में लेटी हुई थी । इन सभी सिद्ध तथ्यों से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त अपनी कामवासना को शांत करने के लिए आतुर था । अभियुक्त की ओर से विद्वान काउंसेल की यह दलील कि यह मामला अभियोक्त्री की माता और अभियुक्त के बीच दुश्मनी के कारण गढ़ा गया है, प्रभावोत्पादक नहीं है क्योंकि कोई भी पुरुष/स्त्री अपनी अल्प आयु की अविवाहित पुत्री को उसके भविष्य को दाव पर लगाकर ऐसे मामले में अन्तर्वलित नहीं करेगा । इस प्रकार, न्यायालय अभियुक्त की दोषसिद्धि में कोई त्रुटि नहीं पाता है। (पैरा 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15)

अभिलेख के परिशीलन से दर्शित होता है कि आरोप विरचित करने के समय अभियुक्त की आयु 70 वर्ष थी और घटना की तारीख को उसकी आयु लगभग 69 वर्ष थी तथा अब उसकी आयु 72 वर्ष है । अभियुक्त की वृद्धावस्था के कारण उसके इतना कामुक और कामातुर होने और अधम प्रवृत्ति के वशीभूत होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए । जो भी हो, परिशमनकारी और न्यूनकारी परिस्थितियों तथा अभियुक्त की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए, इस आयु में अधिक लम्बी अवधि का अभिरक्षणीय दंडादेश उसके जीवन का अंत कर देगा, इसलिए अभिकथित बलात्संग के प्रयत्न के लिए दोषसिद्धि को कायम रखते हुए यह अपील, जुर्माने के साथ छेड़छाड़ किए बिना, अभिरक्षणीय दंडादेश को कम करके एक वर्ष का कठोर कारावास करते हुए भागतः मंजूर की जाती है। (पैरा 17)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 152.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से

श्री श्रवण डोगरा

प्रत्यर्थी की ओर से

श्री पी. एम. नेगी, उप महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह – अपीलार्थी 2010 के सेशन विचारण सं. 4, जिसका तारीख 16 अप्रैल, 2012 को विनिश्चय किया गया, में लगभग नौ वर्ष आयु की एक बालिका जो चौथी कक्षा में पढ़ रही थी के साथ बलात्संग करने के प्रयत्न के लिए पारित किए गए दोषसिद्धि के उस निर्णय से व्यथित है जिसके द्वारा उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने और दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश, व्यतिक्रम खंड संहित, दिया गया है । जुर्माने की रकम की वसूली होने पर इसे प्रतिकर के रूप में अभियोक्त्री को संदत्त किए जाने का आदेश किया गया है ।

- 2. संक्षेप में, अभियोजन वृत्तांत, जैसाकि अभियोजन साक्षियों द्वारा बताया गया है, इस प्रकार है :-
 - "(i) तारीख 18 सितम्बर, 2009 को अपराह्न में लगभग 6.00 बजे अभियोक्त्री की माता अभि. सा. 2 बंटी देवी ने उसे खेतों से बकरियां लाने के लिए भेजा था । अपीलार्थी, जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्त कहा गया है, उस समय एक शिलाखण्ड पर खड़ा हुआ था । उसने अभियोक्त्री को एक भुट्टा लेने के लिए फुसलाया । जब अभियोक्त्री अभियुक्त के निकट पहुंची, तो उसने उसे नीचे गिरा लिया और उसकी सलवार तथा जांधिया उतार दिया । जब अभियोक्त्री ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने उसका

मुंह दबा लिया और अभिकथित रूप से कुकृत्य (गलत काम) किया । अभियोक्त्री ने अपनी सलवार उठाई और अपने घर की ओर भागी । उसकी माता (अभि. सा. 2) गाय दुह रही थी । उसने अभियोक्त्री से चुल्हे में आग जलाने के लिए कहा, किंतु उसने अपने शरीर में तेज दर्द होने के कारण आग नहीं जलाई । जब अभि. सा. 2 वहां आई और देखा कि अभियोक्त्री ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह उसे गालियां देने लगी और आग न जलाने का कारण पूछा । तब अभियोक्त्री ने उसे संपूर्ण वृत्तांत बताया । उसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने अपने पुत्र अभि. सा. 3 नीम चंद को बुलाया और इसी बीच उसने अपनी पुत्री को स्नान कराया और परिवार के अन्य सदस्यों के आने का इंतजार किया ।

- (ii) उसके पश्चात् तारीख 20 सितम्बर, 2009 को अभियोक्त्री द्वारा अपने भाई पूर्वोक्त नीम चंद के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.1/ए, के निबंधनानुसार पुलिस को मामले की रिपोर्ट की गई।
- (iii) पुलिस ने अभि. सा. 5 डा. अनुपमा शर्मा से उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया । उसने यह पाया कि अभियोक्त्री के मर्मांग स्थिर थे । रजस्राव, यौवनारंभ और यौवनागम आरंभ नहीं हुए थे । उसके शरीर पर कोई क्षति नहीं थी, योनिच्छद अविकल पाया गया था और कोई सूजन नहीं थी तथा गुदा भी सामान्य थी । अस्थिपंजर आयु पता करने के लिए उसे विकिरण-चिकित्सक के पास भेजा गया । अस्थिशिर के आधार पर उसकी आयु नौ वर्ष से कम होने की राय (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/सी) व्यक्त की गई ।
- (iv) डाक्टर ने अभियोक्त्री की कमीज प्रदर्श पी-1 और सलवार प्रदर्श पी-2, जो उसने पहने हुए थे, कब्जे में लिए और मुहरबंद किए । उसने योनिच्छद के आस-पास के स्नाव के फाए लिए । ये सभी वस्तुएं मुहरबंद की गईं और न्यायालयिक परीक्षण के लिए पुलिस को सौंपी गईं तथा चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/बी जारी किया । डाक्टर ने ऐसा कुछ नहीं पाया जो मैथुन का सूचक हो ।
- (v) अभि. सा. 9 निरीक्षक/थाना अधिकारी जगदीश चंद ने अन्वेषण किया । वह घटनास्थल पर गया और अभिकथित घटना के स्थल का स्थल-नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ए तैयार किया । उसने

संबंधित पंचायत से जन्म प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी और जन्म रिजस्टर का उद्धरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/सी अभिप्राप्त किया । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और आगे अन्वेषण के लिए फाइल अभि. सा. 12 सहायक उप निरीक्षक रघुवीर को सौंपी गई।

- (vi) पूर्वोक्त अभि. सा. 12 द्वारा अभियुक्त से परिप्रश्न करने के दौरान उसने पुलिस को अपना जांघिया प्रदर्श पी-3 सौंपा और उसे भी मुहरबंद किया गया और न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा गया । अभियुक्त का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जो अभि. सा. 6 डा. विवेक मुदिगल द्वारा किया गया । उसने उसे मैथुन करने के लिए योग्य पाया और चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/बी जारी किया ।
- (vii) पूर्वोक्त वस्तुएं न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजी गई थीं और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/बी है । अभियोक्त्री के पहने हुए कपड़ों और अभियुक्त के जांघिए पर रक्त और वीर्य नहीं पाया गया था।"
- 3. प्रारंभ में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दर्ज की गई थी किंतु चिकित्सीय रिपोर्ट और राय मिलने पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह बलात्संग के प्रयत्न का मामला है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए चालान प्रस्तुत किया गया।
- 4. तद्नुसार, अभियुक्त का बलात्संग के प्रयत्न के लिए विचारण किया गया । उसने आरोप के लिए दोषी होने से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने साक्षियों की परीक्षा कराई और अपीलार्थी की भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई । उसने आरोप से पूर्णरूपेण इनकार किया । जब उसे अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उसने प्रति. सा. 1 के रूप में संत राम की परीक्षा कराई । उसने यह कथन किया कि तारीख 18 सितम्बर, 2009 को वह जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहा था, उसने उस समय नीम चंद का मोबाइल नम्बर डायल किया था और अभियोक्त्री ने अपने भाई से बात की । किंतु आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिपरीक्षा के समय इस तथ्य की कोई बात अभि. सा. 3 से नहीं कही गई थी और उसने यह भी नहीं बताया कि अभियोक्त्री ने फोन पर अपने भाई

से क्या कहा था ।

- 5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की पूर्वोक्त प्रतिरक्षा तथा यथा अभिकथित मिथ्या फंसाए जाने की बात को अविश्वसनीय माना और विचारण के अंत में उसे पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है।
- 6. अभियुक्त की ओर से विद्वान काउंसेल श्री श्रवण डोगरा ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि अभियोक्त्री का कथन संगत नहीं है । उसके कथन की गहराई से और अत्यधिक सतर्क होकर परीक्षा करना आवश्यक है और इसका कारण यह है कि अभियुक्त के साथ अभियोक्त्री की माता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे । अभियोक्त्री का अन्य साक्ष्य पूरी तरह से ढूलमूल है क्योंकि प्रतिपरीक्षा में अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि उसे न्यायालय के बाहर बताया गया था कि उसे न्यायालय में क्या कहना है तथा उसकी माता अभि. सा. 2 बंटी देवी के कथन में विरोधाभास है क्योंकि उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री रो रही थी और आग नहीं जलाई थी, जबिक रोने की बात अभियोक्त्री द्वारा नहीं कही गई है। विद्वान काउंसेल ने अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा को भी निर्दिष्ट किया, जिसमें उसने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त ने संयुक्त रूप से प्रीतमो और देवी राम की भूमि खरीदी थी, जो मिथ्या मामला फाइल करने का कारण हो सकता है और यह भी कि अभियुक्त ने इस साक्षी की सास के साथ झगड़ा किया था । विद्वान काउंसेल ने आगे यह भी दलील दी कि अभियोक्त्री की एक बड़ी बहिन स्वीकृततः एक अप्राप्तवय बालक की अविवाहित मां है और उसे धनवंत नामक व्यक्ति द्वारा दो बिस्वा भूमि दी गई थी और एक बार श्री लेख राज उनके मकान में ठहरा था, जहां उसने शराब पी और उसकी पुत्री के दरवाजे को धक्का दिया तथा परिणामस्वरूप झगड़ा हुआ और उसके विरुद्ध छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था । विद्वान काउंसेल के अनुसार, इन तथ्यों को यदि चिकित्सीय साक्ष्य को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त को मिथ्या मामले में फंसाया गया है।
- 7. विद्वान् उप महाधिवक्ता श्री पी. एम. नेगी ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील दी कि जैसा कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, अभियोक्त्री, हालांकि एक बालक है, वह ठीक और गलत के बीच भेद करने योग्य थी। वह पूरी तरह से समझती थी कि जो कुछ वह कह रही है उसका क्या अर्थ

है और उसने कठोर प्रतिपरीक्षा का बहुत भली-भांति सामना किया । उसे घटना का वर्णन करते हुए कोई झिझक नहीं थी । बालक होने के कारण उसके परिसाक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह समाधानप्रद और पूर्णतः विश्वासोत्पादक है और उसकी माता तथा भाई नीम चंद द्वारा भी इसकी सम्यक् संपुष्टि की गई है । विद्वान् उप महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि चिकित्सा साक्ष्य से कोई पूर्ण और आंशिक प्रवेशन दर्शित नहीं होता है किंतु, श्री नेगी के अनुसार, अभियुक्त ने तैयारी की सीमा को लांघ दिया था और इससे आगे निकल गया था, किंतु किसी तरह से बलात्संग का अपराध पूर्ण नहीं कर सका । यह भी दलील दी गई है कि किसी माता-पिता द्वारा ऐसा आरोप जिससे उसकी बालिका का भविष्य बर्बाद हो जाए, कभी नहीं लगाया जाता है । इसलिए आक्षेपित निर्णय में किसी भी आधार पर कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है ।

- 8. मैंने पक्षकारों की विरोधी दलीलों पर गहनता से विचार किया और अभिलेख के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा की ।
- 9. अभिलेख के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री का कथन अभिलिखित करने से पूर्व विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री से कितपय प्रश्न, कि क्या वह सच बोलने के कर्तव्य को समझती है, करने के पश्चात् अपनी राय अभिलिखित की थी और जब उसका यह समाधान हो गया कि वह इसकी पवित्रता को समझती है, तब शपथ पर उसका कथन अभिलिखित किया गया।
- 10. हालांकि बालक को सिखाने-पढ़ाने की गुंजाइश है, किंतु केवल यह बात ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं हो सकता है और इसके लिए बालक के समग्र परिसाक्ष्य को देखा जाना चाहिए कि क्या उसे सिखाया-पढ़ाया गया है या नहीं और सिखाने-पढ़ाने के बात का पता लगाने के लिए यह बात केवल साक्ष्य और उसकी अंतर्वस्तुओं की परीक्षा करके अभिनिश्चित की जा सकती है । यदि अभिलेख पर प्रकट तात्विक विशिष्टियों की संपुष्टि बालक के कथन से होती है, तो आरोप को सिद्ध करने के लिए उसके साक्ष्य का अत्यधिक महत्व होगा ।
- 11. मैं इस बात से अवगत हूं कि बालक साक्षी के साक्ष्य का अधिक सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि बालक का उन बातों से जो उसे अन्य व्यक्ति कहते हैं प्रभावित होना संभाव्य है और इस प्रकार बालक साक्षी सिखाने-पढ़ाने का आसानी से

शिकार हो जाता है । किंतु अभियोक्त्री के कथन की संवीक्षा करने पर इस संभाव्यता से पूरी तरह इनकार किया जाता है ।

12. यद्यपि अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि उसे न्यायालय के बाहर यह बताया गया था कि उसे न्यायालय में क्या बोलना है, किंतू उसने अपनी आगे प्रतिपरीक्षा में इस बात से पूर्णतः इनकार किया कि उसे न्यायालय में प्रस्तुत की गई कहानी के अनुसार कथन करने के लिए कहा गया था । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए प्रारंभिक वृत्तांत की निःसंकोच संपृष्टि की । उसने यह भी साक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने उसे भूटटा लेने के लिए बुलाया था । जब वह उसके पास गई तो अभियुक्त ने उसकी सलवार खोली और अपना जांघिया भी खोला और उसके ऊपर लेट गया । उसने यह भी साक्ष्य दिया कि सलवार खोलते समय उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है, किंतु अभियुक्त ने जो कुछ किया था, अभियोक्त्री के शब्दों में, वह कुकृत्य (गलत काम) था । उसके बाद वह भाग गया । अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि वह अपने घर लौट आई, उसकी माता गाय दृह रही थी । उसने उससे रसोई में आग जलाने के लिए कहा, किंतु क्योंकि उसके शरीर में दर्द हो रहा था इसलिए वह आग नहीं जला सकी । उसे उसकी माता ने फटकार लगाई और उसके बाद उसने अपनी माता को संपूर्ण घटना के बारे में बताया । उसके पश्चात उसकी माता ने उसे रनान कराया और बिस्तर पर ले गई । अभि. सा. 3 नीम चंद को बुलाया गया । अभि. सा. 2 ने अभियोक्त्री के वृत्तांत की तात्विक विशिष्टियों की संपुष्टि की है और अभि. सा. 3 नीम चंद के कथन से इसकी पृष्टि होती है । अभि. सा. 3 ने यह साक्ष्य दिया है कि उसे उसकी माता द्वारा यह सूचित किया गया था कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ कोई गलत काम किया है।

13. अभि. सा. 2 बंटी देवी और अभि. सा. 3 नीम चंद की प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई थी । बंटी देवी ने यह कथन किया कि दो पुत्रों के अतिरिक्त उसकी पांच पुत्रियां हैं और उसकी बड़ी पुत्री एक बालक की अविवाहित माता है और धनवंत द्वारा दो बिस्वा भूमि दी गई थी । अभि. सा. 3 के अनुसार, उन्होंने धनवंत को उक्त भूमि के लिए संदाय किया था । अभि. सा. 2 ने भी यह कथन किया है कि एक बार लेख राज उनके मकान में उहरा था और शराब पीकर उसकी पुत्री के दरवाजे को धक्का दिया था, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था और उसके विरुद्ध छेड़खानी का आरोप लगाया गया था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया

कि अभियुक्त ने उसकी सास के साथ झगड़ा किया था । विद्वान् काउंसेल के अनुसार ये पूर्ववर्ती घटनाएं तथा अभि. सा. 2 की एक पुत्री अविवाहित माता बन गई थी, ऐसी बातें हैं जो अभियोजन के विरुद्ध जाती हैं । इन दलीलों में कोई गुणागुण नहीं है और इस मामले से कोई सरोकार नहीं है। यहां तक कि अभि. सा. 3 ने भी भूमि के संबंध में अभियुक्त के साथ कोई विवाद होने की बात से विनिर्दिष्ट रूप से इनकार किया है । उसने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में एक विशिष्ट बयान देने के लिए अभियोक्त्री को सिखाने-पढाने की बात से भी इनकार किया और इस बात से भी इनकार किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सोच-विचार के पश्चात दर्ज की गई थी । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 4 प्रकाश चंद ने यह कथन किया है कि वह अभियोक्त्री के मकान पर गया था । अभियोक्त्री से पूछने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को बुलाया गया था । उस समय अभियोक्त्री बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे वह बीमार लग रही थी । इस बात से अभियोक्त्री की हालत के तथ्य की संपृष्टि होती है । अभियोक्त्री ने भी यह नहीं कहा है कि उसके साथ बलात्संग किया गया था । यहां तक कि अभि. सा. 5 डा. अनुपमा शर्मा द्वारा और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्टों में अभियोक्त्री के साथ मैथून की बात को नकारा गया है।

14. पूर्वोक्त साक्ष्य की समालोचनात्मक परीक्षा के पश्चात् मैं अभियोक्त्री के कथन में कोई अतिरंजना, बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात या असंगति नहीं पाता हूं, अपितु न्यायालय में परीक्षा करते समय वह ठीक और गलत के बीच के अंतर को समझने योग्य पाई गई थी । उसने कठोर प्रतिपरीक्षा का भली-भांति सामना किया । उसकी माता और भाई द्वारा उसके परिसाक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों का समर्थन किया गया है, जिससे सिखाने-पढ़ाने का कोई आभास नहीं होता है । अभियोजन पक्ष उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित करने में समर्थ रहा है कि अभियुक्त तैयारी के प्रक्रम से आगे निकल गया था क्योंकि उसने न केवल अभियोक्त्री की सलवार उतारी थी, अपितु उसने अपना जांघिया भी उतारा था और उसके ऊपर लेट गया था । अभियोक्त्री अपनी अल्प आयु के कारण अभियुक्त के आगे बढ़ने का विरोध नहीं कर सकी, किंतु उसने उससे उसके कृत्य के बारे में प्रश्न किया था । अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया और बचकर आ गई । जब अभियोक्त्री घर पहुंची तो उसने अपनी माता को घटना बताई और उसे नहलाया गया । उसके कपड़े बदले गए । जब परिवार के अन्य सदस्य आए

तो वह बिस्तर में लेटी हुई थी । इन सभी सिद्ध तथ्यों से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त अपनी कामवासना को शांत करने के लिए आतुर था । (रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

- 15. अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल की यह दलील कि यह मामला अभियोक्त्री की माता और अभियुक्त के बीच दुश्मनी के कारण गढ़ा गया है, प्रभावोत्पादक नहीं है क्योंकि कोई भी पुरुष/स्त्री अपनी अल्प आयु की अविवाहित पुत्री को उसके भविष्य को दांव पर लगाकर ऐसे मामले में अन्तर्वलित नहीं करेगा/करेगी । इस प्रकार, मैं अभियुक्त की दोषसिद्धि में कोई त्रुटि नहीं पाता हूं ।
- 16. अभियुक्त को जब एक बार नौ वर्षीय अप्राप्तवय बालिका के साथ बलात्संग करने के प्रयत्न के लिए आरोपित अपराध का दोषी ठहराया गया है, इसलिए न्यूनतम दंडादेश विहित दंडादेश का आधा है और क्योंकि 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ बलात्संग के लिए न्यूनतम दंडादेश 10 वर्ष है, किंतु इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के स्पष्टीकरण-2 को ध्यान में रखते हुए विशेष कारणों से कम किया जा सकता है।
- 17. अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अभियुक्त की ढलती वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए नरमी बरतने का अनुरोध किया है । अभिलेख के परिशीलन से दर्शित होता है कि आरोप विरचित करने के समय अभियुक्त की आयु 70 वर्ष थी और घटना की तारीख को उसकी आयु लगभग 69 वर्ष थी तथा अब उसकी आयु 72 वर्ष है । अभियुक्त की वृद्धावस्था के कारण उसके इतना कामुक और कामातुर होने और अधम प्रवृत्ति के वशीभूत होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए । जो भी हो, परिशमनकारी और न्यूनकारी परिस्थितियों तथा अभियुक्त की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए, इस आयु में अधिक लम्बी अवधि का अभिरक्षणीय दंडादेश उसके जीवन का अंत कर देगा, इसलिए अभिकथित बलात्संग के

प्रयत्न के लिए दोासिद्धि को कायम रखते हुए यह अपील, जुर्माने के साथ छेड़छाड़ किए बिना, अभिरक्षणीय दंडादेश को कम करके एक वर्ष का कठोर कारावास करते हुए भागतः मंजूर की जाती है।

18. अभियुक्त दंडादेश भुगत रहा है, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा संबंधित कारागार के अधीक्षक को उपांतरित कारागार अधिपत्र भेजा जाए ।

19. अभिलेख तुरंत निचले न्यायालय को भेजा जाए ।

अपील भागतः मंजुर की गई ।

जस.

(2013) 2 दा. नि. प. 99

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

रमेश चन्द और अन्य

तारीख 13 सितम्बर, 2012

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306, 498-क और 34 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने मृतका को किसी प्रकार से तंग किया या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने आत्महत्या की, वहां अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध न बनने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सुषमा देवी (मृतका) का विवाह वर्ष 1996 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार अभियुक्त रमेश चन्द के साथ हुआ था । तारीख 12 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न में 11.30 बजे ग्राम पंचायत, राजपुरा के उप-प्रधान गुरचरण सिंह (अभि. सा. 2) से पुलिस चौकी, नगरोटा भगवान पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह कहा गया कि रोशन लाल की पुत्री सुषमा

देवी, जिसका विवाह रमेश चन्द के साथ हुआ था, की विष देकर हत्या कर दी गई है और कार्रवाई की जाए । सूचना लेखबद्ध करने के पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर गई और मृतका सुषमा देवी के पिता रोशन लाल का कथन अभिलिखित किया । उसके अनुसार, सुषमा देवी की उसके विवाह के लगभग एक वर्ष तक उचित रूप से देखरेख की गई और उसके बाद अभियुक्त और मृतका के बीच मतभेद पैदा हो गए । मृतका को उसकी सास-सस्र पंसद नहीं करते थे । उसकी पुत्री कई बार उससे यह शिकायत करती थी कि उसका पति उसकी पिटाई करता है । उसकी पुत्री तारीख 18 जून, 1998 को बीमार पड़ गई । उसे नगरोटा भगवान स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया । उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी कोई देखभाल नहीं की गई । उसे उसकी पुत्री का टेलीफोन आया कि वह अस्पताल में अकेली है । उसके पश्चात् उसने अपनी पत्नी को अस्पताल में सुषमा देवी की देखरेख करने के लिए भेजा । वह अस्पताल में 15 दिन रही । तारीख 12 जुलाई, 1998 को गरीब राम उसके मकान पर आया और सुषमा देवी की मृत्यु के बारे में सूचित किया । उसके पश्चात यह साक्षी ग्रामवासियों के साथ अभियुक्त के मकान पर गया और अपनी पुत्री को मृत पाया । उसके अनुसार, उसकी पुत्री ने अभियुक्तों द्वारा उसे तंग करने की वजह से कोई विष खा लिया था । मृतका के पिता रोशन लाल के कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 306 और 498-क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रिजस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण किया गया और संहिता-संबंधी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 13 जुलाई, 2004 को अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । राज्य द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित — अभियुक्तों द्वारा मृतका को किसी प्रकार से तंग करने या दुर्व्यवहार करने के कोई विनिर्दिष्ट दृष्टांत नहीं हैं । अभि. सा. 1 रोशन लाल के कथन में जो बात आई है वह यह है कि अभियुक्त उसकी पुत्री के सांवले रंग के बारे में शिकायत कर रहे थे और वह किसी बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं थी । उसने यह स्वीकार किया है कि अपने ग्राम पंचायत के प्रधान को या अपनी पुत्री के ग्राम पंचायत के प्रधान को कभी कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी । अभि. सा. 2 गुरबचन सिंह ने भी यह स्वीकार किया है कि सुषमा देवी की मृत्यु से लगभग दो मास पूर्व

मृतका की माता उससे मिली थी और अभियुक्तों द्वारा सुषमा देवी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में मौखिक शिकायत की थी । उसने उसे लिखित शिकायत फाइल करने की सलाह दी थी, तथापि, ग्राम पंचायत के समक्ष कभी कोई लिखित शिकायत फाइल नहीं की गई । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि सुषमा देवी या उसके पिता और भाई द्वारा उससे सुषमा देवी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की गई थी । अभि. सा. 3 प्रवेश कुमारी के अनुसार, अभियुक्त मृतका को कोई बच्चा पैदा न करने के लिए तंग करते थे, हालांकि उसने सुषमा देवी को पंचायत के पास रिपोर्ट दर्ज करने की सलाह दी थी, किंतू उसने ऐसा करने से मना कर दिया था । अभि. सा. 4 के अनुसार, अभियुक्त उसकी पुत्री के सांवले रंग के बारे में शिकायत कर रहे थे और रमेश चन्द का पुनर्विवाह करना चाहते थे, चूंकि मृतका के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सका था । उसने सुषमा देवी को मामले की रिपोर्ट ग्राम पंचायत या पुलिस को करने के लिए कहा था, किंत् उसने ऐसा नहीं किया । अभि. सा. 8 सत्या देवी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब भी सुषमा देवी उससे मिली, उसने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की । अभि. सा. 10 ओम प्रकाश ने यह कथन किया है कि सुषमा देवी ग्राम पंचायत की मध्यस्थता चाहती थी, तथापि, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सुषमा देवी ने दुर्व्यवहार करने का कभी कोई कारण नहीं बताया था । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सुषमा देवी के माता-पिता, नातेदारों या सुषमा देवी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध ग्राम पंचायत या पुलिस के समक्ष कभी कोई लिखित शिकायत नहीं की गई थी। अभिलेख पर यह भी साबित है कि सुषमा देवी अपनी मृत्यु से दो दिन पूर्व अभियुक्त के साथ अपने माता-पिता के पास आई थी । अब, जहां तक आत्महत्या के टिप्पण, जो डीए के रूप में चिन्हित है, का संबंध है, इसे विधि के अनुसार साबित नहीं किया गया है । आत्महत्या के टिप्पण को कभी भी प्रश्नगत दस्तावेजों के शासकीय परीक्षक के पास यह सिद्ध करने के लिए नहीं भेजा गया कि यह टिप्पण मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व लिखा गया था । परिणामतः, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध मामले को साबित करने में बुरी तरह से असफल रहा है । विद्वान विचारण न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात अभियुक्तों को ठीक ही दोषमुक्त किया है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 498.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री विवेक ठाकुर, अपर

महाधिवक्ता और राजेश मंधोत्रा,

उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री विकास भारद्वाज

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – राज्य द्वारा यह अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश द्वारा सेशन मामला सं. 105-के/vii/03 में तारीख 13 जुलाई, 2004 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 306 और 498-क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था और विचारण किया गया था, को दोषमुक्त किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि सुषमा देवी का विवाह वर्ष 1996 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार अभियुक्त रमेश चन्द के साथ हुआ था । तारीख 12 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न में 11.30 बजे ग्राम पंचायत, राजपुरा के उप-प्रधान गुरचरण सिंह (अभि. सा. 2) से पुलिस चौकी, नगरोटा भगवान पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह कहा गया कि रोशन लाल की पुत्री सुषमा देवी, जिसका विवाह रमेश चन्द के साथ हुआ था, उसकी विष देकर हत्या कर दी गई है और कार्रवाई की जाए । सूचना रपट सं. 10 द्वारा लेखबद्ध की गई । उसके पश्चात सहायक उप-निरीक्षक किशोर चन्द, हैड कांस्टेबल बीर भगवान दास और अन्य पुलिस पदधारी गांव चाहरी में घटनास्थल पर गए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन मृतका सुषमा देवी के पिता रोशन लाल का कथन अभिलिखित किया । अभि. सा. 1 के अनुसार, सुषमा देवी की उसके विवाह के लगभग एक वर्ष तक उचित रूप से देखरेख की गई और उसके बाद अभियुक्त और इस साक्षी की पुत्री के बीच मतभेद पैदा हो गए । मृतका को उसकी सास-ससुर पंसद नहीं करते थे । इस साक्षी के अनुसार, उसकी पुत्री कई बार उससे यह शिकायत करती थी कि उसका पति उसकी पिटाई करता है । उसकी पुत्री तारीख 18 जून, 1998 को बीमार पड़ गई । उसे नगरोटा भगवान स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया । उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी कोई देखभाल नहीं की गई । उसे उसकी पुत्री का टेलीफोन आया कि वह अस्पताल में अकेली है । उसके पश्चात् उसने अपनी पत्नी को अस्पताल में सुषमा देवी की देखरेख करने के लिए भेजा । वह अस्पताल में 15 दिन रही । तारीख 12 जुलाई, 1998 को गरीबु राम उसके मकान पर आया और सुषमा देवी की मृत्यु के बारे में सूचित किया । उसके पश्चात् यह साक्षी ग्रामवासियों के साथ अभियुक्त के मकान पर गया और अपनी पुत्री को मृत पाया । उसके अनुसार, उसकी पुत्री ने अभियुक्तों द्वारा उसे तंग करने की वजह से कोई विष खा लिया था । अभि. सा. 1 रोशन लाल के कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 306 और 498-क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रिजस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण किया गया और संहिता-संबंधी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया ।

- 3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 15 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के भी कथन अभिलिखित किए गए । उन्होंने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 13 जुलाई, 2004 को अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । इसलिए राज्य द्वारा यह अपील की गई है ।
- 4. विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री विवेक ठाकुर ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का उल्टा अर्थ निकाला है । उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है ।
- 5. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने तारीख 13 जुलाई, 2007 के निर्णय का समर्थन किया है ।
- 6. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।
- 7. अभि. सा. 1 रोशन लाल मृतका सुषमा देवी का पिता है । उसके अनुसार, उसकी पुत्री सुषमा का विवाह लगभग चार वर्ष पूर्व रमेश कुमार के साथ हुआ था । विवाह के पश्चात् कुछ समय तक उसके ससुराल वालों द्वारा उसकी पुत्री के साथ ठीक बर्ताव किया गया । उसके पश्चात् अभियुक्तों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया । अभियुक्तों की

यह शिकायत थी की उसकी पुत्री सांवले रंग की है और विवाह के पश्चात किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी । उसकी सास भी यह कहती रहती थी कि वे अभियुक्त रमेश चन्द का पुनर्विवाह करेंगे । अभियुक्त रमेश चन्द और ज्गनी देवी अक्सर उसकी पिटाई करते रहते थे । वह अभियुक्तों द्वारा उसके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत करती रहती थी । यह साक्षी उसे सांत्वना देता था । मृतका अपनी मृत्यू से 15-20 दिन पूर्व दो सप्ताह तक राजकीय अस्पताल में भर्ती रही थी । इस अवधि के दौरान रमेश चन्द के परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आया । इस अवधि के दौरान केवल उसकी पत्नी कौशल्या देवी ही उसकी देखभाल कर रही थी । उसे अपनी पुत्री की मृत्यु के बारे में गरीबु राम से पता चला । उसके पश्चात् उसने अपनी पुत्री की मृत्यु के संबंध में ग्राम पंचायत, राजपुरा के उप-प्रधान को सूचित किया । उप-प्रधान ने दूरभाष पर मामले की सूचना पुलिस को दी । यह साक्षी अपने पुत्रों, पत्नी और उप-प्रधान तथा अन्य सह-ग्रामवासियों के साथ अभियुक्त रमेश चन्द के मकान पर गया । उसकी पुत्री का शव अभियुक्त रमेश चन्द के एक कमरे में पड़ा हुआ था । इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया । पुलिस ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी द्वारा मृत्यू-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । मरणोत्तर परीक्षा आंचलिक अस्पताल, धर्मशाला में की गई । वह यह नहीं कह सकता कि उसकी पुत्री की मृत्यु विष खाने या किसी अन्य कारण से हुई । उसके अनुसार, मृतका की मृत्यु के समय उसका जेठ कुलदीप चन्द अलग रह रहा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसने अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान या अपनी पुत्री की सस्राल की पंचायत के प्रधान के समक्ष कोई शिकायत फाइल नहीं की थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री ने अपने विवाह के पश्चात् अपने मामा या किसी अन्य नातेदार को कभी कोई शिकायत नहीं की थी।

8. अभि. सा. 2 गुरचरन सिंह ग्राम पंचायत, राजपुरा का उप-प्रधान है । उसके अनुसार, वह सुषमा देवी को जानता था, जो अभि. सा. 1 की पुत्री थी । उसका मकान रोशन लाल के मकान से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है । वह अभियुक्त रमेश चन्द के मकान पर कभी नहीं गया था । उसके अनुसार, सुषमा देवी की मृत्यु से लगभग दो मास पूर्व उसकी माता ने उससे अभियुक्तों द्वारा सुषमा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में मौखिक शिकायत की थी । उसने उनसे ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन

प्रस्तुत करने की सलाह दी थी ताकि मामले को सौहार्दपूर्ण रूप से निपटाया जा सके, किंतु मृतका सुषमा देवी की माता ने इस साक्षी से यह कहा कि सुषमा देवी अभियुक्तों के विरुद्ध ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सहमत नहीं है क्योंकि सुषमा को अभियुक्त रमेश चन्द के परिवार में रहना है। तारीख 12 जुलाई, 1998 को मृतका सुषमा का भाई राजपाल उसके पास आया और उसे बताया कि उसकी बहिन की हत्या कर दी गई है। उसने दूरभाष पर पुलिस को सूचित किया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि सुषमा देवी ने उसके ससुराल वालों द्वारा किए गए किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। सुषमा देवी के किसी नातेदार ने भी उसके सुसराल वालों द्वारा उसके साथ किए गए किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की थी। यहां तक कि उसके पिता या भाई ने भी किसी दुर्व्यवहार के संबंध में कभी कोई बात नहीं की थी।

- 9. अभि. सा. 3 प्रवेश कुमारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि सुषमा देवी उसकी भतीजी थी । इस साक्षी के अनुसार, लगभग एक वर्ष तक पित और पत्नी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे । सुषमा देवी इस साक्षी से यह शिकायत करती थी कि उसके ससुराल वाले उसे बच्चा पैदा नहीं होने के लिए दुतकारते रहते हैं । इस साक्षी के अनुसार, सुषमा के ससुराल वाले यह शिकायत करते थे कि सुषमा अपने पित से आयु में बड़ी है । उसके अनुसार, सुषमा भी यह शिकायत करती थी कि उसका जेठ रात्रि में देर से आता है और सुषमा को घर से चले जाने की धमकी देता है क्योंकि वे रमेश चन्द का कहीं और पुनर्विवाह करना चाहते हैं । इस साक्षी ने सुषमा को पंचायत के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करने की सलाह दी थी किंतु उसने मना कर दिया क्योंकि सुषमा सदैव परिवार के साथ सौहार्द संबंध बनाए रखना चाहती थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि वह सुषमा के ससुराल में विवाह के पश्चात कभी नहीं गई थी ।
- 10. अभि. सा. 4 श्रीमती कौशल्या देवी मृतका की माता है । उसके अनुसार, सुषमा देवी का अभियुक्त के साथ विवाह वर्ष 1996 में हुआ था । अभियुक्त यह भी शिकायत करते रहते थे कि सुषमा का रंग सांवला है । उसके ससुराल वाले धमकी देते रहते थे कि वे रमेश चन्द का पुनर्विवाह करेंगे, चूंकि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकी । वे उस पर इस बात के लिए भी दबाव दे रहे थे कि या तो वह घर छोड़कर चली जाए या आत्महत्या कर ले । इस साक्षी के अनुसार, जब उसने सुषमा को मामले की रिपोर्ट

ग्राम पंचायत या पुलिस को करने के लिए कहा तो उसने यह कहा कि चूंकि उसे उस घर में रहना है इसलिए मामले को उभारना नहीं चाहिए । इस साक्षी ने सुषमा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में अभि. सा. 2 गुरचरन सिंह से मौखिक रूप से मामले की रिपोर्ट की थी।

- 11. अभि. सा. 8 श्रीमती सत्या देवी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह समाज सेविका है । मृतका सुषमा की माता उसे मिली और उसे बताया कि उसकी पुत्री का विवाह उसके गांव में हुआ है और वह अपनी पुत्री सुषमा के बारे में बात और चर्चा करना चाहती है । उसने सुषमा की माता से अपने गांव में आने के लिए कहा, तथापि, वह कभी उसके घर नहीं आई । इस साक्षी के अनुसार, जब कभी भी वह सुषमा से मिलती थी तो उसने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया ।
- 12. अभि. सा. 9 डा. कंवर ए. एस. धडवाल ने डा. अर्चना गौतम के साथ मृतका सुषमा देवी की मरणोत्तर परीक्षा की थी । इस साक्षी के अनुसार सुषमा देवी की मृत्यु एल्यूमिनियम फास्फाइड के कारण हुई थी । उसने रासायनिक जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/सी की परीक्षा करने के पश्चात् मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/डी दी थी ।
- 13. अभि. सा. 10 ओम प्रकाश ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका सुषमा का पिता रोशन लाल उसका पड़ोसी है । वह ग्राम पंचायत, राजपुरा का वार्ड सदस्य था । उसके अनुसार, सुषमा ग्राम पंचायत के पास आई थी । उसने उसके ससुराल वालों, अर्थात् पित, सास, ससुर और जेठ द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत की थी । सुषमा देवी चाहती थी कि ग्राम पंचायत इस मामले में मध्यस्थता करे और सौहार्दपूर्ण रूप से मामले को सुलझाए । उसने अपने जीवन के प्रति संकट की भी आशंका जाहिर की थी । सुषमा देवी अपनी मृत्यु से 10-15 दिन पहले पंचायत के पास आई थी । इस साक्षी ने सुषमा को सलाह दी थी कि घबराने की कोई बात नहीं है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि सुषमा देवी ने उसे कभी किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के बारे में नहीं बताया था ।
- 14. मामले का अन्वेषण अभि. सा. 12 प्रकाश चन्द द्वारा किया गया था । उसके अनुसार, उसने तारीख 12 जुलाई, 1998 को गांव का दौरा किया । उसने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी और पी. डब्ल्यू.

9/बी तैयार की । उसने शव को आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ए द्वारा मरणोत्तर परीक्षा के लिए प्रेषित किया ।

15. अभि. सा. 14 डा. नम्रता गुलेरिया ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 11 जुलाई, 1998 को मृतका सुषमा को विष खा लेने के वृत्तांत के साथ अस्पताल लाया गया था । उसने रोगी को आंचलिक अस्पताल, धर्मशाला के लिए रेफर किया था क्योंकि रोगी नाजुक हालत में थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा किए गए रोगी के प्रारंभिक निदान के दौरान यह प्रकट नहीं हुआ था कि यह विष खा लेने का मामला है । उसने यह भी स्वीकार किया कि रोगी कथन करने के लिए अनुपयुक्त थी ।

16. अभियुक्तों द्वारा मृतका को किसी प्रकार से तंग करने या दुर्व्यवहार करने के कोई विनिर्दिष्ट दृष्टांत नहीं हैं । अभि. सा. 1 रोशन लाल के कथन में जो बात आई है वह यह है कि अभियुक्त उसकी पुत्री के सांवले रंग के बारे में शिकायत कर रहे थे और वह किसी बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं थी । उसने यह स्वीकार किया है कि अपने ग्राम पंचायत के प्रधान को या अपनी पुत्री के ग्राम पंचायत के प्रधान को कभी कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी ।

17. अभि. सा. 2 गुरचरन सिंह ने भी यह स्वीकार किया है कि सुषमा देवी की मृत्यु से लगभग दो मास पूर्व मृतका की माता उससे मिली थी और अभियुक्तों द्वारा सुषमा देवी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में मौखिक शिकायत की थी । उसने उसे लिखित शिकायत फाइल करने की सलाह दी थी, तथापि, ग्राम पंचायत के समक्ष कभी कोई लिखित शिकायत फाइल नहीं की गई । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि सुषमा देवी या उसके पिता और भाई द्वारा उससे सुषमा देवी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की गई थी । अभि. सा. 3 प्रवेश कुमारी के अनुसार, अभियुक्त मृतका को कोई बच्चा पैदा न करने के लिए तंग करते थे, हालांकि उसने सुषमा देवी को पंचायत के पास रिपोर्ट दर्ज करने की सलाह दी थी, किंतु उसने ऐसा करने से मना कर दिया था ।

18. अभि. सा. 4 के अनुसार, अभियुक्त उसकी पुत्री के सांवले रंग के बारे में शिकायत कर रहे थे और रमेश चन्द का पुनर्विवाह करना चाहते थे, चूंकि मृतका के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सका था । उसने सुषमा देवी को मामले की रिपोर्ट ग्राम पंचायत या पुलिस को करने के लिए कहा था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया ।

- 19. अभि. सा. 8 सत्या देवी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब भी सुषमा देवी उससे मिली, उसने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की।
- 20. अभि. सा. 10 ओम प्रकाश ने यह कथन किया है कि सुषमा देवी ग्राम पंचायत की मध्यस्थता चाहती थी, तथापि, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सुषमा देवी ने दुर्व्यवहार करने का कभी कोई कारण नहीं बताया था।
- 21. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सुषमा देवी के माता-पिता, नातेदारों या सुषमा देवी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध ग्राम पंचायत या पुलिस के समक्ष कभी कोई लिखित शिकायत नहीं की गई थी । अभिलेख पर यह भी साबित है कि सुषमा देवी अपनी मृत्यु से दो दिन पूर्व अभियुक्त के साथ अपने माता-पिता के पास आई थी ।
- 22. अब, जहां तक आत्महत्या के टिप्पण, जो डीए के रूप में चिन्हित है, का संबंध है, इसे विधि के अनुसार साबित नहीं किया गया है । आत्महत्या के टिप्पण को कभी भी प्रश्नगत दस्तावेजों के शासकीय परीक्षक के पास यह सिद्ध करने के लिए नहीं भेजा गया कि यह टिप्पण मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व लिखा गया था ।
- 23. परिणामतः, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध मामले को साबित करने में बुरी तरह से असफल रहा है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्तों को ठीक ही दोषमुक्त किया है । इसलिए, हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है । जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

प्रीतम चंद

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 21 नवंबर, 2012

न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्र और न्यायमूर्ति वी. के. शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 [सपिटत आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25] – हत्या का प्रयत्न – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन साक्षियों और अभिलेख की सामग्रियों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित कर दिया है वहां अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश युक्तियुक्त और न्यायसंगत है।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ईश्वर दास का अभियुक्त के साथ भूमि संबंधी मुकदमेबाजी हुई थी और इस संबंध में उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था । तारीख 1 सितंबर, 2002 को जब शिकायतकर्ता कुथेरा से अपने मकान पर जा रहा था और छोटे रास्ते से ग्राम धुलाना ब्राहमणा में लगभग 4.30 बजे अपराह्न पहुंचा वहां पर अभियुक्त झाड़ियों से निकला और उसके हाथ में खुखरी थी तथा उसने उसकी गर्दन, पीठ और छाती पर हमला कर दिया, परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया और रक्त टपकने लगा । आहत व्यक्ति की चीख-पुकार सुनकर कई गांववासी वहां पर इकट्ठा हो गए तथा आहत को उपचार के लिए जोनल अस्पताल, हमीरपुर ले गए । डा. अशोक कौशल की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची रपट सं. 21 अभिलिखित की । सहायक उप-निरीक्षक स्वामी राम ने चिकित्सा अधिकारी को उसकी राय प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया जिसपर क्षतिग्रस्त व्यक्ति/आहत के कथन अभिलिखित किए गए । सहायक उप-निरीक्षक स्वामी राम ने शिकायतकर्ता/क्षतिग्रस्त व्यक्ति ईश्वर दास का कथन अभिलिखित किया । उस बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई थी । क्षतिग्रस्त व्यक्ति/आहत की एमएलसी के माध्यम से चिकित्सा परीक्षा की गई थी और उपचार के लिए आहत को आईजीएमसी, शिमला भेजा गया था ।

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और घटनास्थल से बरामदगियां की गई थीं तथा अन्वेषण किए जाने के पश्चात अभियुक्त को पूर्वोक्त अपराधों से आरोपित किया गया था । यह वर्तमान अपील 2003 के सेशन विचारण सं. 3/2004 के सेशन विचारण सं. 47 में विद्वान पीठासीन अधिकारी (त्वरित निपटान न्यायालय) न्यायालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 30 सितंबर, 2005 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन अपीलार्थी/अभियुक्त सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त/सिद्धदोष व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का तथा 10,000/- रुपए का संदाय करने तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया और जर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अपीलार्थी/दोषसिद्ध व्यक्ति को क्रमशः 2 वर्ष की अवधि और 1 वर्ष की अवधि का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया तथापि, दोनों दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश किया गया । अभियुक्त ने दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रतिरक्षा की ओर से यह अभिवाक् किया गया कि सावित्री देवी और जगत राम की परीक्षा नहीं करना जो घटनास्थल पर पहुंचे थे उससे अभियोजन पक्षकथन दूषित हुआ होगा । हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता यद्यपि कुछ अभियोजन साक्षी की परीक्षा नहीं की गई हो जबिक अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को अन्य समर्थन करने वाले अभियोजन साक्षियों के कथनों के संदर्भ में तथा अभिलेख की सामग्री पर युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में सफलतापूर्वक समर्थ हुआ है । प्रदर्श पी-1 डेगर (खुखरी) है जिसका नक्शा प्रदर्शित किया गया है जो लंबाई में 42 से. मी. और उसका नुकीला भाग 4 से. मी. चौड़ा है । यह आयुध प्रकृति में खतरनाक है जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाना था जबिक अपीलार्थी/दोषसिद्ध व्यक्ति के पास सुसंगत लाइसेंस नहीं था । प्रतिरक्षा पक्ष ने यह आधार लिया है कि अभि. सा. 2 (आहत)/क्षतिग्रस्त व्यक्ति ने अभि. सा. 1/(डा. अशोक कौशल) को हमलावर का नाम नहीं बताया । हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्षकथन को तब तक घातक नहीं

होना कहा जा सकता है जब अभि. सा. 1 ने स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि उसने अभि. सा. 2 से हमलावर के नाम के बारे में पुछताछ नहीं की । हमारा विचारित मत यह है कि ऐसी कोई अध्यपेक्षा नहीं है कि आहत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति ने संबंधित उपस्थित डाक्टर को हमलावरों के नाम प्रकट करने में विचलन किया है । यहां पर भी अभि. सा. 1 ने हमालवर के नाम के बारे में पूछताछ नहीं की गई इसलिए हमलावर के नाम को प्रकट नहीं करना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक होना नहीं कहा जा सकता है । हमारा विचारित मत यह है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति अभि. सा. 2 के कथन की अभि. सा. 4 जो तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया था, सम्पुष्टि की गई है । इस प्रकार, अभि. सा. 4 अत्यधिक विश्वसनीय साक्षी है । अभियोजन साक्षियों तथा अभिलेख की सामग्रियों का विश्लेषण करने पर न्यायालय का विचारित मत यह है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी त्वरित निपटान न्यायालय, हमीरपुर, ने सही रूप से ये निष्कर्ष निकाले कि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है और न्यायालय का विचारित मत यह भी है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है । तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित दंडादेश युक्तियुक्त है । इस प्रकार, न्यायालय विद्वान पीठासीन अधिकारी के निर्णय और अधिमत में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं पाता है । इस प्रकार, अपील गुणागुण रहित है और खारिज की जाती है । (पैरा 11, 12, 14 और 15)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 3 एस. सी. सी. 654 : शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य ;	10
[2009]	(2009) 17 एस. सी. सी. 497 : चिक्रंगया और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य ;	13
[2005]	(2005) 13 एस. सी. सी. 468 : रामाश्रेय यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य ;	14
[2004]	2004 क्रिमिनल ला जर्नल 1807 : धनज सिंह उर्फ शेरा और अन्य बनाम पंजाब राज्य ;	10
[1994]	(1994) 1 एस. सी. सी. 388 : पी. बाबू और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ;	14

[1992] (1992) 2 एस. सी. सी. 126 : पारस यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य । 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 439.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी की ओर से

श्री एम. एस. गुलेरिया, अधिवक्ता श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अधिवक्ता/ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता साथ में श्री जे. एस. राना, सहायक

महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्र ने दिया ।

न्या. मिश्र – यह वर्तमान अपील 2003 के सेशन विचारण सं. 3/2004 के सेशन विचारण सं. 47 में विद्वान् पीठासीन अधिकारी (त्वरित निपटान न्यायालय) न्यायालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 30 सितंबर, 2005 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन अपीलार्थी/अभियुक्त/सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त/सिद्धदोष व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का तथा 10,000/- रुपए का संदाय करने तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अपीलार्थी/दोषसिद्ध व्यक्ति को क्रमशः 2 वर्ष की अवधि और 1 वर्ष की अवधि का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया तथापि, दोनों दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश किया गया।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ईश्वर दास का अभियुक्त के साथ भूमि संबंधी मुकदमेबाजी हुई थी और इस संबंध में उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था । तारीख 1 सितंबर, 2002 को जब शिकायतकर्ता कुथेरा से अपने मकान पर जा रहा था और छोटे रास्ते से ग्राम धुलाना ब्राहमणा में लगभग 4.30 बजे अपराह्न पहुंचा वहां पर अभियुक्त झाड़ियों से निकला और उसके हाथ में खुखरी थी तथा उसने उसकी गर्दन, पीठ और छाती पर हमला कर दिया, परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया और रक्त टपकने लगा । आहत व्यक्ति की चीख-पुकार सुनकर कई गांववासी वहां पर इकट्ठा हो गए तथा आहत को उपचार के लिए जोनल अस्पताल, हमीरपुर ले गए । डा. अशोक कौशल की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची रपट सं. 21 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12-क) अभिलिखित की । सहायक उप-निरीक्षक स्वामी राम ने चिकित्सा अधिकारी को उसकी राय प्राप्त करने के लिए आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1-क) पेश किया जिसपर क्षतिग्रस्त व्यक्ति/आहत के कथन अभिलिखित किए गए । सहायक उप-निरीक्षक स्वामी राम ने शिकायतकर्ता/क्षतिग्रस्त व्यक्ति ईश्वर दास के कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2-क) अभिलिखित किया । उस बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12-ख) अभिलिखित की गई थी । क्षतिग्रस्त व्यक्ति/आहत की एमएलसी (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1-घ) के माध्यम से चिकित्सा परीक्षा की गई थी और उपचार के लिए आहत को आईजीएमसी, शिमला भेजा गया था । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और घटनास्थल से बरामदिगयां की गई थीं तथा अन्वेषण किए जाने के पश्चात् अभियुक्त को पूर्वोक्त अपराधों से आरोपित किया गया था ।

- 3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 16 अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की जबिक अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है और अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा दी है कि उसे शिकायतकर्ता द्वारा भूमि संबंधी विवाद होने के कारण मिथ्या रूप से फंसाया गया है । इस प्रकार, उसने प्रतिरक्षा में किसी साक्ष्य का अभिवाक् नहीं किया है ।
- 4. अभि. सा. 1 (डा. अशोक कौशल) ने क्षतिग्रस्त व्यक्ति ईश्वर दास (अभि. सा. 2) की परीक्षा की थी और क्षतियों का उल्लेख किया तथा अपनी राय निम्नलिखित रूप में व्यक्त की :-
 - "1. छिन्न घाव जिसके उपान्त स्पष्ट रूप से कटे हुए थे और हीरे के आकार की दरार उसमें पड़ी हुई थी और पश्च कपाल क्षेत्र पर क्षेतीज था जो चौड़ाई के (वेरिड विद्ध) साथ-साथ लंबाई में 15 से. मी. है और घाव की गहराई तक था । रेखांकित घाव सामान्य क्लीनिकल के रूप में प्रकट हुआ है । घाव से ताजा रक्त टपक रहा था । खोपड़ी का एक्स-रे करने की सलाह दी गई ।
 - 2. छिन्न घाव उपान्त पर स्पष्ट कटा हुआ जिसका विस्तार

दाहिने कर्णपालि से गंडास्थि उत्कर्ष के आर-पार पश्च कपाल शंकास्थि (दाहिने) पर फैला हुआ था । दाहिना कर्णपालि चिरा पड़ा हुआ था । उसके एक भाग के घाव से ताजा रक्त टपक रहा था जो चौड़ाई (वेरियल विद्ध) के साथ लंबाई में 20 से. मी. आकार का था और घाव के उपान्त के बीच दरार । खोपड़ी के एक्सरे करने की सलाह दी ।

- 3. बाएं अंशफलक क्षेत्र पर छिन्न घाव जिसके उपान्त स्पष्ट कटे हुए हैं जिसकी लंबाई 7 से. मी. है हीरे के आकार में है, उसका विस्तार मांसपेशी की गहराई तक है । रेखांकित घाव सामान्यता क्लीनिकल है ।
- 4. दाहिने अंशफलक क्षेत्र पर छिन्न घाव, त्रियक रूप में पड़ा हुआ जिसके उपान्त स्पष्ट रूप से कटे हुए हैं लंबाई में 20 से. मी. हीरे के आकार का मांसपेशियों पर गहरा सामान्य रेखांकित घाव सामान्यतया क्लीनिकल है । घाव से ताजा रक्त टपक रहा है । रेखांकित मांसपेशियां बाहर निकली हुई हैं ।
- 5. छिन्न घाव जो लुंबर मेरूरज्जु क्षेत्र के नजदीक उर्ध्वधर पड़ा हुआ है जो 5 से. मी. लंबा और हीरे के आकार का है जो उपांत पर स्पष्ट कटा हुआ है । रेखांकित मांसपेशियां बाहर को निकली हुई हैं और घाव से रक्त टपक रहा था । रेखांकित घाव सामान्य रूप से क्लीनिकल प्रतीत होता है ।
- 6. छिन्न घाव जो त्रियक रूप से पड़ा हुआ है जो वक्ष के सामने (उरोस्थि) स्पिंडल शेप्ड के मध्य में 3 से. मी. लंबा है । ताजा रक्त टपक रहा है । रेखांकित घाव सामान्य प्रतीत होता है । सभी क्षतियां प्रकृति में साधारण हैं । पुलिस का आवेदन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग पर मैंने क्षतियों की प्रकृति के बारे में अंतिम राय प्रकट की । मैंने ईश्वर दास की क्षतियों के उपचार से संबंधित सभी अभिलेखों का परिशीलन किया । मेरी पुनरीक्षित राय निम्न प्रकार है

पत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. /ग के संदर्भ में जिसमें एमएलसी सं. 607 पर पुनरीक्षित अंतिम राय के लिए अनुरोध किया गया । एमएलसी सं. 607 के निष्कर्षों से तथा विकिरण विज्ञानी की एक्सरे रिपोर्ट पर अंतिम राय दी गई जो साधारण थी । यद्यपि घावों से निकलने वाले

रक्त का तत्काल उपचार नहीं किया गया जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकती थी ।

अभि. सा. 1 ने यह राय दी है कि क्षतियां गंभीर प्रकृति की थीं और जो धारदार आयुध से की गई थीं और संभवतः जिसके प्रहार खुखरी प्रदर्श पी-1 से किए गए थे । क्षति सं. 1 से 6 शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर थीं ।"

5. अभि. सा. २/(शिकायतकर्ता ईश्वर दास) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करते हुए यह कहा है कि तारीख 1 सितंबर, 2002 को जब वह पैदल कुथेरा से अपने घर जा रहा था और जैसे ही 4.30 बजे अपराहन दुलाना ब्राहमणा ग्राम पहुंचा अभियुक्त तेजी से झाड़ियों से निकल कर आया और डेगर (ख्खरी) से उस पर हमला कर दिया, तदुपरि उसके सिर, छाती और शरीर के पिछली ओर क्षतियां पहुंचीं और उसके चीख-पुकार करने पर अभियुक्त अपने डेगर (खुखरी) समेत भाग गया । उसके चिल्लाने पर कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि आहत द्वारा पहने हुए कपड़े अर्थात् कमीज और बनियान रक्त-रंजित हो गए थे जिन्हें पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था । डेगर (खुखरी) प्रदर्श पी-1 को भी कब्जे में लिया गया था और अभि. सा. 2 को यह जानकारी थी कि इस डेगर (खुखरी) से उसे क्षतिग्रस्त किया गया था । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके और अभियुक्त के बीच में उच्च न्यायालय में भूमि संबंधी विवाद लंबित था और उसके अभियुक्त के साथ तनावपूर्ण संबंध थे और वे किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय पर या अन्य किसी सामाजिक कार्यों पर एक-दूसरे के कार्यों में नहीं जाया करते थे तथापि, अभि. सा. 2 ने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध शिकायतें करने का आदि है तथा उसने उसे मिथ्या रूप से फंसाया है । प्रतिरक्षा पक्ष ने यह दलील दी है कि नैसर्गिक अनुक्रम में यदि किसी व्यक्ति पर किसी एकल व्यक्ति द्वारा हमला किया जा रहा है, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा हाथापाई की जाएगी और विरोध करेगा और क्षतियां आहत व्यक्ति को कारित नहीं होंगी । ऐसी प्रतिरक्षा हमें युक्तियुक्त प्रतीत होती है मानो कि यदि किसी व्यक्ति पर अचानक डेगर (खुखरी) द्वारा उतरोत्तर हमला किया जाता है तब कई प्रहार पहुंचने पर आहत व्यक्ति को ऐसे हमलावर व्यक्ति का प्रतिरोध करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता । निर्विवादतः, अभि. सा. 2 क्षतिग्रस्त हुआ था और वह हमलावर को अच्छी तरह जानता है, इस प्रकार, अभि. सा. 2 वास्तविक

हमलावर को छोड़कर अभियुक्त दोषसिद्ध व्यक्ति को आलिप्त क्यों करेगा । अभि. सा. 2 को पहुंची हुई क्षतियों के बारे में अभि. सा. 3 (सुभाष चन्द्र) के कथन द्वारा भी संपुष्टि हुई है जिन्होंने यह कथन किया है कि तारीख 1 सितंबर, 2002 को लगभग 4.30 बजे अपराह्न उसने चीख-पुकार सुनी और ऐसी चीख-पुकार सुनने के पश्चात् जब वह घटनास्थल पर गया तब उसने अभि. सा. 2 के शरीर पर क्षतियां देखी थीं जिनसे रक्त टपक रहा था । यद्यपि, अभि. सा. 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया, तथापि, पक्षद्रोही साक्षी के परिसाक्ष्य की इस सीमा तक उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

- 6. अभि. सा. 4 (बिधि चन्द) ने अभि. सा. 2 के शरीर पर क्षतियां साबित की हैं जिसने तारीख 1 सितंबर, 2002 को लगभग 4.30 बजे अपराह्न 2-3 बार चीख-पुकार सुनने के पश्चात सुभाष चन्द्र शर्मा के मकान के नजदीक घटनास्थल पर गया था और उसने देखा कि अभि. सा. 2 रक्त में डुबा हुआ है और क्षतियां सिर, पीठ तथा शरीर के अगले हिस्से पर भी पहुंची थीं । पूछताछ करने पर अभि. सा. 2 द्वारा अभि. सा. 4 को यह बताया गया था कि अभियुक्त प्रीतम चंद द्वारा डेगर (खुखरी) से क्षतियां कारित की गई हैं । अभि. सा. ४/सुभाष चन्द्र और सावत्री देवी के परिसाक्ष्य को ध्यान में रखने पर जो घटनास्थल पर पहुंचे थे और इसके पश्चात एक गाड़ी की व्यवस्था की गई और आहत व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था । अभि. सा. ४ ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी । तथापि, अभि. सा. ४ ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि अभि. सा. 2 ने उसे हमलावर का नाम नहीं बताया था जबिक अभि. सा. 2 ने अति विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि अभियुक्त द्वारा उसे क्षतियां कारित की गईं । इस प्रकार, अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है ।
- 7. अभि. सा. 5 (जगत राम) तथा अभि. सा. 6 (शिव प्रकाश) हेड कांस्टेबल हैं जो बरामदगी के साक्षी हैं । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त की कमीज पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे जिसे पुलिस द्वारा उसकी मौजूदगी में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5-ख के माध्यम से कब्जे में लिया गया था जिसपर रतन चन्द और अभियुक्त के हस्ताक्षर कराए गए थे । इसी तरह, अभि. सा. 6 शिव प्रकाश ने भी यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा उसकी मौजूदगी में पुलिस के समक्ष डेगर (खुखरी) प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत किया गया था और इसका नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यु. 6-ख तैयार

किया गया था तथा उस पर मोहर "एम" लगाकर मोहरबंद किया गया था और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6-क के माध्यम से उसे कब्जे में लिया गया था । अभियुक्त की कमीज न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा भेजी गई थी तथा न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा की रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त व्यक्ति के रक्त का ग्रुप अभियुक्त की कमीज पर पाया गया था । जैसाकि न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11-ख में परिलक्षित है । अभि. सा. 2/क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा भोगी गई छह क्षतियों को डा. ध्रुव शर्मा द्वारा भी साबित किया गया है । क्षतिग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर पाया गया अस्थिभंग को भी डा. एन. के. महेन्द्र (अभि. सा. 10) के कथन के संदर्भ में भी साबित किया गया है जिस बारे में अभि. सा. 10 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहते हुए इस बात को दोहराया गया है कि अभि. सा. 2 के शंकास्थि अस्थि का भंग हुआ था । अभि. सा. 2 के शरीर पर अन्य प्रकट अस्थिभंग डा. संजीव शर्मा (अभि. सा. 15) के कथन के संदर्भ में भी साबित किया गया है जिन्होंने शपथ पर यह कथन किया है कि तारीख 28 अक्तूबर, 2002 को जब अभि. सा. 2/क्षतिग्रस्त व्यक्ति को डा. देशराज शर्मा द्वारा उसके कानों और सिर के सिटी स्कैन करवाने के लिए भेजा गया था जिसपर उसने क्षतिग्रस्त व्यक्ति का सिटी स्कैन किया था और परीक्षा करने के पश्चात उसने अधोहन् दाहिनी ओर और पश्चकपाल अस्थि की मध्य पंक्ति में अस्थिभंग पाया था जिस बारे में उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15-क दी है ।

- 8. अभि. सा. 11 (निरीक्षक हुकुम चन्द ठाकुर) ने मामले में आंशिक रूप से अन्वेषण किया था । अभि. सा. 12 (एम. एच. सी. रमेश चन्द) ने अभि. सा. 2/क्षतिग्रस्त व्यक्ति तथा अभियुक्त के कपड़ों के नमुनों को न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा को भेजा था । अभि. सा. 13 (एच. एच. सी. दीपचन्द) तारीख 9 सितंबर, 2002 को इन वस्तुओं को लेकर न्यायालियक प्रयोगशाला, भरारी ले गया था । अभि. सा. 14 (सहायक उप-निरीक्षक स्वामी राम) अन्वेषक अधिकारी है, जिसने अभि. सा. 1 के पास आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1-क पेश किया था जिसने यह घोषित किया कि अभि. सा. 2/क्षतिग्रस्त व्यक्ति राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1-ख के अनुसार कथन देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था । तत्पश्चात्, अभि. सा. 14 ने अभि. सा. 2 के कथन को अभिलिखित किया था ।
- 9. अभि. सा. 16 (निरीक्षक मेहर चन्द) जो मुख्य अन्वेषक अधिकारी था, ने घटनाओं के बारे में विवरण दिए और अभियुक्त को गिरफ्तार किया

तत्पश्चात् घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16-क तैयार किया तथा घटनास्थल से रक्त-रंजित मिट्टी, घास और छोटे पत्थर कब्जे में लिए और उन्हें मोहर "ए" से मोहरबंद कर दिया गया । अभि. सा. 16 ने अभियुक्त से डेगर (खुखरी) प्रदर्श पी-1 भी बरामद की थी और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6-क के माध्यम से उसे कब्जे में लिया तथा नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6-ख तैयार किया ।

10. यद्यपि हमारी जानकारी में यह आया है कि अन्वेषण किए जाने में कुछ किमयां हैं तथापि, धनज सिंह उर्फ शेरा और अन्य बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के अधिमत को ध्यान में रखते हुए त्रुटियुक्त अन्वेषण अभियोजन पक्षकथन को दूषित नहीं कर सकता है । इसी तरह, पारस यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य वाले मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अन्वेषक अभिकरण की ओर से कोई चूक या भूल अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं हो सकती है ।

अन्वेषक अभिकरण की ओर से लोप या चूक के आधार पर अन्वेषण में किमयां शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य³ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्षकथन को पूर्णतया खारिज करना न्यायसंगत नहीं हो सकता।

11. प्रतिरक्षा की ओर से यह अभिवाक् किया गया कि सावित्री देवी और जगत राम की परीक्षा नहीं करना जो घटनास्थल पर पहुंचे थे उससे अभियोजन पक्षकथन दूषित हुआ होगा । हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता यद्यपि कुछ अभियोजन साक्षी की परीक्षा नहीं की गई हो जबिक अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को अन्य समर्थन करने वाले अभियोजन साक्षियों के कथनों के संदर्भ में तथा अभिलेख की सामग्री पर युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में सफलतापूर्वक समर्थ हुआ है ।

12. प्रदर्श पी-1 डेगर (खुखरी) है जिसका नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6-ख प्रदर्शित किया गया है जो लंबाई में 42 से. मी. और उसका नुकीला भाग 4 से. मी. चौड़ा है । यह आयुध प्रकृति में खतरनाक है जिसके लिए

¹ 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 1807.

² (1992) 2 एस. सी. सी. 126.

³ (2011) 3 एस. सी. सी. 654.

लाइसेंस प्राप्त किया जाना था जबकि अपीलार्थी/दोषसिद्ध व्यक्ति के पास सूसंगत लाइसेंस नहीं था ।

13. अपीलार्थी/दोषसिद्ध व्यक्ति के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि हमलावर के नाम को प्रकट नहीं करना अति विशिष्टतया चिक्रंगया और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।

14. प्रतिरक्षा पक्ष ने यह आधार लिया है कि अभि. सा. 2 (आहत)/ क्षतिग्रस्त व्यक्ति ने अभि. सा. 1 (डा. अशोक कौशल) को हमलावर का नाम नहीं बताया । हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्षकथन को तब तक घातक नहीं होना कहा जा सकता है जब तक अभि. सा. 1 ने स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि उसने अभि. सा. 2 से हमलावर के नाम के बारे में पूछताछ नहीं की । हमारा विचारित मत यह है कि ऐसी कोई अध्यपेक्षा नहीं है कि आहत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति ने संबंधित उपस्थित डाक्टर को हमलावरों के नाम प्रकट करने में विचलन किया है । यहां पर भी अभि. सा. 1 से हमलावर के नाम के बारे में पूछताछ नहीं की गई इसलिए हमलावर के नाम को प्रकट नहीं करना कि पी. बाबू और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य² वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के अधिमत को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक होना नहीं कहा जा सकता । हमारा विचारित मत यह है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति अभि. सा. 2 के कथन की अभि. सा. 4 जो तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया था, सम्पृष्टि की गई है । इस प्रकार, अभि. सा. ४ अत्यधिक विश्वसनीय साक्षी है । उसके परिसाक्ष्य को रामाश्रेय यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य³ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए अनदेखी नहीं की जा सकती । सुसंगत पैरा का सार निम्न प्रकार है :-

"7. अभि. सा. 5 अर्जुन प्रसाद ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह नदी लेहरा डोक के नजदीक पहुंचा तो उसने कई गोलियां चलने की आवाज सुनी । वह अन्य व्यक्तियों के साथ उस ओर गया और

¹ (2009) 17 एस. सी. सी. 497.

² (1994) 1 एस. सी. सी. 388.

³ (2005) 13 एस. सी. सी. 468.

घटनास्थल पर उसने देखा कि महुआ कांधा में एक व्यक्ति बुरी तरह क्षितिग्रस्त हालत में पड़ा हुआ है और अभि. सा. 12 सिद्धेश्वर प्रसाद वहां पर खड़ा था। पूछताछ करने पर उसने उसे बताया कि 'रंगदारी कर' न देने के कारण अपीलार्थी रामक्षेय यादव, तानीकन यादव और राजदेव यादव ने उसके भाई राम प्रवेश यादव पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। अभि. सा. 5 ने घटना नहीं देखी थी किंतु उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी थी और घटनास्थल की ओर दौड़ा था जहां उसने देखा कि मृतक बुरी तरह क्षितग्रस्त हालत में पड़ा हुआ था और सिद्धेश्वर प्रसाद जो घटनास्थल के नजदीक खड़ा हुआ था उसने उसे घटना का वृत्तांत सुनाया। उसकी परीक्षा की जरूरत थी कि क्या अभि. सा. 5 अर्जुन प्रसाद का परिसाक्ष्य साक्ष्य के सम्पुष्ट टुकड़े के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

8. साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 इस प्रकार है:-

'किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय पर या लगभग जब यह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।'

इस ली गई धारा की परीक्षा की गई थी और तमिलनाडु राज्य **बनाम** सुरेश और एक अन्य [(1998) 2 एस. सी. सी. 372] वाले मामले में प्रचूर रूप से विवरण का स्पष्टीकरण दिया गया और रिपोर्ट्स के पैरा 26 से 28 में निम्नलिखित बातें कही गई हैं।

26. धारा में साक्षियों के कथनों के दो प्रवर्ग परिकल्पित हैं जिन्हें सम्पुष्टि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है । पहला किसी साक्षी द्वारा किसी व्यक्ति के समक्ष 'लगभग उस समय पर जब वह तथ्य घटित हुआ था' कथन किया गया । दूसरा कथन यह है कि जिसे उसके द्वारा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किया गया हो जो तथ्य का अन्वेषण करने के लिए वैदिक रूप से बाध्य हो । हमारे ध्यान में यह प्रकट हुआ है कि यदि कोई कथन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किया गया हो जो तथ्य का अन्वेषण करने के लिए सक्षम है । ऐसा कथन ग्राह्यता को प्राप्त करता है । ऐसा कोई मामला नहीं है कि यह घटना के काफी पश्चात किया या था परंतु यदि कथन बिना प्राधिकार वाले

किसी व्यक्ति के समक्ष किया गया था तो यह समय बीत जाने के कारण अपनी प्रमाणक मूल्य को खो देता है। तब यह प्रश्न उद्भूत होता है कि कितने समय के अंतर्गत ऐसा कथन किया जाना चाहिए? यदि यह घटना के समय पर ही किया गया था तब कथन का बड़ा महत्व है क्योंकि यह अनिर्णीत विषय रहा है तब यह सारभूत साक्ष्य है परंतु यदि यह समय के कुछ अंतराल के पश्चात् ही किया गया था तब ऐसा कथन अनिर्णीत विषय होने के कारण अपनी प्रमाणक उपयोगिता को खो देता है। फिर भी, इसकी उपयोगिता है यद्यपि इसकी केवल कम उपयोगिता होगी।

27. 'लगभग समय पर जब यह तथ्य घटित हुआ कि अभिव्यक्ति का क्या अभिप्राय है' इस बारे में संकीर्ण मत प्रकट हो सकता है कि जब तक ऐसा कथन घटना के कुछ पश्चात् न किया गया हो इसकी सम्पुष्टि के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । व्यापक मत यह प्रकट किया गया है कि यद्यपि ऐसा कथन युक्तियुक्त समय की निकटता के अंतर्गत किया गया था फिर भी ऐसा कथन सम्पुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है । विधानमंडल का ऐसा आशय नहीं रहा होगा कि समय कारक की सीमा को समय की लंबी दूरी की निकटता को हटाया जाए, इससे सम्पुष्टि के प्रयोजन की उपयोगिता को खो देता है ।

28. हमने यह विचार किया है कि 'लगभग समय पर जब ऐसा तथ्य घटित हुआ है' की अभिव्यक्ति जैसाकि की साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 में है इससे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए । मात्र यह तथ्य कि कुछ दिनों की मध्यक्षेप अवधि थी जैसाकि वर्णित मामले में है । अधिनियम की धारा 157 में परिकल्पित प्रयोग से कथन को अपवर्जित करना पर्याप्त नहीं होगा । इस कसौटी को ग्रहण किया जाना चाहिए । अतः यदि ऐसा है तो क्या साक्षी के पास षड्यंत्र रचने या सीखने-पढ़ने की गुंजाइश है । इस संदर्भ में विवियन बोस जे. रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य (ए. आई. आर. 1852 एस. सी. 54) वाले मामले में न्यायमूर्ति विवियन बोस ने मत व्यक्त किया है । यहां पर इसको प्रकट करना थोड़ा प्रासंगिक है ।

धारा 157 में शर्त 'समय पर या लगभग समय के बारे में' कोई कठोर पक्का नियम नहीं हो सकता है। मुख्य कसौटी यह है कि क्या किया गया कथन यथासंभव मामले की परिस्थितियों में युक्तियुक्त रूप से प्रत्याक्षा की जा सकती है और इससे पूर्व सिखाने-पढ़ाने या षड्यंत्र रचने का अवसर उपलब्ध था।"

(मूल बात पर जोर दिया गया)

15. अभियोजन साक्षियों तथा अभिलेख की सामग्रियों का विश्लेषण करने पर हमारा विचारत मत यह है कि विद्वान् पीठासीन अधिकारी त्वरित निपटान न्यायालय, हमीरपुर, ने सही रूप से ये निष्कर्ष निकाले कि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है और हमारा विचारित मत यह भी है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है । तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित दंडादेश युक्तियुक्त है । इस प्रकार, हम विद्वान् पीठासीन अधिकारी के निर्णय और अधिमत में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं पाते हैं । इस प्रकार, अपील गुणागुण रहित है और खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2013) 2 दा. नि. प. 122

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

रविन्द्र पाल सिंह और एक अन्य

तारीख 1 दिसम्बर, 2012

न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्रा और न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) — धारा 366/34 — व्यपहरण — अभियोक्त्री के कथन से यह सिद्ध होने पर कि वह अभियुक्तों के साथ स्वयं अपनी इच्छा से गई और एक अभियुक्त के साथ प्रेम संबंध होने के कारण उसके साथ विवाह किया तथा अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों प्राप्तवय थे तथा अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी, इसलिए व्यपहरण

का अपराध न बनने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त टहराए जाने के दायी हैं।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियोक्त्री (आयु 18 वर्ष) ने वर्ष 2006 में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किया और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में एम. ए. में दाखिला ले लिया । वह तारीख 22 अगस्त, 2006 को अपनी कक्षाओं में हाजिर होने के लिए गई थी । उसका पिता एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए चंडीगढ गया हुआ था । सायंकाल में वापस आने पर उसने अभियोक्त्री को घर पर नहीं पाया । अभियोक्त्री की मित्र जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रही थी, से जांच-पड़ताल करने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त रविन्द्र पाल अभियोक्त्री से मिलने आया था और उसके बाद वह अपनी कक्षा में चली गई थी और वापस नहीं आई । अभियोक्त्री के पिता ने लिखित में पुलिस को शिकायत की । पुलिस ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । उनके पते-ठिकाने का पता नहीं चल पाया । तारीख 24 अगस्त, 2006 को अभियोक्त्री के पिता को मोगा से दूरभाष पर एक संदेश प्राप्त हुआ कि रविन्द्र पाल और अभियोक्त्री मोगा में हैं । इस सिलसिले में उप-निरीक्षक मोगा (पंजाब) गया । उसने स्थानीय पुलिस की सहायता ली और अभियुक्त, जो अभियोक्त्री के साथ था, को गिरफ्तार कर लिया । दोनों को शिमला लाया गया । तदनुसार, अभियुक्त रविन्द्र पाल से परिप्रश्न किए गए । उसने अन्वेषण के दौरान बताया कि वे शिमला से मोगा एक यान में गए थे और व्यपहरण की बात से इनकार किया । द्वितीय अभियुक्त सत नारायण को तारीख 4 सितम्बर, 2006 को गिरफ्तार किया गया, जिसे कथित रूप से अपराध के कारित होने को सुकर बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था । उसने ही अभियोक्त्री को कक्षा से इस बहाने बुलाया था कि उसकी पत्नी उससे मिलने आई है । पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात अभियुक्तों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए अभियोक्त्री के अभिकथित व्यपहरण का मामला पाया । तदनुसार, अभियुक्तों के विचारण के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया और अभियुक्तों को आरोप-पत्रित किया गया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विचारण के दौरान अभियोक्त्री ने अभियुक्त रविन्द्र पाल के साथ अपने प्रेम संबंधों की बात स्वीकार की और यह भी स्वीकार किया कि वह अभियुक्त के सम्पर्क में रही थी । वह वर्ष 2002 से उसके सम्पर्क में थी । उसने अभियुक्त रविन्द्र पाल को प्रेम-पत्र और बधाई कार्ड भी भेजे जाने की बात स्वीकार की, जो उसके द्वारा या तो अभियुक्त रविन्द्र पाल के जन्म-दिवस या नव-वर्ष के अवसर पर भेजे गए थे । उसने वर्ष 2002 में जब वे कसौली गए थे और और एक-साथ फोटो खींचे थे, स्वेच्छया से अभियुक्त के साथ जाने की बात स्वीकार की । उसने फोटोग्राफ प्रदर्श डी-13 से डी-26 जो विभिन्न अवसरों पर खींचे गए थे, की बात भी स्वीकार की । यद्यपि उसने अपने कथन में यह कहा कि अभिकथित घटना के दिन उसे द्वितीय अभियुक्त सत नारायण ने मिथ्या बहाने से बुलाया था और उसने उसे यान में धकेल दिया था । इस तथ्य का उल्लेख उसके कथन में नहीं पाया गया जब उसका इस कथन से सामना कराया गया । इसके अतिरिक्त, उसका सामना उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रकट किए गए कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों, अर्थात् उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त अज्ञात स्थान की तरफ यान को चलाता गया और यह भी कि सेक्टर-11, चंडीगढ में लोग एकत्रित हो गए थे जब उन्होंने उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में देखा था और उसने यह भी बताया था कि अभियुक्त ने दुकान से लौटने के पश्चात उसे कुछ संकेत किया था, से कराया गया जो उसमें अभिलिखित नहीं पाए गए । अभियोक्त्री ने आगे यह भी कथन किया कि उसने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त ने उसे सेक्टर 24 में उसके घर के बाहर से लिया था, जहां उसकी बहिन बाहर आई थी और उसे कुछ दस्तावेज सौंपे गए थे और यह भी कि न्यायालय परिसर, मोगा में पत्रकार भी आ गए थे । इन प्रकथनों के बारे में भी अभियोक्त्री का सामना उसके कथन से कराया गया था । इस बात का भी उल्लेख नहीं पाया गया । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त के यान में चंडीगढ से मोगा जाते समय उसने कोई शोर नहीं मचाया था और यह बात भी स्वीकार की कि जब वे विश्वविद्यालय से चले तो कुछ दूरी तय करने के पश्चात सड़क अवरुद्ध थी क्योंकि एक पेड़ गिर गया था । इसके बाद वे विश्वविद्यालय वापस आए और एक अन्य रास्ते से गए । शिमला से चलने के पश्चात भी यान को ईंधन के लिए पट्रोल पम्प पर रोका था । उसने मोगा में कपड़े भी बदले थे जो अभियुक्त की बहिन ने मुहैया कराए

थे और अभियोक्त्री ने यह बात भी स्वीकार की कि उसके द्वारा की गई सारी यात्रा के दौरान उसके द्वारा शोर-गुल करने या शोर-शराबा मचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि शिमला-कालका के बीच कहीं रास्ते में यान को रोका गया था और उस समय भी उसने बच निकलने की कोई कोशिश नहीं की । जब वे चंडीगढ पहुंचे, तो सीधे पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय गए और वहां पर लगभग एक घंटा ठहरे । अभियोक्त्री के अनुसार, वह कार की अगली सीट पर बैठी रही जहां अभियुक्त व्यक्ति अंदर-बाहर आ जा रहे थे । उस समय भी उसने कोई शोर-शराबा नहीं मचाया । उसने यह भी स्वीकार किया कि महाविद्यालय के परिसर में बहुत सारे व्यक्ति थे, किंतु उसने किसी से भी कोई शिकायत नहीं की । जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर होटल ढूंढने के लिए जा रहे थे, तब भी उसने कोई आपत्ति नहीं की । उसने यह स्वीकार किया कि चंडीगढ में कई स्थानों पर उसने सड़क के किनारे लाल बत्ती पर मौजूद पुलिस पदधारियों को देखा था । फिर भी उसने उनसे कोई शिकायत करने का प्रयास नहीं किया । यद्यपि उसने यह कथन किया है कि वह भयभीत थी किंतु परिस्थितियों से दर्शित होता है कि उसकी स्पष्ट सम्मति थी अन्यथा यदि वह विरोध करना चाहती तो उसके पास शोर-शराबा मचाने का पर्याप्त अवसर था । यद्यपि अभियोक्त्री ने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त के पास विवाह के लिए सुसंगत शपथपत्र निष्पादित करने के लिए अधिवक्ता के खर्चे की अदायगी करने के लिए धन नहीं था, किंतु उसी समय उसने यह कथन किया कि उसे याद नहीं है कि उसके बाद वे श्रीमती बलविंदर, जो उसकी ज्येष्ठ सहपाठी थी, से धन लाने के लिए मोगा गए थे । यद्यपि उसने सायंकाल में मोगा पहुंचने और होटल गिल में उहरने की बात स्वीकार की है। उस समय भी उसने किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं की । अभियोक्त्री ने यह भी स्वीकार किया कि उसने तारीख 23/24 अगस्त, 2006 को मोगा से अन्वेषक अधिकारी से उसके मोबाइल पर बात की थी । यद्यपि उसने यह अभिकथन किया है कि उसने पुलिस पद्धारियों से यह शिकायत की थी कि वह भयग्रस्त है, किंतू उप-निरीक्षक सतीश शर्मा द्वारा इस तथ्य के बारे में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। बल्कि, उसने यह कथन किया है कि चंडीगढ और मोगा में अन्वेषण के दौरान उसकी जानकारी में यह बात आई कि अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ ठहरी थी और किसी दबाव, जबरदस्ती या असम्यक प्रभाव के अधीन नहीं थी । उसने आगे यह कथन किया कि अभियुक्त और अभियोक्त्री जब होटल में ठहरे थे तो उन्होंने खाना खाया था और उनका ठहराव आरामदायक था । इसके अतिरिक्त, यहां तक कि न्यायालय परिसर चंडीगढ़ में भी उसने कोई शोर नहीं मचाया था कि उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और अभियुक्त के साथ स्वयं न्यायालय में गई थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियोक्त्री द्वारा दिए गए शपथपत्र में उसने यह कथन किया था कि उस पर कोई जबरदस्ती, प्रपीड़न या दबाव या असम्यक् प्रभाव नहीं है । अन्वेषक अधिकारी ने अभियोक्त्री और अभियुक्त द्वारा धन का प्रबंध करने के लिए मोगा जाने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया है । उसने यह भी स्वीकार किया कि तारीख 23 अगस्त, 2006 को दोनों पक्षकारों ने अपने विवाह के लिए शपथपत्र तैयार किए थे और दस्तावेज, प्रदर्श डीबी, प्रस्तुत किए थे क्योंकि दोनों पक्षकार, अभियोक्त्री और अभियुक्त रविन्द्र पाल, जमानत की सुनवाई के दौरान विवाह के लिए सहमत थे । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान यह भी जानकारी में आया था कि दस्तावेज, प्रदर्श डी-1 से डी-25, कार्ड, पत्र इत्यादि अभियुक्त को अभियोक्त्री द्वारा भेजे गए थे । महत्वपूर्ण रूप से, उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री ने किसी भी समय पर उससे यह प्रकट नहीं किया था कि अभियुक्तों ने कभी उसे यह धमकी दी थी कि उसके पिता को अभियुक्तों द्वारा बंदी बना लिया गया है । साक्ष्य की उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि अभियोक्त्री, जो उस समय प्राप्तवय थी, शिमला के विश्वविद्यालय से तारीख 22 अगस्त, 2006 को अभियुक्तों के साथ गई थी क्योंकि अभियुक्त रविन्द्र पाल, जो कि प्राप्तवय था, के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे । इन परिस्थितियों में, जब वह सहमत पक्षकार होने के कारण अभियुक्तों के साथ गई थी, तब व्यपहरण का मामला नहीं बनता है । (पैरा 8, 9, 10 और 12)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 93-क.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अपर

महाधिवक्ता और उनके साथ श्री

रमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सुश्री सत्यन वैद्य

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

- न्या. सिंह विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को 2007 के सेशन विचारण सं. 15-एस/7, जिसका विनिश्चय तारीख 26 सितम्बर, 2007 को किया गया, में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 366 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सारतः इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है कि अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी और व्यपहरण का तत्व नहीं था।
 - 2. पक्षकारों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- 3. अभियोजन का वृत्तांत संक्षेप में यह है कि अभियोक्त्री (आयु 18 वर्ष) ने वर्ष 2006 में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किया और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में एम. ए. (विज्युअल आर्ट) में दाखिला ले लिया । वह तारीख 22 अगस्त, 2006 को अपनी कक्षाओं में हाजिर होने के लिए गई थी । उसका पिता (अभि. सा. 2) सतीश कुमार एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था । सायंकाल में वापस आने पर उसने अभियोक्त्री को घर पर नहीं पाया । अभियोक्त्री की मित्र अभि. सा. 3 आशु सूद, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रही थी, से जांच-पड़ताल करने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त रविन्द्र पाल अभियोक्त्री से मिलने आया था और उसके बाद वह अपनी कक्षा में चली गई थी और वापस नहीं आई । सतीश कुमार (अभि. सा. 2) ने लिखित में पुलिस को शिकायत, प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-2/ए, की । पुलिस ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । अन्वेषण का कार्य उप-निरीक्षक सतीश शर्मा (अभि. सा. 6) द्वारा संभाला गया । उनके पते-ठिकाने का पता नहीं चल पाया ।
- 4. तारीख 24 अगस्त, 2006 को अभियोक्त्री के पिता को मोगा से दूरभाष पर एक संदेश प्राप्त हुआ कि रविन्द्र पाल और अभियोक्त्री मोगा में हैं । इस सिलसिले में उप-निरीक्षक सतीश शर्मा (अभि. सा. 2) मोगा (पंजाब) गया । उसने स्थानीय पुलिस की सहायता ली और अभियुक्त, जो अभियोक्त्री के साथ था, को गिरफ्तार कर लिया । दोनों को शिमला लाया गया । तद्नुसार, अभियुक्त रविन्द्र पाल से परिप्रश्न किए गए ।
- 5. उसने अन्वेषण के दौरान प्रकट किया कि वे शिमला से मोगा एक यान में गए थे, जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6 द्वारा कब्जे में लिया गया

और व्यपहरण की बात से इनकार किया । पुलिस ने अभियोक्त्री का जन्म प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-6/डी और होटल 'दीप', जहां अभियोक्त्री और अभियुक्त रात्रि में ठहरे थे, के रिजस्टर का उद्धरण, प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-4/ए, कब्जे में लिया । द्वितीय अभियुक्त सत नारायण को तारीख 4 सितम्बर, 2006 को गिरफ्तार किया गया, जिसे कथित रूप से अपराध के कारित होने को सुकर बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था । उसने ही अभियोक्त्री को कक्षा से इस बहाने बुलाया था कि उसकी पत्नी उससे मिलने आई है ।

- 6. पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात् अभियुक्तों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए अभियोक्त्री के अभिकथित व्यपहरण का मामला पाया । तद्नुसार, अभियुक्तों के विचारण के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया ।
- 7. तद्नुसार, अभियुक्तों को आरोप पत्रित किया गया । उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का दावा किया और इसलिए अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई । प्रत्यर्थियों की भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई । अभियुक्त रविन्द्र पाल ने यह आधार लिया कि अभियोक्त्री उसे पिछले कई वर्षों से जानती थी, विनिर्दिष्ट रूप से वर्ष 2002 से और दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे । इस अवधि के दौरान, अभियोक्त्री ने उसे प्रेम-पत्र और नव-वर्ष के बधाई कार्ड भेजे थे और वह उसके साथ विभिन्न स्थानों पर यहां तक कि चंडीगढ से बाहर भी स्वेच्छा से घूमती थी । चंडीगढ़ में ठहरने के दौरान भी जब वे एक साथ थे तो उन दोनों ने विभिन्न स्थानों के फोटोग्राफ लिए थे । इसके अतिरिक्त जब अभियोक्त्री ने शिमला में दाखिला लिया, तब भी वे लगातार अपने-अपने दूरभाष से एक दूसरे से सम्पर्क में थे । उसका यह भी आधार है कि तारीख 22 अगस्त, 2006 को अभियोक्त्री ने उससे दूरभाष पर सम्पर्क करके उसे शिमला बुलाया था क्योंकि उसका पिता वहां नहीं था और उसने उससे विवाह करने पर जोर दिया चूंकि अभियोक्त्री के माता-पिता उक्त विवाह के लिए सहमत नहीं हो रहे थे । अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ उसकी कार में अपनी स्वतन्त्र इच्छा से गई थी और कार चंडीगढ जाते हुए रास्ते में दो या तीन बार खराब हुई थी जिसकी उसने मरम्मत कराई थी । चंडीगढ़

जाते हुए रास्ते में ईंधन भी भरवाया गया था । रात्रि के दौरान वे एक होटल में ठहरे थे । तद्नुसार, किसी तथ्य को छिपाए बिना प्रविष्टियां की गई थीं । सायंकाल में अभियोक्त्री की बहिन ने भी अभियुक्त से दूरभाष पर दो बार बात की थी । यहां तक कि अभियोक्त्री भी तारीख 22 अगस्त, 2006 से तारीख 24 अगस्त, 2006 तक अपने माता-पिता से सम्पर्क में थी । उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे वापस आ जाएं और उन दोनों का विवाह करा दिया जाएगा । अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में यह भी कहा कि उसने अपनी दलील को साबित करने के लिए दूरभाष पर की गई बातचीत का ब्यौरा निकालने के लिए अन्वेषक अधिकारी को एक आवेदन दिया था किंतु उसने अनुगृहीत नहीं किया । अभियुक्त रविन्द्र पाल द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने अपना शपथपत्र स्वयं तैयार कराया था चूंकि अभियोक्त्री और अन्य साक्षी अभियोक्त्री के माता-पिता के दबाव में थे, इसीलिए उन्होंने मामले के विचारण के दौरान उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया ।

8. एक अन्य अभियुक्त सत नारायण ने उसके समक्ष प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के संबंध में अभिकथनों से पूर्ण रूप से इनकार किया । जब अभियुक्तों को अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । विचारण के दौरान अभियोक्त्री ने अभियुक्त रविन्द्र पाल के साथ अपने प्रेम संबंधों की बात स्वीकार की और यह भी स्वीकार किया कि वह अभियुक्त के सम्पर्क में रही थी । वह वर्ष 2002 से उसके सम्पर्क में थी । उसने अभियुक्त रविन्द्र पाल को प्रेम-पत्र प्रदर्श डी-12 और बधाई कार्ड प्रदर्श डी-1 से डी-11 भी भेजे जाने की बात स्वीकार की, जो उसके द्वारा या तो अभियुक्त रविन्द्र पाल के जन्म-दिवस या नव-वर्ष के अवसर पर भेजे गए थे । उसने वर्ष 2002 में जब वे कसौली गए थे और एक-साथ फोटो खींचे थे स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ जाने की बात स्वीकार की । उसने फोटोग्राफ प्रदर्श डी-13 से डी-26 जो विभिन्न अवसरों पर खींचे गए थे, की बात भी स्वीकार की । यद्यपि उसने अपने कथन में यह कहा कि अभिकथित घटना के दिन उसे द्वितीय अभियुक्त सत नारायण ने मिथ्या बहाने से बुलाया था और उसने उसे यान में धकेल दिया था । इस तथ्य का उल्लेख डीए के रूप में चिन्हित उसके कथन में नहीं पाया गया जब उसका इस कथन से सामना कराया गया । इसके अतिरिक्त, उसका सामना उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में

प्रकट किए गए कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों, अर्थात् उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त अज्ञात स्थान की तरफ यान को चलाता गया और यह भी कि सेक्टर-11, चंडीगढ में लोग एकत्रित हो गए थे जब उन्होंने उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में देखा था और उसने यह भी बताया था कि अभियुक्त ने दुकान से लौटने के पश्चात उसे कुछ संकेत किया था, से कराया गया जो उसमें अभिलिखित नहीं पाए गए । अभियोक्त्री ने आगे यह भी कथन किया कि उसने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त ने उसे सेक्टर 24 में उसके घर के बाहर से लिया था, जहां उसकी बहिन बाहर आई थी और उसे कुछ दस्तावेज सौंपे गए थे और यह भी कि न्यायालय परिसर, मोगा में पत्रकार भी आ गए थे । इन प्रकथनों के बारे में भी अभियोक्त्री का सामना उसके कथन से कराया गया था । इस बात का भी उल्लेख नहीं पाया गया । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त के यान में चंडीगढ़ से मोगा जाते समय उसने कोई शोर नहीं मचाया था और यह बात भी स्वीकार की कि जब वे विश्वविद्यालय से चले तो कुछ दूरी तय करने के पश्चात सड़क अवरुद्ध थी क्योंकि एक पेड़ गिर गया था । इसके बाद वे विश्वविद्यालय वापस आए और एक अन्य रास्ते से गए । शिमला से चलने के पश्चात भी यान को ईंधन के लिए पेट्रोल पम्प पर रोका था । उसने मोगा में कपड़े भी बदले थे जो अभियुक्त की बहिन ने मुहैया कराए थे और अभियोक्त्री ने यह बात भी स्वीकार की कि उसके द्वारा की गई सारी यात्रा के दौरान उसके द्वारा शोर-गुल करने या शोर-शराबा मचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि शिमला-कालका के बीच कहीं रास्ते में यान को रोका गया था और उस समय भी उसने बच निकलने की कोई कोशिश नहीं की । जब वे चंडीगढ पहुंचे, तो सीधे पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय गए और वहां पर लगभग एक घंटा ठहरे । अभियोक्त्री के अनुसार, वह कार की अगली सीट पर बैठी रही जहां अभियुक्त व्यक्ति अंदर-बाहर आ जा रहे थे । उस समय भी उसने कोई शोर-शराबा नहीं मचाया । उसने यह भी स्वीकार किया कि महाविद्यालय के परिसर में बहुत सारे व्यक्ति थे, किंतु उसने किसी से भी कोई शिकायत नहीं की । जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर होटल ढूंढने के लिए जा रहे थे, तब भी उसने कोई आपत्ति नहीं की । उसने यह स्वीकार किया कि चंडीगढ में कई स्थानों पर उसने सड़क के किनारे लाल बत्ती पर मौजूद पुलिस

पदधारियों को देखा था । फिर भी उसने उनसे कोई शिकायत करने का प्रयास नहीं किया । यद्यपि उसने यह कथन किया है कि वह भयभीत थी किंतु परिस्थितियों से दर्शित होता है कि उसकी स्पष्ट सम्मति थी अन्यथा यदि वह विरोध करना चाहती तो उसके पास शोर-शराबा मचाने का पर्याप्त अवसर था । यद्यपि अभियोक्त्री ने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त के पास विवाह के लिए सुसंगत शपथपत्र निष्पादित करने के लिए अधिवक्ता के खर्चे की अदायगी करने के लिए धन नहीं था, किंतु उसी समय उसने यह कथन किया कि उसे याद नहीं है कि उसके बाद वे श्रीमती बलविंदर, जो उसकी ज्येष्ठ सहपाठी थी, से धन लाने के लिए मोगा गए थे । यद्यपि उसने सायंकाल में मोगा पहुंचने और होटल गिल में उहरने की बात स्वीकार की है । उस समय भी उसने किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं की ।

9. अभियोक्त्री ने यह भी स्वीकार किया कि उसने तारीख 23/24 अगस्त, 2006 को मोगा से अन्वेषक अधिकारी से उसके मोबाइल पर बात की थी । यद्यपि उसने यह अभिकथन किया है कि उसने पुलिस पदधारियों से यह शिकायत की थी कि वह भयग्रस्त है, किंत् उप-निरीक्षक सतीश शर्मा द्वारा इस तथ्य के बारे में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है । बल्कि, उसने यह कथन किया है कि चंडीगढ और मोगा में अन्वेषण के दौरान उसकी जानकारी में यह बात आई कि अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ टहरी थी और किसी दबाव, जबरदस्ती या असम्यक प्रभाव के अधीन नहीं थी । उसने आगे यह कथन किया कि अभियुक्त और अभियोक्त्री जब होटल में ठहरे थे तो उन्होंने खाना खाया था और उनका ठहराव आरामदायक था । इसके अतिरिक्त, यहां तक कि न्यायालय परिसर, चंडीगढ में भी उसने कोई शोर नहीं मचाया था कि उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और अभियुक्त के साथ स्वयं न्यायालय में गई थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियोक्त्री द्वारा दिए गए शपथपत्र में उसने यह कथन किया था कि उस पर कोई जबरदस्ती, प्रपीड़न या दबाव या असम्यक् प्रभाव नहीं है । अन्वेषक अधिकारी ने अभियोक्त्री और अभियुक्त द्वारा धन का प्रबंध करने के लिए मोगा जाने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि तारीख 23 अगस्त. 2006 को दोनों पक्षकारों ने अपने विवाह के लिए शपथपत्र तैयार किए थे और दस्तावेज, प्रदर्श डीबी, प्रस्तुत किए थे क्योंकि दोनों पक्षकार, अभियोक्त्री और अभियुक्त रिवन्द्र पाल, जमानत की सुनवाई के दौरान विवाह के लिए सहमत थे। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान यह भी जानकारी में आया था कि दस्तावेज, प्रदर्श डी-1 से डी-25, कार्ड, पत्र इत्यादि अभियुक्त को अभियोक्त्री द्वारा भेजे गए थे। महत्वपूर्ण रूप से, उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री ने किसी भी समय पर उससे यह प्रकट नहीं किया था कि अभियुक्तों ने कभी उसे यह धमकी दी थी कि उसके पिता को अभियुक्तों द्वारा बंदी बना लिया गया है।

- 10. साक्ष्य की उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि अभियोक्त्री, जो उस समय प्राप्तवय थी, शिमला के विश्वविद्यालय से तारीख 22 अगस्त, 2006 को अभियुक्तों के साथ गई थी क्योंकि अभियुक्त रिवन्द्र पाल, जो कि प्राप्तवय था, के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे।
- 11. विद्वान् विचारण न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्य से ठीक ही यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों विवाह के बंधन में बंधने के लिए राजी हो गए थे । यहां तक कि बाद में उनके माता-पिता भी इसके लिए सहमत हो गए थे, किंतु हो सकता है जाति की बात के कारण यह संपन्न नहीं हुआ । उपरोक्त चर्चा के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोक्त्री अभिकथित घटना की तारीख को शिमला से अभियुक्तों के साथ जाने में स्वयं अपनी इच्छा से एक सहमत पक्षकार थी ।
- 12. इन परिस्थितियों में, जब वह सहमत पक्षकार होने के कारण अभियुक्तों के साथ गई थी, तब व्यपहरण का मामला नहीं बनता है । इसलिए उपरोक्त साक्ष्य से विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न दृष्टिकोण अपनाना संभव नहीं है । अतः इस अपील में कोई गुणागुण न होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है ।
- 13. प्रत्यर्थियों द्वारा इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान किसी भी समय पर प्रस्तुत किए गए जमानत बंधपत्रों से उन्हें उन्मोचित किया जाता है | निचले न्यायालय को अभिलेख भेजा जाए |

अपील खारिज की गई ।

जस.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

राकेश कुमार शर्मा और अन्य

तारीख 6 दिसम्बर, 2012

न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्रा और न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498-क और 306 [सपिटत साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क] – क्रूरता और आत्महत्या का दुष्प्रेरण – सािक्षयों के साक्ष्य में बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें मृतका के अवसादग्रस्त और संवेदनशील प्रकृति का होने तथा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दिशत होता हो कि प्रत्यर्थी-अभियुक्तों द्वारा मृतका की मृत्यु के समय के ठीक पूर्व ऐसा कोई कृत्य किया गया था जो क्रूरता या आत्महत्या के दुष्प्रेरण की कोटि में आता हो, इसिलए उनकी दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित और न्यायसंगत नहीं है।

मामले के तथ्यों के अनुसार मृतका का विवाह तारीख 5 दिसम्बर, 1997 को प्रत्यर्थी राकेश कुमार के साथ हुआ था । उसने तारीख 4 जनवरी, 2002 को संजौली स्थित अपने निवास पर, जहां वह अपने पति, सास-सस्र और अन्य प्रत्यर्थियों के साथ रह रही थी, अपने कमरे में आंशिक रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार मृतका, प्रत्यर्थियों और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे । पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498-क और धारा 306 के अधीन किए गए अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । तद्नुसार, विचारण के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया । प्रत्यर्थियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला पाकर उन्हें पूर्वीक्त अपराधों के लिए आरोपित किया गया और विचारण के अन्त में उन्हें अपराधों के लिए दोषम्क्त कर दिया गया । राज्य ने दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – समालोचनात्मक परीक्षण करने पर न्यायालय स्पष्ट रूप से यह पाता है कि मृतका अवसाद से पीड़ित थी । एक समय पर उसने ताता पानी के निकट नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयत्न भी किया था किंतु उसके पति के पहुंच जाने पर उसने अपना मन बदल लिया और उसके साथ अपने घर आ गई । न्यायालय ने मृतका के साथ की गई क्रुरता के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों में बढा-चढाकर कही गई बातें और असंगतियां भी पाई हैं । विधितः, धारा 498-क के प्रयोजन के लिए क्रुरता को इस संदर्भ में ही सिद्ध किया जाना चाहिए क्योंकि यह क्रुरता अन्य कानुनी उपबंधों से भिन्न हो सकती है । इसका अवधारण/निष्कर्ष पुरुष के आचरण को ध्यान में रखकर, उसके कार्यों की गुरुता और गम्भीरता का निरूपण करके और यह पता लगाकर किया जाना चाहिए कि क्या इससे स्त्री के आत्महत्या आदि करने के लिए प्रेरित होने की सम्भावना है । यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि स्त्री के साथ लगातार/निरन्तर या कम से कम शिकायत दर्ज करने के अति सामीप्य समय पर क़ुरता की गई थी । प्रस्तुत मामले में यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थियों में से किसी ने भी मृतका की मृत्यु के सामीप्य समय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के निबंधनों के अनुसार क्रूरता का कोई कृत्य किया था । अभिलेख के अनुसार, मृतका ने तारीख 4 जनवरी, 2002 को आत्महत्या की थी, जबकि इससे पूर्व वह नव-वर्ष के अवसर पर प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के साथ प्रसन्नतापूर्वक घूमती देखी गई थी । उपरोक्त संपूर्ण चर्चा से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिवार में कुछ छुट-पुट नोंक-झोंक हो सकती है क्योंकि उसका पति/प्रत्यर्थी चाहता था कि मृतका उसकी अविवाहित बहिनों के साथ संयुक्त परिवार में रहे । यह प्रतीत होता है कि यह बात मृतका को स्वीकार्य नहीं थी । चुंकि वह अवसाद से पीड़ित थी, जैसा कि डाक्टर द्वारा कथन किया गया है, और ठीक पूर्व में उपचाराधीन रही थी और यह कारण रहा होगा कि अपनी संवेदनशील प्रकृति के कारण उसने अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली और साथ ही यह तथ्य भी है कि उसने पहले भी प्रत्यर्थियों के किसी उकसावे या दृष्प्रेरण के बिना ताता पानी के निकट नदी में कुदकर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था । अतः, उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । (पैरा 16, 17, 18, 19 और 20)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2011] जे. टी. 2011 (5) एस. सी. 373 :

बंसी लाल बनाम हरियाणा राज्य ;

[2009] (2009) 13 एस. सी. सी. 330.

मंजू राम कलिता बनाम असम राज्य । 17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 413.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ट अपर

महाधिवक्ता और उनके साथ श्री

रमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अनूप चितकारा, शिवेन्द्र सिंह

और सुश्री विभूति नागटा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – इस अपील में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, शिमला द्वारा प्रत्यर्थियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498-क और 306 के अधीन अपराधों के लिए पारित की गई दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है।

- 2. पक्षकारों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया । निर्विवाद तथ्य इस प्रकार हैं:-
 - "(i) मृतका श्रीमती विजय भारती का विवाह तारीख 5 दिसम्बर, 1997 को प्रत्यर्थी राकेश कुमार के साथ हुआ था । उसने तारीख 4 जनवरी, 2002 को संजौली स्थित अपने निवास पर, जहां वह अपने पति, सास-ससुर और अन्य प्रत्यर्थियों के साथ रह रही थी, अपने कमरे में आंशिक रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ।
 - (ii) प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 सुश्री रीना शर्मा और सुश्री मोनिका शर्मा प्रत्यर्थी सं. 1 की अविवाहित बहिनें हैं ।
 - (iii) प्रत्यर्थी सं. 1 एच. पी. एस. ई. बी., शिमला में ड्राफ्टमैन (सिविल) है ।

- (iv) प्रत्यर्थी सं. 2 सुश्री रीना शर्मा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर तथा बी.एससी., बी.एड. है और वह कुछ समय के लिए एस. पी. एम. माडल उच्च विद्यालय, संजौली, शिमला में अध्यापिका के रूप में रही थी।
- (v) प्रत्यर्थी सं. 3 सुश्री मोनिका गणित में एम. फिल है और प्राइवेट इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में सेवारत है।
- (vi) मृतका विवाह के एक वर्ष पश्चात् अपने सास-ससुर के मकान के निकट अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी थी।"
- 3. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार मृतका, प्रत्यर्थियों और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, इसलिए वह प्रायः अभि. सा. 1 मीनाक्षी गौतम से शिकायत करती रहती थी । यह अभिकथित है कि प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 मृतका पर यह फबतियां कसती थीं कि वह घरेलू कामकाज नहीं जानती है और यह भी नहीं जानती कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं । यह अभिकथित है कि जब वह आठ मास की गर्भवती थी तो उसके पति ने उसे किराए के कमरे में बिना देखभाल के अकेला छोड़ दिया । फिर उसे अभि. सा. 2 कौड़ा देवी द्वारा अपने घर ले जाया गया, जहां उसने एक बालक को जन्म दिया और बालक के जन्म के पश्चात वह अपने पति के पास आ गई । जैसाकि ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया है, मृतका तारीख 4 जनवरी, 2002 को अपने कमरे में आंशिक रूप से फांसी पर लटकी हुई पाई गई और कमरा अंदर से बंद था । पुलिस को बुलाया गया और दरवाजा तोड़कर खोला गया और अभि. सा. 8 हैड कांस्टेबल सूरज प्रकाश द्वारा अन्य कांस्टेबलों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया । उसके पश्चात अभि. सा. 10 डा. पीयुष कपिला, रजिस्ट्रार, न्यायालयिक आयुर्विज्ञान, आई. जी. एम. सी., शिमला को घटनास्थल पर बुलाया गया । उसने शव का निरीक्षण किया और उसके पश्चात पुलिस के अनुरोध पर शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए अस्पताल ले गया । स्पष्टतः, डाक्टर ने गर्दन पर बंधने का कोई चिह्न नहीं पाया किंत् गर्दन पर हल्के नील के चिह्न मौजूद थे । शव की पीठ पर रक्त-संकुलता प्रकट नहीं थी । मुख से कोई झाग या लार नहीं निकली हुई थी, तथापि, चेहरा संकुलित था और शरीर गर्म था । आंशिक फांसी साड़ी, प्रदर्श पी-26, से लगाई गई थी । डाक्टर को चेहरे का संकुलन और नीलापन तथा अग्रांग पीलापन लिए हुए पाए । बृहत जोड़ों और गर्दन में शव-काठिन्य प्रकट होना आरंभ हो गया

था । गर्दन पर चमड़ी के नीचे के भाग के दबने का कोई लक्षण नहीं था । कण्ठिका अस्थि, टेंट्आ या वलय उपास्थि का अस्थिभंग नहीं पाया गया । दोनों फेफड़ों में आंतरिक पिण्डकीय दरारों में पिटिशियल रक्तस्राव के साक्ष्य पाए गए । जिहवा दांतों के बीच कटी नहीं थी । उदर में कोई भोजन या तरल पदार्थ नहीं था और न तो कोई गंध और न ही संकुलन दिखाई दी थी । विसरा रसायनज्ञ के पास नहीं भेजा गया था । यकृत, प्लीहा और गुर्दे पर प्रचुर पिटिशियल रक्तस्राव था । मृतका मासिक धर्म में थी और सेनीटरी पैड मौजूद था । प्रथमदृष्ट्या डाक्टर की यह राय थी कि सभी अधिसंभाव्यताओं में मृतका की मृत्यू, मृत्यू-पूर्व आंशिकतः फांसी पर लटकने और श्वासोवरुद्ध के कारण आत्महत्या-मृत्यु थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ बांधने वाली सामग्री तथा शव पर पाए गए आभूषण विवरण-सूची के द्वारा पुलिस को सौंपे गए । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पीके है । पुलिस द्वारा तैयार किए गए मृत्यु-समीक्षा कागजात प्रदर्श पीएल (पांच पृष्ठ) हैं । जब डाक्टर ने घटनास्थल का दौरा किया तो घटनास्थल पर लकड़ी का तख्त पाया गया । फर्श से ग्रिल की ऊंचाई लगभग चार फुट थी जिसके साथ साड़ी का एक सिरा बंधा हुआ पाया गया । क्षतियां पहुंचने और मृत्यू होने की अधिसंभाव्य अवधि लगभग 3 से 5 मिनट थी और मृत्यू तथा मरणोत्तर परीक्षा के बीच की अवधि लगभग 6 से 7 घंटे थी और डाक्टर की यह पूरी निश्चित राय थी कि यह आंशिक रूप से फांसी पर लटकने से हुई मृत्यु का मामला है क्योंकि मृत्यु की अन्य प्रकृति जैसे गला घोंटने और पूरी तरह फांसी पर लटकने की बात को इस मामले में आसानी से खारिज किया जा सकता है । पुलिस ने शव के भी फोटोग्राफ लिए और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभि. सा. 1 मीनाक्षी गौतम का कथन अभिलिखित किया और अन्ततोगत्वा उसके आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्वीक्त अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । तदनुसार, विचारण के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया ।

- 4. प्रत्यर्थियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला पाकर उन्हें पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोपित किया गया और विचारण के अन्त में उन्हें अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया गया । राज्य ने दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर यह अपील फाइल की है ।
- 5. श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता ने श्री रमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता की सम्यक् सहायता से जोरदार रूप से यह दलील दी

कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया । शिकायतकर्ता मृतका की माता और अन्य साक्षियों, जिनकी अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को सिद्ध करने के लिए परीक्षा कराई गई थी, के सटीक बयानों को त्यक्त करने के लिए कोई कारण नहीं दिया है । अभिलेख पर के पारिस्थितिक साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि मृतका द्वारा अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर ससुराल में आत्महत्या करने की ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए प्रत्यर्थी उत्तरदायी हैं । इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(क) के फलस्वरूप मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के बारे में उपधारणा की जानी चाहिए थी । चूंकि विद्वान् विचारण न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य के बाहर है, इसलिए प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति दोषसिद्धि में तब्दील होने की संभावना है ।

- 6. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान काउंसेल श्री अनूप चितकारा ने उपरोक्त दलीलों का यह कहते हुए विरोध किया कि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य मनगढंत और बढा-चढाकर दिया गया है और अधिसंभाव्यतः वे मृतका की असाम्यिक मृत्यु से प्रतिकृल रूप से प्रभावित थे । यह दलील दी गई है कि मृतका और उसके पित/अभियुक्त की आयु में अंतर था । मृतका लगभग आठ वर्ष छोटी थी । वह प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ विवाह करने के लिए अनिच्छुक थी, तथापि, अन्यथा भी अभिलेख पर के साक्ष्य से यह पता चलता है कि वह शारीरिक समस्या से ग्रस्त थी जिसके लिए उसने प्रति. सा. २ डा. मुनीष कुमार सरोच, रजिस्ट्रार, मनोरोग विभाग, आई. जी. एम. सी. से उपचार कराया था । विद्वान काउंसेल ने अभि. सा. 1 मीनाक्षी गौतम के इस कथन को भी निर्दिष्ट किया कि एक 'तांत्रिक' से उपचार कराने के लिए मृतका को सुन्दरनगर ले जाया गया था । उसने यह भी कहा कि मृतका संवेदनशील प्रकृति की थी और एक समय पर उसने ताता पानी के निकट सतल्ज नदी में कूदकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी और उसे उसके पति द्वारा बचा लिया गया था । इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थियों द्वारा क्रूरता करने का कोई सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और क़्रता के सब्त के अभाव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(क) के अधीन उपधारणा नहीं की जा सकती है ।
- 7. हमने अभिलेख को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों की विरोधी दलीलों का अत्यधिक सावधानी और सतर्कतापूर्वक मूल्यांकन किया है । स्वीकृततः, मृतका ने अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या की थी । साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(क) के अधीन उपधारणा केवल तब की जा

सकती है कि जब यह साबित हो जाता है कि आत्महत्या विवाह के सात वर्ष के भीतर की गई है और इसके अतिरिक्त जब यह साबित हो जाता है कि पित या पित किसी नातेदार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अर्थान्तर्गत अवश्य ही क्रूरता की है। तथापि, यह उपधारणा खंडनीय है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के यह साबित करने में असफल रहने पर कि अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरता की गई थी, यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(क) के अधीन उपधारणा नहीं की जा सकती है, इसलिए वर्तमान मामले की परीक्षा विधि के उपरोक्त स्थिर सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए की जानी आवश्यक है।

8. अभि. सा. 1 मीनाक्षी गौतम मृतका की मौसेरी बहिन है अर्थात उसकी मौसी की लड़की है। वह मृतका की सस्राल के पास-पड़ोस में रह रही थी । उसने यह कथन किया कि मृतका उसके पास आती रहती थी और दूरभाष पर भी सम्पर्क में रहती थी । मृतका के विवाह के लगभग 2-3 मास के पश्चात मृतका और प्रत्यर्थियों के बीच संबंध तनातनी के हो गए क्योंकि वे उसके आचरण और व्यवहार की बाबत उसे अनावश्यक रूप से यातना दे रहे थे और वह असहाय थी । इस बात पर इस साक्षी ने मृतका को परामर्श दिया था कि मामले को माता-पिता और सास-सस्र के बीच-बचाव से स्लझा लिया जाए । मृतका जून, 1998 में करसोग में अपनी माता के पास भी गई थी । पीछे-पीछे उसका पति भी वहां पहुंच गया । मृतका और उसके पति को घर आया देखकर प्रत्येक व्यक्ति अचिभित हो गया और सोच में पड़ गया और फिर मृतका ने अपनी माता को बताया कि वह संजीली से अपने घर से अकेली आई थी और करसोग के लिए बस ली थी तथा उसका पति उसी बस में बैठ गया होगा चूंकि उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ था और उसने अपने पति का घर छोड़ दिया था । अगले दिन प्रत्यर्थी राकेश कुमार शिमला लौट आया और विजय भारती अपनी माता के घर ही रह गई । ये सभी बातें जून, 1998 में घटित हुई थीं । इसके पश्चात उन्होंने मामले को सुलझाने की कोशिश की और प्रत्यर्थियों ने कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 उसे यह कहकर यातना दे रहे थे कि वह खाना पकाना और कपड़े धोना तक नहीं जानती है और घर के सभी मामलों में उनका पूरा नियंत्रण था । वे उसकी पिटाई भी करते थे और फबतियां भी कसते थे । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसकी मौजूदगी में मृतका और प्रत्यर्थियों के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ था । किंतु एक छुटपुट

घटना मृतका की पुत्री के जन्म-दिवस पर घटित हुई थी जब प्रत्यर्थी सं. 1 के माता-पिता और बहिनों ने जन्म-दिवस समारोह में भाग नहीं लिया और मृतका का पति उन्हें पैक किया हुआ रात्रि का भोजन (पैक्ड डिनर) देना चाहता था किंतु मृतका ने आक्षेप किया कि चुंकि वे समारोह में नहीं आए फिर क्यों उन्हें रात्रि का भोजन दिया जाए । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उन्होंने केवल एक बार मृतका द्वारा की गई शिकायत के बारे में प्रत्यर्थी राकेश कुमार से बात की थी और तब उसने यह कहा कि यह केवल पारिवारिक मामला है और उसकी राय में पारिवारिक कहा-स्नी अपने बीच में ही सुलझा लेनी चाहिए क्योंकि इसीलिए तो वे एक साथ रह रहे हैं । इस साक्षी ने यह कथन किया कि मृतका और राकेश कुमार के बीच आयु का अंतर होने के कारण वह विवाह नहीं करना चाहती थी । इस साक्षी ने यह बात भी स्वीकार की कि मृतका को एक समय पर उपचार के लिए सुंदरनगर चेला/तांत्रिक के पास ले जाया गया था । इस तथ्य से मृतका की माता कौड़ा देवी द्वारा इनकार किया गया है । उसने यह भी कथन किया कि मृतका को मृत्यू से दो दिन पूर्व प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के साथ बाजार में देखा गया था और इससे पूर्व उसने दूरभाष पर उसे नव-वर्ष की बधाई भी दी थी और वह बिल्कुल प्रसन्न थी।

9. अभि. सा. 2 कौड़ा देवी मृतका की माता है । उसके पति की लगभग 14 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी । वह एक विद्यालय में 900/- रुपए मासिक मजदूरी पर अंशकालिक वाटर कैरियर के रूप में कार्य करती थी । इसके अतिरिक्त वह कृषि कार्य भी कर रही थी । तुलनात्मक रूप से मृतका के माता-पिता का परिवार प्रत्यर्थियों के परिवार जितना धनवान नहीं था । पूर्व में, तारीख 4 फरवरी, 2002 को श्रीमती कौड़ा देवी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष एक कथन, प्रदर्श पीजी, किया गया था जिसमें उसने स्वीकार किया था कि एक समय पर मृतका ने ताता पानी में भी नदी में कृदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसे उसके पति द्वारा बचाया गया था । अभि. सा. 9 निरीक्षक रमेश कुमार ने इस कथन की संपृष्टि इसे साबित करके की और यह स्वीकार किया कि अभि. सा. 2 श्रीमती कौड़ा देवी ने उस पर कथन किया था कि उसकी पुत्री ने उसे बताया कि वह जीवन से ऊब गई थी और यही कारण है कि उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की और घटनास्थल पर उसके पति के आ जाने से उसने अपना मन बदल लिया और घटनास्थल से उसके साथ अपने घर आ गई । उसका वाई के रूप में चिन्हित अन्य कथन तारीख 30 फरवरी, 2002 को अभिलिखित किया गया

था, किंतु अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, उसने अपना कथन अभिलिखित कराने के लिए स्वयं सम्पर्क किया था जिसे अभि. सा. 1 श्रीमती मीनाक्षी के मकान में अभिलिखित किया गया था । जबकि अभि. सा. २ ने यह कथन किया कि वह पुलिस के पास अपना कथन अभिलिखित कराने के लिए दूसरी बार गई थी क्योंकि पहले उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी । उसने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी मृतका का उचित प्रकार से भरण-पोषण नहीं कर रहे थे और इसके विपरीत उसने स्वयं ही उसके कपड़े दिए थे, किंतु यह साक्षी यह नहीं बता सकी कि उसके द्वारा कितनी बार और कितना धन मृतका के कपड़ों पर खर्च किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि मृतका प्रत्यर्थी/पति से विवाह-विच्छेद करना चाहती थी और उसे शिमला बुलाया था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री और उसके पति की आयु में अंतर था, क्योंकि उसकी पुत्री प्रत्यर्थी सं. 1 से काफी छोटी थी । उसने यह भी कथन किया कि उसकी पुत्री द्वारा उसके परामर्श पर पारिवारिक विवाद होने पर समझौता/सुलह कर लिया जाता था किंतू उसने इस बात से इनकार किया कि उसकी पुत्री ने ताता पानी में आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था, जबकि इस तथ्य का उल्लेख, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन, प्रदर्श पीजी, में पाया गया जब उसका इससे सामना कराया गया ।

10. अभि. सा. 4 भारतेन्दु शर्मा मृतका का भाई है, हालांकि उसने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी मृतका को ताना देते थे कि उसे खाना बनाना और कपड़े धोने नहीं आते हैं । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसे अपनी पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र में रहना पड़ा था जहां वह अगस्त, 2000 में गया था । जब वह अभि. सा. 1 मीनाक्षी के मकान में उहरा हुआ था तब वह अपना कथन अभिलिखित कराने के लिए स्वयं पुलिस के पास गया था । उसने आगे यह भी कथन किया कि विवाह के खर्च का प्रबंध उसके मामा द्वारा किया गया था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जबिक प्रत्यर्थियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है ।

11. अभि. सा. 5 मतीधर गुप्ता अभि. सा. 2 श्रीमती कौड़ा देवी के गांव से भतीजा है । उसने एक नई ही कहानी प्रस्तुत की है कि मृतका ने दो या तीन बार यह कहा था कि उसका पित और अन्य प्रत्यर्थी उसकी पिटाई करते रहते हैं और दहेज की मांग भी करते हैं । यह कभी भी अभियोजन का पक्षकथन नहीं था और न ही किसी अन्य साक्षी द्वारा ऐसा कथन किया गया है । उसका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन

अभिलिखित उसके कथन से सामना कराया गया, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख नहीं पाया गया ।

- 12. अभि. सा. 6 श्री महेश्वर दत्त भी श्रीमती कौड़ा देवी के गांव से है । उसने कथन किया कि प्रत्यर्थी मृतका को ताने देते थे और यह कहते रहते थे कि उसे खाना बनाना और कपड़े धोने नहीं आते । उसने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी सं. 1 मृतका पर उसके माता-पिता के साथ परिवार में रहने के लिए बाध्य कर रहा था ।
- 13. प्रत्यर्थियों ने अभिकथित परिस्थितियों, जो उनके विरुद्ध विद्यमान पाई गईं, से इनकार किया । उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233(2) के अधीन एक लिखित कथन भी फाइल किया, जिसके द्वारा उन्होंने कथन किया कि मृतका अति संवेदनशील थी और अपरमार (हिस्टीरिया) से पीड़ित थी । वह मानसिक रूप से स्थिर नहीं थी और उसे किसी प्रेतात्मा का वशीकरण होने का भी संदेह रहता था और प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ-साथ मृतका की माता (अभि. सा. 2) द्वारा भी उसका आई. जी. एम. सी., शिमला में और सुंदरनगर के निकट कांसवाल खाड़ में काली मंदिर में उसका उपचार कराया गया था । प्रत्यर्थी सं. 1 और मृतका, मृतका के माता-पिता के घर गए और वहां सात दिन तक रहे और तारीख 30 दिसम्बर, 2001 को प्रसन्नतापूर्वक वापस आए । मृतका को किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी तंग नहीं किया गया था और वे मृतका द्वारा अंदर से दरवाजा बंद कर लेने के कृत्य से हैरान थे और जब अभियुक्त दरवाजा नहीं खोल सके और कुछ अनहोनी का संदेह हुआ तो पुलिस को सूचित किया गया । दरवाजा तोड़कर खोला गया और पाया गया कि मृतका ने आंशिक रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है । मृतका ने विवेकहीन और संवेदनशील व्यक्ति होने और अपरमार से पीड़ित होने के कारण आत्महत्या की थी । उसकी मृत्य के पश्चात् तनातनी संबंधों के कारण अंतरस्थ हेत् से एक मिथ्या कहानी गढी गई ।
- 14. प्रत्यर्थियों/अभियुक्तों ने भी अपना पक्षकथन साबित करने के लिए उप मुख्य इंजीनियर, एच. पी. एस. ई. बी., जहां प्रत्यर्थी सं. 1 सेवारत है, कार्यालय के श्री उमेश शर्मा (प्रति. सा. 1) को पेश किया । प्रत्यर्थी सं. 1 ने उन औषधियों की प्रतिपूर्ति का दावा किया था जो उसने अपनी पत्नी के उपचार के लिए खरीदी थीं और उक्त साक्षी ने प्रदर्श डी-1 से डी-2, निर्देशन (प्रिसक्रिप्शन) पर्चियां, जो प्रतिपूर्ति प्ररूप के साथ लगाई गईं थी को साबित किया ।

15. प्रत्यर्थियों ने निर्देशन पर्चियों को साबित करने के लिए प्रति. सा. 2 डा. मुनीष कुमार सरोच, रिजस्ट्रार, मनोरोग विभाग, आई. जी. एम. सी., शिमला की भी परीक्षा कराई । उसने स्वीकार किया कि तारीख 28 अप्रैल, 1998 की निर्देशन पर्ची उसके हाथ की और डा. जोगिंदर सिंह के हाथ की है जिसने मनोरोग विभाग में श्रीमती भारती का परीक्षण किया था । इस निर्देशन पर्ची से श्रीमती भारती को अंतिम बार तारीख 8 जून, 1998 को उपचार दिया गया था । डीडब्ल्यू-2/ए के अनुसार, उसे 'कनवर्जन रिएक्शन' और 'अवसाद' के लिए उपचार दिया गया था । उसने यह भी कथन किया कि कनवर्जन रिएक्शन का अर्थ अपस्मार (हिस्टिरिया) है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि मृतका बी. एफ. 32 (अवसाद) से पीड़ित थी जो कि आमतौर पर स्त्रियों को नहीं होता है ।

16. समालोचनात्मक परीक्षण करने पर हम स्पष्ट रूप से यह पाते हैं कि मृतका अवसाद से पीड़ित थी । एक समय पर उसने ताता पानी के निकट नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयत्न भी किया था किंतु उसके पित के पहुंच जाने पर उसने अपना मन बदल लिया और उसके साथ अपने घर आ गई । हमने मृतका के साथ की गई क्रूरता के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों में बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें और असंगतियां भी पाई हैं ।

17. विधितः, धारा 498-क के प्रयोजन के लिए क्रूरता को इस संदर्भ में ही सिद्ध किया जाना चाहिए क्योंकि यह क्रूरता अन्य कानूनी उपबंधों से भिन्न हो सकती है । इसका अवधारण/निष्कर्ष पुरुष के आचरण को ध्यान में रखकर, उसके कार्यों की गुरुता और गम्भीरता का निरूपण करके और यह पता लगाकर किया जाना चाहिए कि क्या इससे स्त्री के आत्महत्या आदि करने के लिए प्रेरित होने की सम्भावना है । यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि स्त्री के साथ लगातार/निरन्तर या कम से कम शिकायत दर्ज करने के अति सामीप्य समय पर क्रूरता की गई थी । मंजू राम किता बनाम असम राज्य वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि छुट-पुट झगड़ों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के उपबंधों को लागू करने के लिए "क्रूरता" की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । इस सीमा तक मानसिक यातना देना कि यह असहनीय हो जाए, इसे क्रूरता की संज्ञा दी जा सकती है । बंसी लाल बनाम हरियाणा राज्य वाले मामले में उच्चतम

¹ (2009) 13 एस. सी. सी. 330.

² जे. टी. 2011 (5) एस. सी. 373.

न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन मामले पर विचार करते समय यह साबित किया जाना चाहिए कि क्रूरता मृत्यु के अति सामीप्य समय के दौरान की गई थी और यह लगातार की गई होनी चाहिए तथा अभियुक्त द्वारा ऐसे लगातार शारीरिक या मानसिक रूप से तंग किए जाने से मृतका का जीवन दयनीय हो गया हो जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

18. प्रस्तुत मामले में यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थियों में से किसी ने भी मृतका की मृत्यु के सामीप्य समय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के निबंधनों के अनुसार क्रूरता का कोई कृत्य किया था । अभिलेख के अनुसार, मृतका ने तारीख 4 जनवरी, 2002 को आत्महत्या की थी, जबिक इससे पूर्व वह नव-वर्ष के अवसर पर प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के साथ प्रसन्नतापूर्वक घूमती देखी गई थी।

19. उपरोक्त संपूर्ण चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिवार में कुछ छुट-पुट नोंक-झोंक हो सकती है क्योंकि उसका पित/प्रत्यर्थी चाहता था कि मृतका उसकी अविवाहित बहिनों के साथ संयुक्त परिवार में रहे । यह प्रतीत होता है कि यह बात मृतका को स्वीकार्य नहीं थी । चूंकि वह अवसाद से पीड़ित थी, जैसा कि डाक्टर द्वारा कथन किया गया है, और ठीक पूर्व में उपचाराधीन रही थी और यह कारण रहा होगा कि अपनी संवेदनशील प्रकृति के कारण उसने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली और साथ ही यह तथ्य भी है कि उसने पहले भी प्रत्यर्थियों के किसी उकसावे या दुष्प्रेरण के बिना ताता पानी के निकट नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था ।

20. अतः, उपरोक्त परिस्थितियों में हमें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है और परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई ।

जस.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

गुरमीत सिंह

तारीख 11 दिसंबर, 2012

न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्र और न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 15 – अभियुक्त के स्कूटर से पोस्ता पुआल अभिगृहीत किया जाना – जहां इस बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त से बरामद किया गया ढ़ेर जिसका रसायन परीक्षक द्वारा विश्लेषण किया गया था, पोस्ता पुआल था तथा स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया गया है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि की जानी न्यायसंगत और उचित नहीं है।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 24 जून, 2005 को सहायक उप-निरीक्षक धर्मदास पुलिस गश्त दल का मुखिया था और उसने यातायात जांच के लिए दवोता बैरियर पर नाका डाला हुआ था । लगभग 6.30 बजे अपराह्न पूर्वोक्त स्कूटर नालागढ की ओर से आया जिसे अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था । उसे रुकने का संकेत दिया गया परंत् अभियुक्त ने भागने की कोशिश की, तथापि, उसे पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार कर किया गया था । अभियुक्त द्वारा स्कूटर पर पांव रखने की जगह पर सफेद रंग का बोरा (थैला) लाया जा रहा था । इस थैले की चमन लाल और दिनेश जैन साक्षियों के समक्ष तलाशी ली गई । उक्त बोरे में बिना अनुमति के पांच किलोग्राम अफीम की पुआल (भूकी) रखी हुई पाई गई थी । उक्त ढेर को बरामद करके उसमें से अलग-अलग 200 ग्राम के नमूने लिए गए और उन्हें रसायन विश्लेषण के लिए अलग-अलग रखा गया था । प्रत्येक नमूने के पार्सल को मोहर की छाप 'क' से मोहरबंद किया गया था और तीन प्रतियों में एनसीबी प्ररूप घटनास्थल पर भी भरे गए थे । मोहर की प्रतिकृति कपड़े के टुकड़े, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग में रखी गई थी । मोहर को प्रयोग करने के पश्चात साक्षी चमन लाल को सौंपा गया था । प्रश्नगत स्कूटर के साथ वाद संपत्ति को कब्जे में लिया गया था, देखिए बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क । अभिकथित घटना के स्थान का घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख भी घटनास्थल पर तैयार किया गया । मामले के रिजस्ट्रेशन के लिए रुक्का भेजा गया था जिसके आधार पर वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रिजस्ट्रीकृत की गई थी । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के आधार उसे लिखित में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ में बताए गए थे । विचारण न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गया । अभियुक्त के दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले में केवल गुणात्मक परीक्षा की गई थी जिसके द्वारा रसायन परीक्षक ने अफीम के तैयार मार्फिन की मौजूदगी के आधार पर यह राय व्यक्त की कि नमुना "पोस्ता की भूसी" का है । इससे यह उपदर्शित नहीं होता है कि ढेर जिसकी परीक्षा की गई या तो अफीम वर्ग की वनस्पति की प्रजातियों के पौधे का भाग सम्मिलित है जिससे अफीम या कोई फेनानथ्रीने का क्षारतत्व से अर्क निकाला जा सकता हो और जिसपर केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसे अफीम पोस्ता के रूप में घोषित किया गया यदि ऐसा है तो रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क के ढेर में पोस्ता भूसी की अंतर्वस्तु है जिसे साधारण शब्दों में पोस्ता पुआल की शब्दावली के अंतर्गत रखा गया है । यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकता है कि अभियुक्त से बरामद किया गया ढेर जिसका रसायन परीक्षक द्वारा विश्लेषण किया गया था । इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र साक्षी अभि. सा. 2 दिनेश जैन और अभि. सा. 3 चमन लाल ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और अन्वेषक अधिकारी की वर्तमान मामले में परीक्षा नहीं की गई है। (पैरा 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

18

[2008] (2008) 1 शिमला एल. सी. 168 : राजीव कुमार गुगलु बनाम हरियाणा राज्य ।

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 20.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अपर

महाधिवक्ता साथ में श्री रमेश

ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री सोमा ठाकुर, न्यायिमत्र

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – प्रत्यर्थी जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्त कहा गया है को स्वापक ओषधि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है की धारा 15 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित करके विचारण किया गया तथा उसे दोषमुक्त कर दिया गया, यह अभिकथित है कि उसके द्वारा स्कूटर रजिस्ट्रेशन सं. पीबी-16-क-8447 में एक थैले में पांच किलोग्राम पोस्ता पुआल रखी हुई थी। राज्य द्वारा वर्तमान अपील में अभियुक्त की दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है।

- 2. पक्षकारों को सूना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभिलेख के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है उस बारे में यह कथन किया जा सकता है कि तारीख 24 जून, 2005 को सहायक उप-निरीक्षक धर्मदास पुलिस गश्त दल का मृखिया था और उसने यातायात जांच के लिए दवोता बैरियर पर नाका डाला हुआ था । लगभग 6.30 बजे अपराह्न पूर्वोक्त स्कूटर नालागढ़ की ओर से आया जिसे अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था । उसे रुकने का संकेत दिया गया परंत् अभियुक्त ने भागने की कोशिश की, तथापि, उसे पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त द्वारा स्कूटर पर पांव रखने की जगह पर सफेद रंग का बोरा (थैला) लाया जा रहा था । इस थैले की चमन लाल और दिनेश जैन साक्षियों के समक्ष तलाशी ली गई । उक्त बोरे में बिना अनुमति के पांच किलोग्राम अफीम की पुआल (भूकी) रखी हुई पाई गई थी । उक्त ढेर को बरामद करके उसमें से अलग-अलग 200 ग्राम के नमूने लिए गए और उन्हें रसायन विश्लेषण के लिए अलग-अलग रखा गया था । प्रत्येक नमूने के पार्सल को मोहर की छाप 'क' से मोहरबंद किया गया था और तीन प्रतियों में एनसीबी प्ररूप घटनास्थल पर भी भरे गए थे । मोहर की प्रतिकृति कपड़े के टुकड़े, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग में रखी गई थी । मोहर को प्रयोग करने के पश्चात साक्षी चमन लाल को सौंपा गया था । प्रश्नगत स्कूटर के साथ वाद संपत्ति को कब्जे में लिया गया था, देखिए बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क । अभिकथित घटना के स्थान का घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख भी घटनास्थल पर तैयार किया गया । मामले के रजिस्ट्रेशन के लिए रुक्का भेजा गया था जिसके आधार पर वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के आधार उसे लिखित में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ में बताए गए थे।
 - 4. तलाशी और अभिग्रहण की विशेष रिपोर्ट शासकीय ज्येष्ठ

अधिकारियों को कानूनी अवधि के अंतर्गत भेजी गई थी । सहायक उप-निरीक्षक धर्मदास द्वारा वाद संपत्ति उसी दिन एमएचसी कमल नयन (अभि. सा. 6) के माध्यम से पुलिस थाने में जमा की गई थी ।

- 5. तारीख 25 जून, 2005 को एक नमूना पार्सल जिसे एस-1 से चिह्नित किया गया था जिसके साथ एनसीबी प्ररूप से दो नमूने, मोहर का नमूना बरामदगी ज्ञापन के साथ पी-1 से भी चिह्नित किया गया था तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के साथ एचएससी बासुदेव देखिए आरसी सं. 69/2005 के माध्यम से सीटीएल, कांडाघाट भेजे गए थे । इसकी जमा की गई रसीद आरसी के पृष्ठ पर प्राप्त की गई थी और इसे पूर्वोक्त एमएचसी को सौंपा गया था ।
- 6. तारीख 29 जून, 2005 को थोक पार्सल और नमूना पार्सल की सील को अभिप्रमाणित कराने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नालागढ़ को भी आवेदन दिया गया था । इस आवेदन पर मजिस्ट्रेट ने आदेश प्रदर्श पीवाई पारित किया ।
- 7. प्रयोगशाला में नमूना पार्सल की परीक्षा करने पर मेकोनिक एसिड और मार्फिन सकारात्मक पाया गया था । इस परिणाम के आधार पर परीक्षक ने यह राय व्यक्त की है कि उक्त प्रदर्शित वस्तु में "अफीम की भूसी" प्रकट है ।
- 8. पुलिस ने साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया था जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।
- 9. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई तथा अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा भी की । परिस्थितियां जो उपस्थित पाई गई थीं अभियुक्त के समक्ष रखी गईं जिससे उसने इनकार किया था।
- 10. जब अभियुक्त से प्रतिरक्षा देने के लिए कहा गया तब उसने प्रतिरक्षा में किसी साक्ष्य की परीक्षा नहीं कराई थी ।
- 11. विचारण की समाप्ति पर अभियुक्त को साक्ष्य में प्रकट होने वाले मुख्य विभेदों पर तथा वाद संपत्ति की पहचान करने में विभेद करने पर दोषमुक्त कर दिया गया ।
 - 12. प्रांरभ में, हम यह कहना चाहेंगे कि उप-सहायक निरीक्षक

धर्मदास की अभियोजन पक्ष ने कई बार दोबार अवसर मिलने के बावजूद भी परीक्षा नहीं कराई गई थी । तथापि, कांस्टेबल, अश्वनी कुमार (अभि. सा. 8) ने बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया था और विनिर्दिष्टतः यह कथन किया कि बोरा प्रदर्श पी-2 जिसमें भूकी प्रदर्श पी-3 बरामद की गई थी और विचारण के दौरान नमूना पार्सल उसे दिखाया गया था जिसकी प्रदर्श पी-1 के रूप में शिनाख्त की गई थी । पूर्वोक्त सहायक उप-निरीक्षक, धर्मदास की परीक्षा नहीं करके एमएससी के पास वाद संपत्ति को जमा करने के बारे में शृंखला नहीं जुड़ी है ।

13. कांस्टेबल अश्वनी कुमार (अभि. सा. 8) ने यह कथन नहीं किया है कि नमूना पार्सल और शेष ढेर को एस-1 और एस-2 से चिह्नित किया गया है परंतु स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि यह पी-1 और पी-2 है, परंतु एनसीबी प्ररूप प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख में ढेर से निकाले गए नमूने एस-1 और एस-2 का उल्लेख है । इस विभेद को ढकने के लिए हेड कांस्टेबल, कमल नयन (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है और इसे एस-1 और एस-2 के रूप में भी चिह्नित किया गया है परंतु दुर्भाग्यवश उसने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए मालखाना रजिस्टर के सार की प्रति को पेश नहीं किया जबकि बाकी ढेर और एक नम्ना अपर मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट के समक्ष तारीख 29 जून, 2005 को पेश किया गया था । नमूना पार्सल को पी-2 के रूप में चिह्नित किया गया था और बाकी ढेर जिसे पी-3 के रूप में दिखाया गया है जो एनसीबी प्ररूपों की प्रविष्टि के विपरीत है । अतः, इस बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या नमूने मोहरबंद किए गए थे और पूर्वोक्त निर्दिष्ट एनसीबी प्ररूपों को पी-1 और पी-2 या एस-1 और एस-2 से चिह्नित किया गया । हमने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि नमूना पार्सल पर मोहर छाप 'ए' की केवल तीन मोहरे थीं जैसाकि पूर्वोक्त एनसीबी प्ररूप में उपदर्शित किया गया है । परंतु जब इसे तारीख 29 जून, 2006 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था तो तीन मोहरों की बजाय चार मोहर उसमें लगी हुई थीं तथा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्यों उक्त पार्सल पर एक सील क्यों बढाई गई थी । अतः, इसके आधार पर विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह निष्कर्ष निकाला है कि निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जो नम्ना रसायन परीक्षा के लिए भेजा गया था क्या वह वही था जिसे अभियुक्त से अभिकथित रूप से बरामद किए गए बोरे से अलग किया गया था क्योंकि एनसीबी प्ररूपों के अनुसार नमुनों पर एस-1 और एस-2 के चिह्न लगाए गए थे न कि पी-1 और पी-2 ।

- 14. हमारी जानकारी में यह भी आया है कि वर्तमान मामले में विचारण के दौरान न तो सड़क प्रमाणपत्र और न इसकी प्रति पेश की गई या साबित की गई जिससे मामले के तथ्यात्मक पहलू पर प्रकाश डाला जा सकता कि क्या नमूने जिस पर एस-1 और एस-2 या पी-1 और पी-2 चिह्नित किया गया था जिनका इस मामले में विश्लेषण किया गया था। अतः, नमूने की पहचान की परीक्षा में भी विवाद प्रतीत होता है।
- 15. इसके अतिरिक्त हमने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्श पीजेड जिसके द्वारा रसायन परीक्षक ने यह राय व्यक्त की है कि उसमें अफीम की पुआल थी, यह बात सामंजस्यरहित है क्योंकि यह अधिनियम की धारा "अफीम की पुआल"/"पोस्ता पुआल" की परिभाषा के समरूप नहीं है।
- 16. अधिनियम की धारा 2(xviii) "पोस्ता पुआल" फसल काटने के पश्चात् अफीम के सभी भागों (बीज को छोड़कर) अभिप्रत है चाहे मूल रूप में हो या कटा, कुचला हुआ या पाउडर के रूप में हो और उससे जूस निचोड़ा गया हो या नहीं धारा (xviii) के अनुसार "अफीम पोस्ता" से अभिप्रेत अफीम की वनस्पतियों (एल) की प्रजातियों का पौधा; और (ख) वनस्पतियों की एक अन्य प्रजाति का पौधा जहां से अफीम या फेनानधीने वनस्पति का क्षारतत्व अर्क कहा जाता है और जिस पर केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकेगा जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्ता घोषित किया जाएगा।
- 17. पोस्ता पुआल की दो परिभाषाओं से जैसािक इसमें ऊपर प्रकट किया गया है । यह स्पष्ट है कि "पोस्ता पुआल" के अर्थ को समझने के लिए "अफीम पोस्ता" के अर्थ का उल्लेख करना आवश्यक है । "पोस्ता पुआल" जब "अफीम पोस्ता" की परिभाषा के साथ पढ़ा जाए तब अफीम वर्ग की वनस्पतियां निद्रा लाने वाली प्रजातियों के पौधे के (क) सभी भागों (बीज को छोड़कर) से अभिप्रेत है या अफीम वर्ग की वनस्पति की कोई अन्य प्रजाति का पौधा जिससे अफीम या फेनानथ्रीने वनस्पतियों का क्षारतत्व निकाला जा सकता है और जिसपर केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अफीम पोस्ता घोषित करती है ।
- 18. वर्तमान मामले में केवल गुणात्मक परीक्षा की गई थी जिसके द्वारा रसायन परीक्षक ने अफीम के तैयार मार्फिन की मौजूदगी के आधार पर यह राय व्यक्त की कि नमूना "पोस्ता की भूसी" का है । इससे यह उपदर्शित नहीं होता है कि ढेर जिसकी परीक्षा की गई या तो अफीम वर्ग

की वनस्पति की प्रजातियों के पौधे का भाग सम्मिलित है जिससे अफीम या कोई फेनानथ्रीने का क्षारतत्व से अर्क निकाला जा सकता हो और जिसपर केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसे अफीम पोस्ता के रूप में घोषित किया गया यदि ऐसा है तो रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क के ढेर में पोस्ता भूसी की अंतर्वस्तु है जिसे साधारण शब्दों में पोस्ता पुआल की शब्दावली के अंतर्गत रखा गया है । यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकता है कि अभियुक्त से बरामद किया गया ढेर जिसका रसायन परीक्षक द्वारा विश्लेषण किया गया था, पोस्ता पुआल था जैसाकि राजीव कुमार गुगलु बनाम हरियाणा राज्य वाले मामले में इस न्यायालय की समन्वयित पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया ।

- 19. इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र साक्षी अभि. सा. 2 दिनेश जैन और अभि. सा. 3 चमन लाल ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और अन्वेषक अधिकारी की वर्तमान मामले में परीक्षा नहीं की गई है।
- 20. उपरोक्त कारणों से हमारा विचारित मत यह है कि ऐसे कोई आधार नहीं हैं जिस पर अभियुक्त की दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जाए । इस प्रकार, अपील गुणागण न होने के कारण खारिज की जाती है । तद्नुसार अपील खारिज की गई ।
- 21. अभियुक्त को इस मामले की कार्यवाही के दौरान किसी समय पर उसके द्वारा पेश किए गए जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है।
- 22. हम सुश्री सोमा ठाकुर, अधिवक्ता के योगदान के बारे में व्यक्त शब्द को अभिलिखित करते हैं जिसे न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था।

अपील खारिज की गई।

आर्य

¹ (2008) 1 शिमला एल. सी. 168.

परमोद चन्द

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 18 मार्च, 2013

न्यायमूर्ति वी. के. आहूजा और न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(च) – बलात्संग – जहां अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित करता हो तथा अभियोक्त्री का कथन विश्वासोत्पादक हो और उसकी माता के कथनों से तात्विक संपुष्टि होती हो वहां अभियुक्त को बलात्संग के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित है।

वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री अपीलार्थी की बहन की पुत्री है, इसमें इसके पश्चात उसे "अभियुक्त" कहा गया है । अभियोक्त्री को अभियुक्त द्वारा गोद लिया गया था जब वह अनुमानतः 6 मास की थी और अभियोक्त्री अभियुक्त की पत्नी और दो सहोदर भाइयों के साथ अभियुक्त के मकान में रहती थी । वर्ष 2003 में ग्रीष्म अवकाश के दौरान जब अभियोक्त्री स्कूल जाने वाली बालिका थी और अभियुक्त की पत्नी बीमार पड़ी हुई थी और इस प्रकार वह अपने बच्चों के साथ अपने मायके गई हुई थी । उनकी अनुपस्थिति का फायदा लेकर अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ मैथ्न किया जाना अभिकथित है । अभियुक्त ने अभियोक्त्री को मार दिए जाने की धमकी दी थी कि यदि वह इस बात को किसी भी व्यक्ति को बताएगी । तथापि, जब अभियोक्त्री की पत्नी वापस लौटी तब अभियोक्त्री ने उससे शिकायत की थी परंत् उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया वस्त्तः उसने उसकी बात को झूठ समझा । तारीख 9 दिसंबर, 2004 को भी जब अभियुक्त की पत्नी विवाह में सम्मिलित होने के लिए पड़ौस में गई हुई थी तब उसकी अनुपस्थिति में अभियुक्त ने अभियोक्त्री से पुनः बलात्संग किया । इसके पश्चात् अभियोक्त्री ने अपनी माता को इस घटना के बारे में दूरभाष से सूचित किया था और तारीख 15 दिसंबर, 2004 को अभियोक्त्री अपनी माता के साथ पुलिस थाने गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । डा. नीलम महाजन द्वारा अभियोक्त्री की चिकित्सा

परीक्षा की गई थी और रोग विषयक परीक्षा करने पर उसने यह पाया कि अभियोक्त्री के स्तन पूर्ण रूप से बड़े हुए नहीं थे केवल चूचुक मौजूद थे, मासिक धर्म प्रारंभ नहीं हुआ था और सेकेन्डरी सेक्स केरेक्टर भी बढा हुआ नहीं था परंतु किसी प्रकार भी उसके शरीर पर कोई क्षति का चिह्न नहीं था और बाहरी जननांग सामान्य था और योनिच्छद यथावत था । योनिक धब्बे लिए गए थे और यह अवलोकन किया गया था कि घटना के पश्चात् अभियोक्त्री ने स्नान किया होगा और अपने कपड़े धो डाले थे परंतु किसी प्रकार कपड़ों को मोहरबंद किया गया और न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा गया । डाक्टर ने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र जारी किया । अभियोक्त्री को हड़डी से आयु स्निश्चित करने के लिए विकिरण विज्ञानी के पास भेजा गया । एक्सरे के आधार पर उसके द्वारा अभियोक्त्री की आयु 9-12 के बीच होने की राय व्यक्त की गई । परीक्षा रिपोर्ट का परिशीलन करने के पश्चात डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है कि मैथून किए जाने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि उक्त घटना घटने के पश्चात पीड़िता ने स्नान कर लिया था और अपने कपड़े भी धो दिए थे । इस प्रकार बहुत ही कम संभावना बनती है कि अभियुक्त का वीर्य या रक्त मौजूद होता, तथापि, उसने बलात्संग की संभावना से इनकार नहीं किया । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि बलात्संग मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि अभियोक्त्री के गुप्तांग भागों पर क्षतियां पहुंचे । पुलिस घटनास्थल पर गई और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया तथा विद्यालय से जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी एकत्रित किया जहां वह पढ़ रही थी । पुलिस ने चादर को भी कब्जे में लिया जिस पर अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया जाना अभिकथित है । इसे रासायनिक परीक्षा के लिए भी भेजा गया । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया और वह मैथ्न किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया था । उसका चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. ९/च है । अभियुक्त ने डबल बैड की चादर की पहचान की । फोटोग्राफ भी लिए गए थे । पुलिस ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया । तदनुसार, अभियुक्त को पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप-पत्रित किया गया था जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अपीलार्थी ने 2005 के सेशन मामला सं. 24-के में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय जिसे तारीख 23 अक्तूबर, 2007/31 अक्तूबर, 2007 को विनिश्चय किया गया था, को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा उसे अभियोक्त्री अप्राप्तवय बालिका के साथ अभिकथित बलात्संग करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) के अधीन 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा दंड संहिता की धारा 506 भाग (2) के अधीन आपराधिक अभित्रास के लिए 4 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा व्यतिक्रम खंड के साथ 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । दोनों दंडादेशों के लिए साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन फायदा दिया गया था । इसके अतिरिक्त यह आदेश किया गया था कि जुर्माने की रकम वसूल की जाती है तो जुर्माने की कुल रकम में से 25,000/- रुपए की रकम प्रतिकर के रूप में अभियोक्त्री को संदाय किया जाएगा । विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया । अपीलार्थी ने दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – बलात्संग के मामले में अपराध के प्रत्येक संघटक को सकारात्मक रूप से साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर हमेशा भार रहता है और उसे यह सिद्ध करना चाहिए और इस प्रकार सबूत का भार को कभी भी अंतरित नहीं किया जा सकता । स्वीकृततः प्रतिरक्षा पक्ष का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि वह इस बारे में कि आहत के साथ कैसे और क्यों बलात्संग का मामला घटित हुआ उसका स्पष्टीकरण दें । अभियोक्त्री की माता ने अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एकमात्र रूप से अभियुक्त व्यक्ति इस बारे में कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुआ है कि वे उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए क्यों अग्रसर हुए । उच्चतम न्यायालय ने कानून के विधिक सिद्धांत को दोहराया है कि जब कभी अभियुक्त के विरुद्ध बड़ा संदेह किया जाता है और तथापि, नैतिक विश्वास प्रबल है और न्यायाधीश द्वारा जब तक कि विधिक साक्ष्य और अभिलेख की सामग्री के आधार पर अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे या युक्तियुक्त संदेह की संभावना के परे साबित नहीं हो जाता तब तक वह अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । प्रारंभ में अभियुक्त की निर्दोषिता की अवधारणा की जाती है और अभियोजन पक्ष

को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करना चाहिए । ऐसा न हो कि अभियुक्त युक्तियुक्त संदेह का फायदा लेने का हकदार हो जाए । अब यह सुस्थापित है कि अभियोक्त्री के कथन पर बिना किसी सम्पृष्टि के कार्यवाही की जा सकती है । बलात्संग के अपराध को गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिश्न के पूरे प्रवेशन के साथ वीर्य के स्खलन होना चाहिए तथा योनिच्छद में फटाव होना चाहिए और शिश्न आंशिक प्रवेशन बृहत भगोष्ठ या बिना किसी वीर्य के रखलन के या शिश्न के प्रवेशन का प्रयास बलात्संग के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार, क्षति की मौजूदगी प्रतिरोध पर निर्भर करेगी और यह असहाय होने पर अभ्यर्पण का मामला है । ऐसे समय पर अभियुक्त की निर्दीषिता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि क्षतियों का अभाव साबित हो परंतू इन तथ्यों की अभियोक्त्री के कथनों तथा उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रकट सामग्री के संदर्भ में परीक्षा की जानी आवश्यक है । गुरुचरण सिंह बनाम हरियाणा राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गुप्तांग भागों पर हिंसा के चिह्नों का अभाव या जहां अभियोक्त्री के शरीर पर उसके द्वारा हिंसा जनित प्रतिरोध का अभाव दर्शित होता है जो पूर्णतया अपरिमाणिक है जब अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम है । वर्तमान मामले में, ऐसे तथ्य सही हैं जहां अभियोक्त्री मात्र 13 वर्ष की आयु से कम की बालिका है और बचने का कोई सहारा न देखते हुए वास्तविक तौर पर उसने अभियुक्त को अभ्यर्पण कर दिया । इस प्रकार अभियोक्त्री के शरीर पर किसी क्षति के अभाव से अभियुक्त को कोई तात्विक फायदा नहीं मिल सकता है । इसलिए, प्रतिरक्षा पक्ष ने अभिकथित भूमि विवाद के बारे में अपनी प्रतिरक्षा दी है जो इस संबंध में विधि के अनुसरण में सबूत का अभाव है तथा क्षतियों का अभाव अभियोजन पक्षकथन पर कोई खोट उत्पन्न नहीं करता है । वस्तुतः, उसने अभियुक्त द्वारा वर्ष 2003 में छुटि्टयों के दौरान अभिकथित बलात्संग के बारे में स्पष्ट तौर पर यह कथन किया है कि अभियुक्त की पत्नी और उनके बच्चे अनुपस्थित थे और उसने इस बारे में भी स्पष्ट वृत्तांत दिया है कि उसके साथ ऐसी घटना कैसे घटी । उसने अभियुक्त की पत्नी और चंचला देवी को प्रकटीकरण के बारे में भी बताया है, परंतु उन्होंने उसकी बात को झुठा माना । अभियुक्त के बारे में अभियोक्त्री के जीवन को छीन लेने की धमकी दिया जाना अभिकथित है। इस प्रकार, उसके पास प्रथम घटना के बारे में चूप रहने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था । परंतु तारीख 9 दिसंबर, 2004 को अभियुक्त

द्वारा अपने कुटुंब के सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर दोबारा ऐसा कार्य किया था जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तो अभियुक्त द्वारा उसे पकड़ा गया था और जमीन पर लिटाकर उससे बलात्संग किया गया, अभियोक्त्री ने यह बात अपनी माता को दूरभाष से बताई । उसने यह साक्ष्य दिया है कि दूसरे दिन प्रातः वह विद्यालय चली गई और शाम को वह अपनी माता के साथ पुलिस थाने पर गई और रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/क दर्ज कराई थी जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया है कि इसके द्वारा बताई गई कहानी मिथ्या है; परंतु उसे एक सकारात्मक सुझाव दिया गया था कि अभिकथित बलात्संग के समय पर कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था और तारीख 10 दिसंबर, 2004 को उसने प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 को पूर्वोक्त बातें भी बताई थीं और इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए नहीं आया था । इसके अतिरिक्त, उसने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने चीख-प्कार नहीं की और न किसी तरह का शोरगुल किया जब अभियुक्त द्वारा उक्त कार्य उससे किया जा रहा था । परंतु उसने स्वेच्छा से यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था । अभियोक्त्री द्वारा उक्त घटना के बारे में बताया गया था । इसके पश्चात उसने अभियुक्त-भाई से इस घटना के बारे में पूछा उसने यह बताया कि उसने शराब पी थी इस कारण से ऐसा गलत कार्य किया और माफी मांगी । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 15 दिसंबर, 2004 को वह अभियोक्त्री को पुलिस थाना ले गई और रिपोर्ट दर्ज की उसने प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त से पैसे की मांग या भूमि की मांग के बारे में इनकार किया है । उसने इन अभिकथनों का भी खंडन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष मिथ्या कथन किया था तथा इसके अतिरिक्त कि उसे मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था । (पैरा 11, 12, 13, 15 और 16)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2004]	2004 क्रिमिनल ला जर्नल 1726 :	
	जोगी दन और अन्य बनाम राजस्थान राज्य ;	12
[1972]	ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2661 :	
	गुरुचरण सिंह बनाम हरियाणा राज्य ;	15

13

[1952] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54 : **रामेश्वर** बनाम **राजस्थान राज्य** ।

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 195.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अजय शर्मा, अधिवक्ता साथ

में हिम्मत नेगी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जे. एस. गुलेरिया, सहायक

महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह — अपीलार्थी ने 2005 के सेशन मामला सं. 24-के में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय जिसे तारीख 23 अक्तूबर, 2007/31 अक्तूबर, 2007 को विनिश्चय किया गया था, को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा उसे अभियोक्त्री अप्राप्तवय बालिका के साथ अभिकथित बलात्संग करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) के अधीन 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 के अधीन आपराधिक अभित्रास के लिए 4 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा व्यतिक्रम खंड के साथ 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । दोनों दंडादेशों के लिए साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था । इसके अतिरिक्त यह आदेश किया गया था कि जुर्माने की रकम वसूल की जाती है तो जुर्माने की कुल रकम में से 25,000/- रुपए की रकम प्रतिकर के रूप में अभियोक्त्री को संदाय किया जाएगा ।

- 2. वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री अपीलार्थी की बहन की पुत्री है, इसमें इसके पश्चात् उसे "अभियुक्त" कहा गया है । अभियोक्त्री को अभियुक्त द्वारा गोद लिया गया था जब वह अनुमानतः 6 मास की थी और अभियोक्त्री अभियुक्त की पत्नी और दो सहोदर भाइयों के साथ अभियुक्त के मकान में रहती थी:-
 - (ii) वर्ष 2003 में ग्रीष्म अवकाश के दौरान जब अभियोक्त्री

स्कूल जाने वाली बालिका थी और अभियुक्त की पत्नी बीमार पड़ी हुई थी और इस प्रकार वह अपने बच्चों के साथ अपने मायके गई हुई थी । उनकी अनुपस्थिति का फायदा लेकर अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ मैथुन किया जाना अभिकथित है । अभियुक्त ने अभियोक्त्री को मार दिए जाने की धमकी दी थी कि यदि वह इस बात को किसी भी व्यक्ति को बताएगी । तथापि, जब अभियोक्त्री की पत्नी वापस लौटी तब अभियोक्त्री ने उससे शिकायत की थी परंतु उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया वस्तुतः उसने उसकी बात को झूठ समझा ।

- (iii) तारीख 9 दिसंबर, 2004 को भी जब अभियुक्त की पत्नी विवाह में सम्मिलित होने के लिए पड़ौस में गई हुई थी तब उसकी अनुपस्थिति में अभियुक्त ने अभियोक्त्री से पुनः बलात्संग किया । इसके पश्चात् अभियोक्त्री ने अपनी माता को इस घटना के बारे में दूरभाष से सूचित किया था और तारीख 15 दिसंबर, 2004 को अभियोक्त्री अपनी माता के साथ पुलिस थाने गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/क दर्ज की ।
- (iv) डा. नीलम महाजन (अभि. सा. 1) द्वारा अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा गई थी और रोग विषयक परीक्षा करने पर उसने यह पाया कि अभियोक्त्री के स्तन पूर्ण रूप से बड़े हुए नहीं थे केवल चूचुक मौजूद थे, मासिक धर्म प्रारंभ नहीं हुआ था और सेकेण्डरी सेक्स केरेक्टर भी बढ़ा हुआ नहीं था परंतु किसी प्रकार भी उसके शरीर पर कोई क्षति का चिह्न नहीं था और बाहरी जननांग सामान्य था और योनिच्छद यथावत् था । योनिक धब्बे लिए गए थे और यह अवलोकन किया गया था कि घटना के पश्चात् अभियोक्त्री ने स्नान किया होगा और अपने कपड़े प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-3 धो डाले थे परंतु किसी प्रकार कपड़ों को मोहरबंद किया गया और न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा गया । डाक्टर ने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/च जारी किया । अभियोक्त्री को हड्डी से आयु सुनिश्चित करने के लिए विकिरण विज्ञानी के पास भेजा गया । एक्स-रे के आधार पर उसके द्वारा अभियोक्त्री की आयु 9-12 के बीच होने की राय व्यक्त की गई।
- (v) परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/छ का परिशीलन करने के पश्चात डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है कि मैथून किए जाने के बारे

में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि उक्त घटना घटने के पश्चात् पीड़िता ने रनान कर लिया था और अपने कपड़े भी धो दिए थे । इस प्रकार बहुत ही कम संभावना बनती है कि अभियुक्त का वीर्य या रक्त मौजूद होता, तथापि, उसने बलात्संग की संभावना से इनकार नहीं किया । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि बलात्संग मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि अभियोक्त्री के गुप्तांग भागों पर क्षतियां पहुंचे ।

- 3. पुलिस घटनास्थल पर गई और घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क तैयार किया तथा विद्यालय से जन्म तिथि प्रमाणपत्र भी एकत्रित किया जहां वह पढ़ रही थी । पुलिस ने चादर प्रदर्श पी-5 को भी कब्जे में लिया जिस पर अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया जाना अभिकथित है । इसे रासायनिक परीक्षा के लिए भी भेजा गया ।
- 4. अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया और वह मैथुन किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया था। उसका चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/च है। अभियुक्त ने डबल बैड की चादर की पहचान की। फोटोग्राफ भी लिए गए थे। पुलिस ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया।
- 5. तद्नुसार, अभियुक्त को पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप पत्रित किया गया था जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।
- 6. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभियोक्त्री और उसकी माता डा. नीलम महाजन (अभि. सा. 1) इसके अतिरिक्त अन्य औपचारिक साक्षियों तथा उप-निरीक्षक सुरेष्ठा ठाकुर (अभि. सा. 9) अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा की । साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करने से अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में यह प्रकट किया है कि अभियोक्त्री की माता के साथ भूमि के बारे में विवाद था इसलिए मुझे मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है; परंतु जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई तो उसने अपना मामला बनने से पूर्णतया इनकार किया और ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया बिल्क उसने अपनी माता प्रतिरक्षा साक्षी 1 चंचला देवी की परीक्षा किए जाने की बात कही जो पहले अभियोजन साक्षी थी और दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 161 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया था जिसे डीए से चिह्नांकित किया गया और उसने इस कथन से विभेद किया है और उसकी बात विरोधाभास प्रकट हुई है । यद्यपि, उसने दी गई प्रतिपरीक्षा की सम्पुष्टि को सम्पुष्ट करने की कोशिश की परंत् यह बात महत्वपूर्ण है कि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि उनसे किसी भी व्यक्ति ने या अभियुक्त ने जमीन की कोई मांग नहीं की और आगे यह कथन किया कि उनमें से किसी के पास कोई भूमि नहीं है । इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा साक्षी 2 श्रीमती कंचन देवी अभियुक्त की पत्नी की भी परीक्षा की गई । उसने यह कथन किया कि अभिकथित घटना के दिन को अभियोक्त्री विद्यालय से आई थी और उसने उसे यह बताया था कि वह अपनी माता से मिलने के लिए कांगड़ा जाना चाहती है और वह उस स्थान से चली गई परंतु इसके पश्चात वह वापस नहीं लौटी । उसने यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री की माता ने उनसे जमीन की मांग तथा 25,000/- रुपए की रकम की मांग की थी और यह कारण था कि अभियुक्त को बलात्संग के मिथ्या मामले में फंसाया गया था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन "चिह्न डीबी" से विरोध प्रकट किया है जो इस आशय का है कि वह अभिकथित घटना के दिन को घर में मौजूद नहीं थी और इस प्रकार, इस बात को विभेदपूर्ण समझा गया । यह बात महत्वपूर्ण है कि उसने यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में हाजिर हुई थी और उसने उपरोक्त कथन जैसा उसे निदेश दिया गया था उसके आधार पर की ।

- 7. विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा में कही गई बातों पर अविश्वास किया है और अभियोक्त्री के कथनों पर विश्वास किया जिस कथन की उसकी माता द्वारा सम्यक् रूप से सम्पुष्टि की गई और अभियुक्त को वोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया।
- 8. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने पुरजोर यह दलील दी है कि अभियोक्त्री के कथन पर तात्विक सम्पुष्टि के अभाव में विश्वास नहीं किया जा सकता, साक्षियों के कथनों में विभेद प्रकट हुए हैं और चिकित्सा साक्ष्य से अभियुक्त पक्षकथन को समर्थन मिलता है क्योंकि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति नहीं थी और उसका योनिच्छद यथावत था और इस प्रकार किसी क्षति के अभाव में उसका परिसाक्ष्य झूठा साबित हुआ है।

- 9. दूसरी ओर, श्री जे. एस. गुलेरिया विद्वान् सहायक महाधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय में वर्णित कारणों का समर्थन किया है और आगे यह दलील दी है कि अभियोक्त्री का कथन विश्वास से प्रेरित है । अभियोक्त्री अप्राप्तवय बालिका थी और कोई प्रतिरोध नहीं कर सकती थी और वह असहाय थी उसने अपने को अभियुक्त को अभ्यर्पण कर दिया इसलिए अभियुक्त के शरीर पर क्षित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।
- 10. हमने पक्षकारों के परस्पर विरोधी बातों पर सोच-समझकर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का आलोचनात्मक रूप से पुनः मूल्यांकन किया है।
- 11. हम वैचारिक रूप से इस बात को स्पष्ट तौर पर व्यक्त करते हैं कि बलात्संग के मामले में अपराध के प्रत्येक संघटक को सकारात्मक रूप से साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर हमेशा भार रहता है और उसे यह सिद्ध करना चाहिए और इस प्रकार सबूत के भार को कभी भी अंतरित नहीं किया जा सकता । स्वीकृततः प्रतिरक्षा पक्ष का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि वह इस बारे में कि आहत के साथ कैसे और क्यों बलात्संग का मामला घटित हुआ उसका स्पष्टीकरण दें । अभियोक्त्री की माता ने अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एकमात्र रूप से अभियुक्त व्यक्ति इस बारे में कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुआ है कि वे उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए क्यों अग्रसर हए ।
- 12. जोगी दन और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने कानून के विधिक सिद्धांत को दोहराया है कि जब कभी अभियुक्त के विरुद्ध बड़ा संदेह किया जाता है और तथापि, नैतिक विश्वास प्रबल है और न्यायाधीश द्वारा जब तक कि विधिक साक्ष्य और अभिलेख की सामग्री के आधार पर अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे या युक्तियुक्त संदेह की संभावना के परे साबित नहीं हो जाता तब तक वह अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । प्रारंभ में अभियुक्त की निर्दोषिता की अवधारणा की जाती है और अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करना चाहिए ।

_

¹ 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 1726.

ऐसा न हो कि अभियुक्त युक्तियुक्त संदेह का फायदा लेने का हकदार हो जाए ।

13. अब यह सुस्थापित है कि अभियोक्त्री के कथन पर बिना किसी सम्पुष्टि के कार्यवाही की जा सकती है । उच्चतम न्यायालय ने रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले में वर्ष 1952 में तत्परता से यह घोषित किया है कि किसी बलात्संग के मामले में दोषसिद्धि के लिए सम्पुष्टि अनिवार्य नहीं है । पूर्वोक्त मामले में न्यायमूर्ति विवियन बोस ने न्यायालय की ओर से निर्णय के पैरा 19 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

"...... मामलों के अनुसार नियम विधि में कठोर बनाया गया है इसमें ऐसा नहीं है कि दोषसिद्धि किए जा सकने से पूर्व सम्पुष्टि आवश्यक हो परंतु सम्पुष्टि की आवश्यकता प्रज्ञा का मामला है सिवाय इसके जहां परिस्थितियां उसे त्यागने के लिए सुरक्षित प्रकट होती हैं इन बातों को न्यायाधीश के विवेक में मौजूद होना चाहिए केवल विधि का नियम प्रज्ञा का नियम है जो बात न्यायाधीश या ज्यूरी के विवेक में मौजूद होना चाहिए । जैसा भी हो और उसको समझा जाना चाहिए तथा उनके द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए । ऐसे नियम को अभ्यास में नहीं लाना चाहिए । प्रत्येक मामले में दोषसिद्धि से पूर्व सम्पुष्टि होनी चाहिए, इस बात को अनुज्ञात किया जा सकता है।"

14. उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती कई निर्णयों में विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को दोहराया गया है।

15. इसके अतिरिक्त, यह भी सिद्ध हुआ है कि बलात्संग के अपराध को गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिश्न के पूरे प्रवेशन के साथ वीर्य के स्खलन होना चाहिए तथा योनिच्छद में फटाव होना चाहिए और शिश्न आंशिक प्रवेशन बृहत् भगोष्ठ या बिना किसी वीर्य के स्खलन के या शिश्न के प्रवेशन का प्रयास बलात्संग के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार, क्षित की मौजूदगी प्रतिरोध पर निर्भर करेगी और यह असहाय होने पर अभ्यर्पण का मामला है । ऐसे समय पर अभियुक्त की निर्दोषिता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि क्षितियों का अभाव साबित हो परंतु इन तथ्यों की अभियोक्त्री के कथनों तथा उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रकट सामग्री

¹ ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54.

के संदर्भ में परीक्षा की जानी आवश्यक है । गुरुचरण सिंह बनाम हरियाणा राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गुप्तांग भागों पर हिंसा के चिह्नों का अभाव या जहां अभियोक्त्री के शरीर पर उसके द्वारा हिंसा जनित प्रतिरोध का अभाव दर्शित होता है जो पूर्णतया अपरिमाणिक है जब अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम है । वर्तमान मामले में, ऐसे तथ्य सही हैं जहां अभियोक्त्री मात्र 13 वर्ष की आयु से कम की बालिका है और बचने का कोई सहारा न देखते हुए वास्तविक तौर पर उसने अभियुक्त को अभ्यर्पण कर दिया । इस प्रकार अभियोक्त्री के शरीर पर किसी क्षति के अभाव से अभियुक्त को कोई तात्विक फायदा नहीं मिल सकता है । इसलिए, प्रतिरक्षा पक्ष ने अभिकथित भूमि विवाद के बारे में अपनी प्रतिरक्षा दी है जो इस संबंध में विधि के अनुसरण में सबूत का अभाव है तथा क्षतियों का अभाव अभियोजन पक्षकथन पर कोई खोट उत्पन्न नहीं करता है । वस्तुतः, उसने अभियुक्त द्वारा वर्ष 2003 में छुटिटयों के दौरान अभिकथित बलात्संग के बारे में स्पष्ट तौर पर यह कथन किया है कि अभियुक्त की पत्नी और उनके बच्चे अनुपस्थित थे और उसने इस बारे में भी स्पष्ट वृत्तांत दिया है कि उसके साथ ऐसी घटना कैसे घटी । उसने अभियुक्त की पत्नी (प्रतिरक्षा साक्षी 2) और चंचला देवी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) को प्रकटीकरण के बारे में भी बताया है, परंतु उन्होंने उसकी बात को झूठा माना । अभियुक्त के बारे में अभियोक्त्री के जीवन को छीन लेने की धमकी दिया जाना अभिकथित है । इस प्रकार, उसके पास प्रथम घटना के बारे में चूप रहने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था । परंत् तारीख 9 दिसंबर, 2004 को अभियुक्त द्वारा अपने कृटुंब के सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर दोबारा ऐसा कार्य किया था जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तो अभियुक्त द्वारा उसे पकड़ा गया था और जमीन पर लिटाकर उससे बलात्संग किया गया, अभियोक्त्री ने यह बात अपनी माता को दूरभाष से बताई । उसने यह साक्ष्य दिया है कि दूसरे दिन प्रातः वह विद्यालय चली गई और शाम को वह अपनी माता के साथ पुलिस थाने पर गई और रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/क दर्ज कराई थी जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया है कि इसके द्वारा बताई गई कहानी मिथ्या है; परंतु उसे एक सकारात्मक सुझाव दिया गया था कि अभिकथित बलात्संग के समय पर कोई भी

¹ ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2661.

व्यक्ति वहां पर नहीं था और तारीख 10 दिसंबर, 2004 को उसने प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 को पूर्वोक्त बातें भी बताई थीं और इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए नहीं आया था । इसके अतिरिक्त, उसने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने चीख-पुकार नहीं की और न किसी तरह का शोरगुल किया जब अभियुक्त द्वारा उक्त कार्य उससे किया जा रहा था । परंतु उसने स्वेच्छा से यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था ।

16. अभियोक्त्री की माता (अभि. सा. 2) ने तात्विक विशिष्टियों में अपने वृत्तांत की सम्पुष्टि की है कि उसे अभियोक्त्री द्वारा उक्त घटना के बारे में बताया गया था । इसके पश्चात् उसने अभियुक्त-भाई से इस घटना के बारे में पूछा उसने यह बताया कि उसने शराब पी थी इस कारण से ऐसा गलत कार्य किया और माफी मांगी । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 15 दिसंबर, 2004 को वह अभियोक्त्री को पुलिस थाना ले गई और रिपोर्ट दर्ज की उसने प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त से पैसे की मांग या भूमि की मांग के बारे में इनकार किया है । उसने इन अभिकथनों का भी खंडन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष मिथ्या कथन किया था तथा इसके अतिरिक्त कि उसे मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था ।

17. इस प्रकार, उपरोक्त सम्पूर्ण चर्चा को देखते हुए अभियोक्त्री का कथन विश्वास से प्रेरित लगता है और उसकी माता ने उन तात्विक बातों की सम्पुष्टि की है जिनका विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से अवलंब लिया गया था । अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी और माता की परीक्षा कराते समय प्रतिरक्षा दी है जैसािक ऊपर चर्चा की गई और यह सुस्पष्ट लगता है कि दोषमुक्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया परंतु वे संभाव्यतया प्रतिरक्षा वृत्तांत को नहीं दे सके । उनका परिसाक्ष्य अभियुक्त के पक्ष में दूषित है, इसके अतिरिक्त दोनों सािक्षयों ने पूर्ववर्ती कथनों से पूर्णतया विभेद प्रकट किया है । इस प्रकार, हम अभियोजन पक्षकथन में किसी प्रकार का संदेह नहीं पाते हैं जिसे युक्तियुक्त संदेह के परे सािबत किया जाए । इस प्रकार अपील में कोई सार नहीं है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

सुरेन्दर सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तथा

जोगिन्दर सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 10 मई, 2013

न्यायमूर्ति संजय करोल

पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914 (1914 का 1) (हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू) – धारा 16(1)(14) – शराब का अवैध दुर्व्यापार – जहां अवैध शराब की तलाशी और अभिग्रहण के मामले में केवल पुलिस कर्मचारी ही साक्षी हों और कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी न हो, अन्वेषण में अनेक खामियां हों तथा अभियोजन अकाट्य, विश्वसनीय, विश्वासोत्पादक और स्वतंत्र साक्ष्य के आधार पर अपना पक्षकथन साबित नहीं कर सका हो वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध करना न्यायहित में नहीं होगा।

अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 16 अप्रैल, 2005 को पुलिस दल जिसमें सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह एचएससी सुरेश कुमार, कांस्टेबल मोती लाल और एचएचजी वेणु राम सम्मिलित हैं, नाका डालने और यातायात जांच के प्रयोजन के लिए निजी यान सं. एचपी 63 0224 से पुलिस चौकी, नेरवा से चले थे । जब पुलिस दल ने लगभग 4.00 बजे पूर्वाह्न फैदाजपुल पर नाका डाला तब एक यान जिसे अभियुक्त सुरेन्दर सिंह द्वारा चलाया जा रहा था, रोका गया । अभियुक्त जोगिन्दर सिंह भी उस यान में बैठा हुआ था । यान में शराब के संदूक लदे हुए थे । अभियुक्त-व्यक्तियों से अनुज्ञा पत्र पेश करने के लिए कहा गया । वे ऐसा करने में विफल हुए और संदूकों को उतारा गया और यह पाया गया था कि उनमें भिन्न-भिन्न किरमों की शराब अर्थात् 20 संदूकों में सिरमोर सं. 1 की 240 बोतलें ; 5 संदूकों में डायरेक्टर स्पेशल विस्की की 60 बोतलें और

5 संदूकों में बीयर स्पिरियर की 60 बोतलें पाई गईं । शराब की सम्पूर्ण मात्रा से निम्नलिखित रीति में नमूने लिए गए । सिरमोर सं. 1 के 3 संदूकों में से (20 संदुक) तीन बोतलें निकाली गईं और प्रत्येक बोतल में से एक निप (पौआ) नमूने के रूप में निकाला गया था; डायरेक्टर स्पेशल विस्की के 5 संदुकों में से 2 संदुकों से 2 बोतलें बाहर निकाली गईं और प्रत्येक बोतल से 1 निप नमूने के रूप में लिया गया; बीयर के 5 संदुकों में से 1 संदक से 1 बोतल बाहर निकाली गई और उक्त बोतल में से नमूने के रूप में 1 निप लिया गया । इस तरह 6 नमुने लिए गए जिन्हें मोहर की छाप "आर" लगाकर मोहरबंद किया गया । नरेन्द्र सिंह सहायक उप-निरीक्षक ने हेड कांस्टेबल सुभाष चंद को मोहर सौंपी गई और बाकी निषिद्ध वस्तुओं को कब्जे में लेकर अभिगृहीत किया गया । तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही पुरी करने के पश्चात सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह ने रुक्का तैयार किया और उसे मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाना के कांस्टेबल मोती लाल के माध्यम से भेजा गया । उप-निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी श्री चमन लाल ने रुक्का प्राप्त किया और जिसके आधार पर पंजाब एक्साइज अधिनियम की धारा 61-1-14 के उपबंधों के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 2005 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 34/05, पुलिस थाना, चोपाल पर दर्ज की गई थी । निषिद्ध माल थाने पर लाया गया और उन्हें मालखाने में जमा कर दिया गया । श्री चतर सिंह ने उन्हें प्राप्त किया । उसने मोहरबंद नम्ने कांस्टेबल जगदीश चन्द को सौंप दिए जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला, कांडाघाट ले जाया गया था । रासायन परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने पर और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात अभियुक्त-आवेदकों के विरुद्ध विचारण किए जाने के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया । विचारण के पश्चात् दोनों अभियुक्त-व्यक्तियों को अपराध के आरोपों से दोषसिद्ध किया गया था और उनमें से प्रत्येक को 6 मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने तथा अलग-अलग 2,500/- रुपए के संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया । जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 1 मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश किया गया । निचले अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय की अभिपुष्टि की है । दोनों पुनरीक्षण आवेदन एक ही निर्णय द्वारा निपटाए जा रहे हैं क्योंकि ये एक ही निर्णय से उदभूत हैं और उनमें तथ्य और विधि के सामान्य प्रश्न अंतर्वलित हैं । निचले अपीली न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दोनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में दो

पुनरीक्षण आवेदन किए । पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात न्यायालय का यह विचारित मत है कि आवेदकों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का मामला बनता है । निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य का सही रूप से मृल्यांकन नहीं किया जिससे न्याय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि अभियुक्त को बिना किसी विधिक साक्ष्य के दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभिलेख में प्रकट गलती है । अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य में तथा अभियोजन पक्षकथन में विभेद स्पष्ट हैं जो बहुत बड़े हैं जिन्हें छोटा नहीं कहा जा सकता और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकट की गई कहानी साक्षियों के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराती हैं । अभियोजन पक्ष ने केवल साक्ष्यों के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया जो पलिस पदधारी हैं । मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है । विधि की सुस्थिर प्रतिपादना यह है कि साधारण तौर पर साक्षियों का पुलिस पदधारी होने के कारण उनके परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता या हमेशा उनके परिसाक्ष्यों की सम्पुष्टि होना अपेक्षित है । न्यायालय का विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्षकथन की उत्पत्ति कि पुलिस दल ने फैदाजपुल पर नाका डाला था, विश्वास प्रेरित नहीं होता । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि पुलिस दल को किसी अपराध को किए जाने के बारे में पहले से इत्तिला थी या क्षेत्र में संचालित अवैध रूप से शराब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की संभावना की जानकारी थी । यह बात महत्वपूर्ण है कि रपट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क) में पूर्व इत्तिला के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क का परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि शीर्ष भाग पर ऊपरीलेखन हुआ है । '16' के अंक को ऊपरीलेखन करके '6' का अंक बनाया गया है और इसे पढने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज '16वीं' तारीख को तैयार किया गया था । ऐसा तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है बल्कि मामले का तथ्य यह है कि दस्तावेज के भाग में एक दूसरा आंकड़ा है । शब्द 'प्राइवेट' सफेद प्लूड लगाकर लिखा गया है जिससे यह प्रकट हुआ है कि पहले से लिखे गए शब्द के ऊपर प्रयोग किया गया है । पुलिस द्वारा अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं रखा गया है कि उक्त प्राइवेट यान किसी जगह पर यात्रा करने के प्रयोजन के लिए जहां नाका डाला गया था किराए पर लिया गया था । यह प्राइवेट यान किससे लिया गया या किस व्यक्ति से संबंधित है इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह हेड कांस्टेबल, सुभाष चन्द और कांस्टेबल

मोती लाल जो पुलिस दल के सदस्य हैं उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में एक ही बात कही कि गाड़ी अभियुक्त द्वारा चलाई जा रही थी जिसे फैदाज पुल के पास रोका गया था जहां पर उन्होंने नाका डाला था । इन साक्षियों के अनुसार गाड़ी को तारीख 17 अप्रैल, 2005 को 4.00 बजे पूर्वाह्न रोका गया था । अभि. सा. 1 ने अपने अखंडनीय परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे घटनास्थल पर अन्वेषण का कार्य पूरा करने में 2 से 3 घंटे लगे । अब यह बात महत्वपूर्ण है कि नमूने लेने के पश्चात इस साक्षी ने मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाने में कांस्टेबल मोती लाल के मार्फत रुक्का भेजा था । रुक्का जिस पर तारीख 17 अप्रैल, 2005 डाली गई है और उसको तैयार करने का समय 4.45 बजे पूर्वाह्न अभिलिखित किया गया है । विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि नमूने लिए गए थे । इसलिए या तो साक्षी ने मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है या उसके द्वारा मिथ्या दस्तावेज तैयार किया गया था । अन्वेषण में एक अन्य प्रमुख दोष भी है । सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह ने यह स्वीकार किया है कि वह वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के साथ-साथ अन्वेषक अधिकारी भी है । शिकायत दर्ज करके उसने वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खासतौर पर किसी स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध नहीं किया था । न्यायालय का विचारित मत यह है कि इस तथ्य से अभियुक्त-व्यक्तियों के प्रति बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है । अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य के बारे में विश्वसनीय नहीं होना कहा जा सकता है क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद पुलिस पदधारियों के कथनों में विभेद भी प्रकट हुए हैं जो कथन प्रथमदृष्ट्या अल्प प्रतीत होते हैं परंतू जब उनकी बारीकी से परीक्षा की गई तो बहुत बड़े विभेदों में प्रकट हुए । अभि. सा. 1 ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गाड़ी जिसे रोका गया था पिक अप महेन्द्रा थी जबकि अभि. सा. 4 और अभि. सा. 8 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गाड़ी जो प्रयोग में लाई गई कमान्डर ब्रांड की थी । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1 के अनुसार जब संदुकों की तालाशी ली गई उन्हें मोहरबंद नहीं किया गया था । उसका ऐसा वृत्तांत अभि. सा. 4 तथा अभि. सा. 8 से विरोध प्रकट करता है जिनके अनुसार नम्ने के प्रयोजन के लिए बोतलें निकाले जाने से पूर्व संदूकें मोहरबंद पाई गई थीं । वर्तमान मामले में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने में एक अन्य प्रमुख दोष भी प्रकट हुआ है । यह उपधारणा की गई थी कि निषिद्ध माल पुलिस दल द्वारा वास्तविक रूप से बरामद किया गया था, पुलिस ने सभी संदूकों से नमूने नहीं लिए । कुछ संदुकों से कुछ बोतलें लेकर ही नमूने लिए गए जो खुली

पैरा

हुई थीं । इन साक्षियों में से किसी ने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि बाकी संदूक मोहरबंद किए गए थे; जो बाहर से एक से बने हुए या एक ही ब्रांड के प्रतीत होते थे उनके क्रमांक नं.; विनिर्माण की तारीख या निर्माणकर्ता का नाम और उस जगह के स्थान का नाम के बारे में अभिसाक्ष्य नहीं दिया । सभी प्रकार इन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शराब के संदूक जैसाकि ऊपर वर्णित किया गया है गाड़ी में पाए गए थे। संदुकों के अंदर कुछ भी हो सकता था । पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि बाकी संदुकों में वास्तव में शराब रखी हुई थी । नमूनों के बारे में विशिष्ट स्थिति में होना नहीं कहा जा सकता है । अभि. सा. 1 के वृत्तांत के अनुसार संदूकों के बाहर "सिरमोर सं. 1" छपा हुआ था जिस वृत्तांत के बारे में अभि. सा. 1 द्वारा इनकार किया गया । वर्तमान मामले में अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि शेष संदुकों में वास्तव में शराब रखी हुई थी । संदूकों के शेष बोतलों की मात्रा जिनसे नम्ने लिए गए थे उनके बारे में शराब रखे जाने के बारे में साबित नहीं किया गया । निचले न्यायालयों द्वारा इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया । इसका संचयी प्रभाव यह है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित करने में विफल हुआ है और इस प्रकार निचले न्यायालयों के निर्णय विधि में कायम योग्य नहीं हैं । उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट अकाट्य विश्वासयोग्य और साक्ष्य के स्वतंत्र टुकड़े को पेश करके युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ हो । निचले न्यायालयों द्वारा की गई दोषसिद्धि न्याय की हानि है । (पैरा 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 और 28)

अवलंबित निर्णय

[2010]	(2010) 2 हिमाचल एल. आर. 825 :	
	हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कुलदीप सिंह और अन्य ;	27
[2009]	(2009) 2 शिमला एल. सी. 208 : धर्मपाल और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य :	0.7
	प्रदश राज्य ;	27
[2007]	(2007) 2 नवीनतम एच. एल. जे. 1017 : हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रमेश चन्द :	27

[2003] 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 1346 :

महाजन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ; 27

[1997] (1997) एस. सी. सी. 241 :

कृष्णा और एक अन्य बनाम कृष्णावेनी और एक अन्य।

12

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2007 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 69 और 81.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदकों की ओर से

सर्वश्री आर. के. बावा, ज्येष्ठ अधिवक्ता

(2007 का दांडिक पुनरीक्षण

और जिवेश शर्मा

आवेदन सं. 69)

(2007 का दांडिक पुनरीक्षण

श्री दलीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता

आवेदन सं. 81)

प्रत्यर्थी की ओर से

श्री आर. एस. वर्मा, अपर महाधिवक्ता और सुश्री पारूल नेगी, उप-महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति संजय करोल – दोनों पुनरीक्षण आवेदन एक ही निर्णय द्वारा निपटाए जा रहे हैं क्योंकि ये एक ही निर्णय से उद्भूत हैं और उनमें तथ्य और विधि के सामान्य प्रश्न अंतर्वलित हैं ।

- 2. 2005 का दांडिक मामला सं. 31-III, राज्य बनाम सुरेन्दर सिंह और एक अन्य वाले मामले में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चोपाल द्वारा तारीख 16 दिसंबर, 2005 को पारित किए गए निर्णय को आक्षेपित किया है क्योंकि 2006 की दांडिक अपील सं. 4-एस/10, सुरेन्दर सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में विद्वान् सेशनन्यायाधीश, शिमला द्वारा तारीख 18 अप्रैल, 2007 को पारित किए गए निर्णय से उसकी अभिपुष्टि की गई । अभियुक्त-आवेदक सुरेन्दर सिंह (2007 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 69 में आवेदक) और जोगिन्दर सिंह (2007 का दांडिक पुनरीक्षण सं. 81 में आवेदक) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के साथ पठित धारा 401 के उपबंध के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किए हैं।
 - 3. अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 16 अप्रैल,

2005 को पुलिस दल जिसमें सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह एचएससी सुरेश कुमार, कांस्टेबल मोती लाल और एचएचजी वेणु राम सम्मिलित हैं, नाका डालने और यातायात जांच के प्रयोजन के लिए निजी यान सं. एच पी 63 0224 से पुलिस चौकी, नेरवा से चले थे । जब पुलिस दल ने लगभग 4.00 बजे पूर्वाह्न फैदाजपुल पर नाका डाला तब एक यान जिसे अभियुक्त सुरेन्दर सिंह द्वारा चलाया जा रहा था, रोका गया । अभियुक्त जोगिन्दर सिंह भी उस यान में बैठा हुआ था । यान में शराब के संदूक लदे हुए थे । अभियुक्त-व्यक्तियों से अनुज्ञा पत्र पेश करने के लिए कहा गया । वे ऐसा करने में विफल हुए और संदूकों को उतारा गया और यह पाया गया था कि उनमें भिन्न-भिन्न किस्मों की शराब अर्थात् 20 संदूकों में सिरमोर सं. 1 की 240 बोतलें; 5 संदूकों में डायरेक्टर स्पेशल विस्की की 60 बोतलें और 5 संदूकों में बीयर सुपिरियर की 60 बोतलें पाई गईं ।

हिमाचल प्रदेश

- 4. शराब की सम्पूर्ण मात्रा से निम्निलिखित रीति में नमूने लिए गए । सिरमोर सं. 1 के 3 संदूकों में से (20 संदूक) तीन बोतलें निकाली गईं और प्रत्येक बोतल में से एक निप (पौआ) नमूने के रूप में निकाला गया था; डायरेक्टर स्पेशल विस्की के 5 संदूकों में से 2 संदूकों से 2 बोतलें बाहर निकाली गईं और प्रत्येक बोतल से 1 निप नमूने के रूप में लिया गया; बीयर के 5 संदूकों में से 1 संदूक से 1 बोतल बाहर निकाली गईं और उक्त बोतल में से नमूने के रूप में 1 निप लिया गया । इस तरह 6 नमूने लिए गए जिन्हें मोहर की छाप "आर" लगाकर मोहरबंद किया गया । नरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 1) सहायक उप-निरीक्षक ने हेड कांस्टेबल सुभाष चंद (अभि. सा. 4) को मोहर सौंपी गई और बाकी निषद्ध वस्तुओं को कब्जे में लेकर अभिगृहीत किया गया ।
- 5. तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह ने रुक्का (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख) तैयार किया और उसे मामले के रिजस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाना के कांस्टेबल मोती लाल (अभि. सा. 8) के माध्यम से भेजा गया । उप-निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी श्री चमन लाल (अभि. सा. 2) ने रुक्का प्राप्त किया और जिसके आधार पर पंजाब एक्साइज अधिनियम की धारा 61-1-14 के उपबंधों के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 2005 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 34/05 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क), पुलिस थाना, चोपाल पर दर्ज की गई थी । निषिद्ध माल थाने पर लाया गया और उन्हें मालखाने में जमा कर दिया गया । श्री चतर सिंह (अभि. सा. 7) ने उन्हें प्राप्त किया । उसने

मोहरबंद नमूने कांस्टेबल जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) को सौंप दिए जिन्हें न्यायालियक प्रयोगशाला, कांडाघाट ले जाया गया था । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने पर और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त- आवेदकों के विरुद्ध विचारण किए जाने के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया ।

- 6. अभियुक्त सुरेन्दर सिंह और जोगिन्दर सिंह को पंजाब एक्साइज अधिनियम की धारा 61-1-14 के उपबंध जैसाकि हिमाचल प्रदेश में लागू है, के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।
- 7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 8 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के उपबंधों के अधीन अभियुक्त-व्यक्तियों के कथनों को भी अभिलिखित किया गया जिसमें उन्होंने मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया ।
- 8. विचारण के पश्चात् दोनों अभियुक्त-व्यक्तियों को अपराध के आरोपों से दोषसिद्ध किया गया था और उनमें से प्रत्येक को 6 मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने तथा अलग-अलग 2,500/- रुपए के संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया । जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 1 मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश किया गया ।
- 9. निचले अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय की अभिपृष्टि की है।
- 10. मैंने 2007 का दांडिक पुनरीक्षण सं. 69 में आवेदक-अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री आर. के. बावा विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता श्री जिवेश शर्मा, अधिवक्ता द्वारा की गई, को सुना; 2007 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 81 में आवेदक-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया । श्री आर. एस. वर्मा विद्वान् उप-महाधिवक्ता ने राज्य की ओर से दलील दी ।
- 11. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् मेरा यह विचारित मत है कि आवेदकों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का मामला बनता है । निचले न्यायालय ने अभियोजन

पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया जिससे न्याय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि अभियुक्त को बिना किसी विधिक साक्ष्य के दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभिलेख में प्रकट गलती है । अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य में तथा अभियोजन पक्षकथन में विभेद स्पष्ट हैं जो बहुत बड़े हैं जिन्हें छोटा नहीं कहा जा सकता और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकट की गई कहानी साक्षियों के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराती हैं ।

- 12. कृष्णा और एक अन्य बनाम कृष्णावेनी और एक अन्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब उच्च न्यायालय के ध्यान में यह आया कि न्याय का अतिक्रमण किया गया है या न्यायिक तंत्र या उसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, तब उच्च न्यायालय का वैधानिक कर्तव्य यह है कि प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्याय की हानि को रोकें या निचले दांडिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया या दंडादेश के आदेश की अवैधानिकता पर बरती गई अनियमिताओं को सही करें।
- 13. अभियोजन पक्ष ने केवल साक्ष्यों के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया जो पुलिस पदधारी हैं । मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है । विधि की सुस्थिर प्रतिपादना यह है कि साधारण तौर पर साक्षियों का पुलिस पदधारी होने के कारण उनके परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता या हमेशा उनके परिसाक्ष्यों की सम्पुष्टि होना अपेक्षित है ।
- 14. मेरा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्षकथन की उत्पत्ति कि पुलिस दल ने फैदाजपुल पर नाका डाला था, विश्वास प्रेरित नहीं होता । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि पुलिस दल को किसी अपराध को किए जाने के बारे में पहले से इत्तिला थी या क्षेत्र में संचालित अवैध रूप से शराब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की संभावना की जानकारी थी । यह बात महत्वपूर्ण है कि रपट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क) में पूर्व इत्तिला के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।
- 15. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क का परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि शीर्ष भाग पर ऊपरीलेखन हुआ है । '16' के अंक को ऊपरीलेखन करके '6' का अंक बनाया गया है और इसे पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज '16वीं' तारीख को तैयार किया गया था । ऐसा तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है बल्कि मामले का तथ्य यह है कि

_

¹ (1997) 4 एस. सी. सी. 241.

दस्तावेज के भाग में एक दूसरा आंकड़ा है । शब्द 'प्राइवेट' सफेद प्लूड लगाकर लिखा गया है जिससे यह प्रकट हुआ है कि पहले से लिखे गए शब्द के ऊपर प्रयोग किया गया है । पुलिस द्वारा अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं रखा गया है कि उक्त प्राइवेट यान किसी जगह पर यात्रा करने के प्रयोजन के लिए जहां नाका डाला गया था किराए पर लिया गया था । यह प्राइवेट यान किससे लिया गया या किस व्यक्ति से संबंधित है इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

16. सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 1) हेड कांस्टेबल, सुभाष चन्द (अभि. सा. 4) और कांस्टेबल मोती लाल (अभि. सा. 8) जो पुलिस दल के सदस्य हैं उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में एक ही बात कही कि गाड़ी अभियुक्त द्वारा चलाई जा रही थी जिसे फैदाजपुल के पास रोका गया था जहां पर उन्होंने नाका डाला था । इन साक्षियों के अनुसार गाड़ी को तारीख 17 अप्रैल, 2005 को 4.00 बजे पूर्वाह्न रोका गया था ।

17. अभि. सा. 1 ने अपने अखंडनीय परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे घटनास्थल पर अन्वेषण का कार्य पूरा करने में 2 से 3 घंटे लगे । अब यह बात महत्वपूर्ण है कि नमूने लेने के पश्चात् इस साक्षी ने मामले के रिजस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाने में कांस्टेबल मोती लाल के मार्फत रुक्का भेजा था । रुक्का जिस पर तारीख 17 अप्रैल, 2005 डाली गई है और उसको तैयार करने का समय 4.45 बजे पूर्वाह्न अभिलिखित किया गया है । विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि नमूने लिए गए थे । इसलिए या तो साक्षी ने मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है या उसके द्वारा मिथ्या दस्तावेज तैयार किया गया था ।

18. कांस्टेबल मोती लाल ने इस बारे में यह नहीं बताया है कि वह कैसे पुलिस थाने पर पहुंचा । उसने यह भी नहीं कहा है कि पुलिस थाने में रिजस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् वह घटनास्थल से वापस लौटा ।

19. अभि. सा. 1 ने यह स्वीकार किया है कि उस स्थान के समीप विश्रामगृह है जहां उसके द्वारा नाका डाला गया था । उसने सकारात्मक रूप से यह कथन किया है कि उसने विश्रामगृह से किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया यद्यपि उसने स्वेच्छापूर्वक यह कथन किया है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था परंतु उसका ऐसे परिसाक्ष्य के बारे में विश्वास से प्रेरित होना नहीं कहा जा सकता उस कारण से उसने किसी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा कि कोई व्यक्ति विश्रामगृह में मिल

सकता है या नहीं ।

- 20. यदि विश्रामगृह में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, पुलिस दल सुविधापूर्वक गाड़ी को उसकी तालाशी लेने के लिए पुलिस थाने ले जा सकता था और अभिग्रहण कार्यवाहियों के दौरान उनकी जानकारी में यह आया था कि गाड़ी शराब से लदी हुई थी और अभियुक्त-व्यक्ति के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था । ऐसा क्यों है कि पुलिस दल कुछ भी नहीं कर सका और न उस बात का स्पष्टीकरण दिया गया । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि पुलिस दल नाका डालने के समय पर व्यस्त था क्योंकि उनके द्वारा और भी गाड़ियों की जांच की जानी थी ।
- 21. अन्वेषण में एक अन्य प्रमुख दोष भी है। सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 1) ने यह स्वीकार किया है कि वह वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के साथ-साथ अन्वेषक अधिकारी भी हैं। शिकायत दर्ज करके उसने वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खासतौर पर किसी स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध नहीं किया था। मेरा विचारित मत यह है कि इस तथ्य से अभियुक्त-व्यक्तियों के प्रति बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- 22. अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य के बारे में विश्वसनीय नहीं होना कहा जा सकता है क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद पुलिस पदधारियों के कथनों में विभेद भी प्रकट हुए हैं जो कथन प्रथमदृष्ट्या अल्प प्रतीत होते हैं परंतु जब उनकी बारीकी से परीक्षा की गई तो बहुत बड़े विभेदों में प्रकट हुए ।
- 23. अभि. सा. 1 ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गाड़ी जिसे रोका गया था पिक अप महेन्द्रा थी जबिक अभि. सा. 4 और अभि. सा. 8 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गाड़ी जो प्रयोग में लाई गई कमान्डर ब्रांड की थी । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1 के अनुसार जब संदूकों की तालाशी ली गई उन्हें मोहरबंद नहीं किया गया था । उसका ऐसा वृत्तांत अभि. सा. 4 तथा अभि. सा. 8 से विरोध प्रकट करता है जिनके अनुसार नमूने के प्रयोजन के लिए बोतलें निकाले जाने से पूर्व संदूकों मोहरबंद पाई गई थीं ।
- 24. वर्तमान मामले में यह बात महत्वपूर्ण है कि मोहर "आर" न्यायालय में पेश नहीं की गई थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 ने यह स्वीकार किया है कि उक्त मोहर अभि. सा. 4 के पास पड़ी हुई थी । न्यायालय में उसे पेश नहीं किए जाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

25. अभि. सा. 7 जो पुलिस थाना, चोपाल का मालखाना भारसाधक अधिकारी है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभिगृहीत निषिद्ध माल अभि. सा. 4 द्वारा जमा किया गया था जो उस अभिसाक्ष्य से इस वृत्तांत से विभेद प्रकट होता है कि उसने मालखाने में नमूने जमा नहीं किए थे।

26. वर्तमान मामले में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने में एक अन्य प्रमुख दोष भी प्रकट हुआ है । यह उपधारणा की गई थी कि निषिद्ध माल पुलिस दल द्वारा वास्तविक रूप से बरामद किया गया था, पुलिस ने सभी संदूकों से नमूने नहीं लिए । कुछ संदूकों से कुछ बोतलें लेकर ही नमूने लिए गए जो खुली हुई थीं । इन साक्षियों में से किसी ने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि बाकी संदूक मोहरबंद किए गए थे; जो बाहर से एक से बने हुए या एक ही ब्रांड के प्रतीत होते थे उनके क्रमांक नं.; विनिर्माण की तारीख या निर्माणकर्ता का नाम और उस जगह के स्थान का नाम के बारे में अभिसाक्ष्य नहीं दिया । सभी प्रकार इन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शराब के संदूक जैसािक ऊपर वर्णित किया गया है गाड़ी में पाए गए थे । संदूकों के अंदर कुछ भी हो सकता था । पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि बाकी संदूकों में वास्तव में शराब रखी हुई थी । नमूनों के बारे में विशिष्ट स्थिति में होना नहीं कहा जा सकता है ।

27. ऐसी ही परिस्थितियों में इस न्यायालय ने महाजन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य¹; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रमेश चन्द²; धर्मपाल और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य³ तथा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कुलदीप सिंह और अन्य⁴ वाले मामलों में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था क्योंकि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे इस बारे में कि शेष संदूकों में वास्तविक रूप में क्या वस्तु रखी हुई थी, साबित नहीं कर सका था।

28. अभि. सा. 1 के वृत्तांत के अनुसार संदूकों के बाहर 'सिरमोर सं. 1" छपा हुआ था जिस वृत्तांत के बारे में अभि. सा. 1 द्वारा इनकार किया गया । वर्तमान मामले में अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है

¹ 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 1346.

² (2007) 2 नवीनतम एच. एल. जे. 1017.

³ (2009) 2 शिमला एल. सी. 208.

⁴ (2010) 2 हिमाचल एल. आर. 825.

कि शेष संदूकों में वास्तव में शराब रखी हुई थी । संदूकों के शेष बोतलों की मात्रा जिनसे नमूने लिए गए थे उनके बारे में शराब रखे जाने के बारे में साबित नहीं किया गया । निचले न्यायालयों द्वारा इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया । इसका संचयी प्रभाव यह है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित करने में विफल हुआ है और इस प्रकार निचले न्यायालयों के निर्णय विधि में कायम योग्य नहीं हैं ।

29. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट अकाट्य विश्वासयोग्य और साक्ष्य के स्वतंत्र टुकड़े को पेश करके युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ हो । निचले न्यायालयों द्वारा की गई दोषसिद्धि न्याय की हानि है ।

30. इसलिए पूर्वोक्त सभी कारणों से दोनों पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किए जाते हैं । 2005 का दांडिक मामला सं. 31-III राज्य बनाम सुरेन्दर सिंह और एक अन्य वाले मामले में जिस पर विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौपाल द्वारा पारित 16 दिसंबर, 2005 को किए गए निर्णय जिसकी 2006 का दांडिक अपील सं. 4-एस/10 सुरेन्दर सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में तारीख 18 अप्रैल, 2007 को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, शिमला द्वारा निर्णय करके अभिपुष्टि की गई थी, अपास्त किया जाता है और अभियुक्त-व्यक्तियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा यदि जुर्माने की कोई रकम जमा की गई है तो उन्हें वापस किया जाता है । अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा दिए गए वैयक्तिक और प्रतिभूति बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

दोनों पुनरीक्षण आवेदनों तथा इसके साथ कोई भी लंबित आवेदन का निपटारा किया जाता है ।

पुनरीक्षण आवेदन मूंजर किए गए ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

करतार चंद

तारीख 14 मई, 2013 न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 118 [सपिठत दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 323 और 506] – नातेदार साक्षी – यद्यपि नातेदार सािक्षयों के साक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है किंतु जहां परिवादी और अभियुक्त के बीच पहले से ही मुकदमेबाजी चल रही हो तथा स्वतंत्र सािक्षयों की मौजूदगी के बावजूद केवल सगे नातेदारों को ही पेश किया गया हो तथा उनके साक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं पाए गए हों, वहां अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायत करने वाली कांता देवी तारीख 30 अप्रैल, 2001 को जब अपने खेत से पत्थर आदि निकाल रही थी और चारदिवारी पर उनका चटटा लगा रही थी, तब इसी बीच अभियुक्त वहां आया और उससे कहा कि वह चारदिवारी पर पत्थरों का चट्टा क्यों लगा रही है । शिकायत करने वाली ने यह प्रकथन किया कि वह अपने खेत से पत्थर निकाल रही है और अपनी चारदिवारी पर चटटा लगा रही है । उसने अभियुक्त से कहा कि उसे आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । अभियुक्त ने शिकायत करने वाली को उसके स्तनों से पकड़ा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए तथा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से मुख पर चुंबन लिया । शिकायत करने वाली ने शोर मचाया । श्रीमती रुकमणी देवी, जो वहां हैंड पम्प से पानी लेने आई थी, चिल्लाने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर आई । निर्मला देवी और जोगिन्दरा देवी भी शिकायत करने वाली को बचाने के लिए आईं । शिकायत करने वाली को क्षतियां भी पहुंचीं । उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भी ले जाया गया । शिकायत करने वाली के शरीर पर साधारण क्षतियां पाई गईं । अन्वेषण पूर्ण किया गया और सभी संहिताबद्ध औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कई साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का भी कथन अभिलिखित किया गया । उसने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया । उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 22 जून, 2005 को अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 2 कांता देवी, अभि. सा. 3 निर्मला देवी और अभि. सा. 4 जोगिन्दरा देवी के कथन विश्वासोत्पादक नहीं हैं । अभिलेख पर यह बात आई है कि शिकायत करने वाली और अभियुक्त के बीच मुकदमेबाजी चल रही है । अभियुक्त ने भी अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन शिकायत फाइल की थी । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध मुख्यमंत्री और अन्य ज्येष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत भेजी थी । अभि. सा. 2 कांता देवी के अनुसार, करतार सिंह घटनास्थल पर आया और कहा कि वह पत्थरों का चटटा क्यों लगा रही है । उसने स्पष्ट किया कि वह अपने खेत से पत्थर ले रही है । उसके पश्चात अभियुक्त उस पर झपटा और उससे झगड़ा करने लगा । तथापि, अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त अपने गलियारे से शिकायत करने वाली को गालियां दे रहा था और उसके पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा । हैंड-पम्प के निकट बहुत सारे मकान थे, किंतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी को उद्धत नहीं किया गया है। अभि. सा. 2 के कथन में यह बात आई है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 उसकी पड़ोसिन हैं । अभिलेख पर यह बात भी आई है कि शिकायत करने वाली के साक्षी घनिष्ठ नातेदार हैं । इस बात को देखते हुए उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, चूंकि वे हितबद्ध साक्षी हैं । अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभियुक्त के बीच दुश्मनी है । यद्यपि अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि उसके मुंह और नाक से रक्त बह रहा था, तथापि, यह बात प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए में उल्लिखित नहीं है । घटना घटने की रीति के बारे में अभि. सा. 3 और 4 के कथनों में विभेद हैं। अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्त अभि. सा. 2 कांता देवी के स्तनों को सहला रहा था । अभि. सा. 3 निर्मला देवी ने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उसने अभियुक्त को गलियारे से गालियां देते हुए देखा था । यहां तक कि शिकायत करने वाली ने यह साक्ष्य नहीं

दिया है कि घटना से पूर्व अभियुक्त अपने गलियारे से गालियां दे रहा था। यह स्थिर विधि है कि घनिष्ठ नातेदारों के कथनों का अवलंब लिया जा सकता है किंतु इनकी गहन संवीक्षा करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, जहां घटना घटी थी वहां स्वतंत्र साक्षी मौजूद थे। जगदेव और शंकर के मकान घटनास्थल के निकट थे किंतु उन्हें साक्षियों के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्षी घनिष्ठ नातेदार हैं और अभियुक्त के प्रति दुश्मनी होने के कारण मामले की सफलता में हितबद्ध हैं। निचले न्यायालय ने ठीक प्रकार से अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन किया है और विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (पैरा 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 504.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से

सर्वश्री प्रमोद ठाकुर, अपर महाधिवक्ता और नीरज कुमार शर्मा, उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से

श्री नरेन्द्र शर्मा

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा – राज्य तारीख 22 जून, 2005 के आपराधिक मामला सं. 122-II में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरा के उस निर्णय के विरुद्ध अपील में आया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 323 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित और विचारित किया गया था, को दोषमुक्त कर दिया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 30 अप्रैल, 2001 को सुबह लगभग 6.45 बजे अभि. सा. 2 कांता देवी जब अपने खेत से पत्थर आदि निकाल रही थी और चारदिवारी पर उनका चट्टा लगा रही थी, तब इसी बीच अभियुक्त वहां आया और उससे कहा कि वह चारदिवारी पर पत्थरों का चट्टा क्यों लगा रही है । शिकायत करने वाली ने यह प्रकथन किया कि वह अपने खेत से पत्थर निकाल रही है और अपनी चारदिवारी पर चट्टा लगा रही है । उसने अभियुक्त से कहा कि उसे आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । अभियुक्त ने शिकायत करने वाली को उसके स्तनों से पकड़ा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए तथा उसकी

लज्जा भंग करने के आशय से मुख पर चुंबन लिया । शिकायत करने वाली ने शोर मचाया । श्रीमती रुकमणी देवी, जो वहां हैंड पम्प से पानी लेने आई थी, चिल्लाने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर आई । निर्मला देवी और जोगिन्दरा देवी भी शिकायत करने वाली को बचाने के लिए आईं । शिकायत करने वाली को क्षतियां भी पहुंचीं । उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भी ले जाया गया । शिकायत करने वाली के शरीर पर साधारण क्षतियां पाई गईं । स्थल-नक्शा तैयार किया गया । शिकायत करने वाली के कपड़े कब्जे में लिए गए । अन्वेषण पूर्ण किया गया और सभी संहिताबद्ध औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।

- 3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कई साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का भी कथन अभिलिखित किया गया । उसने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया । उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 22 जून, 2005 को अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।
- 4. विद्वान् उप महाअधिवक्ता, श्री नीरज शर्मा ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है। उसने यह दलील दी कि अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा अभियोजन के पक्षकथन का पूरी तरह से समर्थन किया गया है।
 - 5. श्री नरेन्द्र शर्मा ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया ।
- 6. मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।
- 7. अभि. सा. 1 डा. संजय बजाज है । उसने शिकायत करने वाली के शरीर पर साधारण क्षतियां पाई थीं । उसने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए जारी किया ।
- 8. अभि. सा. 2 कांता देवी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 अप्रैल, 2001 को उसका पित उनकी पुत्री के पास गया था । वह तारीख 30 अप्रैल, 2001 को अपने खेत में गई थी । वह अपने खेत की चारदिवारी पर पत्थरों का चट्टा लगा रही थी । अभियुक्त घटनास्थल पर आया और उससे पूछा कि वह पत्थरों का चट्टा क्यों लगा रही है । वह उसके साथ

झगड़ा भी करने लगा । उसने उसे उसकी बाज्ओं से पकड़ लिया । उसने उसे काटा । वह उसकी लज्जा भंग करने के लिए उसके स्तनों से छेड़खानी करने लगा । उसने उसके कपड़े भी फाड़ दिए । उसने उसे मुक्के मारे । वह चिल्लाने लगी । श्रीमती रुकमणी, निर्मला देवी और जोगिन्दरा देवी घटनास्थल पर आई । अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पति की भूमि अभियुक्त के साथ संयुक्त है । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके पति और अभियुक्त के बीच कई मुकदमेबाजी चल रही हैं । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसके और उसके पति के विरुद्ध एक मामला फाइल किया था । उसे अभियुक्त के पक्ष में विनिश्चित किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त के पुत्र ने भी वर्ष 2000 में उसके पति के विरुद्ध सिविल मामले फाइल किए थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि इस सम्पत्ति विवाद के कारण काफी तनाव है । अभि. सा. 3 निर्मला देवी और अभि. सा. 4 जोगिन्दरा देवी उसकी पड़ोसिन हैं। उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने पंचायत के विनिश्चय के विरुद्ध और न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की है। वह अपील के परिणाम के बारे में नहीं जानती है । उसने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन शिकायत फाइल की है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि चुनी लाल, जगदेव और शंकर के मकान घटनास्थल के निकट हैं ।

9. अभि. सा. 3 निर्मला देवी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पूर्वाहन में लगभग 6.30 बजे वह, रुकमणी और जोगिन्दरा हैंड पम्प से पानी लेने के लिए गई थीं । शिकायत करने वाली पत्थरों का चट्टा लगा रही थी । उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी । वह, रुकमणी और जोगिन्दरा के साथ घटनास्थल पर गई । अभियुक्त ने शिकायत करने वाली को पटका हुआ था और उसकी कमीज फाड़कर उसका चुंबन ले रहा था । हमने उसे बचाया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसके और अभियुक्त के बीच मुकदमेबाजी चल रही है । एक मामला कल सूचीबद्ध था । इस साक्षी के साथ-साथ अभि. सा. 2 कांता देवी और रुकमणी देवी ने भी वर्ष 1998 में अभियुक्त के विरुद्ध प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पंजाब, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, रोपड़ और अन्य को शिकायत भेजी थी । उन्होंने बिलासपूर पंचायत में भी अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत फाइल की थी ।

- 10. अभि. सा. 4 जोगिन्दरा देवी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पूर्वाहन में 6.15 बजे वह अभि. सा. 3 निर्मला देवी के साथ पानी लेने के लिए गई थी । शिकायत करने वाली पत्थरों का चट्टा लगा रही थी । अभियुक्त अपने गिलयारे से उसे गालियां देने लगा । जब वे पानी भर रहीं थी तो उन्हें कांता देवी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी । अभियुक्त ने कांता देवी को पटक रखा था और उसका चुंबन ले रहा था तथा उसके स्तनों को सहला रहा था । हम घटनास्थल पर गईं और उसके पश्चात् अभियुक्त भाग गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन मामला फाइल किया गया है । उसने यह भी स्वीकार किया कि कांता देवी उसकी पुत्र-वधू है ।
- 11. कपड़े, अभि. सा. 5 त्रिलोक चंद की मौजूदगी में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/बी द्वारा कब्जे में लिए गए थे । वह ग्राम पंचायत का प्रधान है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि तारीख 1 मई, 2001 से पूर्व क्या घटित हुआ था उसे इसकी जानकारी नहीं है ।
- 12. अभि. सा. 6 चुनी लाल वार्ड सदस्य है । वह उप प्रधान प्रेम चंद से मिला था । शिकायत करने वाली अभि. सा. 2 ने उसे घटना के बारे में बताया ।
- 13. अभि. सा. 2 कांता देवी, अभि. सा. 3 निर्मला देवी और अभि. सा. 4 जोगिन्दरा देवी के कथन विश्वासोत्पादक नहीं हैं । अभिलेख पर यह बात आई है कि शिकायत करने वाली और अभियुक्त के बीच मुकदमेबाजी चल रही है । अभियुक्त ने भी अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन शिकायत फाइल की थी । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध मुख्यमंत्री और अन्य ज्येष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत भेजी थी । अभि. सा. 2 कांता देवी के अनुसार, करतार सिंह घटनास्थल पर आया और कहा कि वह पत्थरों का चट्टा क्यों लगा रही है । उसने स्पष्ट किया कि वह अपने खेत से पत्थर ले रही है । उसके पश्चात् अभियुक्त उस पर झपटा और उससे झगड़ा करने लगा । तथापि, अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त अपने गंलियारे से शिकायत करने वाली को गालियां दे रहा था और उसके पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा । हैंड-पम्प के निकट बहुत सारे मकान थे, किंतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी को उद्धत नहीं किया गया है । अभि. सा. 2 के कथन में यह बात

आई है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 उसकी पड़ोसिन हैं। अभिलेख पर यह बात भी आई है कि शिकायत करने वाली के साक्षी घनिष्ठ नातेदार हैं । इस बात को देखते हुए उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, चूंकि वे हितबद्ध साक्षी हैं । अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभियुक्त के बीच दुश्मनी है । यद्यपि अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि उसके मुंह और नाक से रक्त बह रहा था, तथापि, यह बात प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए में उल्लिखित नहीं है । घटना घटने की रीति के बारे में अभि. सा. 3 और 4 के कथनों में विभेद है । अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्त अभि. सा. 2 कांता देवी के स्तनों को सहला रहा था । अभि. सा. 3 निर्मला देवी ने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि उसने अभियुक्त को गलियारे से गालियां देते हुए देखा था । यहां तक कि शिकायतकर्ता ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि घटना से पूर्व अभियुक्त अपने गलियारे से गालियां दे रहा था । यह स्थिर विधि है कि घनिष्ठ नातेदारों के कथनों का अवलंब लिया जा सकता है किंतू इनकी गहन संवीक्षा करने की आवश्यकता होती है । वर्तमान मामले में, जहां घटना घटी थी वहां स्वतंत्र साक्षी मौजूद थे । जगदेव और शंकर के मकान घटनास्थल के निकट थे किंतु उन्हें साक्षियों के रूप में उद्धत नहीं किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्षी घनिष्ठ नातेदार हैं और अभियुक्त के प्रति दुश्मनी होने के कारण मामले की सफलता में हितबद्ध हैं । निचले न्यायालय ने ठीक प्रकार से अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन किया है और विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

14. तद्नुसार, इसमें ऊपर की गई मताभिव्यक्तियों और विश्लेषण को दृष्टिगत करते हुए इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है और यह अपील खारिज की जाती है । जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

धनी राम और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 16 मई, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 324, 325 और 34 – खतरनाक आयुधों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहित कारित करना – क्षितग्रस्त व्यक्तियों के कथनों में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में एकरूपता होने और उनके कथनों से यह सिद्ध होने पर कि अभियुक्त पक्ष ने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए शिकायतकर्ता पक्ष पर गंडासी और डंडों से स्वेच्छया घोर उपहित कारित की और अभियुक्त पक्ष आक्रामक था, उनकी दोषसिद्धि उचित है।

मामले के तथ्यों के अनुसार तारीख 10 जून, 2003 को शिकायतकर्ता पक्ष के व्यक्ति क्षतिग्रस्त हरमेश लाल, सुखदेव उर्फ सुखा, दर्शन लाल और रोशन लाल इकटठे पूर्वीक्त हरमेश लाल के डेरा (अस्थाई छप्पर) में भोजन कर रहे थे । अपराह्न में लगभग 9.15 बजे धनी राम नामक व्यक्ति वहां आया और सूचित किया कि सोमा शराब पीकर उसके डेरे में पड़ा हुआ है और हरमेश लाल से कहा कि वह उसे अपने डेरे में ले आए । इसी बीच, अभियुक्त किशोर चंद और रमेश लाल उर्फ पम्मी 'गंडासी' से लैस होकर और अन्य अभियुक्त हाथों में डंडे लिए हुए वहां आए और अभियुक्त किशोर चंद ने गंडासी से हरमेश लाल पर प्रहार किया, जबकि अभियुक्त जसबीर सिंह ने डंडे से प्रहार किया और अन्य अभियुक्त व्यक्ति डंडों से उसकी पिटाई करने लगे । शिकायतकर्ता पक्ष चिल्लाने लगा और शोर मचाया और उसके पश्चात् हरमेश लाल बेहोश हो गया । पूर्वोक्त घटना स्खदेव उर्फ सुखा, दर्शन लाल और रोशन लाल नामक व्यक्तियों को भी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई पिटाई के कारण क्षतियां पहुंचीं । अगले दिन अर्थात् तारीख 11 जून, 2003 को पुलिस को घटना के बारे में इत्तिला मिली । वह अस्पताल गया और हरमेश लाल का कथन अभिलिखित किया और क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया तथा उसके पश्चात मामला दर्ज करने के लिए रुक्का भेजा । उसने क्षतिग्रस्त

व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित किए, अभिकथित घटनास्थल पर गया और स्थल नक्शा तैयार किया और घटना में प्रयुक्त आयुधों की बरामदगी की । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल की अंतर्ग्रस्तता भी पाई । इस मामले का अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण करने के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया । तद्नुसार उन्हें पूर्वीक्त अपराधों के लिए आरोप पत्रित किया गया, जिनके लिए उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का दावा किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों की भी परीक्षा की गई । उन्होंने उन परिस्थितियों से इनकार किया जो उनके विरुद्ध विद्यमान पाई गईं । तदनुसार, उन्होंने यह कहा कि साक्षियों ने झुठे बयान दिए हैं और उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । जब उन्हें अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो उन्होंने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के कथनों पर विश्वास करते हुए सभी अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि की और दंडादिष्ट किया । दोषसिद्ध व्यक्तियों ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा भागतः अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्ष्य की समालोचनात्मक परीक्षा करने पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल उर्फ मोहन को अपराध से संसक्त करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है क्योंकि किसी भी साक्षी ने उनके विरुद्ध कथन नहीं किया है और न ही यह साबित किया गया है कि उन्होंने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था, जबकि धनी राम के संबंध में विनिर्दिष्टतः अभि. सा. 1 हरमेश लाल के कथन में यह निर्देश आया है कि वह उन्हें यह सूचित करने आया था कि सोमा को ले आओ जो उसके डेरे में नशे की हालत में पड़ा हुआ है । अभि. सा. 6 जय चंद के अनुसार, जब धनी राम ने उपरोक्त तथ्य के बारे में हरमेश लाल को सूचित किया था, तब अभियुक्त किशोर चंद और रमेश उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चीरी आयुधों से लैस होकर आए और पूर्वोक्त अनुसार हरमेश लाल तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण किया । इस प्रकार, धनी राम पर किसी स्पष्ट कृत्य का भी अध्यारोपण नहीं किया गया है । इसलिए न्यायालय की सुविचारित राय में, धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल उर्फ मोहन की दोषसिद्ध असंधार्य है

और अपास्त की जानी चाहिए । जहां तक अन्य अभियुक्तों, अर्थात् किशोर चंद, रमेश लाल उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चौरी और घुगी उर्फ लखबीर सिंह का संबंध है, क्षतिग्रस्त साक्षियों के कथनों में अनुरूपता है और उक्त अभियुक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक के द्वारा अदा की गई भूमिका को भी अध्यारोपित किया गया है तथा उक्त अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए पूर्वोक्त क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को गंभीर और धारदार आयुधों से क्षतियां कारित कीं । चूंकि उनमें से अन्य चार के विरुद्ध अभिलेख पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य बनाने वाली कोई बात नहीं आई है क्योंकि उनमें से किसी के विरुद्ध भी विधिविरुद्ध जमाव का गठन करना या कोई स्पष्ट कृत्य कारित करना साबित नहीं होता है । यह साबित होता है कि गंडासी उलटी ओर से प्रयुक्त की गई थी जिससे दर्शन लाल के बाएं कंधे के जोड़ वाले भाग पर अस्थिभंग हुआ तथा कुंद आयुध से सुखदेव की अनुकपाल-अस्थि का भी अस्थिभंग हुआ, जबिक पूर्वोक्त व्यक्तियों पर कटने की क्षतियां गंडासी से कारित हुई हैं और ऐसी राय डाक्टर द्वारा दी गई है । रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यु. 11/ए, जो अभिकथित रूप से करन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी, का अभियोजन के वृत्तांत पर उपरोक्त सीमा तक संदेह करने के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसे वृत्तांत का उल्लेख न तो क्षतिग्रस्त साक्षियों के समक्ष उनके कथन करने के समय और न ही उनकी प्रतिपरीक्षा में किया गया था । यह प्रतीत होता है कि यह रिपोर्ट केवल मात्र शिकायतकर्ता पक्ष के मामले का विरोध करने के लिए दर्ज कराई गई थी, जिन्हें अन्यथा रूप से बहुत ही गंभीर क्षतियां पहुंची थीं और करन सिंह तथा बिहारी लाल को पहुंचीं क्षतियां बहुत ही साधारण प्रकृति की थीं और अभियोजन पक्ष द्वारा इनके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता पक्ष को पहुंचीं क्षतियां स्वयं इस तथ्य की सूचक हैं कि पूर्वोक्त अभियुक्त व्यक्ति आक्रामक थे । चूंकि अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात किशोर चंद, रमेश लाल उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चीरी और घुगी उर्फ लखबीर सिंह ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए पूर्वोक्त क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की, इसलिए न्यायालय उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 325 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी अभिनिर्धारित करता है न कि धारा 307 के अधीन दंडनीय हत्या का प्रयत्न करने और बल्वा करने के लिए । अतः अभियुक्त व्यक्तियों किशोर चंद, रमेश लाल उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चीरी और घुगी उर्फ लखबीर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ

पठित धारा 325 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और तदनुसार उनमें से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/-रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है । जुर्माने की रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर वे पूर्वोक्त प्रत्येक धारा के अधीन छह मास की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे । उनके द्वारा यदि कोई जुर्माने की राशि जमा की गई है, तो उसे इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए जुर्माने के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा । पूर्वोक्त दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त दोषसिद्ध व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अधीन 40,000/- रुपए की राशि के प्रतिकर का संदाय करने के लिए भी दायी हैं, जो उक्त दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा समान अनुपात में संदत्त और जमा किया जाएगा । तथापि, धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की जाती है और उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । (पैरा 21, 22, 23, 24 और 26)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 304.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री एन. के. ठाकुर और रमेश (अपीलार्थी सं. 1, 2 और 4 से 8) शर्मा

अपीलार्थी सं. 3 की ओर से श्री अनूप चितकारा

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री डी. सी. पथिक, अपर महाधिवक्ता, जे. एस. राणा, सहायक

महाधिवक्ता और रमेश ठाकुर,

सहायक महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – दोषसिद्ध/अपीलार्थियों द्वारा यह अपील तारीख 20 सितम्बर, 2006 को विनिश्चित किए गए सेशन मामला सं. 29/04 आरबीटी सं. 67/05/04 में विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके

द्वारा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 307 325, 324, 323 और 148 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और तद्नुसार निम्नलिखित कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है:-

क्र.सं.	धारा के अधीन अपराध	दंडादेश
1.	भा. द. स. की धारा 307	प्रत्येक को दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह मास का और साधारण कारावास भोगने ।
2.	भा. द. स. की धारा 325	प्रत्येक को तीन वर्ष की अवधि का कठोर कारावास और 2,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो मास का और साधारण कारावास भोगने ।
3.	भा. द. स. की धारा 324	एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास ।
4.	भा. द. स. की धारा 323	छह मास की अवधि का कठोर कारावास ।
5.	भा. द. स. की धारा 148	एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास ।

पूर्वोक्त सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलने का आदेश किया गया है। जुर्माने की राशि, यदि बरामद होती है, तो सभी चारों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों अर्थात् हरमेश लाल, सुखदेव उर्फ सुखा, दर्शन लाल और रोशन लाल को एक समान अंशों में संदत्त किए जाने का आदेश किया गया है।

- 2. अभियोजन के पक्षकथन का, जैसा कि अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है, संक्षेप में इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है :-
 - (i) अभि. सा. 1 हरमेश लाल अपनी भैंसों को पालकर और दूध

बेचकर अपनी आजीविका कमा रहा था । वह लगभग पिछले दस वर्षों से अन्य व्यक्तियों के साथ खानपुर बेला के आस-पास रह रहा था क्योंकि पंचायत ने स्वान नदी के किनारे पर चारागाह को पट्टे पर दे रखा था ।

- (ii) तारीख 10 जून, 2003 को अभि. सा. 1 हरमेश लाल, अभि. सा. 2 सुखदेव उर्फ सुखा, अभि. सा. 3 दर्शन लाल और अभि. सा. 4 रोशन लाल इकट्ठे पूर्वोक्त हरमेश लाल के डेरा (अस्थाई छप्पर) में भोजन कर रहे थे । अपराह्न में लगभग 9.15 बजे धनी राम नामक व्यक्ति वहां आया और सूचित किया कि सोमा शराब पीकर उसके डेरे में पड़ा हुआ है और हरमेश लाल से कहा कि वह उसे अपने डेरे में ले आए । इसी बीच, अभियुक्त किशोर चंद और रमेश लाल उर्फ पम्मी 'गंडासी' से लैस होकर और अन्य प्रत्यर्थी हाथों में डंडे लिए हुए (इन सभी को इसमें इसके पश्चात् 'अभियुक्त व्यक्ति' कहा गया है) वहां आए ।
- (iii) यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त किशोर चंद ने गंडासी से अभि. सा. 1 हरमेश लाल के बाएं कान पर प्रहार किया, जबिक अभियुक्त जसबीर सिंह ने आंख के ठीक ऊपर उसके माथे पर डंडे से प्रहार किया और अन्य अभियुक्त व्यक्ति डंडों से उसकी पिटाई करने लगे । शिकायतकर्ता पक्ष चिल्लाने लगा और शोर मचाया और उसके पश्चात् अभि. सा. 1 हरमेश लाल बेहोश हो गया ।
- (iv) अभि. सा. 1 हरमेश लाल का एक भतीजा अभि. सा. 6 जय चंद ने हालांकि शिकायतकर्ता को बचाने की कोशिश की, किंतु सफल नहीं हो सका ।
- (v) पूर्वोक्त घटना में अभि. सा. 2 सुखदेव उर्फ सुखा, अभि. सा. 3 दर्शन लाल और अभि. सा. 4 रोशन लाल को भी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई पिटाई के कारण क्षतियां पहुंचीं।
- (vi) अभियुक्त घुगी उर्फ लखबीर सिंह द्वारा डंडे से अभि. सा. 2 सुखदेव उर्फ सुखा पर उसके पार्श्विक भाग के निकट दाईं ओर प्रहार किया गया और अभियुक्त किशोर चंद ने गंडासी से उसके उलटे भाग से उसके सिर पर प्रहार किया।
- (vii) अभि. सा. 3 दर्शन लाल पर अभियुक्त जसबीर सिंह द्वारा डंडे से उसके सिर के साथ-साथ उसके कंधे पर भी प्रहार किया गया

और पिटाई के कारण वह बेहोश हो गया ।

- (viii) अभि. सा. 4 रोशन लाल पर अभियुक्त रमेश लाल उर्फ पम्मी द्वारा गंडासी के धारदार सिरे से उसके सिर पर प्रहार किया गया।
- (ix) अभि. सा. 6 जय चंद और एक तेलू राम (परीक्षा नहीं कराई गई) घटनास्थल पर आए और उन्हें बचाने की कोशिश की, किंतु सफल नहीं हुए । उसके पश्चात्, पूर्वोक्त अभि. सा. 6 अपनी ट्रेक्टर-ट्राली में सभी क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को उन सभी पर रजाई ढककर अस्पताल ले गया ।
- (x) अगले दिन अर्थात् तारीख 11 जून, 2003 को अभि. सा. 13, सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, ऊना से घटना के बारे में इत्तिला मिली । वह अस्पताल गया और एक आवेदन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए दिया कि क्या अभि. सा. 1 हरमेश लाल अपना कथन करने के लिए योग्य है या नहीं । यह प्रमाणित होने पर कि अभि. सा. 1 हरमेश लाल कथन के प्रयोजन के लिए योग्य है, पूर्वोक्त सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार ने दंड प्रकिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभि. सा. 1 हरमेश लाल का कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए अभिलिखित किया और क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया तथा उसके पश्चात मामला दर्ज करने के लिए रुक्का भेजा । उसने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित किए, अभिकथित घटना के स्थल पर गया और स्थल नक्शा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/बी तैयार किया । उसने तेलू राम द्वारा प्रस्तुत किए गए बांस के चार डंडे और एक तख्त सोम नाथ और हरमेश की मौजूदगी में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए द्वारा कब्जे में लिए, जो रक्त से सने थे । उसी दिन पूर्वोक्त अभि. सा. 13 ने रक्त-रंजित रजाई के लिहाफ, प्रदर्श पी-18 भी कब्जे में लिए ।
- (xi) अभि. सा. 8 डा. सुनील शर्मा ने अभि. सा. 3 दर्शन लाल की चिकित्सीय परीक्षा की और उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं:-
 - 1. दाएं प्रबाहु पर विसारित संवेदनशील सूजन सहित दाईं कोहनी के जोड वाले भाग पर सतही खरोंच ।
 - 2. बाएं पार्श्विक-अनुपाल पर 2x1x1.5 से. मी. का हड्डी

तक गहरा कटा हुआ विदीर्ण घाव जिसमें तेज रक्तस्राव हो रहा था।

3. माथे पर बाईं ओर 2.5x1.5x1.5 से. मी. का हड्डी तक गहरा कटा हुआ विदीर्ण घाव जिसमें से थोड़ा रक्तस्राव हो रहा है।

क्षति सं. 3 के लिए उसे खोपड़ी का एपी/लेटर्ल एक्स-रे करवाने का परामर्श दिया गया ।

4. बाएं कंधे के जोड़ वाले भाग पर नील, बाएं ऊपरी भाग को हिलाने में असमर्थ । इस क्षति के लिए उसे बांए कंधे के जोड़ वाले भाग का एपी/लेटर्ल एक्स-रे करवाने का परामर्श दिया गया ।

यह राय दी गई कि क्षिति सं. 1 से 3 साधारण हैं जबिक एक्स-रे करने के पश्चात् चौथी क्षिति गंभीर पाई गई । इस प्रभाव का चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ए है।

उसी दिन उक्त डाक्टर ने अभि. सा. 2 सुखदेव उर्फ सुखा का भी परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं :-

- 1. दाएं पार्श्विक भाग में खोपड़ी पर कटा हुआ विदीर्ण घाव, तेज रक्तस्राव और आकार 3x1.5x1.5 से. मी. है।
- 2. बाएं पार्श्विक अनुकपालीय क्षेत्र में सीएलडब्ल्यू खोपड़ी से तेज रक्तस्राव । खोपड़ी के बाल रक्त से सने हुए और आकार 3x2x1.5 से. मी. है और इस क्षित के लिए खोपड़ी का एपी/लेटर्ल एक्स-रे करवाने का परामर्श दिया गया । विकिरणचिकित्सा विज्ञानी के परामर्श पर ललाटीय भाग के लिए खोपड़ी के बाएं पार्श्व और बाईं ओर की अस्पष्टता के कारण पुनः एक्स-रे कराया गया ।

क्षति सं. 2 के संबंध में एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर डाक्टर ने ललाटीय अस्थि (बाईं) में अस्थिभंग पाया, इसलिए यह राय व्यक्त की गई कि यह क्षति गंभीर प्रकृति की है । डाक्टर ने इस संबंध में अपना चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी जारी किया ।

डाक्टर ने अभि. सा. 4 रोशन लाल का परीक्षण करने पर उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं:-

- वाईं ओर के सीएलडब्ल्यू माथे से तेज रक्तस्राव, आकार में नियमित । क्षिति का आकार 2.5 x 1.5 x 1.0 से. मी. था ।
- 2. सीएलडब्ल्यू खोपड़ी के मेहराब पर तेज रक्तस्राव और क्षति का आकार 5 x 2 x 3 से. मी. था और यह हड्डी तक गहरी थी । इस क्षति के लिए खोपड़ी का एपी और लेटर्ल एक्स-रे करवाने का परामर्श दिया गया ।
- 3. बाईं टांग के पार्श्विक भाग पर खरोंच, जो चमड़ी तक गहरी थी और मध्यम संवेदनशील थी ।
- 4. बाएं कंधे के जोड़ पर समान्तर लालिमायुक्त खरोंचे जो छुने पर संवेदनशील थीं और जोड़ का संचलन दुःखद रूप से बाधित था।

एक्स-रे से प्रकट हुआ कि ये सभी क्षतियां साधारण प्रकृति की थीं । तथापि, डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि क्षति सं. 1, 3 और 4 कुंद आयुध से कारित की गई थीं, जबिक क्षति सं. 2 धारदार आयुध से कारित की गई थीं । उसका चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/सी है ।

डाक्टर ने अभि. सा. 1 हरमेश लाल के शरीर पर भी निम्नलिखित क्षतियां पाईं :-

- 1. बायां कर्ण-पल्लव बुरी तरह कुचला हुआ तथा सतही उपास्थि बाहर दिखाई पड़ रही है तथा संवेदनशीलता मौजूद, तेज रक्तस्राव मौजूद । बाह्य श्रवण नाल रक्त के थक्कों से भरी हुई ।
- 2. दाईं ऊपरी आंख की पार्श्व सीमा पर एक संवेदनशील घाव मौजूद, तेज रक्तस्राव तथा संवेदशीलता मौजूद ।

यह राय व्यक्त की गई कि क्षिति सं. 1 गंभीर प्रकृति की है और दूसरी क्षिति साधारण है । उसका चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/डी है ।

डाक्टर की राय में, पूर्वोक्त क्षतियों में से कुछेक या तो डंडे से या गंडासी जैसे धारदार आयुध से कारित की गई थीं ।

- (xii) डाक्टर की राय के आधार पर अभि. सा. 13, सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध जोड़ा ।
- (xiii) पुलिस ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल की अंतर्ग्रस्तता भी पाई ।"
- 3. इस मामले का अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण करने के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया । तद्नुसार उन्हें पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप-पत्रित किया गया, जिनके लिए उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का वावा किया ।
- 4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए क्षतिग्रस्त व्यक्तियों और अभि. सा. 6 जय चंद के अतिरिक्त डाक्टरों तथा अन्य साक्षियों की परीक्षा कराई ।
- 5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों की भी परीक्षा की गई । उन्होंने उन परिस्थितियों से इनकार किया जो उनके विरुद्ध विद्यमान पाई गईं । तद्नुसार, उन्होंने यह कहा कि साक्षियों ने झूठे बयान दिए हैं और उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । जब उन्हें अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो उन्होंने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।
- 6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के कथनों पर विश्वास करते हुए सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्धि की और दंडादिष्ट किया ।
- 7. अभियुक्त सं. 3 रमेश लाल उर्फ पम्मी के सिवाय, जिसका प्रतिनिधित्व विद्वान् काउंसेल श्री अनूप चितकारा द्वारा किया गया, सभी अभियुक्तों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एन. के. ठाकुर, जिनकी श्री रमेश शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता द्वारा सम्यक् सहायता की गई, ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि अभियोजन साक्षियों ने सत्य बयान नहीं दिए हैं और उनके कथन विरोधाभासी हैं । आगे यह दलील दी गई है कि प्रश्नगत घटना के संबंध में करन सिंह भैया द्वारा एक प्रति-मामला दर्ज किया गया था । उसे और अन्य व्यक्तियों को भी उनके शरीर पर क्षतियां पहुंची थीं, जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए उनके द्वारा तथ्यों की सही उत्पत्ति को छिपाया गया है । इसके अतिरिक्त, उनकी

रिपोर्ट पर अन्वेषण नहीं किया गया और पुलिस ने एकतरफा वृत्तांत दिया है। यह भी दलील दी गई है कि अभियुक्त धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल के विरुद्ध कोई अभ्यारोपण नहीं किया गया है। उन्हें उनके मित्र होने के कारण मामले में घसीटा गया है। विद्वान् काउंसेल ने यह भी बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने में 12 घंटे का विलंब हुआ था, जो सम्यक् विचार-विमर्श करने के पश्चात् दर्ज कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, किसी करन सिंह उर्फ भैया का भी उल्लेख है जिसे न तो अभियुक्त और न ही साक्षी बनाया गया है।

8. दूसरी ओर, विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री डी. सी. पथिक ने अन्य विधि अधिकारियों द्वारा की गई सम्यक सहायता से पूर्वोक्त दलीलों का इन आधारों पर विरोध किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित रीति में विश्लेषण किया है । प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति की भूमिका को स्पष्ट किया गया है । यह भी दलील दी गई है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से शिकायतकर्ता पक्ष पर आक्रमण किया । विद्वान अपर महाधिवक्ता ने क्षतियों के चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्रों को भी निर्दिष्ट किया जिनमें डाक्टरों द्वारा सम्यक रूप से यह समर्थन किया गया है कि प्रश्नगत क्षतियां जीवन के लिए गंभीर और खतरनाक हैं, इसलिए उन्हें ठीक ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । विद्वान अपर महाधिवक्ता ने एक अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अभि. सा. 6 जय चंद के कथन को भी निर्दिष्ट किया है और यह अवलंब लिया है कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर पाई गई छुट-पुट क्षतियों के स्पष्टीकरण के अभाव में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के साक्ष्य की आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती है । आगे यह भी दलील दी गई है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई असम्यक विलंब नहीं हुआ था और कारण यह है कि प्रश्नगत घटना अपराह्न में लगभग 9.15 बजे घटी थी और उसके पश्चात क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था और अगली सुबह लगभग 9.30 बजे अभि. सा. 13 सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार के अस्पताल पहुंचने पर अभि. सा. 1 हरमेश लाल का कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए. अभिलिखित किया गया था और अन्ततोगत्वा उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । आगे यह भी दलील दी गई है कि करन सिंह उर्फ भैया द्वारा पुलिस को की गई शिकायत कुछ नहीं अपित साक्ष्य सर्जित करने के लिए एक ढकोसला थी । वह अभियुक्त व्यक्तियों में से एक अभियुक्त का नौकर है, जो पंजाब का रहने वाला है।

- 9. हमने अभिलेख के साक्ष्य की गंभीरतापूर्वक और सम्यक् सावधानी से विवेचना की है ।
- 10. अभियोजन पक्ष ने घटना के संबंध में क्षतिग्रस्त साक्षियों के साक्ष्य का पुरजोर अवलंब लिया है । क्षतिग्रस्त साक्षी के परिसाक्ष्य की अपनी ही सुसंगतता और प्रभावोत्पादकता होती है । यह तथ्य कि साक्षी घटना के समय और उसी घटना में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके इस परिसाक्ष्य में विश्वास उत्पन्न करता है कि वह घटना के समय मौजूद था और जब कोई क्षतिग्रस्त व्यक्ति हमलावरों को नामित करता है तो ऐसे साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए अति विश्वसनीय आधार की आवश्यकता होगी, क्योंकि आसानी से यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा साक्षी वास्तविक हमलावरों को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को, साबित दुश्मनी के अभाव में, मिथ्या रूप से फंसाएगा । इसी प्रकार, यह भी स्थिर है कि साक्षी के परिसाक्ष्य में आई सभी प्रकार की विसंगतियों को घातक नहीं माना जा सकता है । न्यायालय की भूमिका यह है कि उसके कथन की परीक्षा करके सच्चाई तक पहुंचे ।
- 11. इसके अतिरिक्त, साक्षियों के कथन में आई ऐसी विसंगतियों से, जो परिसाक्ष्य की सत्यता को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं करती, अभियोजन का पक्षकथन कमजोर नहीं होता है, इतना ही नहीं, जब साक्षी का पक्षपाती होना या अभियुक्त से दुश्मनी के कारण अभिसाक्ष्य दिया जाना दर्शित नहीं किया गया हो ।
- 12. यह ऐसा मामला है जहां लगभग सभी क्षतिग्रस्त साक्षियों को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना साबित किया गया है, जबिक अभियोजन का पक्षकथन यह है कि उक्त साक्षियों को अनेक गंभीर क्षतियां पहुंची थीं और उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का पूर्णतया समर्थन किया है, जबिक यिद अभियुक्त व्यक्तियों को सरसरी क्षतियां पहुंची हैं तो यह बात भी सुसंगत समय पर उनकी मौजूदगी के बारे में विनिश्चय करने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि आक्रामक कौन था, एक सुसंगत कारक है । साक्षियों को पहुंची क्षतियां अभिकथित घटना के स्थल पर उनकी मौजूदगी की गारंटी देती है । उनके परिसाक्ष्य अभियोजन के वृत्तांत को प्रकटित करने के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत हैं । किंतु, साथ ही साथ ऐसा कोई निर्विकार नियम नहीं है कि क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य को यंत्रवत् स्वीकार किया जाना

चाहिए । अतः , हम इस दुर्भर कर्तव्य को अपने ऊपर लेते हुए हम विधि के उपरोक्त स्थिर सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की विवेचना करेंगे ।

13. अभि. सा. 13, सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार के अनुसार, अभियुक्त जसबीर सिंह के जिस नौकर करन सिंह ने रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए दर्ज कराई थी, वह व्यक्ति होशियारपुर (पंजाब) का है । वह क्षितिग्रस्त था और उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था, किंतु उसके शरीर पर पाई गई क्षितियां साधारण प्रकृति और असंज्ञेय थीं और उसके पश्चात् से उसका अता-पता नहीं है । उक्त रिपोर्ट के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि पूर्वोक्त करन सिंह और बिहारी लाल अभियुक्त जसबीर सिंह के नौकर थे जो उसके पशु चराने के लिए नियोजित थे । वे दोनों होशियारपुर (पंजाब) के रहने वाले हैं । उन्होंने पूर्वोक्त रिपोर्ट में क्षितिग्रस्त व्यक्तियों दर्शन लाल, हरमेश लाल और रोशन लाल के विरुद्ध यह अभिकथन किए थे कि जब वे खाना खा रहे थे तब वे ट्रेक्टर में उनके डेरे में आए और उनके साथ-साथ बिहारी लाल की भी पिटाई की । जब उन्होंने शोर-शराबा मचाया तो अभियुक्त किशोर चंद और जसबीर सिंह वहां आए और उन्हें पूर्वोक्त व्यक्तियों के शिकंजे से बचाया । उसके पश्चात् वे अपने ट्रेक्टर में भाग गए ।

14. जबकि, अभियोजन साक्षियों अभि. सा. 1 हरमेश लाल, अभि. सा. 2 सुखदेव उर्फ सुखा, अभि. सा. 3 दर्शन लाल और अभि. सा. 4 रोशन लाल ने एक सुर में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है। अभि. सा. 1 हरमेश लाल ने स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया है कि उसे क्षतियां अभियुक्त किशोर चंद और रमेश लाल उर्फ पम्मी द्वारा कारित की गई थीं । किशोर चंद ने पूर्वोक्त अनुसार डंडे से प्रहार किया था जबकि रमेश उर्फ पम्मी ने गंडासी से । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि सामान्यतः भैंसों के मालिक भैंसों को चराने के लिए भैए (नौकर) रखते हैं, किंतु जो गरीब हैं वे अपने आप चराते हैं । उसने तारीख 11 जून, 2003 को अभिलिखित किए गए अपने कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए को भी निर्दिष्ट किया कि उसने पूर्वोक्त करन सिंह उर्फ भैया के साथ-साथ धनी राम, घुगी और पम्मी के नामों तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा लिए हुए आयुधों का उल्लेख नहीं किया था क्योंकि उस दिन वह उसे पहुंची क्षतियों के कारण पुरे होशोहवाश में नहीं था । उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही थी । उसके पश्चात् उसने तारीख 13 जून, 2003 को पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए अपने कथन में करन सिंह को दोषमुक्त कर दिया । उसने जय चंद के नाम का उल्लेख नहीं किया जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। यद्यपि, उसने यह कथन किया है कि उस पर गंडासी से उलटी ओर के कुंद भाग से तथा उसके हत्थे से जो बांस का था प्रहार किया गया था। उसने अभियुक्त व्यक्तियों को मिथ्या रूप से फंसाने की बात से इनकार किया।

15. अभि. सा. 2 सुखदेव उर्फ सुखा ने इस तथ्य को सिद्ध किया है कि अभियुक्त घुगी द्वारा पार्श्विक भाग के नजदीक बाईं ओर डंडे से प्रहार किया गया था और उसके पश्चात् किशोर चंद द्वारा उसके सिर पर गंडासी से इसके उलटी ओर से प्रहार किया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि पुलिस द्वारा लगभग 2/3 दिनों के पश्चात् उससे परिप्रश्न किए गए थे, हालांकि लगभग एक सप्ताह के पश्चात् वह पूरी तरह होश में था । उसका सामना डी-2 के रूप में चिन्हित उसके कथन से भी कराया गया, जिसमें ऐसा अभिलिखित नहीं था कि उसके द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को मिट्टी के तेल के लैम्प की रोशनी में पहचाना गया था ।

16. अभि. सा. 3 दर्शन लाल ने यह कथन किया कि अभियुक्त जसबीर सिंह द्वारा उसके सिर और कंधे पर डंडे से प्रहार किया गया था । उसके बाएं कंधे में अस्थिभंग भी हो गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि घटना के समय जय चंद कुछ दूरी पर पड़ी एक खाट पर तेलू राम के साथ बैठा हुआ था । जब वे अलग-अलग बैठे हुए थे तब वे सभी रात्रि का भोजन कर रहे थे ।

17. अभि. सा. 4 रोशन लाल ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अभियुक्त रमेश लाल उर्फ पम्पी द्वारा उसके सिर पर गंडासी से वार किया गया था जबिक अन्य अभियुक्तों (नाम नहीं बताए गए हैं) द्वारा उसके बांह पर डंडे से प्रहार किया गया था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि जब उन पर आक्रमण किया गया तो वे तुरंत खड़े हो गए और अपने आप को बचाने की कोशिश की । उसने यह भी कथन किया कि तेलू राम वहां पहले से ही कुछ दूरी पर एक खाट पर बैठा हुआ था । उनके डेरे के निकट एक ट्रेक्टर ट्राली सिहत खड़ा था । उसने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसकी और अन्य व्यक्तियों की पिटाई नहीं की गई थी । उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसकी भैया के साथ लड़ाई हुई थी और अभियुक्त व्यक्तियों को मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

18. अभि. सा. 6 श्री जय चंद घटना का वह साक्षी है जिसने शिकायतकर्ता पक्ष को बचाने की कोशिश की थी । उसने यह भी कथन किया है कि जब वे सभी इकटठे खाना खा रहे थे, तब अभियुक्त किशोर चंद, रमेश लाल उर्फ पम्मी क्रमशः डंडे और गंडासी से लैस होकर वहां आए । उसके पश्चात् किशोर चंद ने हरमेश लाल पर आक्रमण किया और पम्मी ने रोशन लाल पर गंडासी से आक्रमण किया जबकि अन्य (नामों का उल्लेख नहीं) डंडों से उनकी पिटाई करने लगे । उसने यह भी कथन किया कि उसने और तेलू राम ने उन्हें बचाने की कोशिश की । उन्होंने शोर-शराबा भी मचाया, किंतू और अधिक सहायता लेने में सफल नहीं हुए । उसने आगे यह भी कथन किया कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई इस पिटाई के कारण दर्शन लाल, हरमेश लाल, रोशन लाल और सुखा बेहोश हो गए । उसके पश्चात वह उन सभी को ट्रेक्टर-ट्राली में उन पर रजाई का एक कवर, प्रदर्श पी. डब्ल्य्. 17/ए, डालकर ऊना स्थित अस्पताल ले गया । वह बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. ६/ए और पी. डब्ल्यू. ६/बी का भी साक्षी है जिसके द्वारा अभियुक्त किशोर चंद और रमेश लाल ने पुलिस को गंडासियां प्रस्तुत की थीं, जिन्हें कब्जे में लिया गया और उनके वही होने की भी शनाख्त की जो प्रदर्श पी-9 और पी-10 थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने एक गंडासी की शनाख्त उसके हत्थे पर की नाखुन की क्रांसिंग से की थी । उसने यह स्वीकार किया कि सुनवाई की पूर्ववर्ती तारीख पर वह न्यायालय परिसर में मौजूद था, किंतु न्यायालय में चल रही कार्यवाहियों के बारे में कुछ नहीं सुना था । उसने यह स्वीकार किया कि घटना के पश्चात् वह अपने चाचा के पास था और उससे बातचीत की थी, किंत् उसका कथन घटना के अगले दिन अभिलिखित किया गया था और क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को अपनी ट्रेक्टर-ट्राली में अस्पताल लाने के बारे में पुलिस को बताया था जबिक पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए डी-5 के रूप में चिन्हित उसके कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं पाया गया । उसने यह भी कथन किया कि अभिकथित घटना से 4-5 दिन पूर्व अभियुक्त व्यक्तियों के पश् शिकायकर्ता पक्ष की भूमि में घुस जाने को लेकर पक्षकारों के बीच झगड़ा हुआ था, किंतु उनमें आपस में विवाद सुलझ गया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी ने भी उस पर प्रहार नहीं किया था और न ही उसे क्षतियां पहुंची थीं, किंतु वह अपनी भुजाओं से (हाथों से) क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रहा था ।

19. अभि. सा. 8 डा. सुनील शर्मा के अनुसार, अभि. सा. 3 दर्शन लाल के शरीर पर क्षतियां, चौथी क्षति के सिवाय जो ऊपर उल्लिखित अनुसार उसके कंधे में अस्थिभंग से पहुंची थीं, साधारण प्रकृति की थी और अभि. सा. 2 सुखदेव उर्फ सुखा को खोपड़ी पर दाएं पार्श्विक भाग पर कटने की छुट-पुट क्षतियों के अतिरिक्त अनुकपाल-अस्थि का अस्थिभंग हुआ था तथा हरमेश लाल को बाएं कर्ण-पल्लव पर गंभीर क्षतियां थीं और कर्ण-पल्लव बुरी तरह से कुचला और विरूपित था तथा सतही उपास्थि दिखाई पड़ रही थी, संवेदनशीलता मौजूद थी और तेज रक्तस्राव मौजूद था तथा बाह्य श्रवण नाल रक्त से भरी हुई थी, जबिक रोशन लाल को खोपड़ी, माथे और शरीर के अन्य अंगों पर छुट-पुट क्षतियां थीं । जिन एक्स-रे के आधार पर अभि. सा. 8 डा. सुनील शर्मा ने दर्शन लाल, सुखदेव, हरमेश लाल के शरीरों पर गंभीर क्षतियां होने की राय दी है, उनके साथ-साथ उसकी राय को अभि. सा. 9 डा. एम. के. कपूर, विकिरण-चिकित्सा विज्ञानी द्वारा साबित किया गया है और उसे उसकी प्रतिपरीक्षा में विवादग्रस्त नहीं किया गया है।

20. अभि. सा. 13, सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार के अनुसार, करन सिंह द्वारा की गई रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए पर भी अन्वेषण किया गया था किंतु सत्यापन करने के पश्चात् यह रिपोर्ट मिथ्या पाई गई थी क्योंकि उसके द्वारा यह रिपोर्ट केवल बच निकलने के लिए दर्ज कराई गई थी।

21. पूर्वोक्त साक्ष्य की समालोचनात्मक परीक्षा करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल उर्फ मोहन को संसक्त करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है क्योंकि किसी भी साक्षी ने उनके विरुद्ध कथन नहीं किया है और न ही यह साबित किया गया है कि उन्होंने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था, जबिक धनी राम के संबंध में विनिर्दिष्टतः अभि. सा. 1 हरमेश लाल के कथन में यह निर्देश आया है कि वह उन्हें यह सूचित करने आया था कि सोमा को ले आओ जो उसके डेरे में नशे की हालत में पड़ा हुआ है । अभि. सा. 6 जय चंद के अनुसार, जब धनी राम ने उपरोक्त तथ्य के बारे में हरमेश लाल को सूचित किया था, तब अभियुक्त किशोर चंद और रमेश उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चीरी आयुधों से लैस होकर आए और पूर्वोक्त अनुसार हरमेश लाल तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण किया । इस प्रकार, धनी राम पर किसी स्पष्ट कृत्य का भी अध्यारोपण नहीं किया गया

है। इसलिए हमारी सुविचारित राय में, धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल **उर्फ** मोहन की दोषसिद्धि असंधार्य है और अपास्त की जानी चाहिए।

22. जहां तक अन्य अभियुक्तों, अर्थात् किशोर चंद, रमेश लाल उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चीरी और घुगी उर्फ लखबीर सिंह का संबंध है, ऊपर निर्दिष्ट क्षतिग्रस्त साक्षियों के कथनों में अनुरूपता है और उक्त अभियुक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक के द्वारा अदा की गई भूमिका को भी अध्यारोपित किया गया है तथा उक्त अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए पूर्वोक्त क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को गंभीर और धारदार आयुधों से क्षतियां कारित कीं । चूंकि उनमें से अन्य चार के विरुद्ध अभिलेख पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य बनाने वाली कोई बात नहीं आई है क्योंकि उनमें से किसी के विरुद्ध भी विधिविरुद्ध जमाव का गठन करना या कोई स्पष्ट कृत्य कारित करना साबित नहीं होता है । यह साबित होता है कि गंडासी उलटी ओर से प्रयुक्त की गई थी जिससे दर्शन लाल के बाएं कंधे के जोड़ वाले भाग पर अस्थिभंग हुआ तथा कुंद आयुध से सुखदेव की अनुकपाल-अस्थि का भी अस्थिभंग हुआ, जबिक पूर्वोक्त व्यक्तियों पर कटने की क्षतियां गंडासी से कारित हुई हैं और ऐसी राय डाक्टर द्वारा दी गई है । रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए, जो अभिकथित रूप से करन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी, का अभियोजन के वृत्तांत पर उपरोक्त सीमा तक संदेह करने के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसे वृत्तांत का उल्लेख न तो क्षतिग्रस्त साक्षियों के समक्ष उनके कथन करने के समय और न ही उनकी प्रतिपरीक्षा में किया गया था । यह प्रतीत होता है कि यह रिपोर्ट केवल मात्र शिकायतकर्ता पक्ष के मामले का विरोध करने के लिए दर्ज कराई गई थी, जिन्हें अन्यथा रूप से बह्त ही गंभीर क्षतियां पहुंची थीं और करन सिंह तथा बिहारी लाल को पहुंची क्षतियां बहुत ही साधारण प्रकृति की थीं और अभियोजन पक्ष द्वारा इनके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता पक्ष को पहुंची क्षतियां स्वयं इस तथ्य की सूचक हैं कि पूर्वोक्त अभियुक्त व्यक्ति आक्रामक थे ।

23. चूंकि अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात् किशोर चंद, रमेश लाल उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चीरी और घुगी उर्फ लखबीर सिंह ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए पूर्वोक्त क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की, इसलिए हम उन्हें भारतीय दंड संहिता

की धारा 34 के साथ पठित धारा 325 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी अभिनिर्धारित करते हैं न कि धारा 307 के अधीन दंडनीय हत्या का प्रयत्न करने और बल्वा करने के लिए ।

24. अतः अभियुक्त व्यक्तियों किशोर चंद, रमेश लाल उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चीरी और घुगी उर्फ लखबीर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पिठत धारा 325 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और तद्नुसार उनमें से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है । जुर्माने की रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर वे पूर्वोक्त प्रत्येक धारा के अधीन छह मास की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे । उनके द्वारा यदि कोई जुर्माने की राशि जमा की गई है, तो उसे इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए जुर्माने के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा । पूर्वोक्त दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त दोषसिद्ध व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अधीन 40,000/- रुपए की राशि के प्रतिकर का संदाय करने के लिए भी दायी हैं, जो उक्त दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा समान अनुपात में संदत्त और जमा किया जाएगा । यदि उपरोक्त रकम जमा/वसूल की जाती है, तो इसे क्षतिग्रस्त व्यक्तियों में निम्नानुसार संवितरित किया जाएगा :-

(i) अभि. सा. 2 सुखदेव **उर्फ** सुखा = 20,000/- रुपए

(ii) अभि. सा. 3 दर्शन लाल = 10,000/- रुपए

(iii) अभि. सा. 4 रोशन लाल = 5,000/- रुपए

(iv) अभि. सा. 1 हरमेश लाल = 5,000/- रुपए

25. यदि प्रतिकर जमा नहीं किया जाता है, तो इसे जुर्माने की भांति वसूल किया जाएगा ।

26. तथापि, धनी राम, बिहारी लाल, सोहन लाल और मोहन लाल द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की जाती है और उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । उनके द्वारा कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान प्रस्तुत किए गए जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

यदि कोई जुर्माने की रकम जमा की गई है, तो उन्हें वापस कर दी जाए ।

27. अपीलार्थी-दोषसिद्ध व्यक्तियों अर्थात् किशोर चंद, रमेश लाल उर्फ पम्मी, जसबीर सिंह उर्फ चीरी और घुगी उर्फ लखबीर सिंह को तद्द्वारा निदेशित किया जाता है कि वे दंडादेश भुगतने के लिए तारीख 25 जून, 2013 को विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करें । अभिरक्षा की अवधि अर्थात् विचारण से पूर्व या दौरान, यदि कोई है, का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा किया जाएगा । यह अपील उपरोक्त निबंधनों में भागतः मंजूर की जाती है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.